अष्टम माला, खंड 42, अंक 24

शुक्रवार, 2 सितम्बर, 1988
11 भाद्र, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 42 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 421, ग्यारहवां सत्र, 1988/19-10 (शक)
अंक 24, शुक्रवार, 2 सितम्बर, 1988/11 भाद्र, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—3
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	3—6
राज्य सभा से संदेश	6—7
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	7
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	7
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 54वीं से 56वीं बैठकों के कार्यवाही—सारांश	8
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक पुर: स्थापित	8
नियम 377 के अधीन मामले	9—12
(एक) इन्दिरा गांधी नहर से पाली (राजस्थान) को पेय जल की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाना — श्री शंकर लाल	9
(दो) हरियाणा सरकार को उस राज्य से गुजरने वाली गंगा नहर के संपर्क भाग का निर्माण करने के लिए निदेश दिया जाना — श्री बीरबल	10
(तीन) कृषि मशीनों में प्रशिक्षण और परीक्षण का केन्द्रीय संस्थान स्थापित किए जाने हेतु स्थान के चयन को अन्तिम रूप दिए जाने की आवश्यकता — श्री चिन्तामणि जेना	10
(चार) युवा उद्यमियों को उदारता से ऋण देने के लिए बैंकों को निदेश दिया जाना — श्री राम सिंह यादव	10

विषय	पृष्ठ
(पांच) मथुरा तेल शोधक कारखाने में अग्निरोधक उपाय किए जाने की आवश्यकता	11
श्री मानवेन्द्र सिंह	
(छः) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चम्बल क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान किया जाना	12
श्री कम्मोदी लाल जाटव	
(सात) चामराजनगर (मैसूर) में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	12
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद	
(आठ) किसानों को लहसुन और धनिया के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जाना	12
श्री बालकवि बैरागी	
बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक	13—36
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० शंकरानन्द	13
श्री राम सिंह यादव	16
श्री विजय एन० पाटिल	18
श्री शंकर लाल	20
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	22
कुमारी ममता बनर्जी	24
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	26
श्रीमती ऊषा चौधरी	28
श्री हरीश रावत	29
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० शंकरानन्द	30
श्री जगन्नाथ पटनायक	35

विषय	पृष्ठ
जामिया मिलिया इस्लामिया विधेयक	6—150
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी० शिव शंकर	36
श्री जी० एम० बनातबाला	37
श्री अजीज कुरेशी	69
डा० जी० एस० ढिल्लो	75
प्रो० नारायण चन्द पराशर	77
श्री अब्दुल रशीद काबुली	79
श्री खुर्शीद आलम खां	93
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	101
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	46
श्री नवल किशोर शर्मा	107
श्री राज मंगल पांडे	38
श्री जियाउर्रहमान अन्सारी	113
श्री पी० शिव शंकर	115
खण्डवार विचार—	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी० शिव शंकर	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	150
56 वां प्रतिवेदन	
नए 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में संकल्प	151—167
श्री अजीज कुरेशी	151
श्री एन० टोम्बी सिंह	152
कुमारी ममता बनर्जी	154
श्री हरीश रावत	156
श्री चिन्तामणि जेना	158
श्री राम भगत पासवान	161
श्री के० प्रधानी	163
श्री प्रताप भानु शर्मा	165
श्री मोहम्मद अयूब खां	167

लोक सभा

शुक्रवार, 2 सितम्बर, 1988/11 भाद्र, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.00 म० पू०

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों अर्थात सर्वश्री अवधेश चन्द्रसिंह और फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़ के निधन की सूचना देना मेरा दुःखद कर्तव्य है।

श्री अवधेश चन्द्रसिंह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से 1967-77 के दौरान चौथी और पांचवी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वह 1952-62 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

वह पेशे से एक किसान थे जिन्होंने बागबानी और लघु सिंचाई विकास में गहरी रूचि ली। उन्होंने अनेक सामाजिक और शैक्षणिक संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

श्री अवधेश चन्द्रसिंह का 13 अगस्त, 1988 को 71 वर्ष की में आयु भोलेपुर फर्रुखाबाद में निधन हो गया। श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़ गुजरात के बड़ोदा निर्वाचन क्षेत्र से 1957-62, 1962-67 और 1971-77 के दौरान क्रमशः दूसरी, तीसरी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1967-71 के दौरान गुजरात राज्य विधान सभा के भी सदस्य रहे।

एक योग्य सांसद, श्री गायकवाड़ ने 1957-62 के दौरान रक्षा मंत्री के संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1967-71 के दौरान अपने गृह राज्य में स्वास्थ्य, मत्स्य पालन और जेल मंत्री के रूप में कार्य किया।

वह पेशे से एक उद्योगपति थे जिन्होंने खेलों में सक्रिय भाग लिया। वह 1963-66 के दौरान

क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। इससे पूर्व वह 1962-63 के दौरान राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की थी और वह वन्य-जीवन में गहरी रूचि रखते थे और विश्व वन्य जीवन निधि के न्यासी रहे।

श्री गायकवाड़ का 1 सितम्बर, 1988 को 59 वर्ष की आयु में बम्बई में निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि मेरे साथ सभा भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेगी।

सदस्यगण अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े हों।

11.04 म०पू०

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सभा के एक वरिष्ठ माननीय सदस्य और भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, श्री अशोककुमार सेन अब सती मेला की वकालत कर रहे हैं। मैं उनकी गतिविधियों की निंदा करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में क्या कर सकता हूं ?

कुमारी ममता बनर्जी : जब हमने सती निवारण विधेयक पारित किया था तो उस समय पूरे विपक्ष ने विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन किया था। अब वह सती मेले का समर्थन कर रहे हैं। मैं जन मोर्चा नेता के इस दोहरे मानदंड की निंदा करती हूं। वह महिलाओं के दर्जे को बदनाम कर रहे हैं। मैं सभी सदस्यों से उनका सामाजिक बहिष्कार करने का आग्रह करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि पत्रकारों के लिए सरकार द्वारा गठित भाचावत कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट आ गई है और जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस रिपोर्ट में पत्रकारों के हितों का पूरा ख्याल नहीं रखा गया है। पत्रकारों में इससे असंतोष है और हम सब लोग भी इससे क्षुब्ध हैं। क्या सरकार इसके बारे में कोई वक्तव्य देगी और उस अन्तरिम रिपोर्ट को सदन के सामने रखकर उस पर कोई बहस करने की व्यवस्था

करेगी ? यह आपत्तियां बुलाई गई हैं तो तब तक पत्रकारों के हितों का क्या होगा ? एक पत्रकार को 300 रुपए महीने में दिल्ली में कहीं मकान मिल सकता है ? कभी नहीं मिल सकता।
[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बात पहुंचा दूंगा और हम इस पर विचार करेंगे।

11.06 म०पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्ज लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के; भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के तथा वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-88 आदि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन।

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्ज लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्ज लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०6507/88]

(ख) (एक) भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०6508/88]

(ग) (एक) वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०6509/88]

(घ) (एक) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०6510 88]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०6507-10/88]

कुटुम्ब न्यायालय (न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अन्य अर्हताएं) नियम 1988

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): मैं श्री बी० शंकरानन्द की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 22 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय (न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अन्य अर्हताएं) नियम, 1988, जो 2 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 678(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6511/88]

नैशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, आदि के 31.12.87 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 61क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) नैशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नैशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6512/88]

(ख) (एक) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 6513/88]

(ग) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी. 6514/88]

(घ) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखें गये, देखिये संख्या एल. टी. 6515/88]

(ङ) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी. 6516/88]

बेनामी संव्यवहार (संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार का प्रतिषेध) अध्यादेश, द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

बेनामी संव्यवहार (संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार का प्रतिषेध) अध्यादेश, 1988 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 6517/88]

हिन्दी के प्रसार और विकास में तेजी लाने सम्बन्धी कार्यक्रम तथा उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वर्ष 1986-87 का वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहनदेव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों हेतु हिन्दी के प्रसार और विकास में तेजी लाने तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग के कार्यक्रम तथा उसके क्रियान्वयन संबंधी वर्ष 1986-87 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 6518/88]

11.07 म०पू०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 1 सितम्बर 1988 की अपनी बैठक में मोटर यान विधेयक, 1988 से, जिसे लोक सभा द्वारा 22 अगस्त 1988 की बैठक में पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 1 सितम्बर 1988 की अपनी बैठक में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण विधेयक, 1988 से, जिसे लोक सभा द्वारा 31 अगस्त 1988 की बैठक में पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, 28 जुलाई, 1988 को सभा को सूचित करने के पश्चात् वर्तमान सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1988

(2) पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1988

11.08 म० पू०

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने 1 सितम्बर 1988 को सभा में प्रस्तुत किये गए अपने तेरहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दी गई अवधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए :

1. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	29.3.88 से 12.4.88 और
	18.4.88 से 25.4.88
2. डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा	18.4.88 से 13.5.88,

	27.7.88 से 23.8.88 और
	29.8.88 से 1.9.88
3. श्री अजीज सेट	27.7.88 से 12.8.88
4. श्री राम रतन राम	27.7.88 से 10.8.88
5. श्री डाल चन्द्र जैन	27.7.88 से 19.8.88
6. श्री गिरधारी लाल व्यास	27.7.88 से 12.8.88
7. डा० प्रभात कुमार मिश्र	16.8.88 से 23.8.88 और
	29.8.88 से 5.9.88

क्या सभा की राय है कि समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अनुमति दी जाए ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

———

11.08/1/2 म० पू०

[हिन्दी]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

54 वीं से 56 वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री राम अवध प्रसाद (बस्ती) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 54वीं से 56वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

———

11/08/3/4 म० पू०

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि एकाधिकार तथा अवरोधक

* दिनांक 2.9.1988 के भारत के राजपत्र, असा धारण, भाग दो खण्ड 2 में प्रकाशित हुआ ।

व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जे० वेंगल राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री वृजमोहन मोहन्ती (पुरी) : महोदय, मेरा एक छोटा-सा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उस समय आपको अनुमति दी थी किन्तु आप बोले नहीं।

श्री बृजमोहन महन्ती : कृपया अब मुझे समय प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री वृजमोहन महन्ती : महोदय, बर्मा में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है और इस पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। उनकी हमारे देश के साथ काफी लम्बी सीमा लगती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सम्बद्ध मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

11.09/1/2 म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) इन्दिरा गांधी नहर से पाली (राजस्थान) को पेयजल की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाना

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पाली जिले में स्थित जवाई बांध किसानों की खुशहाली का एक मात्र स्त्रोत है जिसका पानी गत कई वर्षों से जोधपुर पेयजल पूर्ति हेतु दिया जाते रहने से पाली जिले के किसानों और आम जनता में भारी असंतोष है। जोधपुर पेयजल की समस्या के अविलम्ब हल हेतु इन्दिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध कराने की योजना युद्ध स्तर पर लिए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि व सीमेण्ट उपलब्ध कराना जरूरी है।

(दो) हरियाणा सरकार को उस राज्य से गुजरने वाली गंगा नहर के संपर्क भाग का निर्माण करने के लिए निदेश दिया जाना ।

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर गंग नहर को बने हुए करीब साठ वर्ष हो चुके हैं । अब यह नहर अपनी खराब हालत के कारण अपनी क्षमता का 2750 क्यूसेक पानी लेने में असमर्थ हो चुकी है । वर्तमान में यह नहर सिर्फ 1850 क्यूसेक पानी ले रही है । इस स्थिति को सामने रखकर राजस्थान सरकार ने अब से चार वर्ष पूर्व गंग कैनाल लिंक के नाम से एक नयी नहर का निर्माण कार्य चालू किया था । यह वर्ष 1986-87 में पूरी होनी थी । हरिके बैराज से गंग नहर के हिस्से का 2750 क्यूसेक पानी इन्दिरा गांधी नहर में डालकर आर० डी० 529 पर यह पानी लिया जायेगा, जिसको गंग कैनाल लिंक के द्वारा साधुवाली हेड ले जाया जावेगा । यह हेड बीकानेर गंग नहर का राजस्थान में पहला हेड है । हरियाणा सीमा में अब तक इस उपरोक्त नहर के निर्माण पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि नहर के निर्माण पर होने वाली लागत की रकम राजस्थान सरकार ने हरियाणा सरकार को जमा करवा दी है ।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह हरियाणा सरकार से कहकर इस नहर का तुरन्त निर्माण करवाने की कृपा करे । अगर समय रहते हरियाणा सीमा में इस नहर का निर्माण नहीं करवाया गया तो गंगा नगर जिले के किसान बरबाद हो जायेंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी ।

(तीन) कृषि मशीनों में प्रशिक्षण और परीक्षण का केन्द्रीय संस्थान स्थापित किए जाने हेतु स्थान के चयन को अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि जेना (बालसौर) : एक केन्द्रीय दल ने पूर्वी क्षेत्र में एक केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिए उड़ीसा राज्य में सुकिड़ां बीज फार्म का दौरा किया था और स्थल का चयन किया था । कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर राज्य सरकार निःशुल्क जमीन अंतरित करने को सहमत हो गई थी । कृषि मंत्रालय से बातचीत करने के पश्चात उड़ीसा के मुख्यमंत्री दिसम्बर, 1986 में इस बात पर सहमत हो गए थे कि अन्य औपचारिकताएं पूरी होने से पूर्व चुनी गई भूमि को सौंप दिया जाएगा । भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग ने बताया था कि परियोजना को जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा । लेकिन लगभग दो वर्ष बीत गये हैं और अभी भी इस परियोजना को अंतिम रूप दिया जाना है । अतः मैं माननीय कृषि मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इस परियोजना को अंतिम रूप दें और सरकार के निर्णय की घोषणा संसद के वर्तमान सत्र में सभा में कर दें ।

(चार) युवा उद्यमियों को उदारता से ऋण देने के लिए बैंकों को निदेश दिया जाना

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : युवा शक्ति राष्ट्र की ताकत और उत्साह को अभिव्यक्ति करती

है रचनात्मक और उत्पादक कार्यक्रमों में युवा शक्ति का उचित उपयोग करने से देश में औद्योगिक और कृषि उत्पादन बढ़ सकता है। भारत सरकार ने इस देश के युवाओं के लिए "स्व-रोजगार कार्यक्रम" की व्यवस्था की है। हमारे प्रिय प्रधान मन्त्री ने युवाओं के फायदे के लिए इस कार्यक्रम का विस्तार शहरी क्षेत्रों में भी किया है। व्यवहारिक रूप में युवाओं को बैंक से ऋण सुविधायें और अन्य मूल भूत सुविधायें जैसे बिजली, कच्चा माल तथा विपणन सुविधायें प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे इन विभिन्न एजेंसियों पर निगरानी रखें और उनमें समन्वय स्थापित करें ताकि युवा उद्यमी सफल हो सकें और संसार में टिक सकें।

'ट्राइसेम' जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए गये युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने तथा निजी और सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दिलाने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों को आदेश दे कि वे प्रत्येक वर्ष देश में कुल ऋण का 33 प्रतिशत ऋण युवाओं को दें ताकि वे अधिक से अधिक स्व-रोजगार व्यवसायिक कार्यक्रमों में लग सकें। इससे देश में काफी हद तक युवकों में बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी।

(पांच) मथुरा तेल शोधक कारखाने में अग्निरोधक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 30. 8. 88 को मथुरा तेल शोधक कारखाने में टैंक वैगन्स लोडिंग एरिया में भयंकर आग लग जाने की घटना घटित हुई। लोडिंग एरिया में 130 टैंक वैगन्स मौजूद थे। केवल 35 टैंक वेगन्स आग से प्रभावित हुए एवं इस दुर्घटना में पांच कर्मचारियों के जलने और दो कर्मचारियों के मरने की सदन को सूचना दी गई थी। इस प्रकार की भयंकर आग की घटना तेल शोधक कारखाने में लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूर्व भी कई बार सन् 1982 से सन् 1984 में कई बार आग की घटनायें हो चुकी हैं। खेद का विषय है कि आज तक पूर्ण व्यवस्था नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि यह संबधित अधिकारियों की लापरवाही का कारण है। आश्चर्य की बात है कि लगातार आग की घटनाओं के होने के बावजूद तेल शोधक कारखाने को पूर्ण रूप से आग सुरक्षा यन्त्रों से सुसज्जित नहीं किया गया। इसके साथ-साथ जितनी सतर्कता आग से सम्बधित बरती जानी चाहिए थी, नहीं ली गई।

मथुरा रिफाइनरी से लगी हुई तमाम गाँवों की लगभग एक लाख की जनसंख्या मथुरा शहर का पास होना, हजारों अधिकारी एवं कर्मचारी इसमें कार्यरत एवं हजारों की तादाद में उनके परिवारजन के जीवन की सुरक्षा के लिए यह अति आवश्यक है कि अविलम्ब सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण पर्याप्त की जाये, जिससे भविष्य में भयंकर दुर्घटना होने से रोकी जा सके।

अंत में मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा कार्यवाही क्या की गई,

जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए एवं भविष्य में पूर्ण सुरक्षा के लिए क्या सरकार की योजना है ? इस दुर्घटना में मृतकों की सही संख्या कितनी है ? मुझे मौके पर बताया कि ठेकेदार द्वारा लगाई गई अस्थाई लेबर जो उस समय कार्यरत थी, उनमें मरने वालों की संख्या लगभग चालीस है।

(छः) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चम्बल क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधायें प्रदान किया जाना

श्री कम्मोदीलाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के चम्बल सम्भाग के मुरैना जिले में अभी किसानों को पूरा सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता है। कारण गांधी नगर से जो केनाल निकली है उस केनाल से मुरैना व भिण्ड जिले को सिंचाई व्यवस्था है। गांधी नगर इन जिलों से 600 कि० मी० है दूरी होने के कारण केनाल फूट ती रहती है तथा ठीक करने में महीनों लग जाते हैं। इस कारण किसानों की जमीन सूख जाती है। मुरैना जिले में काफी नदियां बहती हैं। नदियों के पानी को रोकने के लिए जैसे कुओं से लिफट कर केनाल में पानी डालना, चम्बल नदी से ऐशाह ग्राम के पास लिफटकर केनाल में पानी डालना तथा आवश्यकतानुसार ट्यूबवैल लगाना इस क्षेत्र में अति आवश्यक है। मेरा सरकार से निवेदन है कि बताई गई योजना तत्काल स्वीकृत की जाए ताकि चम्बल सम्भाग के किसानों को सिंचाई का पूरा पानी मिल सके।

(सात) चामराजनगर (मैसूर) में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद (चामराजनगर) : मैसूर जिला इस देश में काफी लम्बे अर्से से प्रसिद्ध है क्योंकि पहले यह एक रियासत थी लेकिन अब यह कर्नाटक राज्य में है। चामराजनगर मैसूर जिले का हिस्सा है लेकिन यह कर्नाटक राज्य का सबसे पिछड़ा ताल्लुक है। यहां पर लोग सदियों से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस जिले में कोई भी उद्योग नहीं हैं और आज भी लोग सिंचाई के लिए अनिश्चित वर्षा पर निर्भर करते हैं।

चामराजनगर और मेट्टूपलायम को रेले से जोड़ने की योजना थी। हाल में, जिलों के पुनर्गठन की सिफारिश करते समय यह निर्णय लिया गया है कि चामराजनगर को जिले का दर्जा दिया जाए ताकि उसका चहुंमुखी विकास हो सके।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह चामराजनगर के लोगों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वहां पर उद्योग लगाये।

(आठ) किसानों को लहसुन और धनिया के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जाना

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 1988 में सारे देश में लहसुन और

धनिये की फसल के भावों में एकाएक जो गिरावट आई है उससे हमारे किसान की सारी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। गये 3 सालों से किसान को लहसुन और धनिये का आकर्षक भाव मिल रहा था। विगत वर्ष किसान ने मंहगा बीज खरीद कर लहसुन पैदा की थी। उसकी सारी आशाओं और भविष्य की योजनाओं पर पानी फिर गया है। लगता है कि लहसुन से किसान का मोह भंग हो गया है। जो भी लहसुन का निर्यात खुला हुआ है तब भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ताईवान की लहसुन ने हमारी लहसुन को क्वालिटी और कीमत दोनों हीं मोर्चों पर पीछे धकेल दिया है। सरकार का यही कथन है। ऐसी स्थिति में सरकार से मेरा आग्रह है कि भारत के किसानों के हित में वह हमारी मूल्य नीति में ऐसा कुछ संशोधन करें जिससे कि हमारे अपने ही अंदरूनी बाजार में लहसुन और धनिये के आकर्षक और सर्वथा उचित भाव भारत के किसानों को मिल सकें। मंदसौर जिले के किसानों की इस गम्भीर स्थिति को समूचे भारत के किसानों की अर्थव्यवस्था का आधार मानकर सरकार का कृषि विभाग, वित्त विभाग वाणिज्य विभाग, विपणन विभाग तथा विदेश व्यापार विभाग अपनी नीति का निर्धारण करे।

———

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अब मद संख्या बारह —नियम 193 के अधीन चर्चा पर विचार करेगी। श्री दिनेश गोस्वामी उपस्थित नहीं। श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव उपस्थित नहीं। अतः अब हम अगली मद संख्या 13 और 14 को एक साथ विचार के लिए लेंगे।

मद 13-सांविधिक संकल्प

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया, श्रीमती गीता मुखर्जी, प्रो० शेफुद्दीन सोज श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री विजयकुमार यादव, श्री नारायण चोबे, श्री माधव रेड्डी, श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव, ये सभी अनुपस्थित हैं।

इसलिए सांविधिक संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

अब हम मद संख्या 14-बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 1988 को विचार के लिए लेंगे। श्री शंकरानन्द।

11.21 म० पू०

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि बेनामी संव्यवहारों और बेनामी धारित सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार को प्रतिषिद्ध करने और उससे संबंधित या उसके अनुषंगी विषयों वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[श्री बी० शंकरानन्द]

19 मई, 1988 को राष्ट्रपति ने बेनामी सव्यवहार (सम्पत्ति प्रत्युद्धरण के अधिकार प्रतिषेध) अध्यादेश, 1988 जारी किया था। यह अध्यादेश आयोग के 57वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को लागू करने के लिए जारी किया गया था। यह सच है कि सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने और उन्हें लागू करने में कुछ समय लगा दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार इस पर चुप भी नहीं बैठी रही है। वास्तव में 1978 में ही विधि आयोग की इन सिफारिशों को लागू करने के लिए एक विधेयक पुर स्थापित करने के वास्ते कदम उठाये गये थे। परन्तु क्योंकि इस कदम का सख्त विरोध हुआ था इसलिए इस प्रस्ताव को नहीं लाया जा सका था। क्योंकि यह जरूरी था कि बेनामी के रूप में हस्तान्तरित सम्पत्ति की वसूली का तत्काल प्रतिषेध करना जरूरी था, इसलिए अध्यादेश जारी करना जरूरी हो गया था।

अध्यादेश के इन उपबन्धों पर जनता और समाचार पत्रों की मिश्रित प्रक्रिया हुई। इसकी बहुत आलोचनाएं हुई कि यह अध्यादेश काले धन की वृद्धि को रोकने के उद्देश्य को बहुत हद तक प्राप्त नहीं कर पायेगा। यह भी कहा गया था कि यह प्रभावी साबित नहीं होगा और केवल कागजी शेर बन कर रह जाएगा।

इन आलोचनाओं की जाँच करने के पश्चात् सरकार ने यह आवश्यक समझा था कि इस मामले को विधि आयोग को सौंप दिया जाये ताकि वह इस प्रश्न की गहराई से और इसके समुचित परिप्रेक्षय में विचार कर सके। तद्नुसार, विधि आयोग ने अपनी सिफारिशे भेज दीं ताकि हम इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद एक विधेयक प्रस्तुत कर सके और वह भी 6 सप्ताहों की अवधि की समाप्ति से पहले, जबकि इस अध्यादेश की अवधि समाप्त हो रही होगी। विधि आयोग का प्रतिवेदन पहले ही सभापटल पर रखा जा चुका है। यह अध्यादेश वास्तविक स्वामी के इस अधिकार पर कि वह किसी बेनामी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई मुकद्दमा दर्ज करे प्रतिबन्ध लगाता है। और इसमें यह भी व्यवस्था है कि ऐसे अधिकार पर आधारित बचाव संबन्धी मुकद्दमे में किसी दावे या कार्यवाही की अनुमति नहीं होगी। इसमें केवल ऐसी सम्पत्तियों पर अपवाद का उपबन्ध है जो किसी हिन्दू अविभाजित परिवार में सहभागी द्वारा और किसी लाभान्वित की ओर से किसी न्यासी द्वारा रखी गयी हैं।

इस अध्यादेश के उपबन्धों को न्यायांचित बताते हुए विधि आयोग ने सिफारिश की थीं कि इस अध्यादेय के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए बेनामी सौदों में कारोबार करने को अपराध के रूप में माना जाना जरूरी है। इसने यह भी महसूस किया कि क्योंकि अधिकांश बेनामी सौदे कर—कानूनों, भूमि सीमा बन्दी कानूनों आदि से बचने के लिए कि गए थे, इसलिए इन सौदे के दोनों ही पक्ष समान रूप से दोषी हैं और इसलिए इस अध्यादेश को इस रूप में नहीं मानना चाहिए कि दोनों में से कोई पक्ष अनुचित लाभ उठा सकेगा अर्थात उस सम्पत्ति को अपने पास रख सकेगा। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि बेनामी सौदों में कारोबार करने को अपराध बनाने के साथ-साथ इसमें बेनामीदार की सम्पत्ति का अधिग्रहण करने का उपबन्ध भी होना चाहिए।

इस उपबन्ध को विधि आयोग द्वारा आवश्यक समझा गया ताकि बेनामीदार पर वास्तविक स्वामी को सम्पत्ति के पुनः हस्तांतरण पर रोक लगाई जा सके। इससे बेनामीदार को कानून के उपबन्धों को मात देने से रोका जा सकेगा। विधि आयोग द्वारा बेनामी सौदों में कारोबार पर नियन्त्रण करने के लिए दो और सिफारिशें की गई थीं। एक तो इस प्रयोजन के लिए बनाये गये अधिकरणों में शिकायत दर्ज कराने के लिए स्वैच्छिक निकायों को प्राधिकृत करके और दूसरा निजी न्यासों के पर्यविक्षण के लिए पूर्त-आयुक्त जैसे प्राधिकारी की नियुक्ति करके।

इस विधेयक में, अध्यादेश में अन्तरविष्ट उपबन्धों के अलावा, बेनामी सौदों पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है। इसमें बेनामी सम्पत्तियों के अधिग्रहण की भी व्यवस्था हैं। बेनामी सौदों में कारोबार के लिए केवल एक ही अपवाद है; वह यह कि पिता द्वारा या पति द्वारा एक अविवाहित पुत्री या पत्नी के लाभ के लिए सम्पत्ति की खरीद, और इसमें यह धारणा भी शामिल की गई है कि ऐसे सौदों के बारे में यह भी मान लिया जाना चाहिए कि यह सौदे अविवाहित पुत्री या पत्नी के लाभ के लिए किये गये थे।

निजी अभिकरणों को प्राधिकृत करने और निजी न्यासों के लिए पूर्त-आयुक्त जैसे प्राधिकारी की नियुक्ति करने के विशिष्ट उपबन्ध इस विधेयक में शामिल नहीं किये गये हैं क्योंकि सरकार यह महसूस करती है कि बेनामी सौदों को प्रतिबन्धित करने से और बेनामी सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने से सम्बन्धित प्राधिकारियों को बेनामी सौदों के होने का पता चल जायेगा और स्वैच्छिक संगठन, उन्हें विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किये बगैर ही, अपने आप ही अपनी-अपनी शिकायतें भेजने लगेंगे। इस कारण से इस सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिश इस वर्तमान विधेयक में शामिल नहीं की गई है।

इस विधेयक के खण्ड पांच में बेनामी सम्पत्तियों के अधिग्रहण की व्यवस्था है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए प्राधिकारी और इसके द्वारा पालन की जानी वाली प्रक्रिया को नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जैसा कि सदन को ज्ञात ही है कि इस विधेयक के उपबन्ध समवर्ती-सूची में दर्ज मामले से सम्बन्धित है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस मामले पर विधान पारित करने में समक्ष है। यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे इस तरह के कानून उपबन्धों को प्रशासित करे। इसलिए सरकार ऐसी स्थिति में नही है कि वह इस विधान में ही सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए किसी प्राधिकारी को तत्काल निर्दिष्ट करे। इस आशय से इसमें सक्षम प्राधिकारी और प्रक्रिया की व्यस्था की गई है कि सम्पत्ति का अधिग्रहण नियमों द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इस खण्ड के उपबन्ध बिल्कुल वैसे ही है जैसे अन्य अधिनियमों में अंतर्विष्ट उपबन्ध बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अन्य अधिनियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्ध हैं जिन पर इस माननीय सदन द्वारा विचार किया जा चुका है और इसलिए इसमें शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन जैसी कोई बात नहीं है।

इसके अलावा, क्योंकि देश में किए गए बेनामी सौदों की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है, इससिए हम इस स्थिति में नहीं है कि उन सम्पत्तियों का अनुमान लगा सकें, जिनका अधिग्रहण किया जायेगा। जैसे ही और जब भी मौका आयेगा, केन्द्रीय सरकार के किसी

अधिकारी को या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को अधिग्रहण के प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है, जो नियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार, सम्पत्ति के अधिग्रहण की कार्यवाही करेगा। अधिग्रहण की सम्पूर्ण कार्यवाही विद्यमान अधिकारियों द्वारा की जायेगी। इस प्रयोजन के लिए किसी अतिरिक्त कर्मचारी की व्यवस्था इस विधेयक के उपबन्धों में नहीं की गई है, इसलिए इस सदन में इस विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ली गई है।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि बेनामी सम्पत्ति के बारे में एक व्यापक कानून बनाने के लिए यह विधेयक एक ईमानदारी पूर्ण प्रयास है और इसमें इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। हम महसूस करते हैं कि इस विधेयक के उपबन्ध बेनामी सौदों पर रोक लगाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में और काले धन की वृद्धि को रोकने में बहुत सक्षम होंगे। इस अध्यादेश के उपबन्धों के विरुद्ध की गई अधिकाश आलोचनायें भी इस विधेयक में शामिल किये गए अतिरिक्त उपबन्धों द्वारा समाप्त हो जाएंगी। इस विधान को विधि आयोग जैसे विशेषज्ञ प्राधिकारण द्वारा एक व्यापक जांच के बाद ही लाया गया है।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस विधेयक के उपबन्ध अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे और इस माननीय सदन के सभी वर्गों की सर्वसम्मत अनुमति इसे प्राप्त होगी।

महोदय मैं यह सिफारिश करता हूं कि सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार किया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बेनामी संव्यवहारों और बेनामी धारित सम्मपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार को प्रतिषिद्ध करने और उससे संबन्धित या उसके अनुषंगी विषयों वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री राम सिंह यादव।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं माननीय विधि; न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री को बधाई देता हूं कि वे आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने तथा देश में काले धन को बढ़ावा देने वाले संव्यवहार को कम करने के उद्देश्य से एक सुसंगत विधान लाए हैं। जहां तक देश की अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है कालाधन इसके लिए बहुत घातक है और यह एक ऐसा कदम है जिससे हम कालेधन में होने वाली वृद्धि को रोक सकते हैं या हमारा देश काले धन की वृद्धि को रोक सकता है।

इसमें माननीय मन्त्री ने यह उपबंध रखा है कि कोई भी व्यक्ति धन देकर दूसरे के नाम से सम्पत्ति खरीदकर या अर्जित करके या सम्पत्ति में नाम देने के लिए धन के बदले अपना नाम देकर कोई संव्यवहार नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के ऐसे दोनों कृत्यों को दांडिक कृत्य कहा गया है

[श्री राम सिंह यादव]
और यदि वह धन लेकर सम्पत्ति के लिए अपना नाम देता है या वह सम्पत्ति अर्जित करने के लिए धन देता है तो वह अधिनियम में उपबंधित दण्ड का भागी होगा।

माननीय मन्त्री महोदय ने कतिपय मामलों में कुछ अपवाद रखे हैं। एक अपवाद यह है कि हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के सहदायिक को इस विधेयक के उपबंधों के कार्यान्वियन से छूट दी गई है।

दूसरे, उन्होंने यह अनुमति दी है कि एक पति अपनी पत्नी के लिए और एक पिता अपनी अविवाहित पुत्री के लिए बेनामी संव्यवहार कर सकता है।

यहां भी उन्होंने तीसरे अपवाद की अनुमति भी दी है और वह अवयस्क के बारे में, जिसका संरक्षक न्यायालय द्वारा, अवयस्क के साथ किसी भी प्रकार की वैश्वासिक हैसियत या विधि द्वारा मान्य अन्य व्यक्ति के साथ में नियुक्त किया गया है, उसे भी इस अधिनियम के उपबंधों से छूट दी गई है।

यहां मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने यह उपबंध रखा है कि आमकर अधिनियम के अध्याय बीसक के अधीन संपत्ति अर्जित की जा सकती है जिसके लिए बेनामीदार को या उस व्यक्ति को जिसके नाम में सम्पत्ति अर्जित की गई है, कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जब अपने यह उपबंध रखा है कि संपत्ति के अर्जन हेतु कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो, यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी वास्तव में मन्त्री द्वारा वैधानिक जांच की जानी चाहिए। क्योंकि जब कभी राज्य सरकार या भारत सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति राष्ट्र के लिए अर्जित करती है तो ऐसा प्रावधान है कि मुआवजा दिया जाए। अब मुआवजे की उचित दर या मात्रा का निर्धारण न्यायालय ही कर सकते हैं। परन्तु मेरे विचार में यह एक ऐसा मुद्दा अथवा आधार या खण्ड है, जिसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी जो कि वैध होगी। आप इस पर विचार करें कि क्या जब आप संपत्ति का अर्जन करें तो, तब आप उस व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं देंगे जिसके नाम में सम्पत्ति क्रय की है; यद्यपि मुआवजे की प्रमात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि संपत्ति का संव्यवहार वास्तविक है या नहीं या क्रेता वास्तविक व्यक्ति है क्योंकि उसकी सम्पत्ति का अर्जन राज्य द्वारा किया जा रहा है। उन परिस्थितियों में उसे भी कुछ न कुछ मुआवजा देना होगा।

यहां धारा 5 में उपबंध है—

"सभी बेनामी धारित संपत्तियां ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार अर्जित की जा सकेंगी, जो विहित की जाएं।"

बहरहाल, जिसके नाम से संपत्ति खरीदी जाती है उसे रजिस्ट्री शुल्क तथा अन्य संबंधित खर्च देना पड़ता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि कुछ मुआवजा होना चाहिए। चाहे वह एक, दो या पांच प्रतिशत हो ताकि इसे न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। अन्यथा इस सम्बन्ध में न्यायालय बहुत ध्यान रखते हैं कि जब कभी सम्पत्ति अर्जित की जाए, चाहे राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा, उसका मुआवला अवश्य दिया जाए, बेशक उसकी प्रमात्रा का निर्धारण सरकार की इच्छानुसार या उसके विवेक पर किया जाए।

[श्री राम सिंह यादव]

महोदय बेनामी संव्यवहार में कटौती होनी चाहिए। एक ही प्रक्रिया होनी चाहिए कि जब भी संव्यवहार हो वह पंजीकृत विक्रय-पत्र द्वारा पंजीकृत हस्तांतरण-पत्र द्वारा किया जाए। और फिर पंजीकरण प्राधिकारी के लिए यह बाध्यकर होना चाहिए कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त प्राधिकारी को सूचित करे। पहले भारत संघ के राज्यों में जिन्हें अब मिला लिया गया है ऐसी व्यवस्था होती थी कि जब भी कोई संव्यवहार उप-पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत होता था तो पंजीयक का यह दायित्व होता था कि वह सम्बन्धित प्राधिकारियों को उस संव्यवहार के बारे में सूचित करे। आज भी, 20,000 या 25,000 रुपयों से अधिक के संव्यवहार के मामले में समुचित प्राधिकारियों को या आयकर प्राधिकारियों का सूचित किया जाना चाहिये और आयकर निरीक्षक भी जाकर किये गये संव्यवहारों को देखता है ऐसा प्रावधान होना चाहिए। यदि आप अधिनियम में ऐसा उपबंध नहीं करते हैं तो आप नियमों में यह उपबंध कर सकते हैं कि कम से कम बेनामी संव्यवहार में यह उप-पंजीयक का कर्तव्य होगा कि इस विधेयक के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी को सूचित किया जाए।

महोदय, आपने बताया है कि न्यासो में भी न्यासी अक्सर बेनामी सौदे करते हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। आपने यह बहुत बुद्धिमानी का काम किया है कि ऐसे आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी जो इस प्रकार के सौदों पर ध्यान देगा जो न्यासी या न्यास में दिलचस्पी रखने वाले लोग करते हैं। इससे इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यरूप देने में भी सहायता मिलेगी।

माननीय मन्त्री ने सुझाव दिया है कि बेनामी सोदों को बन्द किया जाना चाहिए। बैंकिंग संस्थाओं का भी यही कर्तव्य होना चाहिए और यह उपबंध उन पर भी लागू होना चाहिए। हालांकि अधिनियम की शब्दावली के अनुसार यह उन पर भी लागू होता है। फिर भी वैश्वासिक सम्बन्धों पर या बैंकिंग कारबार के नाम पर सी० बी० आई० के लोगों तक को भी बैंक के प्राधिकारी उन व्यक्तियों के नाम नहीं बताते जिनके खाते वहां होते हैं। कई बार बैंकों में विदेशी मुद्रा आती है। जब सी० बी० आई० के लोग उस बैंक में जाते हैं और पूछते हैं कि यह धन कहां से आया किस व्यक्ति के नाम उसे जमा किया गया है और किसके लिए इसे निकाल लिया गया है तो बैंकिंग संस्थायें उन्हें यह ब्यौरे नहीं देती हैं। इसलिए यह बैंकिंग संस्थायें भी इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत होनी चाहिये यदि आप इस विधेयक के उपबन्धों को सख्ती से लागू करना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है। मुझे आशा हैं कि माननीय मन्त्री इस मामले पर विचार करेंगे।

इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और कम्पनी कार्य मन्त्री को बधाई देता हूं क्योंकि वह विधेयक लाकर उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाया है। यह ऐसा कानून है जिसका समाज के सभी वर्ग स्वागत करेंगे।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[श्री विजय एन० पाटिल]

इस देश में एक ओर बहुत बड़ी संख्या गरीब लोगों की है और दूसरी ओर कुछ लोग बहुत अमीर हैं। अमीर लोग गरीब जनता को थोड़ी सी धनराशि देकर या उनका छोटा-मोटा काम करके या फिर उनके नाम पर या अक्सर अपने निकट सम्बन्धियों के नाम पर बेनामी सौदे करके उनकी गरीबी का शोषण करते हैं। किन्तु अन्य मामलों में यह लोग ऐसे भी हो सकते है जो अमीर आदमियों के यहां नौकरी करते हैं। मैंने दक्षिण दिल्ली के एक बंगले में आठ-आठ गाड़ियां खड़ी देखी है जिनमें से केवल दो घर के मालिक के नाम से होती है और शेष छह ड्राइवरों के नाम पर होती है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो उन्हें यह चुनौती दे कि उन ड्राइवरों ने उसे कैसे खरीदा जबकि वह उनके यहां नौकरी कर रहे हैं। यदि आप दिल्ली में घूमें तो हजारों बंगलों में प्रोपर्टी डीलरों के बोर्ड लगे पायेंगे। इनमें से अधिकांश: बेनामी सौदे करवाते हैं। हम उन्हें प्रोपर्टी के सौदे करने के लिए लाइसेन्स लेने के लिये नहीं कहते हैं, और न ही हम इस बात का अनुरोध करते हैं कि सम्पत्ति का समुचित पंजीकरण हो और सौदा कानूनी रूप से हो और इसी लिए बेनामी सौदे लगातार हो रहे हैं। हां, इसे कानून के कारण इन बेनामी सौदों पर कुछ सीमायें या प्रतिबन्ध तो लगाये ही जा सकेंगे। किन्तु मेरा ख्याल है कि इन्हें खासतौर से फ्लेटों के मामलों में पूरी तरह से नहीं रोका जा सकेगा। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में यदि उस क्षेत्र के विद्यमान बाजार भाव से कम मूल्य पर कोई फ्लैट खरीदा जाता है तो आयकर अधिकारी उसे सरकार के नाम में अन्तरित करने का आदेश दे सकता है और वे प्राधिकारी उसे क्रय मूल्य से केवल 15 प्रतिशत अधिक ही अदा करते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया फ्लैटों के कम मूल्य पर बेके जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। इस मामले में भी दण्ड का निर्धारण करने और अन्य प्रकार का उपबन्ध करने से ऐसे सौदों को रोका जा सकेगा।

श्री राम सिंह यादव ने बताया है कि कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये क्योंकि बेनामी सम्पत्ति अर्जित करते समय पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, अन्य सरकारी शुल्क बेनामी व्यक्ति द्वारा वास्तविक स्वामी की ओर से सरकार को अदा किये जाते हैं और उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है मेरा सुझाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति कर अदा करने या अधिकतम सीमा से बचने के लिए किसी और व्यक्ति के नाम पर सम्पत्ति अर्जित करता है तो उस मामले में उससे दुगना कर वसूल किया जाना चाहिए।

बड़े शहरों के आसपास के इलाकों में किसानों को उनकी जमीन के लिए बहुत कम मुआवजा दिया जाता है। बिक्री सम्बन्धी करार कर लिए जाते हैं और चार या पांच वर्षों के बाद प्लाट बनाकर उन्हें बेचा जाता है और तब उस पर मकान बनते हैं। काले धन वाले लोग ऐसी जमीनें खरीदते हैं और भारी धनराशि काले धन के रूप में कमाते हैं।

पूना में ऐसे तीन भवन निर्माणकर्ता हैं जिन्होंने पूना आसपास के बाईस गांव में सारी जमीन खरीद ली है। क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि इन गांवों में ये जमीनें किसके नाम में खरीदी गई हैं और क्या उस पर समुचित कर अदा किया गया है या नहीं? यह एक नये प्रकार का अपराधिक कार्य है, अर्थात् सरकार के करों से बचना, जरूरतमंद किसानों को बहुत कम धनराशि अदा करना और इस प्रकार अर्जित काले धन को और अधिक धन अर्जित करने के लिए उपयोग में लाना।

[श्री विजय एन० पाटिल]

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, परन्तु एक बार फिर यह सुझाव देता हूं कि अधिग्रहण के मामले में केवल अदायगी न करने से काम नहीं बनने वाला है। जैसा कि मैंने पहले सुझाव दिया है कि इस मामले में भारी जुर्माना किया जाये और उस सम्पत्ति को उसके वास्तविक स्वामी को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जाये या यदि इसे सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जाता है तो, कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाये। यह ठीक है कि हिन्दू विधियों के अनुसार कुछ रियायतें दी गई हैं, जो इन बेनामी सौदों के मामले में जरूरी भी थीं। हमें आशा करनी चाहिए कि विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस विधेयक के विधायन के पश्चात्, काले धन को बढ़ाने सम्बन्धी गतिविधियों पर रोक लग सकेगी, जो हाल ही में बहुत बढ़ गई हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यह जो विधेयक लाया गया है वास्तव में यह हमारे सविधान की समाजवादी नीतियों के अनुकूल है। जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि मैं इसमें मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए शायद इसमें न्यायालय दखल करे, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका और माननोस सदन के सदस्यों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुच्छेद ख और ग की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इनमें कहा गया है—

"(ख) समुदाय की भौतिक सम्पदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो,

(ग) आर्थिक-व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो।"

उपाध्यक्ष महोदय यदि कोई सम्पत्ति को अर्जित करता है और अपने नाम से बेनामी ट्रांजेक्शन कर के लाखों करोड़ों की सम्पत्ति को जहां एक तरफ इकट्ठी कर लेता है वहीं दूसरी ओर हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास सम्पत्ति बिलकुल नहीं है, तो यह 39 वां संशोधन भी इसके लिये है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे देश के अन्दर भूमि की सीमा का कानून लाया गया है, लेकिन प्रापर्टी की सीलिंग का कानून जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक हमारे संविन की जो समाजवदी नीति है, उसको हम पूरी नहीं कर सकेंगे। हम किस प्रकार से समाजवाद ला सकेंगे, जबकि एक तरफ लोग बेनामी ट्रांजेक्शन कर करोड़ों की पूंजी अर्जित कर के बैठे हुए हैं, और वहीं दूसरी ओर झुग्गी झोंपडियों में बिना रोटी और कपड़े के लोग रहते हैं। इस बेनामी ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए यह जो कानून लाया गया है, यह उचित है। इसको कहीं भी अदालत के अन्दर चेलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा निवेदन उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह है कि इसमें यह एक्सेप्शन दिया गया है कि पति पत्नी के नाम से तथा पिता अविव हित पुत्री के नाम से यदि ट्राजेक्शन करेगा, तो वह बेनामी नहीं होगा। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसका दुरुपयोग होगा।

कई लोगों के स्वयं की पुत्री नहीं होती है, वह किसी लड़की को गोद ले लेंगे और कहेंगे कानून में इस पुत्री माना जाएगा। इस तरह से इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए अगर

[श्री शंकर लाल]

इसलिए अगर इसको रखना है तो इसमें भी लिमिट रखनी होगी। अगर इसमें लिमिट नहीं रखते हैं तो कोई भी पुत्री के नाम से या पत्नी के नाम से कितनी ही बेनामी ट्राजेक्शन कर सकता है। तो इससे क्या हुआ ? यह तो आपने एक अपराध को दूसरों से सीमित करके महत्व दिया है कि आप पत्नी अथवा पुत्री के नाम से कितना ही कर लीजिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहूंगा कि अगर जरूरत है तो इसको सीमित किया जाए।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा वास्तव में हमने इसमें जहां प्रापर्टी का डेफिनिशन दिया है वहां पर मूवेबल और इम-मूवेबल प्रापर्टी दोनों को दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि मूवेबल प्रापर्टी की ट्रांजेक्शन का आपको पता कैसे लगेगा ? इसलिए जैसे बैंक हैं, साहूकार हैं, मनी लैन्डर्स हैं, जिनके पास लाइसेंस होते हैं, उन सब के खाते और जो भी संस्थाएं हैं चाहे वे फाइनेंसिंग एजेन्सीज हैं उनके खाते देखने का भी बिल में अधिकार होना चाहिए। माननीय मन्त्री जी को इसमें यह प्रावधान रखना चाहिए कि जो इस चीज की जांच कर रहा है कि यह ट्रांजेक्शन है या नहीं, उसको इन सबके खाते देखने का अधिकार रहना चाहिए। उसके बिना आप इस कानून को इम्पलीमेंट नहीं कर सकेंगे।

इसके अन्दर जो दूसरी धाराएं लिखी गई हैं, उनमें से कुछ को तो एटवन्स लागू करेंगे और कुछ के बारे में लिखा है कि 19 मई, 1988 से लागू होगी। इसको भी कानून दृष्टि से देखने की जरूरत है। क्लाज 1 के परा 3 में लिखा है—

[अनुवाद]

"इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5 और धारा 8 के उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और शेष उपबन्ध 19 मई, 1988 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।"

[हिन्दी]

जब तक आपने कानून पास नहीं किया है और उसे 19 मई, 88 से रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से आप लागू कर देंगे तो यह कानूनी अड़चन आपने किस आधार पर लगाई है ? इसमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि किस बेसिस पर आपने यह लगाई है। आप इसे तुरन्त लागू करने की बात करें या डेट एक्सटेंड करने की बात करें तो ठीक है लेकिन 19 मई 1988 से रिट्रास्पेक्टिव.डेट से जो आप इसे लागू कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मैं यह जरूर कहूंगा कि क्लाज के अन्दर सैंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने का अधिकार होगा लेकिन इस प्रकार की जांच का क्या होगा ? यह इसमें क्लीयर हो जाना चाहिए।

जैसे ला कमीशन की रिपोर्ट में है और उसमें हवाला दिया गया है, वलेंटियरी आर्गेनाइजेशन वाले इसका हवाला कर सकते हैं और वही इसकी शिकायत कर सकते हैं तो इसमें हरेक आदमी को अधिकार होना चाहिए, अगर उसे मालूम है, किसी को पता है कि फला ने बेनामी ट्रांजेक्शन की है तो उसको सूचना देने का अधिकार होना चाहिए। इन प्रावधानों में स्पष्ट किया जाए कि···

[श्री शंकर लाल]

[अनुवाद]

अन्यथ' कोई भी बेनामी संव्यवहारों की शिकायत कर सकता है।

[हिन्दी]

इसको आपने कहीं किया ही नहीं कि कौन इसकी शिकायत कर सकेगा। जो आब्जेट्स एंड रीजन्स हैं, उसमें भी वालेंयिरी आर्गेनाइजेशन की बात की है न्यायालय की बात की है। इससे कोई मकसद हल नहीं होगा। अगर वास्तव में आप इसको लागू करना चाहते हैं, बड़े आदमियों को हमारे समाज की जो सम्पत्ति है, उसको संचित करने पर रोक लगाना चाहते हैं तो आपको इसमें बहुत अधिक सुधार करना पड़ेगा।

इस बिल को अभी इस प्रकार से बनाना पड़ेगा जिससे कि इसका दुरुपयोग न हो सके। आप जिन नीतियों और सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी आपको कुछ ऐसे प्रावीजन करने चाहिए जिससे कि लोग दूसरों के नाम से सम्पत्ति न खरीदें।

हमने तो कई बार यह भी देखा है कि जिस के नाम से सम्पत्ति ली जाती है उसको उसका पता ही नहीं होता है। बड़े-बड़े लोग अपने रिश्तेदारों और नौकरों के नाम से मकान ले लेते हैं और उनको इस बात का पता ही नहीं होता है। कोई जाकर उनसे जब यह कहता है कि तुम्हारे नाम से तो मकान खरीदा गया है तो वह बेचारा जवाब देता है कि मुझे इस बात का पता ही नहीं है। अगर आप इसमें कुछ ऐसा प्रावीजन कर दें तो अच्छा होगा। मेरा तो यह कहना है कि ऐसा काम करने वालों को कड़ा दंड देना चाहिए।

अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इन सब पर विचार करके ऐसे प्रावधानों को इसमें अवश्य इनक्लूड करें। आप यह जो कानून हमारे सम्मुख लाये हैं वह आपकी समाजवादी नीतियों के बिल्कुल अनुकूल हैं। हम सब इसका स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर अवश्य विचार करें।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 1988 का समर्थन करता हूं। यह वास्तव में एक क्रान्तिकारी विधेयक है और समाजवाद की दिशा में एक सही कदम उठाना भी कहा जा सकता है। धीरे-धीरे हम उस दिशा में एक-एक कदम करके बढ़ रहे हैं और यह कदम भी उस दिशा में एक सही कदम हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कई ऐसे अन्य कदम उठाये जाने की आवश्यकता समझी गई थी। सरकार को इस बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि और भी कई ऐसे कदम उठाये जाने शेष है और उन्हें एक-एक करके उठाया भी जाना चाहिए। यह विधेयक बेनामी सौदों पर प्रतिबन्ध लगाता है और सरकार को यह अधिकार देता है कि वह बिना कोई मुआवजा दिये हुए, बेनामी सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लें। महोदया यह बहुत जरूरी है और मैं इस उपबन्ध का पूरी तरह स्वागत करता हूं कि बेनामी सम्पत्ति के मालिकों

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]
को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाये । इसे, यदि समुचित रूप से लागू कर दिया गया तो इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो जायेगी ।

महोदय, साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि किसी भी हालत में कोई गैर ज्यादा समय बेनामी-दारों को अपने कारोबार को नियमित करने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए । यह ठीक है कि इस विधेयक में एक उपबन्ध है कि इस नये कानून के लागू होने के बाद बेनामी सौदे करना अपराध माना जायेगा, सिवाय इसके कि पिया और पति क्रमशः अपनी अविवाहित पुत्रियों और पत्नी को एसी कुछ भूमि हस्तांतरित कर सकेंगे । इस उपबन्ध के बारे में मेरा यह विचार है कि इससे बेनामी सौदों सम्बन्धी गतिविधियां बढ़ती चली जायेंगी । निसंदेह इसका कुछ औचित्य तो है परन्तु इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी और इस बात को सावधानी-पूर्वक सुनिश्चित करना होगा कि इससे बेनामी सौदों सम्बन्धी गतिविधियां न बढ़ने पायें और इस सम्बन्ध में कुछ पाबन्दियां भी होनी चाहिए ।

महोदय, हम जानते हैं कि हमारे देश में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह अर्थव्यवस्था काला धन्धा करने वालों और तस्करों द्वारा चलाई जा रही है और यह बेनामी सम्पत्ति भी इसी का एक अंग हैं । मैं उन्हें इसके समान नहीं बता रहा हूं परन्तु समानान्तर अर्थव्यवस्था का ये भी एक छोटा सा भाग है जो गैर-कानूनी रूप से चल रहा है । इसे कारगर ढंग से रोका जाना आवश्यक है । अब यह महसूस किया जा रहा है कि सरकार का ध्यान केवल भूसंपत्ति क्षेत्र पर ही केन्द्रित है अथवा इसी पर ही सीमित है । सभी संपत्ति पर चाहे वह भूसंपत्ति हो, औद्योगिक संपत्ति हो या शहरी संपत्ति हो, यह सीमा क्यों नहीं लागू होनी चाहिए ? क्या यह नैसर्गिक न्याय है कि हम केवल भूसंपत्ति की तो सीमा बांध दें और अन्य सामान्य संपतियों को छोड़ दें ? हमें इस प्रस्ताव को यह कहकर रद्द नहीं कर देना चाहिये कि यह प्रस्ताव बिल्कुल अव्यवहारिक है या ऐसा किया नहीं जा सकता । हो सकता है कि इसके कार्यान्वियन में कुछ कठिनाई हों, परन्तु हम केवल किसानों पर ही इसे क्यों लागू करें ? बड़े-बड़े जमींदारो पर भी इसे लागू किया जाना चाहिए । हम भूमि सम्बंधी सीमा को एकदम लागू कर सकते हैं परन्तु अन्य लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में अथवा औद्योगिक परिधि में संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । इसीलिए मैं माननीय विधि मंत्री महोदय से यह आग्रह करता हूं कि वह इस बात को गंभीरता से सोचें ताकि सभी प्रकार की संपत्ति को, चाहे वह भूमि सम्बंधी सम्पत्ति हो, शहरी संपत्ति हो अथवा कारोबार आदि हो, सीमा-बद्ध किया जा सके । साथ ही साथ इस विधेयक के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह एक अच्छा निर्णय किया गया है । इसके बारे में कोई विवाद नहीं है । विधि आयोग द्वारा इस पहलू की भी जांच की जा चुकी है और उसने अपने प्रतिवेदन में इस प्रकार का विधान बनाने की सिफारिश भी की है और सरकार ने भी इस पर अनुकूल कार्यवाही करके 19 मई, को एक अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसे इस विधयक द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है ।

19 मई को जारी किए गये अध्यादेश से जो मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है, उसके बारे में सरकार जनमत का अध्ययन कर रही है । किन्तु कुछ उपबन्धों के बारे में यह आलोचना की गई है कि ये व्यापक उपाय नहीं है तथा इसके लिए व्यापक कानून लाया जाना चाहिये । सरकार ने इस मामले की और आगे जांच की और इसे पुनः विधि आयोग के पास भेजा और उन्होंने इस विधेयक में विधि आयोग की

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

और सिफारिशें भी शामिल की हैं। मैं सरकार को और खासतौर से मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। यह एक व्यापक विधेयक है जो समाजवाद की राह में उचित कदम है। किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इसमें कई उपबन्धों को ठोस बनाना होगा। इसके साथ ही मैं कार्यान्वयन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि हमें अनुभव से पता चलता है कि कार्यान्वयन बहुत खराब, धीमी गति से और असन्तोषजनक रूप में होता है। इस उपाय का कार्यान्वयन कौन करेगा ? राज्य की मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त बनाना होगा। केन्द्र ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उच्चतम स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके लाभ नीचे के स्तर तक पहुंचने चाहिये। इसलिये आवश्यक नियम बनाये जाने जरूरी हैं। भारत सरकार इसके बारे में नियम बनाने में कितना समय लेगी ? हमारा यह कटु अनुभव रहा है कि हम कानून तो पास कर देते हैं किन्तु संगत नियमों के अभाव में काफी लम्बी अवधि तक कानून के उद्देश्य को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में इसे दोहराया नहीं जाना चाहिये और इसलिये सरकार को चाहिए कि वह राज्यों की सलाह से नियम आदि जल्दी-से-जल्दी बनाये।

जनता को व्यावसायिक हितों के संबंध में कुछ बातों पर संदेह है कि क्या व्यावसायिक हित भी बेनामी सौदों के मामले में संपत्ति की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। क्या मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि व्यावसायिक हितों के मामले में मुझे संदेह है क्योंकि संपत्ति की परिभाषा के अन्तर्गत व्यावसायिक हित भी आते हैं और क्या व्यावसायिक हितों के बेनामी अन्तरण के मामले में इस कानून के उपबन्ध लागू होंगे। इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

विधि आयोग की आरंभिक सिफारिश यह है कि स्वयंसेवी संगठनों को बेनामी सौदों को सरकार के ध्यान में लाने का प्राधिकार प्राप्त होगा अथवा उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। विधेयक से इसका लोप क्यों किया गया ? केवल स्वयंसेवी संगठन ही नहीं बल्कि वे सभी जो बेनामी सौदों के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें वे मामले सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

जहां तक न्याय-पंचायतों का संबन्ध है, इस बात को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये कि झगड़े न्याय पंचायत के स्तर पर निपटा लिए जायें क्योंकि हम उसके अभिन्न अंग के रूप में अपने पंचायती राज को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बिल का हार्दिक समर्थन करती हूं। ब्लैकमनी और बेनामी प्रापर्टी को रोकने के लिए जो बिल आया है, वह बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात है कि धनी व्यक्ति अपना धन बढ़ा रहे हैं और गरीब आदमी गरीब हो रहा है। इसका कारण यह कि हम यहां पर हाउस में बिल तो पास कर देते हैं लेकिन उन कानूनों का प्रापर इंप्लीमेन्टेशन नहीं होता है। कानूनों का इफेक्टिव इंप्लीमेन्टेशन न होने की वजह से बाद में उन

कानूनों की इम्पार्टेन्स नहीं रह जाती है। यह बात तो सही है कि हमारे इफेक्टिव मिनिस्टर, श्री शंकरानन्द जी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बेनामी प्रापर्टीज को रोका जाए लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि बेनामी प्रापर्टी को रोकने के लिए वे इस प्रकार का कानून बनायें जिसमें पोलिटिकल पार्टीज को भी न छोड़ा जाए। बहुत सी पोलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जिनके पास बेनामी प्रापर्टीज बहुत ज्यादा हैं। उनमें हमारे लोग भी हो सकते हैं और अपोजीशन के भी हो सकते हैं। पोलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे आदमी हैं, हमें मालूम है, हम आपको बोलना चाहते हैं लेकिन हाउस में नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि अगर हम हाउस में एक आदमी के बारे में बोलेंगे तो आप कहेंगे कि यह ठीक नहीं है, उससे मेम्बर की डिसरेस्पेक्ट हो जायेगी। लेकिन ऐसे मेम्बर के बारे में हमें मालूम है कि उनके पास जितनी बेनामी प्रापर्टी है उसके बारे में उनको भी मालूम नहीं है कि कितनी प्रापर्टी उनके पास है। इसलिए पहले अगर हम खुद नहीं सुधरेंगे तो बाहर के आदमी कैसे सुधर सकते हैं ? मैं यह कहना चाहती हूं कि दाल में कुछ काला है। हम जो आईन यहां पर पास करते हैं, हम कानून की हिफाजत करते हैं इसलिए हम जो सांसद हैं पहले हमसे ही इसकी शुरूआत कीजिये तभी हम बाहर के आदमी पर इसको लागू कर सकेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज के मेम्बर हैं, पहले उनके पार्टी आफिस भी नहीं थे लेकिन बाद में बड़े-बड़े पार्टी-आफिस बनकर तैयार हो गये। आप किसी दिन मुझे बुला लीजिये, इस तरह की दो-चार इंफार्मेशन तो मैं आपको दे सकती हूं। एक-एक के पास 8-10 बेनामी फ्लैट्स हैं। आप ऐसे फ्लैट्स को ले लीजिए, उनमें चाहे कोई स्कूल चलाइये या डेवलपमेन्ट वर्क के लिए उनका इस्तेमाल कीजिए। यदि आप यह काम कर देंगे, तो बहुत बड़ा काम होगा और सब आपको बधाई देंगे।

एक बात सच है कि एक आदमी दूसरे आदमी के नाम का इस्तेमाल करके प्रापर्टी को रखता है। कानून से बचने के लिए इस काम को करता है। यह भी सच है कि धनवान खजाना भरता है, कानून हिफाजत करता है और गरीब बेचारा रो-रोकर तकदीर की सोई धोता है। ऐसा हमारे देश का कानून है। एक आदमी दूसरे आदमी का नाम इस्तेमाल करता है और इ- के लिए रिकार्ड कुछ नहीं है। इनकम टैक्स में जो रिकार्ड है, उसका भी आपको पता है कि हमारे देश में कानून की हिफाजत करने के लिए भी आदमी है। इनकम टैक्स आफिसर को ज्यादा मनी दे दिया जाता है। इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। यह रिकार्ड में होना चाहिए कि किसकी क्या प्रापर्टी है। इसके लिए आपको स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका कानून इम्पलीमेंट होगा। बिल में वालन्ट्री आर्गेनिजेशन के लिए हैं कि उसको प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन आपको यह मालूम है कि हमारे देश में बहुत सारी वालन्ट्री आर्गेनिजेशन्स ऐसी हैं, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए हैं। उसका कोई रिकार्ड नहीं है और उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। वालन्ट्री आर्गेनिजेशन कौन बनाता है, समाज के बड़े-बड़े आदमी वालन्ट्री आर्गेनिजेशन बनाते हैं, जमींदार लोग वालन्ट्री आर्गेनिजेशन बनाता है। एक दिन आई कैम्प में डोनेशन का काम करता है, एक प्लैंट रिलीफ दे देता है और बड़े-बड़े पेपर में छवि आ जाती है कि यह बहुत बड़ा वालन्ट्री आर्गेनिजेशन है। लेकिन उसका काम कुछ नहीं होता है। इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे मालूम है यह काम अकेले का नहीं है, इस काम को हम सब को मिलकर करना चाहिये। इस काम को करने के लिये हम सबको एक साथ मिलकर लड़ाई करना पड़ेगा। आपने प्रापर्टी कासिलिंग एक्ट लाया है, बहुत अच्छा काम किया है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लैंड रिफार्म्स कीजिये। हमारे स्टेट में लैंड रिफार्म्स

[कुमारी ममता बनर्जी]

होता है, बिहार में लैंड रिफार्म्स नहीं होता है, वहां पर लैंड रिफार्म्स कीजिये और इस बेनामी प्रापर्टी को गरीबों में बांट दीजिए। तो गरीब आदमी आपको आशीर्वाद देगा। आप यह जो बिल लाया है, इस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा नालेज नहीं है। जो हम समाज में देखता है, उसके बारे में बोलना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि आप एक फैक्ट्स-फाइंडिंग कमेटी बनाइए। इस कमेटी से आपको पता चलेगा कि किसके पास बेनामी प्रापर्टी है और किसके पास नहीं है। इस कमेटी में बाहर के आदमी को रखिए और साथ ही पोलिटिकल आदमी को भी रखिए, फिल्म-स्टार को भी रखिए तथा देश में इतने बड़े-बड़े सोशियल वर्कर हैं, जिनके पास काम नहीं होता है, उसको भी जोड़िए। हर आदमी के लिए आईन एक है। आईन एक आदमी के लिए एक और दूसरे के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको स्ट्रांग मेजर लेनी चाहिए। यह जो बिल आप लाए हैं, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। मैं ला कमीशन की रिकमैंड के बारे में कहना चाहती हूं—

[अनुवाद]

"इस विधि के प्रवृत्त होने के बाद किया गया बेनामी संव्यवहार अपराध के रूप में घोषित किया जाए, तथापि किसी पति या पिता द्वारा उक्त सम्पत्ति पत्नी या अविवाहित पुत्री के फायदे के लिए उनके नाम में अंतरित करने के लिए किया गया बेनामी संव्यवहार इसका अपवाद होना चाहिए..."

मैं विधि आयोग की राय उद्धृत कर रही हूं। मैं माननीय मन्त्री से इस सिफारिश को मंजूर करने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

कोई आदमी किसी वाइफ के लिए अनमैरिड डाटर के लिए, कोई प्रापर्टी रखता है, उसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि वह जस्टीफाइड है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं। यह आपको देखना चाहिए, लेकिन ला-कमीशन ने जो रिकमैंडेशन दी है उसका मैं समर्थन करती हूं। मुझे और कुछ ज्यादा नहीं बोलना है। आपने जो बोला है, उसके लिए मैं हार्दिक समर्थन करती हूं हम चाहते हैं कि इस बिल का प्रापर इम्पलीमेंटेशन हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मन्त्री जी जो यह संशोधन विधेयक, 1988 लाए हैं मैं उसके लिए मैं उन को मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

जहां तक इस देश का ताल्लुक है, यह जो बेनामी भूमि के बारे में हमारे सामने समस्या है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े जमींदार हैं, उनकी जो बेनामी जमीनें हैं,

उनका इन्दराजात कागजात में गलत तौर पर करा कर सारे देश में उन्होंने गरीब आदमियों का शोषण किया है। इस बारे में आप हमें बताएं कि ऐसे कितने लोग हैं राज्यवार, जिन्होंने इस तरह का काम किया है। मैं आप को बता देना चाहता हूं कि हमारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, एक पंजाब से इतने प्रोविंस बने। उसमें कई लोगों ने, जो बड़े-बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपने नाम काफी जमीन रखी है और अपनी जमीन को अपने लड़कों के नाम और दूसरे रिश्तेदारों के नाम कराया है। कई जगहों पर जो गरीब जमींदार हैं, जो गरीब किसान है उसकी जमीन सरकार ने खरीदी और सस्ते भाव मे खरीद कर मंहगे भाव में वह किसानों की जमीन गई। जो किसान था, उसको कम्पेंसेशन बहुत कम मिला, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हिन्दुस्तान के अन्दर, इस तरह की जो बेनामी जमीनें हैं, वे आज भी जारी हैं। आप देखेंगे कि कई उद्योगपति हैं, जो बड़े हो गये लेकिन किसान कम हो गया, किसान की जमीन कम हो गई और किसान की आर्थिक दशा जो है वह खराब हो गई इस वजह से कि वह बेचारा भोला-भाला है और अनपढ़ है। उसकी जमीन की बेनामी रजिस्ट्री करवा दी जाती है लालच देकर कि तुझे नौकरी दी जाएगी और तुझे कारखाने में हिस्सेदार बनाया जाएगा। इस तरह का काम सारे हिन्दुस्तान में हुआ है, यह देखने में आया है और मैं समझता हूं कि जहां-जहां उद्योगपतियों ने ज्यादा लाइसेंस प्राप्त किये हैं, वहां पर किसानों को इस तरह का शिकार होना पड़ा है। मन्त्री जी ने यह बहुत अच्छा किया है कि जो बेनामी ट्रान्जेक्शन करेगा, उसको तीन साल की कैद हो सकती है। ला कमीशन ने इसको एप्रूव किया है और मैं समझता हूं कि इसको जोरदार बना दिया जाना चाहिए कि अगर कोई आदमी इस तरह तरह का पाप करता है राष्ट्र के साथ और राष्ट्रद्रोही की बात करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जो पूंजीपति हैं, वे अदालतों से स्टे ले लेते हैं और कोर्ट में चले जाते हैं और अदालतों में कई-कई साल तक मामलों का फैसला नहीं होता है और किसान परेशान हो जाता है। किसान क्या करे। उसकी भूमि को सस्ते भाव पर खरीदा जाता है, बेनामी तौर पर प्लाट को खरीदा जाता है और कई गुना ज्यादा कीमत पर उसको बेच दिया जाता है इस पर भी पाबन्दी होनी चाहिए।

जहां तक शहरी जायदाद का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि सारा शोषण हरिजनों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गरीब लोगों, गरीब जमींदार और गरीब किसान का होता है और महिलाओं का होता है। इनके नाम कई जगहों पर मां-बाप की जमीनें जाती हैं, उनकी लड़कियों के नाम जाती हैं लेकिन ससुराल वालों की जमीन में वे हिस्सेदार नहीं हैं। बड़े पूंजीपतियों से जो ब्याही जाती हैं, उन लड़कियों को जो उनके मां-बाप से प्रोपर्टी मिलती है, उसमें घपला होता है। इस बारे में भी आप को विचार करना होगा कि इस तरह की जो बेनामी जमीन लेने वाले रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

जहां मैंने उद्योगपतियों के बारे में कहा है वहां मैं सरकारी अधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं। कई जगहों पर जो मोटे-मोटे अधिकारी हैं, वे कई जगहों पर प्लाट ले लेते हैं। और देखते हैं कि भाव चढ़ रहे हैं, तो उसको बेच देते हैं। वे बेनामी तौर पर अपने रिश्तेदारों और किसी गरीब

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

के नाम पर जमीनें खरीद लेते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि कितने ऐसे अधिकारी हैं, जो इस तरह काम करते हैं। इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि बेनामी ट्रान्जेक्शन करवा कर ये राष्ट्र को कमजोर करने की बात करते हैं। गांवों के किसानों के पास बहुत कम पैसा होता है और जो सरकारी कर्मचारी हैं ओम जो बिग लैंडलोर्ड्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और उनको बेनामी जमीन खरीदने में कोई संकोच नहीं होता है। वे ही कानून बनाते हैं और अपने ढंग से कानून बनाते हैं और फिर कोर्ट में चले जाते हैं, और फिर वहां पर स्टे लेकर बेनामी जमीन को जायज बनाने की कोशिश करते हैं।

मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय ने यह जो बिल हमारे सामने रखा है यह बहुत अच्छा है और इसका मैं समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि समाजवाद का जो हमारा बुनियादी लक्ष्य है, उसको पूरा करने में हमें इस बिल से मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं समर्थन करती हूं और दो शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहती हूं। ममता बनर्जी तथा कई और माननीय सदस्यों ने बताया कि भ्रष्टाचार रोकने, समाज में संतुलन लाने, गरीबी-अमीरी के फासले को कम करने, जातीय सामाजिक और मजहबी तथा आर्थिक समता लाने के लिए यह बिल लाया गया है, इससे पहले भी कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन यह अन्तर बढ़ता ही चला गया है, क्योंकि इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत कठिन होता है। इसमें शासन के साथ समाज के घटक भी जिम्मेदारी लें, इसके लिए इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो लोग बेनामी सम्पत्ति अर्जित करते हैं, परिवार के तथा अन्य लोगों के नाम से सम्पत्तियां रखते हैं, ऐसे लोगों पर केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा कंट्रोल करना मुश्किल है। इसके लिए निचले स्तर पर कोई मशीनरी कायम करनी होगी, जिसके लिए आर्थिक प्रावधान भी करने होंगे। गांव ताल्लुका, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन चीजों की जांच करने के लिए हम सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लेना होगा, जिससे हमें सही जानकारी प्राप्त हो सके।

एक बात और कहना चाहती हूं कि रूरल एरियाज के लिए लैंड सीलिंग कानून तो आप बहुत जल्दी ले आए, इसकी आवश्यकता भी थी, लेकिन यह भी पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं हो पाया है, क्योंकि आपने इसके साथ-साथ अरबन एरियाज में सीलिंग नहीं लगाई है, जिसके लिए सबकी इच्छा है। लोगों ने कितनी दुकानें बना रखी हैं, फैक्ट्रियां बना रखी हैं, एजेंसियां बना रखी हैं, कितनी प्रापर्टी अरबन एरियाज में बना रखी है, इसमें कई आफिसर्स और राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है और इस बात का इस बिल से बहुत सम्बन्ध है। हम बिलो पावर्टी लाइन से लोगों को ऊपर लाते जाएंगे, जब तक ऐसे साधनों से लोगों की सम्पत्ति बढ़ती रहेगी, तब तक यह अन्तर कम नहीं हो सकेगा। अरबन सीलिंग के लिए सब के मन में भावना है और इस

बिल से उसका नजदीक का सम्बन्ध है, इसलिए उसके ऊपर भी कार्यवाही करना बहुत आवश्यक है।

अन्त में मैं बताना चाहती हूं कि महिलाओं को लड़कियों को वैसे तो देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, लेकिन जब कोई प्रापर्टी बचानी होती है तो उसको परिवार की महिलाओं के नाम करवा देते हैं। मेरा कहना यह है कि जब उनको प्रापर्टी मिलती है तो सही ढंग से उनका अधिकार भी उस पर होना चाहिए। इसलिए ला कमीशन की जो रिकमण्डेशन है, उसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए कड़ी प्रशासनिक योजना अवलंबित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो आर्डिनेंस का स्थान लेगा, एक अच्छे उद्देश्य को लेकर ही लाया गया है। अमुमन बेनामी ट्रांजेक्शन्स किसी न किसी कानून का उल्लंघन करके ही किए जाते हैं और आप एक कानून बनाकर उसको रोकने की उम्मीद कर रहे हैं। जहां मैं इसका स्वागत करता हूं वहां यह भी महसूस करता हूं कि यह हमारी पार्टी की नीतियों के अनुकूल है। सरकार ने कालेधन को नियंत्रित करने के लिए और गरीब-अमीर के बीच की दूरी की खाई को पाटने के लिए जो कोशिश की है, यह उसी कोशिश का एक अंग है। लेकिन इस बिल के साथ कुछ शंकाएं भी जुड़ी हुई हैं। आपने ला कमीशन की संस्तुतियों का जिक्र किया है। जमीन के जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्यों से इस सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं किया गया कि राज्य इसको किस तरीके से डील करेंगे। इस संबंध में न तो कोई स्पष्टीकरण आपके वक्तव्य में आया है और न ही इस बिल में उसका उल्लेख है। इस बिल का क्लाक-पांच और भी अस्पष्ट है। इसमें आपने एक अथारिटी का जिक्र किया है। अथारिटी कहां है, कैसे बनेगी, क्या होगा और क्या नहीं होगा, कुछ ता नहीं है ! उस अथारिटि को आपने यह अधिकार दिया है कि जहां भी बेनामी सम्पत्ति होगी, इनको वह बिना किसी मुआवजे के जब्त करेगी। जब तक आपने अथारिटी क्लेरीफाई नहीं की है तब तक मैं समझता हूं यह मुश्किल रहेगा कि यह कानून किस तरीके से फोर्स में आ सके। जो लोग पहले से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, वे लोग इस बिल में जो कमजोरी रह गई है, इसका फायदा कोर्ट में जाकर लेंगे और अपने बेनामी ट्रांजेक्शन में रुकावट पैदा करेंगे। अथारिटी का कार्यक्षेत्र स्पष्ट करें। कंकरेंट लिस्ट में यह है कि राज्यों से बातचीत करके केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। सब राज्यों से कह जाना चाहिए कि वे भी एक आथरिटी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हमारे देश में 90 प्रतिशत जनता गरीब है और पचास प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। केवल पांच प्रतिशत लोग इस तरीके से अपने कालेधन को बेनामी संपत्तियों के नाम पर बेचने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत सारे कानून उनके लिए बनाए हैं लेकिन उन सभी कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। मन्त्री जी ने इस बिल को बनाकर एक अच्छी शुरूआत की है। यह भी प्रोविजन रखा है कि यह एक प्रकार का क्रिमिनल आफेंस माना जायेगा, इसका मैं स्वागत करता हूं। बेनामी परिसम्पत्तियों की शुरूआत बैंकों से की जानी चाहिए। बैंकों में सबसे ज्यादा बेनामी संपत्ति होती है और बैंक केन्द्र सरकार के अधीन है। अगर बैंकों से

[श्री हरीश रावत]

शुरूआत करते हैं तो मैं समझता हूं करोड़ रुपया ऐसा आ जायेगा जो जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े शहरों में नाममात्र मूल्य में बिल्डर्स जमीन को खरीद लेते हैं और बिल्डिंग बनाकर बहुत ज्यादा कीमत वसूल करते हैं। उनके लिए विशेष प्रोविजन होना चाहिए। अभी बहु ममता जी ने भी किसी संसद सदस्य का जिक्र किया था। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपयों की संपत्ति कब्जे में कर रखी है। एक तो शुरूआत बैंकों से और दूसरी बड़े-बड़े शहरों से होनी चाहिए जिससे हमारी सरकार का जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा जल-संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और इस विधेयक का हार्दिक समर्थन किया। यह एक और अवसर है जबकि सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अन्तर कम करने के लिए प्रयास किया है। यह विधेयक अब अध्यादेश का स्थान लेने जा रहा है। मैं उन परिस्थितियों को पहले से ही स्पष्ट कर चुका हू जिन में अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। यह सभा अत्यंत दयालु है क्योंकि किसी भी सदस्य ने इस विधेयक के बारे कोई आपत्ति नहीं की है। विधेयक के बारे में जो कठिनाइयां बताई गई हैं वे उसके कार्यान्वयन से सम्बन्धित हैं। इस विधेयक में नौ खंड हैं। इन खण्डों में से खण्ड-2 में बेनामी संव्यवहार की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार : "बेनामी संव्यवहार" से ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति को संपत्ति का अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त या दिए गए प्रतिफल के लिए किया जाता है। मैं इस मुद्दे को जानबूझ कर सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि कई सदस्यों ने सम्पत्ति अर्जित किए जाने पर हर्जाने की अदायगी के पक्ष में तर्क दिया है क्योंकि इस विधेयक में यह उपबंध है कि सम्पत्ति बिना कोई हर्जाना दिये अर्जित कर ली जाएगी। खंड 5 में यह बताया गया है कि बेनामी रूप में ली गई सम्पत्ति अर्जन योग्य होगी और इसके अनुसार : "सभी बेनामी धारित सम्पत्तियां ऐसे प्राधिकारी द्वारा एसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार अर्जित की जा सकेंगी, जो विहित की जाए। शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए कोई रकम संदेय नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य ने क्षतिपूर्ति के भुगतान के पक्ष में कतिपय विवरण उद्धरित किए हैं और उन्हें डर है कि न्यायालय इस अधिनियम को रद्द कर सकते हैं क्योंकि विधेयक के उपबन्धों में क्षतिपूर्ति के भुगतान का जिक्र नहीं किया गया है। परन्तु माननीय सदस्य ने जिस प्राधिकार का उल्लेख किया है वह संविधान में 1978 में किये गये 44वें संशोधन द्वारा किये गये उपबन्धों पर आधारित हैं जो जून, 1979 में लागू हुआ। संविधान में 44वां संशोधन करके अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया था और नया अनुच्छेद 300क जोड़ा गया था। मैं सम्पत्ति के अधिकार से सम्बद्ध अध्याय चार

के अधीन अनुच्छेद 300क को उद्धरित करता हूं: "विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को सम्पत्ति से वंचित न किया जाना। किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जायेगा।" यहाँ इस अनुच्छेद में सम्पत्ति अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है जबकि निरस्त किये गये अनुच्छेद 31 में इसका उपबन्ध था। इसके अतिरिक्त जब इस अध्यादेश को इस सभा के समक्ष अधिनियम बनाने हेतु लाने से पहले विधि आयोग को भेजा गया था तो विधि आयोग ने क्षतिपूर्ति किये बिना सम्पत्ति अधिग्रहण का समर्थन किया था। विधि आयोग ने भी यह सलाह दी थी कि "यदि असली मालिक सम्पत्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है और प्रत्यक्ष मालिक की सम्पत्ति में कोई रुचि नहीं होती है तो स्पष्टतया बिना किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के भुगतान के सम्पत्ति अधिग्रहण हेतु प्रावधान किया जा सकता है। और सहज बुद्धि कहती है "यदि किसी व्यक्ति के नाम में ऐसी कोई सम्पत्ति है जिसके लिए उसने एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया है और किसी अन्य ने उसका भुगतान किया है तो उस प्रत्यक्ष मालिक को क्षतिपूर्ति क्यों की जानी चाहिये?" उसने कोई भी पूंजी निवेश और भुगतान नहीं किया है। बेनामीदारों के मामले में क्षतिपूर्ति के भुगतान का सवाल ही नहीं उठता है।

बेनामी लेन-देन के बारे में सूचना देने की जहां तक बात है; कई माननीय सदस्यों ने बहुत महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस प्रकार के सौदों का पता लगाने के लिए बैंकों को सहयोग देना चाहिए; कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सब रजिस्ट्रार को सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए इस विधेयक में किसी प्रकार का प्रावधान करना सरकार ने आवश्यक नहीं समझा है। इस विधेयक के खण्ड 8.1 में, जो नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है; कहा गया है:

"(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में सभी या किसी एक के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात:

(क) धारा 5 के अधीन संपत्तियों के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी;

(ख) धारा 5 के अधीन सम्पत्तियों के अर्जन के लिए रीति और अनुसरण की जा सकने वाली प्रक्रिया;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।"

इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन खण्ड 8 में कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है आदि।

[श्री बी० शंकरानन्द]

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सभा को विधेयक के खण्ड 7 के बारे में बता देना चाहता हूं, जिसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अन्य अधिनियमों के उपबन्ध जो इस विधेयक के उपबन्धों के विरुद्ध जाते हों, उन्हें निरस्त कर दिया जाए। खण्ड 7 में कहा गया है :

"(1) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 81, धारा 82 और धारा 94, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 66 और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 281क निरसित की जाती है।"

ये उपबन्ध क्या हैं। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 81 में कहा गया है :

"जहां कि संपत्ति का स्वामी उसका अन्तरण या उसकी वसीयत करे, और तत्सबद्ध परिस्थितियों से संगत रूप में यह अनुमित न किया जा सके कि उसका आशय उसमें फायदाप्रद हित का व्ययन करने का था, वहां अन्तरिती या वसीयतदार, ऐसी संपत्ति का धारण उसके स्वामी या उसके विधिक प्रतिनिधि के फायदे के लिए करेगा।"

और उसी अधिनियम की धारा 82 में कहा गया है :

"जहां कि किसी व्यक्ति को संपत्ति का अन्तरण उस प्रतिफल के लिए किया जाता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त या उपबंधित हो और यह प्रतीत होता हो कि ऐसे अन्य व्यक्ति का आशय ऐसा प्रतिफल अन्तरिती के फायदे के लिए संदत्त या उपबंधित करने का न था, वहां वह अन्तरिती उस संपत्ति का धारण प्रतिफल संदत्त या उपबंधित करने वाले व्यक्ति के फायदे के लिए करेगा।"

भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 94 में कहा गया है :

"पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी भी धारा की व्याप्ति के भीतर न आने वाली ऐसी किसी भी दशा में, जहां कि कोई न्यास न हो किन्तु संपत्ति पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति उसमें संपूर्ण फायदा प्रदहित न रखता हो, वह उस संपत्ति का धारण उन व्यक्तियों के फायदे के लिए जो (यथास्थिति) ऐसा हित या उसकी अवशिष्ट रखते हों, उस विस्तार तक करेगा जो उनकी न्यायसंगत मांगों की तुष्टि के के लिए आवश्यक हो।"

महोदय, अनेक व्यक्ति इस अधिनियम, जो वर्तमान मामले के अधीन अब निरसित है, के उपबंधों का लाभ उठा रहे थे। अनेक व्यक्ति, जो कर विधि, भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम का अपवचन करना चाहते थे तथा जिन्होंने भूमि सुधार अधिनियम के विरुद्ध कार्य किया है तथा जिन्होंने अपनी संपत्ति बिल्लियों, कुत्तों तथा अन्य सजीव और निर्जीव पदार्थों के नामों पर अन्तरित कर दी है, उन्हीं व्यक्तियों के लिए यह विधेयक लाया गया है। अतः, इस प्रकार संपत्ति उनके नाम पर नहीं है परन्तु फिर भी वे उस संपत्ति के मालिक हैं। ऐसे व्यक्ति ही देश की अर्थव्यवस्था को

जोखिम में डाले हुए हैं। इसलिए, हमें यह देखना है कि ऐसे कानून, जो इन लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, भी निरसित हो जाएं।

वर्तमान विधेयक और खंड 7 आय-कर अधिनियम, धारा 281क को भी निरसित करता है और मैं उद्धृत करता हूं :

(281क. (1) बेनामी धारित किसी संपत्ति की बाबत किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई वाद, चाहे उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके नाम वह संपत्ति धारित है या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से (जिसे इस धारा में इसके आगे दावेदार कहा गया है) जो ऐसी संपत्ति का वास्तविक स्वामी होने का दावा करता है किसी न्यायालय में (संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि दावेदार द्वारा आयुक्त को ऐसी संपत्ति की बाबत विहित विशिष्टियां देते हुए विहित प्ररुप में सूचना सपत्ति के अर्जन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं दी गई है।)

महोदय, यह विधेयक सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 66 को भी निरसित करता है और मैं जिसे उद्धृत करता हूं :

66. इस आधार पर क्रेता के विरुद्ध वाद नहीं चलेगा कि क्रय वादी की ओर से किया गया था—(1) कोई भी वाद किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसे (क्रय के अधीन हक का दावा करता है जिसे न्यायालय ने ऐसी रीति से प्रमाणित किया है जो विहित की जाए, इस आधार पर नहीं चलेगा कि वह क्रय वादी की ओर से या ऐसे किसी व्यक्ति की ओर से जिससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा वादी दावा करता है, किया गया था (और इस प्रकार प्रमाणित क्रय के अधीन किसी हक का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी वाद में प्रतिवादी को यह अभिवचन नहीं करने दिया जाएगा कि वह क्रय उसकी ओर से किया गया था या ऐसे किसी व्यक्ति की ओर से किया गया था जिससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा प्रतिवादी दावा करता है)।

(2) इस धारा की कोई भी बात यह घोषणा अभिप्राप्त करने को किसी भी वाद का वर्णन नहीं करेगी कि पूर्वोक्त रूप से प्रमाणित किसी क्रेता का नाम प्रमाणपत्र के कपटपूर्वक या वास्तविक क्रेता की सहमति के बिना अन्तःस्थापित किया गया था और न वह इस बात के होने पर भी कि वह संपत्ति प्रमाणित क्रेता को दृश्यतः विक्रय की गई है, किसी पर व्यक्ति के उस संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार में इस आधार पर रुकावट डालेगी कि वास्तविक स्वामी के विरुद्ध ऐसे पर व्यक्ति के दावे को तुष्ट करने के लिए वह संपत्ति दायी है। इस धारा से बेनामी संव्यवहार को भी सहायता मिली और वर्तमान विधेयक इसे भी निरसित करता है।

इस विधेयक के खंड 6 में कहा गया है और मैं इसे उद्धृत करता हूं :

"इस अधिनियम की कोई बात संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 के उपबंधों पर, या अवैध प्रयोजन के लिए अन्तरणों से संबंधित किसी विधि पर, प्रभाव नहीं डालेगी।"

[श्री बी॰ शंकरानन्द]

मैं इस संबंध में सभा को संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 के उपबंध के बारे में बताता हूं :

53(1)"स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अन्तरण, जो अन्तरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया है, ऐसे किसी भी लेनदार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा जिसे इस प्रकार विफल या देरी कराई गई है।

इस उपधारा की कोई भी बात किसी सद्भावपूर्ण सप्रतिफल अन्तरिती के अधिकारों का ह्रास न करेगी।

उस उपधारा की कोई भी बात दिवाला संबन्धी किसी तत्समय-प्रवृत्त-विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी।

वह वाद, जो किसी लेनदार ने (जिस शब्द के अन्तर्गत डिक्रीदार आता है चाहे उसने अपनी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया हो या नहीं) किसी अन्तरण को इस आधार पर शून्य कराने के लिए संस्थित किया है कि वह अन्तरण अन्तरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया है उन सब लेनदारों की ओर से या के फायदे के लिए संस्थित किया जाएगा।

(2) स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अन्तरण, जो पाश्चिक अन्तरिती को कपटवंचित करने के आशय से प्रतिफल के बिना किया गया है, ऐसे अन्तरिती के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा।

प्रतिफल के विना किया गया कोई अन्तरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए केवल इस कारण से ही कपटवंचित करने के आशय से किया गया न समझा जाएगा कि कोई पाश्चिक अन्तरण प्रतिफलार्थ किया गया था।"

अतः, संपत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 53 के अधीन कपटपूर्ण अन्तरण के मामलों का ध्यान रखा जाता है।

महोदय, इस विधेयक के उपबंधों के सम्बन्ध में किसी अन्य सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं की है। मैं नहीं समझता कि अब मैं सभा का और अधिक समय लूं। मैं माननीय सदस्यों का इस विधेयक को अपना सर्वसम्मत समर्थन देने के लिए धन्यवाद करता हूं और यह चाहता हूं कि सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने में अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बेनामी संव्यवहारों और बेनामी धारित संपत्ति के प्रत्युद्धरण के अधिकार को प्रतिषिद्ध

करने और उससे संबंधित या उसके अनुषंगी विषयों वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

पटनायक जी आप विधेयक-के पक्ष में अथवा विरोध में 2 मिनट बोल सकते हैं।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह विधेयक पेश करने के लिए बधाई देता हूं। यह विधेयक समाजवाद के उद्देश्य को प्राप्त करने और असामानता को दूर करने की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम है।

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिए हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के दिए गए उपबंधों को सख्ती से लागू किया जाए और इन उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि ग्राम न्यायालयों को मजबूत किया जाये तथा कानूनी समर्थन प्रदान किया जाये ताकि उन लोगों

[श्री जगन्नाथ पटनायक]

के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके जो बेनामी संव्यवहार तथा अन्य सम्बन्धित अपराधों में लगे हुए हैं। अन्यथा, इस विधेयक के उपबंधों के बारे में लोगों में जागरुकता, होते हुए भी वे इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार इस नये कानून के लागू होने के पश्चात बेनामी संव्यवहार में संलग्न पाये गये व्यक्ति को दन्ड दिया जाएगा। यह एक लाभ पहुंचाने वाला उपबांध है। इस सम्बन्ध में एक अन्य उपबंध यह है कि उपधारा (1) की कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पहली पत्नि या अविवाहित पुत्री के नाम में किए गए सम्पत्ति के क्रय पर लागू नहीं होगी और जब तककि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, यह मान लिया जाएगा कि उक्त सम्पत्ति पत्नी या अविवाहित पुत्री के फायदे के लिए क्रय की गई थी। उपर्युक्त छूट का दुरुपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि इसका उपयोग केवत बताये गये उद्देश्य के लिए हो। हो, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देनी चाहिए इस सम्बन्ध में अन्य माननीय सदस्यों द्वारा बताई गई कमियों की तरफ भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस विधेयक के साथ हम समाजवाद और प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं यहां यह भी निवेदन करूंगा कि हमें व्यय की अधिकतम सीमा, आय की अधिकतम सीमा, भूमि सुधार और इस प्रकार के अन्य प्रगतिशील कदम उठाने चाहिए। जब सरकार इन सभी बातों को क्रियान्वित करेगी तो हम निश्चित रूप से समाजवाद के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बी० शंकरानंद : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों का सम्बन्ध है मैं इन सभी मुद्दों को पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। मैं केवल यह चाहता हूं कि इस सभा के सदस्य बेनामी संव्यवहार में संलग्न लोगों के नाम बताने में सरकार को मदद करें ताकि हम उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.48 म० प०

जामिया मिलिया इस्लामिया विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित

और नियमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा एक छोटा सा निवेदन है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है और हमें शुक्रवार को अपनी नमाज पढ़ने जाना है। या तो आप इस विधेयक को नमाज के पश्चात लीजिए अथवा समय में परिवर्तन कीजिए। अन्यथा समस्या उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि आप इस विधेयक को उस समय ले रहे हैं जब नमाज पढे जाने का समय हो गया है... (**व्यवधान**) आप इसे नमाज के पश्चात लीजिए। हम इसमें टांग नहीं अड़ा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है आप अभी तो बता कर चले जाइये और अपनी नमाज समाप्त करके वापस आ जाइये। 'तब तक कुछ अन्य सदस्य इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : लेकिन हम यह देखना चाहेंगे कि सम्पूर्ण कार्यवाही कैसे हो रही है। कुछ अन्य मुस्लिम सदस्य भी हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : जामिया मिलिया केवल मुस्लिम सदस्यों के लिए ही नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं कुछ और बात कह रहा हूं। सभा में इसका एक पूर्वोदाहरण है। जब माननीय मन्त्री, श्री जियाउर्रहमान अन्सारी ने एक बार यही मामला उठाया था, तब सभा स्थगित कर दी गई थी।

[हिन्दी]

योजना मन्त्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) आप कितने बजे तक तशरीफ रखेंगे? डेढ़ बजे जाकर क्या दो बजे तक वापिस आ जायेंगे?

श्री जी० एम० बनातवाला : जी हां। हम सवा एक बजे के करीब जाकर दो बजे तक वापिस आ जायेंगे। (उर्दू)?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक सुझाव दे सकता हू। 1.15 बजे तक हम जारी रखेंगे। 1.15 बजे हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित करेंगे तथा 2 बजे पुनः समवेत होंगे?

(**व्यवधान**)

श्री जी० एम बनातवाला : वह ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मान लीजिए, यदि माननीय सदस्य 6 बजे के बाद तक वाद-विवाद को को जारी रखना चाहते हैं, यदि कोई अन्य कार्य नहीं हुआ तो, उन्हें चर्चा जारी रखने दीजिए। उन्हें आधा घण्टा या एक घण्टा लेने दीजिए। इसीलिए 1.15 बजे तक हम वाद-विवाद जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री पी॰ शिव शंकर : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया बिल गौरोखोज के लिए पेश कर रहा हूं। जनाबे आली, इससे पहले कि एवाम में बिल पर गुफ्तगू शुरू हो—

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह आपकी पहली उर्दू की तकरीर है, मैं इसके लिए आपको मुबारिकबाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री राज मंगल पाण्डे (देवरिया) : विधेयक का असली धर्म-निरपेक्ष रूप तथा माननीय मन्त्री जी का असली धर्मनिरपेक्ष रूप।

श्री पी॰ शिवशंकर : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

इससे पहले कि एवान के बिल पर गुफ्तगू शुरू हो, मैं जरूरी समझता हूं कि इस बिल का पस-मंजर मुअजिज अराकीन के इल्म के लिए बयान कर दूं।

महात्मा गांधी ने जब कौम को सरकारी इमदाद से चलने वाली तमाम तालीमी इदारों का बायकाट करने की हिदायत दी तो इस ऐलान की बिना पर तहरीके खिलाफत और अंग्रेजी सरकार से अदम तुआवन की तहरीक के दौरान जामियामिलिया इस्लामिया का कयाम 1920 के अलीगढ़ में अमल में आया। महात्मा गांधी की इस दावत पर जिन अहम शख्सियतों ने लबैक कहा उनमें शेखुल हिन्द मौलाना मोहम्मद हसन, मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खां, डाक्टर मुख्तार अहमद अंसारी मौलाना अबुल कलाम आजाद, जनाब अब्दुल मजीज ख्वाजा और डाक्टर जाकिर हुसैन काबिले जिक्र हैं। उस वक्त के मुरविजा निजामे तालीम की वजह से नौजवानों के किरदार से जजबे अमल और जजबे हुररियत खत्म होत्म होता जा रहा था। इसलिये जामिया मिलिया के बालिओं का यह इमान था कि हिन्दुस्तान में तालीम का मामला हिन्दुस्तान के हाथ में हो और वे गैर मुल्की असरात से आजाद हों।

जामिया को 1925 में अलीगढ़ से दिल्ली मुतकिल किया गया। 1926 में जब डाक्टर जाकिर हुसैन जर्मनी से लौट आये तो उन्हें शेखुल जामिला (वाइसचांसलर) मुकर्रर किया गया और फिर मासूफ ने जामिया की सरगर्मियों को एक नए जोश व जज़्बे से आगे बढ़ाया। उन्होंने न सिर्फ यह कि बुनियादी तालीम का खाका तैयार किया जो गांधी जी की वारदा स्कीम से भी मोसूम है बल्कि जामिया में उसका कामयाब तजुर्बा किया। इस तरह जामिया हिन्दुस्तानी निजामे तालीम, कौमी यकजहदी और बरतानवी सरकार की मुखालिफत को फरोज देने की एक कौमी दरसगाह बन गई।

तीसरी दहाई के दौरान तहरीके अदमे तुआवन के जोश की लहर जब थोड़ी सर्द हुई तो अवाम की माली इमदाद जो जामिया को हासिल थी वह भी रुक गई। डाक्टर जाकिर हुसैन उस जामिया के वारिस हुए जिसके पास न तो मालिया था और न ही कोई मुनासिब इमारत। मगर उसके बावजूद उन्होंने लोगों में एक जबर्दस्त जोश और हुब्बल वतनी का जजबा पैदा किया। महात्मा गांधी ने जामिया मिलिया इस्लामिया के सीनियर असातजां को मश्विरा दिया कि वे एक सोसायटी कायम करें और जामिया की तारीर के लिए अपनी जिन्दगी वक्फ कर दें। गांधी जी की हिदायत के मुताबिक जामिया के सीनियर उसातजां ने खुद को सोसायटी की सूरत में मुनजित कर लिया इस कामी दरसगाह में ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये महाना की तनख्वाह के साथ कम से कम 20 बरस तक खिदमत करने का अहमद किया। फिर अमलन ऐसा हुआ कि बजुम एक या दो असतजां के दर हकीकत सभी असातजां की तनख्वाह 100 रुपये से कम ही रही। खुद जाकिर हुसैन जो जामिया के मरबहा थे, महाना सिर्फ 80 रुपये तनख्वाह तौर पर लेते रहे। अपने वाजिब हकूक और मराआत से कभी दस्तबरदार हो गये।

इस तरह उन्होंने एक लीडर के तमाम फरायज और जिम्मेदारियों को बहुस्नो खुदी अंजाम दिया। जामिया के तमाम असातजा को महात्मा गांधी की तरफ से एक जबरदस्त इखलाकी हिमायत भी हासिल हुई। महात्मा गांधी ने पुरजोर तौर पर यह कहा कि "जामिया को हर हालत में चलाना है। अगर आपको मालिये की परेशानी लाहक हो तो मैं खुद भीख मांगने के लिए हाथ में कश्कोल लेकर सारे मुल्क का दौरा करूंगा।" लोगों की एक बड़ी तादाद ने जिंदगी के तमाम आरामो-आसाईशात की कुर्बानी दी और जामिया के लिए मालियात फराहम करने के सिलेसिले में अपने बच्चों तक को खुराक और लिबास से भी महरूम रखा। मोअज्जिज अराकीन यह ईसारी-कुर्बानी हकीकी खिदमत और सच्ची लगन की एक अनोखी कहानी है जिसका मकसद व मुद्दा मुल्क में तालीम और कोमपरस्ती फरोज देना था।

जामिया मिलिया की इबादा एक अकामती कालेज के तौर पर हुई जिसमें आर्ट और साइन्स से मुताल्लिक अण्डर ग्रेजुएट निसाबों की तालीम का इन्तजाम था। 1928 में जामिया ने अपना तरक्कियाती मसूबा मुरत्तब किया और यह तय किया गया कि स्कूल की तालीम को जिसमें तहतानवी यानी प्राइमरी दर्जात की तालीम भी शामिल हो, तहजीह दी जाय। इसके बाद तहतानवी और सातवी दर्जों के साथ एक हाई स्कूल कायम किया गया। 1939 में जामिया को सोसायटीज-रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसायटी बना दिया गया। जामिया को ओखला के मोजूदा कैम्पस के माहौल में 1940 में मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद से यह इदारा तरक्की के रास्ते पर मुसलसल गामजन रहा है।

हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जामिया की डिग्रियां और उसके डिप्लोमा के निसाबों को तस्लीम करने का मसला हुकूमत के सामने आया। जामिया के तालीमी प्रोग्रामों को 1951 में सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया और जामिया की सनदी डिग्री को बी. ए. के मसावी और उसके असातजा

[श्री पी० शिवशंकर]

ट्रेनिंग कोर्स को बी. टी. के मुमासिल तस्लीम किया गया। इस कोमी दर्सगाह के तारीखी पशमंजर को देखते हुए साथ ही आला तालीम और तहकीक के दायरों में उसकी खिदमात का एतराफ करते हुए यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन की सिफारिश पर जून, 1962 में यू० जी० सी० एक्ट की दफा नं० 3 के तहत जामिया को मुतसव्विरा यूनवर्सिटी (डोम्ड यूनिवर्सिटी) का दर्जा दिया गया। इससे जामिया को वह तमाम मराआत हासिल हो गई जो कई बाइख्तियार यूनिवर्सिटियों को हासिल होती हैं। इसके साथ ही जामिया को अपने तौर पर डिग्रियां देने का अख्तियार भी हासिल हुआ।

जामिया मिलिया इस्लामियाके एक मुतसव्विरा यूनिवर्सिटी (डीम्ड यूनवर्सिटी' तस्लीम कर लिये जाने के बाद जामिया अपने तालीमीप्रोग्रामों में मसलसल नये-नये इजाफे करती रही है ताकि वक्त की बदलती हुई जरूरियात से हमआहंग हो सके। नर्सरी और सैकेन्डरी स्कूलों और एक पोली-टेक्नीक चलाने के साथ-साथ जामिया फिलहाल कई शेबा जाते उलूम में जैसे नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमिनिटीज, मास कम्यूनिकेशंस, इंजनियरिंग और टेक्टोलोजी वगैरह में डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पी०एच०डी० के निसाब चलाती आ रही है। मास कम्युनिकेशंस, रिसर्च सैंटर कैनाडा की यार्क यूनवर्सिटी के तुआवन से कायम किया गया है और यह सारे मुल्क में अपनी नोइयत का पहला सैंटर है जो मास कम्यूनिकेशंस यानी रेडियो फिल्म और टेलीवीजन में पोस्ट ग्रैजुएट निसाब फराहम करता है। आज जामिया मिलिया इस्लामिया मिली-जुली तालीम की अनोखी मिसाल है जहां हिन्दुस्तानी तर्जे-तालीम के साथ इब्तदाई दर्जात् से लेकर पी०एच०डी० तक की तालीम दी जाती है।

तालीमी तरक्कियाती प्रोग्रामों के मैदान में जामिया ने बहुत बड़ी खिदमत अन्जाम दी है। जामिया बजा तौर पर दावा कर सकती है कि वह मुल्क में तालीमे बालिगान और तालीमी तरक्कियात के सिलसिले की अव्वलीन दर्सगाहों में से एक है। उसने इस मैदान में 1938 में अपने तजुर्बात शुरू किए और इदारा-ए-तालीम तरक्की कायम किया। हुकूमत-ए-हिन्द ने जब तालीमे बालेगान पर खास तौर पर जोर दिया तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक मरकज तालीमे बालेगान के लिए कायम किया जिसकी वजह से उसकी पुरानी रिवायात को एक नई जिन्दगी मिली। इस तरह यह इदारा अपनी नाइयत का एक मिसाली इदारा बन गया। आज यह सैंटर अपने आसपास के इलाकों में तालीमे बालेगान के मराकिज भी चला रहा है जो दिल्ली के मरकजी इन्तजामिया के लिए तालीमे बालेगान के प्रोग्रामों में मदद दे रहा है और यह एक स्टेट रिसोर्स सैंटर का भी काम कर रहा है। इसके बालक माता सैंटर्स दिल्ली के अन्दरूनी फसील शहर के ख्वातीन और बच्चों के लिए एक अच्छे सेहत-मन्द माहोल में तालीमी अदा कर रहे हैं, इस तरह जामिया हमारे मुआसेर के ऐसे तबकात के लिए जो तालीम सहूलियतों से महरूम हैं। तालीम अदा करते हुए समाजी और तालीमी तरक्की की काबिले कद्र खिदमात अंजाम दे रही है।

1.00 म० प०

जामिया के तारीख साज किरदार और उसकी कौमी खिदमात को देखते हुए पिछले चन्द बरसों से यह महसूस किया जा रहा है कि मुसल्लिमा यूनिवर्सिटी यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा उसके लिए काफी नहीं है। इसलिए जामिया की असातजा बिरादरी, उसके जिम्मेदार अफराद और आमतौर पर हमारे समाज की तरफ से यह मुतालबा रहा है कि जामिया को पार्लियामेंट के कानून के जरिए हर तरह से मुकम्मिल एक बाअख्तियार यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए ताकि वह आला तालीम के शोबों में खुसूसी महारत हासिलों फराहम कर के हुकूमत ने इस सिलसिले में युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर, कुछ अहबाब और चन्द माहरीन तालीम के साथ सलाह और मशविरे भी किए हैं। जामिया के एक कौमी दरसगाह की हैसियत से वजूद में आने पर जंगे आजादी के दौरान उसकी बेलोस और बे गरज खिदमात और सेक्युलर किरदार को पेशे-नजर रखते हुए हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि जामिया को पार्लिमानी कानून के जरिए स्टेट्यूटरी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए और मरकजी यूनिवर्सिटी का दर्जा भी हासिल हो, तो यह इदारा तदरीस, तहकीक और तालीमी तरक्कियात के प्रोग्रामों में खुसूसी महारत हासिल करने के काबिले हो जाएगा। मौजूदा बिल के जरिए जामिया मिलिया इस्लामिया को एक स्टेट्यूटरी यूनिवर्सिटी के तौर पर कायम करना और जामिया मिलिया इस्लामिया सोसायटी देहली को तहलील कर देना मतलूब है।

इस यूनिवर्सिटी के अख्तियारात, कारकर्दगी और इन्तजामी ढांचा अमलन वैसा ही होगा जैसा कि किसी दूसरी मर्कजी यूनिवर्सिटी का है। यह यूनिवर्सिटी बिला लिहाज जिन्स, नसल, जात-पात या तबका, सभी के लिए खुली होगी। हां, यह जरूर है कि दर्ज फेहरिस्त जातों और दर्ज फेहरिस्त कबाइल, जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों और उनास वगैरह के लिए मुनासिब ताहफुज्जात, रिजर्वेशन्स होंगे।

राष्ट्रपति यूनिवर्सिटी के विजिटर होंगे जो वाइस चांसलर के इन्तखाब के सिलसिले में कायम की गई सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर वाइस चांसलर का तकरूर करेंगे। विजिटर की यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी पर नजर रखने और निगहवानी करने का अख्तियार हासिल होगा। सालाना रिपोर्ट और यूनिवर्सिटी के सालाना हिसाबात जो कि कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया की जानिब से जांच के बाद मुरत्तब होंगे, पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे।

किसी भी मर्कजी यूनिवर्सिटी की तरह इस यूनिवर्सिटीमें भी अमीर जामिया (चांसलर) शेखुल जामिता (वाइसचांसलर) नायब शेखुल जामिया (प्रो-वाइस चांसलर) मुसज्जल (रजिस्ट्रार) मजलिस मुंतजमा वैलफेयर फाइनांस आफिसर और दीगर अफसर, साहेबान होंगे। अन्जुमन (कोर्ट) डीन आफ स्टूडेंट्स (एग्जीक्यूटिव कौंसिल) मजलिस तालीमी (एकेडिमिक कौंसिल), मजलिस मालिमात (फायनेंस कमेटी) फेकल्टीज, प्लानिंग बोर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी के अरबाब मजाज होंगे। हमने मुजव्विजा बिल में इस बात की गुंजाइश रखी है कि कानून में फराहम करदा दफात के तहत जब तक जिम्मेवाराने

[श्री पी० शिवशंकर]

इन्तजाम का तकरूर नहीं हो जाता, उस वक्त तक ऐसे जिम्मेदार, जो इस कानून के बन जाने से पहले थे कारकदगी में हैं, वे इस कानून के तहत हासिल अख्तियारात के मजाज होंगे और इस कानून के जरिए आयद जिम्मेदारियां भी सर अजाम देंगे।

यूनिवर्सिटी के बुनियादी कवानीन बिल के साथ मुन्सलिका है। विजिटर को इस एक्ट के निफाज के तीन साल के अन्दर बुनियादी कवानीन मे तरमीम, इजाफे और तन्सीख का अख्तियार हासिल होगा।

मुझे कवी उम्मीद है कि मौजूदा बिल के पास हो जाने के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया को उसका मुस्तहका मुकाम मिल जायेगा और वह जामिया की असातजा विरादरी और दूसरे वही ख्वाहों के तवक्कोत्रात को पूरा करेगी। यकीन है कि एवान के सभी मोअज्जिज अराकीन खुलसे दिल से इस इकदाम की ताईद करेंगे।

इन अलफाज के साथ जामियो मिलिया इस्लामिया गिल 1988 गौरें खोज के लिए पेश करने की इजाजत चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में एक अध्यापन विश्व-विद्यालय स्थापित और निगमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और उससे संबधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें दस सदस्य हों, अर्थात् :

1. श्रीमती आबिदा अहमद
2. प्रो० मधु दंडवते
3. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
4. श्री सी.० माधव रेड्डी

5. श्री एल० पी० शाही

6. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट

7. श्री सैयद शाहबुद्दीन

8. प्रो० सैफुद्दीन सोज

9. श्री जैनुल बशर; और

10. श्री जी० एम० बनातवाला

"और उसे यह अनुदेश दिया जाए कि यह आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन दे।"

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और उससे संबन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें 10 सदस्यों हों, अर्थात् :

1. श्री जी० एम० बनातवाला

2. प्रो० मधु दंडवते

3. श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल

4. श्री हरीश रावत

5. श्री सी० माधव रेड्डी

6. श्री सैयद शाहबुद्दीन

7. श्री एल० पी० शाही

8. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक

9. श्री जैनुल बशर, और

10. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट

और उसे यह अनुदेश दिया जाए कि वह आगामी सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक अपना प्रतिवेदन दे।"

شری ابراهیم سلیمان سیٹھ (مجیری) : اپادھیکش مهودی - ۔
میں پرستاؤ پیش کرتاهوں :

" که دلی سنگھراجیے شیتر مین ایك ادھیاپن ویشوودیالیہ استھاپت اور سنگمت کرنا اور اس سے سمبندھت یا اسکو آنوشدگك ویشیون کیلئے اپبندھ کرنیوالا ودھائك ایك پرور سمیتی کو سونپا جائے جس میں ۱۰ سدسیه هوں - ارتھات .

۱- شری جی - ایم - بنات والا
۲- پروفیسر مدھو دنڈوتی
۳- شری جوزف منڈاکل
۴- شری هریش راوت
۵- شری مادھو ریڈی
٦- شری سید شهاب الدین
۷- ایل - بی - شاهی
۸- شری حافظ محمد صدیق
۹- شری زین البشر اور
۱۰- شری ابراهیم سلیمان سیٹھ

اور اسے یه انودیش دیاجائے که وه اگامی سترکے انتم سپتاه کے پرتھم دن تك اپنا پرتی ویدن دے "۔

Mr. Deputy Speaker: You may continue after lunch break. The 13.06 hns.

The Lock Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन के पश्चात आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं। सभा 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.06 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.04 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.04 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जामिया मिलिया इस्लामिया विधेयक–जारी

राज्य सभा द्वारा यथापारित

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला।

[हिन्दी]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मिस्टर इज्जतमाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक अर्से से यह मुतालबा चल रहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया को बजरिये कानून यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। यह मुतालबा इस ख्याल पर भी मबनी है कि यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल होने के बाद बहैसियत यूनिवर्सिटी के इस अदारे को कई सहूलियतें हासिल हो जाती हैं।

वे क्या सहूलियतें हैं, उनका तस्करा करके मैं ऐवान का वक्त लेना नहीं चाहता। बहरेसूरत यह मुतालबा शिद्दत के साथ बार-बार सामने आता रहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया को यूनिवर्सिटी की हैसियत दी जाए। आज जो बिल हमारे सामने लाया गया है, आज जो मसविदा-ए-कानून इस ऐवान में पेश किया गया है, उसके जरिए यही दर्जा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अहम सवाल जो आज पैदा होता है वह यह है कि यूनिवर्सिटी का दर्जा जो दिया जा रहा है। (जो हमारी मांग थी और मैंने भी बरहा उस मांग और मुतालबे को इस एवान के अन्दर पेश किया था) कि यह जो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है वह किस कीमत पर दिया जा रहा है, आज उस पर गौर करना है।

मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, जामिया मिलिया इस्लामिया का एक शानदार माजी रहा है, अजीमोशान खिदमात इसने अंजाम दी हैं, कुर्बानियां पेश की हैं, खूने जिगर से इस इदारे की आबियारी हुई है और कुर्बानियां कदम कदम पर पेश की हैं। मोहतरम इज्जत माब, वजीर जनाब शिव शंकर जी ने उनका जिक्र किया है और जब वे इसका जिक्र कर रहे थे तो हमें खुशी हुई, रंज और अफसोस यह है कि आपके ये अलफाज वज़ीरे मौसिफ के ये अलफाज बिल के टैक्स्ट के अन्दर

झलक नहीं रहे हैं। नाम जरूर जामिया मिलया इस्लामिया मंजूर किया गया है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं, हम ममनून हैं कि आपने यह नाम रखा जामिया मिलिया इस्लामिया, लेकिन इस नाम के साथ बिल के मसविदे के अन्दक इंसाफ नहीं किया गया है, इस बात का हमें शिकवा है।

अजीम मुस्लिम शख्सियतों ने इस इदारे की बुनियाद डाली। हुजूर शेखुल हिन्द मौलाना महमूदुल हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां मैं कहां तक नाम गिनवाता चलूं, डा० जाकिर हुसैन, ये अजीम शख्सियतें हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली है। गांधी जी ने इनको सराहा, इनकी हौसला अफजाही की, यह तारीख अपनी जगह मौजूद है, लेकिन यह बिल के अन्दर जामिया मिलिया इस्लामिया का जो तारीखी किरदार है, अफसोस यह है कि सिवाए नाम के बाकी मामलात के अन्दर यह तारीखी किरदार, अस्लियती किरदार, उसका ओरिजनल करेक्टर, असल किरादार कहीं भी झलक नहीं रहा है, बल्कि मैं बगैर किसी झिझक से कह सकेता हूं कि यूनिवर्सिटी का दजईास कीमत पर दिया जा रहा है कि उसके असली किरदार को गजब किया जा रहा है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : असल किरदार को मस्क किया गया है।

श्री पी० शिव शंकर : क्यां किया गया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : उसक असल किरदार को गजब किया जा रहा है यह हकीमत है। एक शबखून मारा गया है, मैं तो यह कहूंगा। यह जो जजबात का आपने इजहार किया, उसके लिए हम मशकूर है, ममनून हैं कि आपने हमें यकीन दिलाया कि जो इसका तारीखी किरदार है वह जारी रहेगा, इसके लिए हम आपके ममनून हैं, लेकिन जब आप खुद यह चाहते हैं कि इसका तारीखी किरदार बाकी रहे असल किरदार बाकी रहे तो फिर प्रावीजन्स आफ दी बिल, बिल के मसविदे में, मसोदा-ए-कानून में मुख्तलिफ धाराओं में इसका इजहार क्यों नहीं है। उससे गुरेज क्यों किया जा रहा है। यह याद रहे कि कानून दाईयी ही रहता है। वैसे दायरे में कानून बदलते रहते हैं, वह बात अलैदा है। लेकिन जो सरकारें हैं वे तो आरजी रहती हैं। हो सकता है कि कल आप न रहें सरकारी तौर पर और कुछ ऐसे लोग आकर बैठें कि जो उसका गलत फायदा उठाएं। इसके लिए कोई जमानत इस बिल के अंदर नहीं दी गई है। इस किरदार के सिलसिले के अन्दर यह अहम चीज आज कूप है। इस बिल के जरिए कूप किया जा रहा है, इस बात का अफसोस है। आपके जज्बात नेक हैं। जब तक उन नेक जज्बात को कानूनी जमानत के तौर पर फराहम न किया जाए तो फिर हम क्या कहें। हमारे सामने उस्मानिया यूनिवरसिटी का हाल मौजूद है। उर्दू का क्या हश्र हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो तबाही हुई, उस तबाही को देखकर आज कलेजा मुंह को आता है। दिलों-दिमाग, दिलों-जुबान बेअख्तियार पुकार उठते हैं—

"ख्वाब में भी न कभी सोचा था,
यह आलम भी चमन में गुजर जायेगा,
बागवा छिन लेंगे लिबासे बहार,
फूलों का चेहरा भी उतर जायेगा"

आज उर्दू के जरिए तालिम की कोई जमानत इस कानून के जरिए नहीं दी जा रही है। जामिया

मिलिया इस्लामिया में उर्दू के अलावा हिन्दी और अंग्रेजी भी है। मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जिस असल मकसद के उर्दू के जरिए तालीम हो, इस बात की कानूनी जमानत फराहम कर दें कि कम से कम उर्दू के जरिए तालीम को यहां से मिटाया नहीं जा सकता। दूसरी भी तालीम जारी रहे, उसके ऊपर हमें कोई एतराज नहीं है। जब तक आप हैं, मुमकिन है आप अपने जज्बात और ख्तालात पर कायम रहें। लेकिन मुस्तकबिल के बारे में नहीं कहा जा सकता। सन् 77 से लेकर दो-ढाई वर्ष तक जनता पार्टी की हुकूमत थी। इस हुकूमत के दौरान हमने यह देखा कि सरकार के मुख्तलिफ शोबों के अन्दर फिरकापरस्त जारीहाना जड़नीयत रखने वाले इतने लोग घुस गए जिसका खमियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं आपके जज्बात की हम कद्र कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि मुस्तकबिल के यह अन्देशियां अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। इसकी जमानत (जो आपके भी जज्बात हैं) फराहम होना चाहिए। इस जामिया मिलिया इस्लामिया का एक अजीम किरदार है। नाम की दफा के अन्दर कहा जा रहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया और बिल के मसोदे के अन्दर नफी। कोई जमानत इस बात की नहीं कि यह वाक्येतन जामिया मिलिया इस्लामिया है। कहीं ऐसा न हो,

"है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ,
देते हैं धोखा जब ये बाजिगर खोला"

मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं। लेकिन सन् 77 के तजुर्बे को याद कर रहा हूं जो दो-ढाई वर्ष तक इस मुल्क में रहा। अभी वक्त है कि हम उससे सबक हासिल करें। क्या रहे इसके फीचर्स; क्या रहा किरदार जामिया मिलिया इस्लामिया का ? यह बात साफ है कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया बनी तो साफ तौर पर कहा गया—

[अनुवाद]

"भारतीयों, विशेषकर मुसलमानों में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना।"

[हिन्दी]

यह चीज आज तक मौजूद थी जामिया मिलिया इस्लामिक की बुनियाद पड़ी उसके संविधान में जो बात दर्ज की गई थी आज यहां से हटाई जा रही है कि इस्लामिक तामील बुनियादी होगी जामिया मिलिया इस्लामिया की तारीख इस बात की गवाह है कि उसने इस बुनियाद से इंहराफ नहीं किया। मैं कहां तक इस सिलसिले में कोटेशन पेश करता रहूं। गांधी जी ने क्या कहा, क्या मैं इवान के सामने यह पेश करूं? जामिया मिलिया इस्लामिक का खुद का एक किताबचा है उसको उठाकर देखें उसके सफे दो पर कहा जा रहा है।

[अनुवाद]

"इसके अपने राष्ट्रीय और इस्लामिक आदर्श थे, गांधी जी ने भी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवादी लक्ष्यों के इस वायदे को पूर्ण सहमति प्रदान की थी।"

[हिन्दी]

आज यह कमिटमेंट खत्म किया जा रहा है, आज इसकी कोई जमानत नहीं दी जा रही है, आज यह कमिटमेंट कल जो आयेंगे उनके रहमो-करम पर डाला जा रहा है। इसीलिए हमारा दिल दुखता है कि यह जमानतए फराहम करना चाहिए। इसी किताबचे के सफा नम्बर चार पर डाक्टर जाकिर हुसैन का कोटेशन है—

[अनुवाद]

"यदि हमारे शिक्षाविद देश में सही ढंग की शिक्षा प्रणाली तैयार करने में ईमानदार रहे तो मुझे विश्वास है कि इसमें भारतीय मुसलमानों की इस इच्छा को स्थान मिल जायेगा कि उनकी शिक्षा उनकी संस्कृति पर आधारित हो।"

[हिन्दी]

लेकिन आज कोई जमानत इस सिलसिले के अन्दर यहां नहीं, बल्कि यह तमाम किरदार तबाह किया जा रहा है। मैं एक ओर कोटेशन पेश करूं

[अनुवाद]

जियाउद्दीन-ए देसाई द्वारा लिखित और भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक "दि सेन्टर्स आफ इस्लामिक लर्निंग इन इण्डिया" से लिया गया है।

[हिन्दी]

आप ही की है, पेश कर रहा हूं। पेज 27 पर कहा गया है।

[अनुवाद]

मैं पृष्ठ 71 से उद्धृत करता हूं—

"इसे इस्लामिक राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान बनाने का इरादा था जिसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों की शिक्षा था और इस शिक्षा का आधार इस्लाम और मुस्लिम सभ्यता था। दूसरे शब्दों में इसका आशय सरकारी प्रणाली से स्वतन्त्र धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करना था।"

[हिन्दी]

आज बिल के अन्दर कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि इस्लामिक स्टडीज यहां हमेशा बरकरार रहेंगी। एक जनरल हवाला दे दिया गया है और उसके बाद आने वालों के रहमोकरम पर डाल दिया गया है कि चाहे वह इसको रखें या खत्म करें। यह मत समझिए कि हमेशा आप ही जिन्दा रहने वाले हैं। कानून इस मुल्क को वह दीजिए कि आने वाले नस्ल उसमें से जमानत हासिल करे और आपको

[श्री जी० एम० बनातवाला]

अच्छे अलफाज में याद कर सके। आज मुसलमानों का जिक्र इस्लामिक स्टडीज का जिक्र, कोई जिक्र टैस्ट आफ दी बिल, मसविदा ए कानून में नहीं है, सिर्फ नाम ही नाम है। तो मुझे कहना पड़ता है कि मेरे शऊर का ईमान छीनने के लिए खुदानुमा सनमस्ता बना दिया यूने। यह शेर मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, माडर्न इस्लाम इन इण्डिया एक दूसरी किताब है जो 1943 में शाया हुई थी उसके पेज 150 में कहा गया है :

[अनुवाद]

विलफ्रेड कैंटेवेल द्वारा लिखित तथा 1943 में प्रकाशित पुस्तक 'माडर्न इस्लाम इन इण्डिया "ए सोसियल एनालिसिस" पृष्ठ 150—

> "विषयवस्तु में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भिन्नता यह है कि इस्लाम का अध्ययन पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है। कुछेक हिन्दू छात्रों के लिए इसके स्थान पर हिन्दू धर्म और संस्कृत का अध्ययन रखा गया है।"

[हिन्दी]

आज इनमें से कोई जमानत जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, जहां तक इस्लामिक कल्चर, सिवीलाइजेशन का ताल्लुक है किसी किस्म की कोई जमानत इस बिल में नहीं है हमारी इस जामिया मिलिया इस्लामिया के और भी कितने ही फीचर्स हैं। मैं कहां तक आपके सामने उन फीचर्स को पेश करता चला जाऊं। इन फीचर्स से कभी किसी ने इंकार नहीं किया। ये फीचर्स आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया के जितने पब्लिकेशन्स हैं, उनके अन्दर भी इन फीचर्स का जिक्र किया गया है। वे कौन से फीचर्स हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि (1) इसकी ओटोनोमी रहेगी, (2) उर्दू मीडियम इसकी जमानत रहेगी। इसके बाद यहां तक कहा गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया कोई ग्रांट नहीं लेगा। अगर उसकी खसूसियत पर हमला होगा। लेकिन ये तमाम बातें आपके जहन में नहीं हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के पब्लिकेशन्स में जिन खसूसियत को पेश किया गया है, मैं आपके सामने उन खसूसियात को पढ़कर सुनाना चाहता हूं : पृष्ठ 6 में लिखा है :

[अनुवाद]

1. यह एक स्वायत्तशासी शैक्षिक निकाय होगा जो अपने संविधान, नियम और विनियम बनाने तथा अपने पाठ्यक्रम तैयार करने और उनमें संशोधन करने में किसी प्रकार के सरकारी और विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा।

2. यह ऐसी किसी सहायता को स्वीकार नहीं करेगा जो ऐसी शर्तों पर दी जाएं जो इसके किन्हीं उद्देश्यों अथवा सिद्धान्तों से मेल न खाती हो।

3. अन्जुमन द्वारा चलाए जा रहे सभी संस्थानों में शिक्षा का माध्यम शिक्षा के सभी स्तरों पर उर्दू होगा, परन्तु कुछ मामलों में शिक्षा अन्य भाषाओं के माध्यम से भी दी जा सकती है।

4. यह भारत के विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ-बूझ को बढ़ावा देगा।

[हिन्दी]

जिस जामिया मिलिया इस्लामिया के ये फीचर्स रहे, मैं उसे खराजे अकीदत पेश करता हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपनी तारीख के अन्दर इनसे कभी इनहिराफ नहीं किया। अपनी ऑटोनोमी या खुद मुखत्यारी पर खास तौर पर और हमेशा तवज्जह दी ताकि उसकी ऑटोनोमी रहे। जिन तरीकों से ऑटोनोमी बनी रही, उनका जिक्र शानदार अल्फाज में किया जा सकता है। आपको याद होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया को अपनी ऑटोनोमी कितनी अजीज थी। क्योंकि इसकी बुनियाद पर जामिया मिलिया इस्लामिया वजूद में आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हकीम अजमल खां साहब ने एक खत लिखा था, उस खत के अन्दर उनके दस्तखत मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अली और दीगर के, दस्तखत भी मौजूद है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि आप हुकूमत के असर से अलग हो। उस खत में जो कुछ कहा गया है, मैं उन हवालों को आपके सामने कहां तक पेश करूं। "हकीम अजमल खां अज हकीम मोहम्मद अब्दुल रज्जाक" नाम की किताब में भी जिक्र आया है, खत 1920 अक्तूबर के महीने में लिखा गया था :

[अनुवाद]

"अक्तूबर, 1920 के प्रारंभ में, अली-भाईयों के साथ अजमल खां, डा० अन्सारी तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के प्राधिकारियों को एक संयुक्त पत्र लिखा।"

[हिन्दी]

इस किताब में उससे कहा गया है कि हुकूमत के असर से अलग हो जाओ, उनसे ग्रान्टस भी मत लो, ताकि उनके असर में न आने पाओ उस खत में आगे के अल्फाज कुछ इस तरह हैं :

[अनुवाद]

"क्योंकि इसके माध्यम से, सरकार ने विश्व-विद्यालय प्रशासन पर अपनी इच्छा थोप दी अर्थात इसकी स्वतन्त्रता को कम कर दिया।"

लेकिन दुख है कि आज उसकी ऑटोनोमी भी खत्म होने जा रही है। आज उसकी कोर्ट को अंजुमन तो कहते हैं लेकिन उसकी पावर्स को नुमायशी बनाया जा रहा है। उस अंजुमन को वे पावर्स भी हासिल नहीं हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की कोर्ट को आज अलमिया तो यह है, ट्रेजडी यह है, आयरोनी यह है कि वह जामिया मिलिया इस्लामिया जो इस बुनियाद पर बना था कि वह हुकूमत का कोई इंटरफियरेंस नहीं चाहेगा, हम ऑटोनोमी चाहेंगे...(व्यवधान)...मैं उस प्वाईंट पर आ रहा हूं, आप बेचैन मत होईये। आज उसकी कोर्ट को पावर्स भी, अख्तियार नहीं हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

कोर्ट को हासिल हैं। मिसाल के तौर पर मेरे कई अमेंडमेंट्स, 40 के करीब अमेंडमेंट्स मैंने मुख्तलिफ दफात पर दिए हैं। मिसाल के तौर पर ये जो कोर्ट है :—

[अनुवाद]

अन्य निकायों के कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए कोई प्राधिकार प्राप्त मुख्य शासकीय निकाय नहीं है।

[हिन्दी]

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट को यह हक हासिल है। वहां पर कहा जा रहा है कि गवर्निंग बाडी रहेगी, प्रिंसिपल बाडी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड को इस बात का हक हासिल है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल और दीगर कौंसिल क्या कर रही हैं, इसके ऊपर नजर रखे, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया के अंजुमन को, कोर्ट को, यह हक हासिल नहीं है। उसको रिव्यू करने का हक हासिल नहीं। वाइसचांसलर के अपाइंटमेंट में उसका कोई दखल नहीं, खत्म। एक अलफाज भी कोर्ट वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट के सिलसिले में नहीं बोल सकता है। एक कमेटी होगी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के नुमाइंदे तो उस कमेटी के अन्दर होंगे, जो वाइस चांसलर का पैनल पेश करेगा, कमेटी में विजीटर का एक नुमाइन्दा होगा। एक्जीक्यूटिव कौंसिल के नुमाइन्दे होंगे। एक दूसरी बाडी को हक तो है, लेकिन कोर्ट को कोई हक नहीं है। हाइली नामिनेटेड बाडी टीचर्स की, अब तक तो यह था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपने नुमाइन्दों को मुतखिब करके कोर्ट के अन्दर भेज सकता था। अब उनको इसका हक नहीं। नामिनेटेट किया जाएगा स्टेट्यूटस के बनाने में। स्टेट्यूट्स को बनाने में यूनिवर्सिटी के कोर्ट को बेदखल कर दिया गया है। उसका कोई ताल्लुक नहीं। मुकम्मल तौर पर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास जा रहा है। नामिटेड इदारा है। ज्यादा नामिनेटेड इदारा है। हां, कमाल तो यह है, गजब तो यह है कि कोर्ट का कांस्टीट्यूशन और कोर्ट के टर्म्स आफ पीरियड को भी इस चीज यानी पाती स्टेट्यूटस के जरिए मुकरर किया जा सकता है। उसमें तब्दीली की जा सकती है और वह भी एक्जीक्यूटिव कौंसिल कर सकेगी। ज्यादा से ज्यादा इतना कहा गया कि कोर्ट की बात को हम सुन लेंगे। अगर उनके कांस्टीटूयूशन या टर्म के अन्दर हम कोई तब्दीली कर रहे हैं यानी ये यूनिवर्सिटी का कोर्ट दस्तबस्त हाजिर होगा एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने और अपनी अर्जदाश्त आपके सामने पेश करेगा।

आज जामिया मिलिया इस्लामिया अंजुमन और उसकी कोर्ट की बेवसी और बेचारगीपर पर तरस आता है डिप्टीस्पीकर साहेब। जो पोजीशन उसकी बरबाद की गई है उसको मैं कहां तक बयान करूं। शेखुल हिन्द मो॰महमुदुल हसन थे जिन्होंने कहा था, (ब्रीफ रिव्यू, शफा—9)

[अनुवाद]

शेख-उल-हिन्द ने 1920 में अपने उद्घाटन भाषण में सुझाव दिया था कि—

[हिन्दी]

दो बातें सजैस्ट की थीं उन्होंने,

[अनुवाद]

भारतीय मुसलमानों को अपनी शिक्षा अपने हाथ में लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

साफ तौर पर कहते हैं—

[अनुवाद]

कोई सरकारी अथवा सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

यकीनी तौर पर उस वक्त बर्तानिया गवर्नमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं है। आज आपकी हुकूमत है, लेकिन कल किसकी होगी, हम नहीं जानते हैं। कौन सी पार्टी आएगी ? हमारी होगी, तो ज्यादा बेह-तर होगा। मैं जानता हूं उस वक्त जब हमारी गवर्नमेंट होगी तो हम इसको करवा तो देंगे। (ये तो कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन वे तो कंसीडर नहीं करेंगे) लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि शेखुल हिन्द मौलाना मसुदुल हसन ने कहा कोई आफीशियल इंटरवेन्शन नहीं होगा, लेकिन यहां विजिटर के हाथ में अख्तियारात, और सारी नामिनेटेड बाडी, सब एक नुमाइशी चीज है जो कि पेश की जा रही है— विंडो ड्रेसिंग।

दूसरी बात जो कहते हैं शेखुल हिन्द अपनी बात में—

[अनुवाद]

"मुसलमानों को अपने युवकों की शिक्षा को अपनी सांस्कृतिक विरासत और इस्लामिक परम्पराओं पर आधारित करना चाहिए।"

[हिन्दी]

कोई जमानत नहीं है इस बात की। हां ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिसके जरिए यह सब चीज हो सकती हैं, लेकिन इसकी कोई जमानत नहीं है (व्यवधान)

हम आप पर एतबार करें, लेकिन हमारा मुल्क हमदुलिल्लाह, एक जम्हूरी मुल्क है और इसके अन्दर मुख्तलिफ पार्टियां बरसरे इख्तदार आ सकती हैं। कल आपकी भी नियत क्या हो, खुदा बेहतर जानता है, हमारे सामने तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की हैसियत मौजूद है। जामिया मिलिया इस्लामिया को उसके उर्दू किरदार के सिलसिले में उसे दूसरी उस्मानिया यूनिवर्सिटी न बनाइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट को यह अख्तयार है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपने कुछ नुमाइंदे भेजे लेकिन यह बेबस कोर्ट जो हमको जामिया-मिलिया में दी जा रही है, यह अख्तयार सलब कर लिया गया है— नो रिप्रेजेन्टेटिव। कोई रिप्रेजेंटिव कोर्ट का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दिया जाए, वह तक उसमें मौजूद नहीं है।

मुख्तलिफ बातें हैं, मैं जब अपने अमेंडमेंट्स पर आऊंगा तो कितनी ही और बातें आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन मैं बाअदब आप के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं, हम आपके ममनून हैं लेकिन इसको इस तरह न दें कि कल अगर आपकी नीयत खराब हो या कोई और बरसरे इख्तदार आ जाए तो उसको इस बात का मौका मिले कि वह इसके किरदार को तबाह व बरबाद करे।

यह बिल जैसा है, इसमें कोई जमानत नहीं है किरदार की, इसके अन्दर उर्दू मीडियम की किसी किस्म की बात नहीं है, रिजर्वेशन में भी यह नहीं लिखा है, जहां रिजर्वेशन का क्लाज मौजूद है वहां यह भी नहीं है कि जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स आएंगे उनको उसमें कोई रिजर्वेशन होगी, क्योंकि वह रिजर्वेशन जो आज है वह इस बिल के जरिए आइन्दा नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि किस-किसके लिए रिजर्वेशन होगी ? उसकी साफ तौर पर वजाहत फराहम कर दी गई है। यह बिल जिस फार्म में है उसमें बहुत खामियां हैं, शबखून हैं, जामिया मिलिया के किरदार को तबाह किया जा रहा है।

यकीनीतौर पर अगर आज गांधी जी जिन्दा होते तो शिव शंकर जी के हाथ पकड़ लेते,

एक माननीय सदस्य : जैसे कल आपने पकड़ लिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : (क्योंकि आपके हाथ में ताकत नहीं रही, ये हाथ आपके हाथ नहीं रहे, इसका क्या किया जा सकता है।) ये हाथ वह हैं कि जिन्होंने बढ़कर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का गला घोंटा। यह हाथ वह हैं कि जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गला घोंटा। इन हाथों पर आप नाज न करें। (व्यवधान)

मैं तो पसन्द करता हूं कि ये लोग मदाखलत करते रहें ताकि मैं ज्यादा वजाहत के साथ अपनी बात पेश करता रहूं।

श्री शिवशंकर जी ने जिन जजबात का इजहार किया, हम उसकी कद्र करते हैं। ये उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस कीमत पर दे रहे हैं, और मैंने अगर आज कोई बात पेश की है तो इसलिए नहीं कि कोई सुने और कोई "आह" कहे और कोई "वाह" कहे। "आह" और "वाह" के लिए कभी मैं इस ऐवान के सामने खड़ा नहीं हुआ, मैं तो "राह" की बात के लिए खड़ा हुआ हूं। आप इन जमानतों को खतम करके उसके किरदार को खतम न कीजिए।

मैंने एक अमेंडमेंट पेश किया है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दो। यह तमाम बातें वहां पर भी हम गौर कर सकते हैं और आइन्दा सेशन के शुरू में इब्तदा में ले लें। हम इसमें कोई रुकावट डालना नहीं चाहते हैं। आप हमारी बात को उचित समझ लें। (व्यवधान)

हम इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहते हैं। माफ कीजिए आप जरा प्रोसीज भी देख लीजिए। मैं इसी हाऊस की सिलेक्ट कमेटी के लिए कह रहा हूं। राज्य सभा तो इसे मंजूर कर चुकी है वरना ज्वॉइंट कमेटी में भेजने के लिए कहता। वहां बैठकर इन नुक्तों पर गौर किया जा सकता है और जामिया मिलिया इस्लामिया की आजादी बरकरार रखी जा सकती है। इसका असली किरदार बरकरार किया जा सकता है। मैं हुकूमत और ऐवान से इस बात की गुजारिश करना चाहूंगा। हम सब जामिया मिलिया के किरदार उसकी शानदार माजी उसका एतराफ करते हैं। उसकी रिवायत और लिवायत को आप बरकरार रखिए। आप जमानत रखिए जिससे कोई ताकत इसको उजाड़ न सके और तबाह न कर सके।

इन अल्फाज के साथ मैं यह उम्मीद करूंगा कि यह ऐवान पार्टी कंसीडरेशन से जरा बुलन्द होकर जो-जो जामिया मिलिया मूवमेंट के असली किरदार थे, उसके मकासिद थे, उस पर गौर करके उसको इस बिल के अन्दर पेश करें वरना यह बिल जामिया मिलिया इस्लामिया के किरदार के हक में कातिल साबित होगा।

شری جی۔ ایم بنات والا (پونانی): عزت مآب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ایک عرصے سے یہ مطالبہ چل رہا تھا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بذریعہ قانون یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے۔ یہ مطالبہ اس خیال پر بھی مبنی ہے کہ یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہونے کے بعد بحیثیت یونیورسٹی کے اس ادارے کو کئی سہولتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا سہولتیں ہیں ان کا تذکرہ کر کے میں ایوان کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ بہرصورت یہ مطالبہ شدت کے ساتھ بار بار سامنے آتا رہا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو یونیورسٹی کی حیثیت دی جائے۔ آج جو بل ہمارے سامنے لایا گیا ہے۔ آج جو مسودۂ قانون اس ایوان میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعہ یہی درجہ دینے کی کوشش کی جارہی ہے۔ لیکن اہم سوال جو آج پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا درجہ جو دیا جارہا ہے۔ (جو ہماری مانگ تھی اور میں نے بھی بارہا اس مانگ اور مطالبے کو اس ایوان کے اندر پیش کیا تھا) کہ یہ جو یونیورسٹی کا درجہ دیا جارہا ہے۔ وہ کس قیمت پر دیا جارہا ہے۔ اس پر غور کرنا ہے۔

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب! جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ایک شاندار ماضی رہا ہے عظیم الشان خدمات اس نے انجام دی ہیں۔ قربانیاں پیش کی ہیں۔ خون جگر سے اس ادارے کی آبیاری ہوئی ہے۔ اور قربانیاں قدم قدم پر پیش کی ہیں۔ محترم عزت مآب وزیر جناب شیوشنکر جی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور جب وہ اس کا ذکر

کر رہے تھے۔ تو ہمیں خوشی ہوئی۔ رنج اور افسوس یہ ہے کہ آپ کے یہ الفاظ وزیر موصوف کے یہ الفاظ بل کے ٹیکسٹ کے اندر جھلک نہیں رہے ہیں۔ نام ضرور جامعہ ملیہ اسلامیہ منظور کیا گیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ ہم ممنون ہیں کہ آپ نے یہ نام رکھا جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ لیکن اس نام کے ساتھ بل کے مسودے کے اندر انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ اس بات کا ہمیں شکوہ ہے۔

عظیم مسلم شخصیتوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی۔ حضور شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ مولانا محمد علی۔ حکیم اجمل خاں۔ میں کہاں تک نام گنواتا چلوں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین۔ یہ عظیم شخصیتیں ہیں۔ جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ گاندھی جی نے ان کو سراہا۔ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ تاریخ اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ بل کے اندر جامعہ ملیہ اسلامیہ کا جو تاریخی کردار ہے۔ افسوس یہ ہے کہ سوائے نام کے باقی معاملات کے اندر یہ تاریخی کردار۔ اقلیتی کردار۔ اس کا اوریجنال کریکٹر۔ اصل کردار کہیں بھی جھلک نہیں رہا ہے۔ بلکہ میں بغیر کسی جھجھک کے کہہ سکتا ہوں۔ کہ یونیورسٹی کا درجہ اس قیمت پر دیا جا رہا ہے۔ کہ اس کے اصلی کردار کو غصب کیا جا رہا ہے۔

شری ابراہیم سلیمان سیٹھ :۔ اصل کردار کو مسخ کیا گیا ہے۔

شری پی شیو سنکر : عیاں کیا گیا ہے۔

شری جی ایم بنات والا : اس کے اصل کردار کو غصب کیا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے۔ ایک شب خوں مارا گیا ہے میں تو یہ کہوں گا

ن ش

یہ جو جذبات کا آپ نے اظہار کیا۔ اس کے لئے ہم مشکور ہیں۔ ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں یقین دلایا کہ جو اس کا تاریخی کردار ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے لئے ہم آپ کے لئے ہم آپ کے ممنون ہیں۔ لیکن جب آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ اس کا تاریخی کردار باقی رہے۔ اصل کردار باقی رہے تو پھر پراویزنس آف دی بل۔ بل کے مسودے میں۔ مسودۂ قانون میں مختلف میں اس کا اظہار کیوں نہیں ہے۔ اس سے گریز کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ یاد رہے کہ قانون تو دائمی رہتا ہے۔ ویسے قانون بدلتے رہتے ہیں۔ وہ بات علیحدہ ہے لیکن جو سرکاریں ہیں وہ تو عارضی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل آپ نہ رہیں، سرکاری طور پر اور کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھیں کہ جو اس کا غلط فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لئے کوئی ضمانت اس بل کے اندر نہیں دی گئی ہے۔ اس کردار کے سلسلے کے اندر یہ اہم چیز آج کوپ ہے۔ اس بل کے ذریعہ کوپ کیا جا رہا ہے۔ اس بات کا افسوس ہے۔ آپ کے جذبات ٹھیک ہیں۔ جب تک ان نیک جذبات کو قانونی ضمانت کے طور پر فراہم نہ کیا جائے تو پھر ہم کیا کہیں۔ ہمارے سامنے عثمانیہ یونیورسٹی کا حال موجود ہے، اُردو کا کیا حشر ہوا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں جو تباہی ہوئی اس تباہی کو دیکھ کر آج کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ دل و دماغ۔ دل و زبان بے اختیار پکار اُٹھتے ہیں۔

" خواب میں بھی نہ کبھی سوچا تھا یہ عالم کبھی چمن میں گذر جائیگا۔
باغباں چھین لیں گے لباس بہار پھولوں کا چہرہ بھی اُتر جائیگا۔"

آج اردو کے ذریعہ تعلیم کی کوئی ضمانت اس قانون کے ذریعہ نہیں دی جارہی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اردو کے علاوہ ہندی اور انگریزی بھی ہے۔ میں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس اصل مقصد کے لئے اردو کے ذریعہ تعلیم ہو اس بات کی قانونی ضمانت فراہم کردیں۔ کہ کم سے کم اردو کے ذریعہ تعلیم کو یہاں سے مٹایا نہیں جاسکتا۔ دوسری بھی تعلیم جاری رہے۔ اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب تک آپ ہیں ممکن ہے آپ اپنے جذبات اور خیالات پر قائم رہیں لیکن مستقبل کے بارے نہیں کہا جاسکتا۔ ۱۹۷۷ء سے لیکر دو ڈھائی ورش تک جنتا پارٹی کی حکومت تھی۔ اس حکومت کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ سرکار کے مختلف شعبوں کے اندر فرقہ پرست جارحانہ ذہنیت رکھنے والے اتنے لوگ گھس گئے جس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ کے جذبات کی ہم قدر کر رہے ہیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے یہ اندیشے اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں۔ اس کی ضمانت (جو آپ کے بھی جذبات ہیں) فراہم ہونا چاہیئے۔ اس جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ایک عظیم کردار ہے۔ نام کی دفعہ کے اندر کہا جارہا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور بل کے مسودے کے اندر نفی۔ کوئی ضمانت اس بات کی نہیں کہ یہ واقعتاً جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو۔

" ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ
دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا "

میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں لیکن ۱۹۷۷ء کے
تجربے کو یاد کر رہا ہوں جو دو ڈھائی ورش تک اس ملک میں
رہا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ کیا رہے ہے
اس کے فیچرس؟ کیا رہا کردار جامعہ ملیہ اسلامیہ کا؟ یہ بات
صاف ہے کہ جب جامعہ ملیہ اسلامیہ بنی تو صاف طور پر کہا گیا۔

"To promote and provide for the religious and secular education of Indians, Perticularly, the Muslims".

یہ چیز آج تک موجود تھی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد پڑی۔ اس
کے سنویدھان میں جو بات درج کی گئی تھی۔ آج یہاں سے ہٹائی
جا رہی ہے۔ کہ اسلامک تعلیم بنیادی ہوگی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ
کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس نے اس بنیاد سے انحراف
نہیں کیا۔ میں کہاں تک اس سلسلہ میں کوٹیشن پیش کرتا رہوں۔
گاندھی جی نے کیا کہا۔ کیا میں ایوان کے سامنے یہ پیش کروں؟
جامعہ ملیہ اسلامیہ کا خود کا ایک کتابچہ ہے۔ اس کو اٹھا کر
دیکھیں۔ اس کے صفحہ دو پر کہا جا رہا ہے۔

"It has had its own national and Islamic ideals, Gandhiji fully endorsed this commitment to cultural identity and nationalist goals".

آج یہ کمیٹمینٹ ختم کیا جا رہا ہے۔ آج اس کی کوئی ضمانت نہیں
دی جا رہی ہے۔ آج یہ کمیٹمینٹ کل جو آئیں گے ان کے رحم و کرم
پر ڈالا جا رہا ہے۔ اس لئے ہمارا دل دکھتا ہے۔ کہ یہ ضمانت

فراہم کرنا چاہیئے۔ اس کتابچے کے صفحہ چار پر ڈاکٹر ذاکر حسین
کا کوٹیشن ہے۔

"If our educationists are sincere in framing the right type of the educational system for the country, the I believe this would willingly accommodate the desire of the Indian Muslims, to base their education on their culrue"

لیکن آج کوئی ضمانت اس سلسلے کے اندر یہاں نہیں بلکہ یہ تمام
کردار تباہ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک اور کوٹیشن پیش کروں۔

It is from the Centres of Islamic Learning in India by Ziyaud-Din-A. Desai published bo the publications Divisions of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

آپ ہی کی ہے۔ پیش کر رہا ہوں ۱ پیج پر کہا گیا ہے۔

I quote from page 1.

"It was intended to be an Islamic National Educational Institution whose main aim was the education of the Muslims, and the basis for this education was to be

Islam and Islamic civilisation. Ih other words, it was intended to provide facilitics for imparting medern education along with religious instruction independently of the official sys)em''

آج بل کے اندر کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اسلامک اسٹڈیز
پہلا ہمیشہ بر قرار رہیں گی۔ ایک جنرل حوالہ دے دیا گیا ہے۔ اور
اس کے بعد آنے والوں کے رحم و کرم پر ڈال دیا گیا ہے۔ کہ چاہے
وہ اس کو رکھیں یا ختم کریں۔ یہ مت سمجھئے کہ ہمیشہ آپ ہی زندہ
رہنے والے ہیں۔ قانون اس ملک کو وہ دیجئے کہ آنے والی نسل اس
میں سے ضمانت حاصل کرے۔ اور آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کر سکے۔
آج مسلمانوں کا ذکر اسلامک اسٹڈیز کا ذکر۔ کوئی ذکر ٹیکسٹ
آف دی بل۔ مسودہ قانون میں نہیں ہے۔ صرف نام ہی نام ہے۔ تو
مجھے کہنا پڑتا ہے۔ کہ :-

میرے شعور کا ایمان چھیننے کے لئے
خدا نما بنا دیا تو نے

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب! "ماڈرن اسلام اِن انڈیا" ایک دوسری
کتاب ہے جو سنہ ۱۹۴۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے پیج ۱۵۰ میں
کہا گیا ہے

Modern Islamic in India-A social aualysis dy Wilfred Cann well Smith published in 1943 - Page 150 -

"The most important divergence in subject matter is that the study of Islam is an essential part of the course (for the few Hindu students, the study of Hinduism and Sanscrit is substituted)"

آج ان میں سے کوئی ضمانت جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، جہاں تک اسلامک کلچر۔ سیولائزیشن کا تعلق ہے کسی قسم کی کوئی ضمانت اس بل میں نہیں ہے۔ ہماری اس جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اور بھی کتنے فیچرس ہیں۔ میں کہاں تک آپ کے سامنے ان فیچرس پیش کرتا چلا جاؤں۔ ان فیچرس سے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ فیچرس آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جتنے سلیکشنس ہیں۔ ان کے اندر بھی ان فیچرس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون سے فیچرس ہیں اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ (۱) اس کی آٹونومی رہے گی (۲) اردو میڈیم اس کی ضمانت رہے گی۔ اس کے بعد یہاں تک کہا گیا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کوئی گرانٹ نہیں لے گا۔ اگر اس کی خصوصیت پر حملہ ہوگا۔ لیکن یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں نہیں ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پبلیکیشنس میں جن خصوصیات کو پیش کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ان خصوصیات کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔

صفحہ ۶ میں لکھا ہے:۔

1. It shall be an autonomous educational body which will not permit any Government or foreign interference in the formulation of its constitution, rules and regulations and in preparing its syllabi and making amends to that.

2. It shall accept no aid given on conditions that conflct with any of its aims or principles.

3. The medium of instruction at all stages of education in all the institutions maintained by the Anjuman shall be Urdu, but in special cases instructions may be imparted through the medium of other languages.

4. It shall promote understading and mutual appreciation among the various communities in India."

جس جامعہ ملیہ اسلامیہ کے یہ فیچرس رہے۔ میں اسے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اپنی تاریخ کے اندر ان سے کبھی انحراف نہیں کیا۔ اپنی آٹونومی یا خود اختیاری پر خاص طور پر اور ہمیشہ توجہ دی تاکہ اس کی آٹونومی رہے۔ جن طریقوں سے آٹونومی بنی رہی۔ ان کا تذکرہ شاندار الفاظ میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا۔ کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اپنی آٹونومی کتنی عزیز تھی۔ کیوں کہ اسی کی بنیاد پر جامعہ ملیہ اسلامیہ وجود میں آیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

کو حکیم اجمل خاں صاحب نے ایک خط لکھا تھا۔ اس خط کے اندر ان کے دستخط موجود ہیں۔ مولانا محمد علی اور دیگر دستخط بھی ہیں جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ حکومت کے اثر سے الگ ہوں۔ اس خط میں جو کچھ کہا گیا ہے۔ میں ان حوالوں کو آپ کے سامنے کہاں تک پیش کروں۔ "حکیم اجمل خاں" از حکیم محمد عبدالرزاق نام کی کتاب میں بھی ذکر آیا ہے۔ خط ۱۹۲۰ء اکتوبر کے مہینے میں گیا تھا۔

> "In early October 1920, Ajmal Khan along with Ali Brothers Dr. Ansari and other prominent citizens wrote a joint letter to the authorities of the Aligarh Muslim University.........."

اس کتاب میں ان سے کہا گیا ہے کہ حکومت کے اثر سے الگ ہو جاؤ ان سے گرانٹس بھی مت لو۔ تاکہ ان کے اثر میں نہ آنے پاؤ۔ اس خط میں آگے کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔

> "......because through it, the Government imposed its will on the University administration and hence undermining its independence."

لیکن دکھ ہے کہ آج اس کی آٹونومی بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ آج اسکی کورٹ کو انجمن تو کہتے ہیں لیکن اس کی پاورس کو محض نمائشی بنایا جا رہا ہے۔ اس انجمن کو وہ پاورس بھی حاصل نہیں ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی کورٹ کو آج المیہ تو ہے لیکن ٹریجڈی یہ ہے۔ آئرونی یہ ہے کہ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو اس بنیاد پر بنا تھا کہ وہ حکومت کا کوئی انٹرفیرینس نہیں چاہے گا۔ ہم آٹونومی چاہیں گے۔ (انٹرپٹیشنز) میں اس پوائنٹ پر

آرہا ہوں۔ آپ بے چین مت ہوئیے۔ آج اس کی کورٹ کو وہ پاورس بھی۔ اختیار بھی نہیں ہیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو حاصل ہیں۔ مثال کے طور پر میرے کئی امینڈمینٹس۔ ۴۰ کے قریب امینڈمینٹس میں نے مختلف دفعات پر دیئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو کورٹ ہے۔

-not a principal governing body with authcrity to review the acts of other bodies.

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کورٹ کو یہ حق حاصل ہے۔ وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ گورننگ باڈی رہے گی، پرنسپل باڈی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بورڈ کو اس بات کا حق حاصل ہے۔ کہ ایگزیکیوٹیو کونسل اور دیگر کونسل کیا کرتے ہیں۔ اس کے اوپر نظر رکھے لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ کے انجمن کو کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اس کو ریویو کرنے کا حق حاصل نہیں۔ وائس چانسلر کے اپوائنٹمنٹ میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ ختم۔ ایک لفظ بھی کورٹ وائس چانسلر کے اپوائنٹمینٹ کے سلسلہ میں نہیں بول سکتا ہے۔ ایک کمیٹی ہوگی ایگزیکیٹو کونسل کے نمائندے تو اس کمیٹی کے اندر رہوں گے۔ جو وائس چانسلر کا پینل پیش کرے گا۔ پینل میں ہوں گے۔ کمیٹی میں وزیٹر کا ایک نمائندہ ہوگا۔ ایگزیکیوٹیو کونسل کے نمائندے ہوں گے۔ ایک دوسری باڈی حق تو ہے لیکن کورٹ کو کوئی حق نہیں ہے۔ ہائیلی نامینیٹڈ باڈی ٹیچرس کی نامینیٹڈ۔ اب تک تو یہ تھا۔ کہ ایڈمنسٹریٹیو اسٹاف اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے کورٹ کے اندر بھیج سکتا تھا۔ اب ان کو اس کا حق نہیں۔ نامینیٹ کیا جائے گا۔ اسٹیٹیوٹس کے بنانے میں۔ اسٹیٹیوٹس کو بنانے میں یونیورسٹی کے کورٹ کو بیدخل کر دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مکمل طور پر ایگزیکیوٹیو کونسل کے

پاس جا رہا ہے۔ نامینیٹڈ ادارہ ہے۔ زیادہ نامینیٹڈ ادارہ ہے۔ ہاں کمال تو یہ ہے غضب تو یہ ہے کہ کورٹ کا کانسٹی ٹیوشن اور کورٹ کے ٹرمس آف ریفرینس کو بھی اس چیز یعنی انسٹی ٹیوشن کے ذریعہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور وہ بھی ایکزیکیوٹیو کونسل کر سکے گی۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کہا گیا کہ کورٹ کی بات کو ہم سُن لیں گے۔ اگر ان کے کانسٹی ٹیوشن یا ٹرم کے اندر ہم کوئی تبدیلی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ یونیورسٹی کا کورٹ دست بدست حاضر ہوگا ایکزیکیوٹیو کونسل کے سامنے اور اپنی عرض داشت آپ کے سامنے پیش کرے گا۔

آج جامعہ ملیہ اسلامیہ انجمن اور اس کی کورٹ کی بے بسی اور بیچارگی پر ترس آتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ جو پوزیشن اس کی برباد کی گئی ہے اس کو میں کہاں تک بیان کروں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن تھے۔ جنھوں نے کہا تھا۔ بریف ریویو صفحہ ۹۔

-Sheikh-ul-Hind in his inaugural address in 1920 had suggested that

دو باتیں سجیسٹ کی تھیں انھوں نے

(i) Indian Muslims should get their education in their own hands.

صاف طور پر کہتے ہیں۔

there should be no official or Government intervention.

یقینی طور پر اس وقت برطانیہ گورنمنٹ تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج آپ کی حکومت ہے۔ لیکن کل کس کی ہوگی۔ ہم نہیں جانتے ہیں۔ کون سی پارٹی آئے گی۔ ہماری ہوگی۔ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں جانتا ہوں اس وقت جب ہماری گورنمنٹ ہوگی تو ہم اس کو کروا دیں گے (یہ تو کنسیڈر کر رہے

ہیں۔لیکن وہ تو کنسیڈر نہیں کریں گے) لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے کہا۔کوئی آفیشل انسٹرومینٹیشن نہیں ہوگا۔لیکن یہاں وزیٹر کے ہاتھ میں اختیارات اور ساری نامینیٹڈ باڈی ر
سب ایک نمائشی چیز ہے جو کہ پیش کی جا رہی ہے ۔ونڈو ڈریسنگ ۔دوسری بات جو کہتے ہیں شیخ الہند اپنی بات میں ۔

(ii) "Muslim should base the education of the youth on their own cultural heritage and Islamic traditions."

کوئی ضمانت نہیں ہے اس بات کی۔ہاں ایسے الفاظ موجود ہیں جس کے ذریعہ یہ سب چیز ہوسکتی ہیں۔لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے (انٹرپشنز) ہم آپ پر اعتبار کریں۔لیکن ہمارا ملک الحمد للہ ایک جمہوری ملک ہے اور اس کے اندر مختلف پارٹیاں برسر اقتدار آسکتی ہیں۔کل آپ کی کبھی نیت کیا ہو خدا بہتر جانتا ہے۔ہمارے سامنے تو عثمانیہ یونیورسٹی کی حیثیت موجود ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اس کے اردو کردار کے سلسلے میں اسے دوسری عثمانیہ یونیورسٹی نہ بنایئے۔علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کورٹ کو یہ اختیار ہے۔کہ ایگزیکیوٹیو کاؤنسل میں اپنے کچھ نمائندے بھیجے۔لیکن یہ بےلبس کورٹ جو ہم کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دی جا رہی ہے ۔یہ اختیار سلب کرلیا گیا ہے۔ نو ریپریزینٹیٹیو ۔کورٹ ریپریزینٹیٹیو کورٹ کا ایگزیکیوٹیو کاؤنسل میں دیا جائے ۔وہ تک اس میں موجود نہیں ہے ۔

مختلف باتیں ہیں۔میں جب اپنے امینڈمینٹس پر آؤں گا تو کتنی ہی اور باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔لیکن میں باادب آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی کا درجہ دے رہے ہیں۔ہم آپ کے ممنون ہیں لیکن اس کو اس طرح نہ دیں کہ کسی کو کبھی کل اگر آپ کی نیت

خراب ہو یا کوئی اور برسراقتدار آجائے تو اس کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ اس کے کردار کو تباہ و برباد کرے۔

یہ بل جیسا ہے اس میں کوئی ضمانت نہیں ہے کردار کی۔ اس کے اندر اردو میڈیم کی کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ ریزرولیشن میں بھی یہ نہیں لکھا ہے جہاں ریزرولیشن کا کلاز موجود ہے وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ جو اردو میڈیم اسٹوڈینٹس آئیں گے ان کی اس میں کوئی ریزرولیشن ہوگی۔ وہ ریزرولیشن جو آج ہے وہ اس بل کے ذریعہ آئندہ نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ کس کس کے لئے ریزرولیشن ہوگی۔ اس کی صاف طور پر وضاحت فراہم کردی گئی ہے۔ یہ بل جس فارم میں ہے۔ اس میں بہت خامیاں ہیں۔ شرب خوں ہے۔ جامعہ ملیہ کے کردار کو تباہ کیا جا رہا ہے۔

یقینی طور پر اگر آج گاندھی جی زندہ ہوتے تو شیو شنکر جی کے ہاتھ پکڑ لیتے۔

ایک ماننئے سدسے: جیسے کل آپ نے پکڑ لئے۔

شری جی۔ ایم بنات والا: (کیونکہ آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں رہی۔ یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ نہیں رہے۔ اس کا کیا کیا جاسکتا ہے۔) یہ ہاتھ وہ ہیں جنھوں نے بڑھ کر عثمانیہ یونیورسٹی کا گلا گھونٹا۔ یہ ہاتھ وہ ہیں کہ جنھوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا گلا گھونٹا۔ ان ہاتھوں پر آپ ناز نہ کریں۔ (انٹررپشنز)

میں تو پسند کرتا ہوں کہ یہ لوگ مداخلت کرتے رہیں۔ تاکہ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ اپنی بات پیش کرتا رہوں۔

شری شیو شنکر جی نے جن جذبات کا اظہار کیا۔ ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ اسے یونیورسٹی کا درجہ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن جس قیمت پر دے رہے ہیں اور میں نے اگر آج کوئی پیش کی ہے تو اس لیے نہیں کہ کوئی سُنے۔ اور کوئی "آہ" کہے اور کوئی "واہ" کہے۔ "آہ" اور "واہ" کے لئے کبھی میں اس ایوان کے سامنے کھڑا نہیں ہوا۔ میں تو "راہ" کی

بات کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ ان ضمانتوں کو ختم کرکے اس کے کردار کو ختم نہ کیجئے۔

میں نے ایک امینڈمینٹ پیش کیا ہے کہ اسے سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کردو۔ یہ تمام باتیں وہاں پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں۔ اور آئندہ سیشن کے شروع میں ابتدا میں لے لیں۔ ہم اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ ہماری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔

(انٹرپشنز)

ہم اسے سلیکٹ کمیٹی کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ معاف کیجئے آپ ذرا پروسیجر بھی دیکھ لیجئے۔ میں اس ہاؤس کی سلیکٹ کمیٹی کے لئے کہہ رہا ہوں راجیہ سبھا تو اسے منظور کر چکی ہے۔ ورنہ جوائنٹ کمیٹی میں بھیجنے کے لئے کہتا۔ وہاں بیٹھ کر ان نکتوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی آزادی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ اس کا اصلی کردار برقرار کیا جا سکتا ہے۔ میں حکومت اور ایوان سے اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا ہم سب جامعہ ملیہ کے کردار اس کی شاندار ماضی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کی روایت کو آپ برقرار رکھیئے۔ آپ ضمانیت رکھیئے جس سے کوئی طاقت اس کو اکھاڑ نہ سکے اور تباہ نہ کر سکے۔

ان الفاظ کے ساتھ میں یہ امید کروں گا۔ کہ یہ ایوان پارٹی کنسیڈریشن سے ذرا بلند ہو کر جو جامعہ ملیہ موومینٹ کے اصلی کردار تھے۔ اس کے مقاصد تھے۔ اس پر غور کرکے اس کو اس بل کے اندر پیش کریں ورنہ یہ بل جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کردار کے حق میں قاتل ثابت ہوگا۔

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मोहतरम शिवशंकर जी द्वारा पेश किये गये बिल की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से उर्दू में यह बिल पेश किया।

जनाब मोहतरम, इस बिल के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं चाहूंगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में उसकी तालीमी पसेबंजर और इमेज के बारे में कुछ कहूं। मैं एस० गोपाल जी की मुरत्तिब की हुई सिलेक्टिड वर्क्स आफ जवाहर लाल नेहरू की सैकिंड सीरिज वोल्यूम 5 और पेज 560 में से कुछ क्वोट करना चाहूंगा। जिसके फुटनोट में जामिया मिलिया के बारे में कहा गया है।

[अनुवाद]

"सरकार द्वारा चलाये जाने वाली शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करने के महात्मा गांधी के आह्वान पर जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में अलीगढ़ में की गई थी। बाद में इसे दिल्ली लाया गया और जाकिर हुसैन के मार्गदर्शन में यह एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई। इसमें, शिक्षा में प्रायोजना पद्धति (प्रोजेक्ट मैथड) और रहन-सहन में "सामुदायिक दृष्टिकोण" अपनाया गया"।

[हिन्दी]

यह पहला तजुर्बा महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम की विचारधारा या फिलोसफी का था जो जामिया मिलिया के अन्दर शुरू किया गया था।

अभी हमारे मोहतरम दोस्त लायक साथी जनाब बनातवाला साहब ने एक बड़ी जोरदार तकरीर फरमायी। मैं सोच रहा था कि तारीख के अजीब इतफाकात में बनातवाला साहब मुस्लिम लीग के कायदे आज जामिया मिलिया इस्लामिया की ताईद में खड़े हुए हैं। जिन अकाइद और जिन उसूलों से उन्होंने इस पार्टी को जन्म दिया है यह वह पार्टी है और वही नजरिया है जो जामिया मिलिया इस्लामिया को कांग्रेस की नाजायज औलाद कहा करते थे और जामियामिलिया में पढ़ाने वालों को आऊट-कास्ट समझा जाता था।

श्री राम मंगल पांडेय : यह मुस्लिम लीग वह मुस्लिम लीग नहीं है

श्री अजीज कुरेशी : नजरिया वही है। जब डाक्टर जाकिर हुसैन जैसे मुजाहिदे आजाद हिन्दुस्तान वापिस आये, उनकी सफका जिन में डाक्टर आबिद हुसैन और प्रोफेसर मुजीब शामिल थे और जिन्होंने 1921 के आसपास में आक्सफोर्ड और बर्लिन में एम०ए०पी०एच०डी० किया। उस वक्त के हिन्दुस्तान में उनके लिए कोई जगह ऐसी नहीं थी जो अपनी लियाकत और मेरिट की बुनियाद पर उनको नहीं मिल पाती।

मगर उन लोगों ने महात्मा गांधी के काल पर, और डा० जाकिर हुसैन के परसुएड करने पर अपने सारे मुस्तकबिल को कुर्बान कर दिया और 40 रुपये महीना तनख्वाह खुद अपनी मुकर्रर की और जामिया मिलिया के अन्दर पढ़ाना शुरू किया। उस जामिया मिलिया की जो तवारीख है वह हिन्दुस्तान की आजादी की जद्दोजहद की तवारीख का इतना अहम् हिस्सा है कि जिसे फरामोश नहीं

[श्री अजीज कुरेशी]

किया जा सकता लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की अवाम, आज की नस्ल और आज के लोग उस तवारीख के पसेमंजर और उन हालात से वाकिफ नहीं हैं जिन हालात के अन्दर जामिया मिलिया को शुरू किया गया था। जनाब बनातवाला साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया शुरू करने के लिए किसी पार्लियामेंट या असेम्बली के इवात का सहारा नहीं लिया गया था और न ही मुस्लिम लीग की तरह जामिया मिलिया इस्लामिया का जन्म बंगलों और कोठियों, राजा-महाराजाओं और जमींदारों के महलों में बैठकर अंग्रेजों के जेरे साये का जन्म हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया का जन्म उस जद्दोजहद का कोख से हुआ, आजादी के उस संघर्ष से, जद्दोजहद से जो महात्मा गांधी की कयादत में हमने बिना किसी तफरीक के इस मुल्क के अन्दर एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म से शुरू की थी। एक युनाइटेड प्लेटफार्म से संसार की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सामराजी ताकत के खिलाफ जहां कि सूरज नहीं डूबता था और कांग्रेस उस जद्दोजहद की फरहम थी।

[अनुवाद]

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी। यह एक ऐसा राष्ट्रीय मंच था जहां से हमने सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत के विदेशी आधिपत्य का मुकाबला किया और अंततः उसे बाहर निकाल दिया।

[हिन्दी]

तो यह वह जज्बा है जिसके जरिये जामिया मिलिया इस्लामिया शुरू की गई थी और यही वह जज्बा है जो दुनिया में महात्मा गांधी पैदा करता है, जो सारी दुनिया में एक नई सियासत को, एक नई विचारधारा को, एक नए उसूलों की शमा जलाते हैं। यही वह जज्बा है जिससे कि लेनिन और माओत्से तुंग पैदा होते हैं और यही वह जज्बा है जो जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चन्द्र पैदा करता है। यही वह जज्बा है जो नेल्सन मंडेला और होचिमिन और यासिर अराफात पैदा करता है जो दुनिया में साम्राज्यवाद के, सरमायेदारी की मुखाल्फत दुनिया के हर कोने में झंडा बुलन्द करते आये हैं। यही वह जज्बा है जो भगतसिंह, मौलाना आजाद और बादशाह खां जैसे इन्कलाबियों को जन्म देता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा और इस सिलसिले में पण्डित जवाहर लाल नेहरू का एक खत कोट करना चाहूंगा जो उन्होंने 16 फरवरी 1948 को डा० जाकिर हुसैन को लिखा था:—

[अनुवाद]

"जामिया मेरे दिल में बसा हुआ है और मैं इसके द्वारा किए गए कार्य को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कार्य का कुछ अर्थ तथा महत्व है और इसे उसी भावना से चलाया जाना चाहिए जिस भावना से इसे मूलतः शुरू किया गया था। बहुत कम संस्थाएं ऐसी हैं उस आदर्श को संजोये रखने में सफल होती हैं जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। उनके

कार्यों में नीरसता आ जाती है, शायद थोड़ी कार्यकुशलता रहती है किन्तु उनमें एक जीवन्त उत्साह नहीं रहता। मेरे ध्यान में जितनी संस्थाएं हैं उनमें से जामिया ही ऐसी है जिसने अपनी पुरानी प्रेरणा तथा उत्साह को काफी हद तक कायम रखा है। निस्संदेह यह आप की वजह से और आपके साथ काम करने वाले उत्कृष्ट कार्य कर्ताओं की वजह से हो पाया।

> अब जबकि गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं एक विशेष दायित्व हमारे ऊपर आ जाता है कि जिस कार्य में उनकी रुचि थी उसे हम आगे बढ़ाएं और जामिया इस कार्य का महत्वपूर्ण अंग थी। मैं जामिया के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा। यह दुनिया बहुत अंधेरी, निराशापूर्ण तथा सुनसान लगती है, जो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनकी अंतः प्रेरणाएं या तो गलत हैं या हैं ही नहीं, और जो निरर्थक तथा महत्वहीन जीवन जी रहे हैं। इसीलिए हमें कुछ ऐसी शरणस्थलियां चाहिए जिनसे हमें रक्षण प्राप्त हो। मैं विकट समस्याओं से इतना अभिभूत नहीं होता जितना कि उन दोस्तों के प्रेम तथा भातृभाव से, जो मुझसे बहुत आशा रखते हैं..."

[हिन्दी]

यह वह एहमियत थी, इम्पोर्टेंस थी जो जामिया मिलिया को पण्डित नेहरू के जीवन और इस मुल्क की सियासी जिंदगी में हासिल थी। मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, हमारे बुजुर्ग रंगा जी यहां मौजूद है, शायद उन्हें यह बात याद हो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक बार यह तजवीज लाई गई कि जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्लामिया लफ्ज निकाल दिया जाय और अजमालिया जोड़ दिया जाए। इसका नाम रखा था महात्मा गांधी ने जब यह तजवीज आई तो महात्मा गांधी ने कहा, जो आज भी रिकार्ड में मौजूद है कि अगर जामिया मिलिया में इस्लामिया लफ्ज निकाला गया तो मेरा कोई ताल्लुक इसमें बाकी नहीं रहेगा, मैं अपने आपको विदड्रा कर लूंगा। जामिया मिलिया इसलामिया ही वह हमारा आइडियल इंस्टीट्यूशन होगा, हमारी यूनिवर्सिटी होगी, कालेज होगा जहां से हम सही कौम परस्ती, और सेक्युलर ख्यालात को हम इस मुल्क में फैला पायेंगे और मुसलमानों को उस चीज से महफूज रख पायेंगे जोकि मुस्लिम लीग और दूसरे फिरकापरस्त उस जहर को मुल्क के अन्दर फैला रहे थे। इतना ही नहीं, मैं रिकार्ड के लिए एक बात और कह दूं कि महात्मा गांधी ने अपने लड़के देवदास गांधी से कहा कि सही हिन्दु-मुस्लिम यूनिटी लाने के लिए और इस मुल्क में सही सेक्युलेरिज्म बनाने के लिए जाअके और जामिया मिलिया इस्लामिया में एक आर्डिनरी टीचर, एक मामूली मास्टर की हैसियत से काम करना शुरू करो और देवदास गांधी ने कई साल वहां एक मामूली उस्ताद की हैसियत से पढ़ाया जामिया मिलिया के अन्दर। इतना ही नहीं, जब उनके छोटे बच्चे, इन्फेंट की डेथ हुई, उसका इन्तकाल हो गया, मृत्यु हो गई तो महात्मा गांधी ने कहा था कि उस मासूम बच्चे को दफन करने के लिए सबसे अच्छा जो स्थान है, सबसे अच्छी जो जगह है वह जामिया मिलिया इस्लामिया का कब्रिस्तान ही है। वह कब्र आजतक वहां पर बनी हुई है, और हिन्दू मुस्लिम एकता का झंडा ऊंचा किए हुए है। आजतक वह निशान मौजूद है, और

कौमी एकता का कय्यम बुलन्द किये हुए है। हमारे बनतावाला साहब और सुलेमान सेठ साहब आकर देखें तो उन्हें मालूम होगा कि जामिया मिलिया की वाकई असली तारीख क्या रही है। (व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : वह रवायात ये खत्म करना चाहते हैं इस बिल के जरिये।

श्री अजीज कुरैशी : बदकिस्मती की बात थी कि सन् 47 में जो फसादात हुए, जिन्होंने मुल्क को तकसीम कराया, वह लोग नहीं चाहते थे कि हिन्दुस्तान एक रहे, अंग्रेजों के इशारों पर जिन लोगों ने मुल्क को तकसीम कराया, यहां पर फिरकापरस्ती फैलाई-बदकिस्मती की बात है कि जामिया मिलिया इस्लामिया भी उन फसादात और उस पागलपन की आग से महफूज नहीं रह पाई।

मेरे पास एक किताब है "कैदी के खत" जिससे मैं यहां कुछ कोट करना चाहूंगा। यह किताब जनाब मोहम्मद यूनुस साहब की लिखी हुई है जो कि चेयरमैन हैं ट्रेड फेयर एथारिटी आफ इंडिया के। मैं इसलिए इसको कोट नहीं कर रहा हूं कि वे ट्रेड फेयर एथारिटी आफ इंडिया के चेयरमैन हैं बल्कि इसलिए कोट कर रहा हूं कि जनाब मोहम्मद यूनुस साहब खुद भी एक मुजाहिदे आजादी हैं, एक फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है। तकसीम के बाद अपना वतन, खानदान जायदाद सब कुछ छोड़ने के बाद हिन्दुस्तान आ गए। यह पूरी किताब उनकी उर्दू में है जिसका अंग्रेजी में तर्जुमान बड़ी लियाकत के साथ डा० सैयदा सैयदेन हमीद ने किया है। वे लिखते हैं, मैं कोट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

विभाजन के समय दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगे भड़क रहे थे। एक रात को 11 बजे के करीब डा० जाकिर हुसैन ने मुझसे बात की और जामिया के बाहर एकत्र खतरनाक भीड़ का हाल बता कर दुखभरी आवाज में खुदा हाफिज कहा। मैंने जवाहरलाल जी को सूचित किया और तुरन्त ही हम कार से जामिया मिलिया इस्लामिया गए और देखा कि जाकिर साहिब और उनके कुछ सहयोगी असहाय तथा निराश स्थिति में हड़बड़ाये हुए बैठे थे जबकि बाहर हिंसक भीड़ तबाही मचा रही थी। जवाहरलाल जी को हाल में दाखिल होते देखकर जाकिर साहिब तथा अन्य लोग उनके अभिवादन के लिए खड़े हो गए और किसी ने कहा, "आपने हमें शान से जीना सिखाया और अब इतनी रात को निर्भय होकर यहां पहुंचकर आपने हमें शान से मरना सिखा दिया है।

अब हमें कोई डर नहीं है। वापस आते समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें भोगल पर रोक लिया और अपने विशेष स्टाइल में वे कार से उतरे और कुछ धर्मांध व्यक्तियों द्वारा किये गए उपद्रव की निन्दा करने लगे। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में लोगों से कहा : "मैं अभी-अभी जामिया से लौटा हूं, जहां मैंने आजीवन भारत की सेवा करने वाले लोगों को असुरक्षित महसूस करते हुए पाया।" उनके शब्दों से श्रोता प्रभावित हुए और उन्होंने ऐसे साम्प्रदायिक पागलपन से दूर रहने का वादा किया।

[हिन्दी]

यह वह अहमियत थी जामिया मिलिया की जिसने हिन्दुस्तान के पहले वजीरे आजा, पं॰ जवाहर लाल नेहरू को रात के 11 बजे बिना किसी सेक्योरिटी के, खुद कार ड्राइव करके वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आजादी के चालीस साल के बाद जबकि इस मुल्क में लगभग 150 यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं और आप अगर यू॰ जी॰ सी॰ की लिस्ट उठाकर देखें तो इन 40 सालों में लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मुल्क के कोने कोने में बनी हुई दिखाई देंगी लेकिन मैं पूछना चाहूंगा क्या वजूहात थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया को एक फुलफ्लेज्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए आपको चालीस साल लग गए? क्या तारीख आपको माफ करेगी इस देरी के लिए। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं और चाहूंगा कि सरकार इसका जवाब दे।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप यह जो बिल लाए हैं, यह बिल काफी नहीं है। जनाब-ए-मोहतरिम शिवशंकर साहब आज जामिया-मिलिया की सबसे अहम जरूरत वहां एक माड्रन अपटूडेट मैडिकल कालेज की है। आज जामिया-मिलिया को सबसे अहम जरूरत है, जो उसके आस पास फैली हुई सैकड़ों एकड़ जमीन है, उस पर बहुत कुछ पर नाजायज कब्जा लोगों ने कर लिया है और उस पर लोगों ने मकान भी बना लिए हैं। आज उसके मुश्तकबिल का फैसला नहीं हुआ है। इस मौके पर हमारी अरबन डिवलपमेन्ट मिनिस्टर यहां मौजूद है। हमारे वजीरे मोहतरिम साहब से भी हमारी दरख्वास्त है कि वे इस ओर ध्यान दें। वह जमीन आपकी है, कुछ यूपी की है। मैं चाहूंगा कि कानून के जरिए उस सारी जमीन का एक्वायर किया जाए और वह जमीन जामिया-मिलिया-इस्लामिया को आगे डवेलपमेंट के लिए उसको दे दिया जाए। इतना ही, नहीं जो नाजायज लोगों ने उस पर कब्जा किए हैं, उनको भी गिरा दिया जाए और उस इलाके को भी जामिया-मिलिया के हवाले कर दिया जाय। तीसरी बात जो आज के हालत में सबसे अहम है, वह यह है कि वहां माड्र्न अपटूडेट स्पोर्ट काम्पलेक्स की जरूरत है। एक खेल का मैदान है जो कभी नवाब भोपाल या बेगम भोपाल ने दिया था, यहां सिर्फ जो कि भोपाल ग्राउण्ड कहलाता है। इसके अलावा इसका अपना कोई इंडोर या आउट डोर स्टेडियम नहीं है। यह ताज्जुब ही की बात नहीं है, बल्कि बड़े शर्म की बात है कि इसको किस तरह से आज तक बर्दाश्त किया गया। मैं चाहूंगा शिवशंकर साहब इसके लिए फण्ड्स दें और वहां एक माड्र्न अपटूडेट स्पोर्ट काम्पलैक्स की भी जरूरत को पूरा करें।

इसके अलावा मैं होस्टल के सिलसिले में गुजारिश करना चाहूंगा। वहां होस्टल बहुत कम हैं। लड़के-लड़कियां वहां बाहर से ठहरने के लिए आते हैं, लेकिन वहां गुंजाइश नहीं है। मैं चाहूंगा कि होस्टल के लिए भी इसके अन्दर फण्ड दिया जाए। इसके साथ-साथ वहां एक नर्सिंग स्कूल बनाने के लिए और एक अपटूडेट इंजीनियरिंग कालेज जो अभी शुरू हुआ है, उसके लिए भी मुनासिब फण्ड दिया जाए, ताकि जामिया-मिलिया अपना काम पूरा कर सके। इसके अलावा तमाम फैकलटीज में पोस्ट ग्रेजुएट्स के सब्जैक्ट्स हैं, जो आजतक नहीं दिए गये हैं, उनको वजीरे मोहतरिम वहां शुरू करवाने की कोशिश करें।

[श्री अजीज कुरेशी]

इस मौके पर बड़ी ना सपासी होगी, अगर हम उनको याद नहीं करेंगे, जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगियां जामिया के बनाने में खर्च कर दी बेराजो अकीदत्त पेश नहीं करेंगे। हमारे मरहूम डा० जाकिर हुसैन साहब, प्रो० मुजीब और शफीकुर रहमान किदवई साहब और अनगिनत दूसरे लोगों को याद न करे, जिन्होंने सारी जिन्दगी अपनी जामिया-मिलिया के बनाने में खर्च कर दी। इस मौके पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जनाबे-कैसी पंत साहब, जनाबे एचकेएल भगत साहब का और कंके तिवारी साहब का, जब मैं तीन साल पहले प्राइवेट मेम्बर बिल लाने के लिए इस मसले को मूव करना चाहता था, तो इन लोगों ने मुझे मना किया और मुझे यकीन दिलाया कि जब भी यह मसला आएगा तो वे पूरी मदद देंगे। आखिर में मैं जनाबे खुर्शीद आलम खान की खिदमात को सराहते हुए उनके लिये भी अपनी पूरी दिली मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, जिनकी लगातार कोशिशों और मुखलिसाना मेहनत के बाद यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं मैं बड़े अदब के साथ उस हस्ती के बारे में भी कहना चाहता हूं, शायद इसकी याद हमें किसी को नहीं आयेगी। वह हस्ती है मोहतरमा जनाब-बेगम डा० जाकीर हुसैन साहब की। इस हाउस के लोग शायद यह नहीं जानते होंगे कि बेगम साहब ने थोड़े रोज पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब राजीव गांधी को खत लिखा—मैंने जिन्दगी के सारे सुनहरे ख्वाब जामिया मिलिया से वाबस्ता किये और मुझे उम्मीद थी कि मेरे जिन्दा रहते हुए जामिया मिलिया एक पूरी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मेरी जिन्दगी में मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। अल्लाह उनको जिन्दगी दे और हम पर उनका साया कायम रहे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं लेकिन अभी जो बातें यहां पर इस बिल की मुखालफत में जिस तरह से कही गई हैं, अगरचे उनसे मुझे इत्तिफाक नहीं है। लेकिन मैं शिव शंकर साहब से यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि जामिया मिलिया का जो तारीखी किरदार है, यसेमंजर है और वर्किंग रहा है 1920 से आज तक, उसमें अगर कोई गड़बड़ हुई, उसको अगर खत्म किया गया, तो उन सब लोगों को, जो इस बिल को पास करने जा रहे हैं, मुजरिम के कटेरे में खड़ा किया जाएगा और इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए इसका जो किरदार है, जो इसके कारकुन हैं, इसके जो कर्मचारी हैं, इम्पलाइज हैं, उनको पूरा सेफगार्ड रहे। वहां के टीचर्स, वहां के एम्पलाइज चाहे वे स्कूल के हों, यूनिवर्सिटी के हों या कालेज के हों, उनका सेफगार्ड रहे। उनकी जो वर्किंग कंडिशन्स आज तक रही हैं, उस प्रेक्टिकल वर्किंग में कोई फर्क न रहे और उसकी सह बाकी रहे। इतना मैं कहना चाहूंगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो जामिया मिलिया के लोग, जो आज तक अपनी जिन्दगी एक नेक मकसद के लिए देते रहे हैं, वे जनाब शिव शंकर से फेज अहमद फैज के अल्फाज में यह कहेंगे :

इनका दमसाज अपने सिवा कौन है
शहरे जाना में अब बासफा कौन है

दस्तेकातिल के शाया रहा कौन है

रखते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो

फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो ॥

अंग्रेजी में इसका तरजुमा यह होगा ।

एक माननीय सदस्य : उर्दू ही बहुत है ।···(व्यवधान)

श्री अशोक कुरेशी : मैं फिर से कहता हूं ।

इनका दमसाज अपने सिवा कौन है

शहरे जाना में अब बासफा कौन है

दस्तेकातिल के शाया रहा कौन है

रखते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो

फिर हम ही कत्ल हो आएं यारो चलो ।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं और यकीन रखता हूं कि जामिया मिलिया के उस किरदार को, पसेमंजर को, वर्किंग को और वीकर सेक्शन्स के तमाम इन्ट्रेस्ट्स को गवर्नमेंट और हमारे मिनिस्टर साहब महफूज रखेंगे और इस सिलसिले में कदम उठायेंगे ।

डा० जी० एस० ढिल्लों (फिरोजपुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बनातवाला जी को देख कर मेरा भी उर्दू में बोलने के लिए दिल कर आया और यह अच्छा ही हुआ कि कल यह बिल नहीं आया । जितना अच्छा यह बिल था, उसके मुताबिक माहौल नहीं था । जब बनातवाला साहब उछलते हुए मन्त्री जी की तरफ भागे, तो बड़े गुस्से में थे और यह बड़ा अच्छा हुआ कि इसे आज के लिए मुल्तवी कर दिया और आज जब ये बोल रहे थे, तो इनमें बड़ी दिलखुश अदा थी और चेहरे पर ताजगी थी । कल के मुकाबले में मैं जब इनको आज देख रहा था, तो मुझे बड़ी राहत महसूस हुई । यह अच्छा हुआ कि ये कल नहीं बोले । पता नहीं क्या कह डालते । आज बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं और बड़ी अच्छी जबान में जब बात कही जाती है, तो संजीदगी आ जाती है । इस बिल को देखने के बाद यह बात मेरे मन में लगी कि इसकी जो कोटंट है, वह बिलकुल नामजद है ।

3.00 म० प०

इस यूनिवर्सिटी का इतिहास, तारीख वाबस्ता रही है बड़ी-बड़ी शख्सियतों से, मौलाना महमूद अली इसके पहले वाइस चांसलर थे, डा० जाकिर हुसैन जब जर्मनी से वापिस आए तो इसके

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

वाइस चांसलर बने। 1925 में तो यह अलीगढ़ से दिल्ली में आ गई और हकीम अजमल खां साहब रहे, इस तरह से बड़े-बड़े तारीखी नाम इससे वाबस्ता हैं। तो जब हम देखते हैं कि किन बुनियादों पर वे लोग खड़े हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि इतने हालात में जब अंग्रेजों का राज था, इस तरह का इरादा दिल्ली में काम करता रहा और उसमें सभी ने भाइयों की तरह से उसको चलाया। मैं भी माइनारटी से हूं, सबका अंदाजे जिंदगी अलग होता है, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी कौमी जिंदगी के जरिए अहम हिस्सा होना मुल्क की जिन्दगी में बड़ा जरूरी सवाल है। आप शायद इसको देख कर कहते होंगे, इस्लामी नाम देकर कोई रियायत नहीं की गई है, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी है, पंजाब में है, गुरुनानक देव ये चीजें ऐसी इसलिए रखी जाती हैं कि अवाम को पता लगे कि सब कुछ होते हुए भी, उसकी खासियत का माहौल होते हुए भी हम एक हैं।

कोर्ट के बारे में आपने जो जिक्र किया, मैं जब पंजाब की तरफ देखता हूं, बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद दो यूनिवर्सिटियां बनीं। आप तो मुतालबा करते रहे हैं, वे लोग तो जेलों में गए हैं, कितनी कैदें काटी हैं इन यूनिवर्सिटियों को हासिल करने के लिए, पटियाला यूनिवर्सिटी, गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी। उनकी जो सीनेट है, कोर्ट है, अंजुमन जिसको आप कहते हैं, उसमें तो सारे के सारे मेम्बर नुमाइदे होते हैं और बड़ी बात यह है कि सारे नुमाइंदे होते हुए भी वे चल रही हैं। मैं उस वक्त पंजाब में था जब यह बिल पास हुआ, इस तरह का शक जाहिर किया गया कि चलते-चलते कहीं हम मद्धमन हो जाएं, हम कहीं अपना-आप न खो बैठें, यह खयाल उस वक्त भी था, लेकिन आपके जो एग्जेकिटव हैं, इसमें नुमाइन्दगी है, उसमें तीन एग्जेकिटव के थे जो गवर्नर ने चांसलर की हैसियत से रखे थे, बाकी जो थे कोर्ट की सीनेट में न कुछ होते हुए भी यह बात आई कि कहां-कहां से लेने हैं। तब उसका एक तरीका या प्रैक्टिस कहें कि रिवाज बन गया है कि कुछ तो प्रिंसीपलों में से लेते हैं घूम-कर रोटेशन के साथ।

श्री जी० एम० बनातवाला : ओल्ड स्टूडेंट्स को भी नहीं लिया गया है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं जिक्र कर रहा हूं, कुछ डाक्टर्स लेते हैं और इस ढंग से आपस में उनका समझौता है कि एक-एक, दो-दो साल के बाद आते जाते हैं। तो न होते हुए भी यह हो गया, आपको इतना खतरे का इजहार करने की जरूरत नहीं है, इस पर अमल करके तो देखो। सीधी बात तो यह है कि इसको चलाने वाला कौन है। वहां चांसलर हैं यहां विजिटर हैं, आप जानते हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनमें कोई विजिटर, कोई डाक्टर, चांसलर, एक्टर वगैरह होते हैं, बात यह है कि किस किस्म का इन्सान होता है, जैसा इन्सान है वह उसको उसी ढंग से चलाने की कोशिश करता है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर राष्ट्रपति या सदर हमारे इसके विजिटर होंगे तो इस तरह से वे चलाएंगे कि इसमें जो तरह-तरह के मफाद हैं, सबकी नुमाइंदगी हो सके।

अब जो हमारे वाइस प्रेजीडेंट हैं, वे भी कई सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं। मेरा भी तालीमी जिन्दगी से बहुत वास्ता रहा है लेकिन कभी किसी को नहीं बताया। मैंने देखा कि आहिस्ता-

आहिस्ता अगर वह ठीक रास्ते पर चले तो यही नामजदगी एक चुनाव जैसी शक्ल अख्तियार कर लेती है वरना तरह-तरह के झगड़े खड़े हो जाते हैं। आजकल तो यही हालत है कि कहीं चले जाओ कई धड़े पैदा हो जाते हैं। यह एक नयी जिन्दगी है। जो इससे बची हुई जमायतें थीं उनमें भी आ घुसी है। मैं तो इसीलिए इस बहस में शामिल हुआ हूं कि इसकी ताईद करने में जो एहजाज है, जो इज्जत है उसमें शरीक हो सकूं वरना तो मेरा कोई खास इरादा नहीं था। मैं तो आज सुबह से ही इसका इन्तजार करता रहा। शिवशंकर जी वैसे तो आन्ध्रा के हैं, लेकिन मेरे जिले से है···

श्री पी० शिवशंकर : आपके जिले से ही हूं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मेरा ख्याल है कि वहीं से इन्होंने उर्दू सीखी है। इनमें उर्दू बोलने की जो काबलियत आई है, वह मेरे जिले की वजह से ही आई है। मैं इनको भी मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने निहायत ही अच्छा काम किया है। मैंने खुर्शीद साहब से कहा था कि इस बिल को आज ही पास करा लो, पता नहीं सोमवार को क्या हो और आज की तरह ही बैंच खाली हो जाएं। आप तो कल उसमें शामिल हुए, लेकिन हम ही रह गए आपकी ताईद करने के लिए। आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस मौके पर जनाब शिवशंकर साहब की तरफ से पेश किए गए बिल की हिमायत में खड़ा हुआ हूं। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है। तहरीके आजादी में, जिस तालीमी इदारे ने बहुत ही नुमाया हिस्सा अदा किया उसको आज भारत सरकार एक मरकजी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रही है और बाकायदा यूनिवर्सिटी के तौर पर यह हमारी यूनिवर्सिटी में शामिल होगी। डा० जाकिर हुसैन, हकीम अजमल खां और दूसरे कितने ही मशहूर नाम हैं जिसके साथ वावस्ता है और तहरीके आजादी की याद को ताजा करते हैं। हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने सोचा कि मुल्क की तामीर इस बात पर हो और इसीलिए उन्होंने तालीमी इदारों की तरफ खास ध्यान दिया और बुनियादी तालीम की बात कही और इस तरह के कुछ इदारे चुने जहां पर देश की तामीर का काम शुरू हो। जामिया मिलिया इस्लामिया उन इदारों में से एक है। यह खुशी की बात है कि दिल्ली के करीब बने इस इदारे ने महरीनें तालीम की अपनी जिन्दगी का नुमाया हिस्सा सर्फ किया है। जहां बाकी इदारों में लोग तन्ख्वाहें बढ़ाने के लिए लड़ते रहें और सरकार की सरपरस्ती हासिल करने के लिए लड़ते रहे, वहां यह एक ऐसा इदारा था जहां तालीम देने वालों ने एक को आपरेटिव सोसायटी बनायी और कहा कि हम अस्सी, सौ या डेढ़ सौ रुपया लेकर तालीम देंगे। मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी दूसरे लोगों ने भी इस तरह के काम किए।

आर्य समाज के जरिये भी महात्मा हंसराज और दूसरे बुजुर्गों ने लाइफ मेम्बर्स की बात शुरू की और सौ रुपये, दो सौ रुपये महीना लेकर सारी जिन्दगी पढ़ाने का काम करते रहे। महात्मा गांधी जी की इस आवाज पर कि विदेशी तालीम का बायकाट करो, इदारों का बायकाट करो, उसका मुनासिब असर हुआ और जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक कला को पूरा किया और देश की

[प्रो॰ नारायण चन्द्र पराशर]

तालीम के लिए नुमायां मुआयदा किया। आज इसकी नुक्ताचीनी की जा रही है उस वक्त यह खयाल था कि सरकार से कोई वास्ता मत रखो, सरकारइदारे ले रही है उस वक्त की सरकार और आज की सरकार में बहुत फर्क है, उस वक्त की सरकार बाहर से आई थी हमारे में इखतलाफ बढ़ाना चाहती थी, हमको आपस में लड़ाना चाहती थी। आज की सरकार अपनी बनी हुई सरकार है, हमको मिलाना चाहती है और आगे बढ़ाना चाहती है। इसी इरादे से सरकार ने इस इदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात सोची है। हम प्रधानमंत्री और वजीरे तालीम के मनमून हैं कि नई तालीमी पालिसी आने के बादे उन्होंने यह नेक कदम उठाया है। इस उम्मीद के साथ आप यहां यह बिललाये हैं, हमें उम्मीद है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की तालीम के बारे में अपनी रिसर्च के बारे में और दूसरी बातें जारी रखेगी। वहीं मुल्क की कौमी जिन्दगी में भी अपना हिस्सा पहले से बढ़-चढ़कर अदा करेगी। तालीम के बगैर मुल्क नहीं बनते और तालीमी इदारों के वगैर तालीम नहीं दी जा सकती। यह इदारे ही हैं जो हमारे लिए मम्बे रोशनी हैं। हम यह चाहते हैं कि मुस्तक्बिल में भी मीनारें रोशन रहें। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि कोर्ट को यह हक हासिल होना चाहिए कि वह अपने नुमाइन्दे मुकररं करके एक्जीक्यूटिव कौसिल में भेजे। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती जहां आप नामजदगी की बात करते हैं वहां कुछ एलिमेंट इंतखाब का भी रखिए और इन इदारों की आपस में कोर्ट है या मदरसे हैं इस्लामिया है इनका आपस में इन्तखाबी रिश्ता भी रखिये। ताकि कुछ जमहूरी आवाज इसके साथ वहां पहुंच जाये और कोर्ट की बात एक्जीयूटिव कौंसिल में पहुंचने के बाद उसका कोर्ट की नब्ज पर हाथ हो ऐसा न हो कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल कुछ सोचे, कोर्ट कुछ सोचे और एकेडमिक कौंसिल कुछ सोचे। इन तीनों का आपस में बाहमी रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें एक दूसरे की आवाज मिले और आपस में मिलकर चलें।

हम यह भी चाहेंगे कि इदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को पूरी इमदाद देनी चाहिए और जिस तरह से भी मुमकिन हो, अगर होस्टल की जरूरत है तो उसको सहूलियत देनी चाहिए। अगर जमीन पर किसी का कब्जा है तो खाली करवाना चाहिए। इसको दुनिया के सामने इस तरह से पेश करना चाहिए कि महात्मा गांधी, डाक्टर जाकिर हुसैन और हकीम अजमल खां जी के नाम जिस इदारे के साथ वाबस्ता हैं वह आज भी कौम के लिए उतना ही मीनारे रोशन रहे जितना उस वक्त था। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कुछ खदशात हमारे दोस्तों ने जाहिर किये कि कल को न जाने कौन आयेगा, किसकी सरकार होगी तो क्या होगा। इस बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है कि अपनी तरफ से हमारा इरादा नेक है और नीयत साफ है। कल को क्या होगा, इसके बारे में कौन गारण्टी दे सकता है। लेकिन एक बात यह है कि जब तक इस मुल्क में जमहूरी नजाम रहेगा तब तक किसी की आवाज को मिटाना आसान नहीं है। तो इन खदशात को आप दूर करें और मुस्तकिले ऐतकाद के साथ आगे बढ़ें। यह मैं जरूर कहूंगा कि अगर उर्दू के बारे में आपका कोई खदशा या शुबाह हो तो उसे वजीर साहब अपनी तशरी में दूर कर दें ताकि उर्दू को वहां वही मुकाम हासिल रहे, वह बतौर मीडियम आफ इन्स्ट्रक्शन के बनी रहे और बाहर से आने वाले लोगों के लिए, जो वहां तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, वह अदारा सहारे के रूप में बना रह

सके । जैसा उनका हदशा है कि कल कोई इसे भी छीन ले, उन्हें हक भी न मिले, तो मैं चाहूंगा कि जहां आप इन खदशात को दूर करें, वहीं सरकार की ओर से सारी पोजीशन वाजया करें । इसके साथ मैं आपसे यह अपील भी करूंगा कि सरकार की तरफ से यह एक बहुत ही नेक कदम उठाया गया है, हम इस का खैर मकदम करें और उम्मीद करें कि जिस शान के साथ इस अदारे ने अपनी मांझी में, मुल्क की तामीर में हिस्सा लिया, उससे भी ज्यादा शान के साथ यह अदारा आगे बढ़ेगा, बाकी अदारों के साथ मैं उन सभी मरहूम मोअल्लिमों को, जिन्होंने अपनी जिन्दगी इस अदारे के साथ वाबस्ता की, खराज-ए-अकीदत पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अव्वल तो मैं समझता हूं कि मैं सरकार को इस बात के लिए मुबारकबाद दूं कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को यूनिवर्सिटी के तौर पर कबूल कर लिया और इस सदन के कई मैम्बरान-ए पार्लियामैंट की पहले भी यही ख्वाहिश रही है और पूरे मुल्क में इसके लिए एक मिजाज बना था कि जामिया मिलिया इस्लामिया को बतौर यूनिवर्सिटी मंजूर किया जाए, इसलिए उसकी कामयाबी और सरकार की तरफ से उसकी हिमायत, मैं इसे गवर्नमैंट की बहुत बड़ी पेयाजी समझता हूं और इसके लिए हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं ।

मैं समझता हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक अदारे का नाम ही नहीं है बल्कि हमारी तारीखे-हूर्रियत के, बहुत बड़े चोटी के, मीनारे-नूर के तौर पर मैं इसे समझता हूं । यह वह अदारा है जिसने हिन्दुस्तान में तारीखे आजादी के दौरान एक नया मिजाज, एक नई जिद्दोजहद का रास्ता मुताइयन किया और उस वक्त जबकि इस्तहरी के खिलाफत और अदमे-तआव्वुन यानी नौन-कोआपरेशन मूवमैंट की फजा में एकतार पैदा कर रहे थे, ऐन उस वक्त महात्मा गांधी, डा० जाकिर हुसैन, और बहुत सारे चोटी के हिन्दुस्तान के रहनुमाओं ने इनकी बिना डाल दी और इस तरीके से जामिया मिलिया इलसामिया को हिन्दुस्तान में तालीमी मुहिमात पर कायम करके हिन्दुस्तान की तारीखी हूर्रियत को मजबूत बनाना था, उसे आगे ले जाना था । इसलिए महात्मा गांधी, डा० जाकिर हुसैन, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां साहब और हिन्दुस्तान भर के ऊंचे पाये के दूसरे रहनुमाओं ने एक यादगार के रूप में इसे कायम किया, जिसकी हम सब को कद्र करनी चाहिए । इस अदारे के लिए यदि हम महज कानून पास कर दें तो उससे काम नहीं चलेगा । बल्कि उन जजबात को, उनकी आरजुओं और तमन्नाओं को देखना होगा जो कि तारीखी हूर्रियत के इन अजीम रहनुमाओं ने हिन्दुस्तान के लिए सारी जिन्दगी वकत करके मिसाल कायम कर दी और हिन्दुस्तान की सेक्यूलर मिजाज को मजबूत कर दिया, आने वाली नस्लों के लिए राहें मुताइयम कीं । इसलिए हमको चाहिए कि इस अदारे को मजबूत बनाने के लिए काम करें, यह सरकार को देखना है । मैं इस सिलसिले में आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि खुद डा० हुसैन के इस आदरे के बारे में कुछ इरशादात थे, मैं उन्हें यहां कोट करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

डा० जाकिर हुसैन के अनुसार :—

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

"जामिया मिलिया का मुख्य उद्देश्य भारतियों और विशेषरूप से मुसलमानों की शिक्षा के लिए भावी योजना बनाना था जो उनकी देश भक्ति तथा राष्ट्रीय एकता की भावना पर आधारित हो"

[हिन्दी]

डा० जाकिर हुसैन साहब का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त था, हिन्दुस्तान के कल्चर के पसमंजर में और फिर हिन्दुस्तान के मुसलमानों के पसमंजर में, जिन दो अदारों को कायम किया गया, उस मकसद को पाने के लिए, दो चीजों की तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में जहां कदीमी तरो से और हमारे इस दौर में इसकी बड़ी जरूरत हैं और अब हमारी दौड़ में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है जबकि बड़ी ताकतें और कूतें हिन्दुस्तान को एक बहुत किस्म की इंतशार में मुबतला करना चाहती हैं और इसको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ऐसे वक्त में हिन्दू, मुसलमान और बाकी तमाम कौमों का इत्तिहाद बहुत जरूरी है और उस इत्तिहाद के लिए लाजमी है कि हम इन इदारों को जो कि खास मकासिद के लिए हमारे बुजुरगों ने कायम किया था हम उनको मजबूत करें और इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में जामिया मिलिया इस्लामिया को कायम करने का मकसद यह भी था कि हिन्दुस्तान के मुसलमान को मेन स्ट्रीम में लाकर और उनको हिन्दुस्तान की मजमुई जो हमारी कुव्वत है, जो हमारा मआशरा है, जो हमारी मजमुई ताकत है, उसमें इजाफा किया जाए और मुसलमानों को इसके लिए रागिब किया जाए और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी अकलीयत मुसलमान हैं और जिनकी तादाद 12 से 15 करोड़ के दरम्यान है और जिनका एक खास हिन्दुस्तान में अपना कलचर होने के बावजूद मुसलमानी एक मिजाज भी है, एक इस्लामी सकाफत और तमद्दुन भी है उसकी हिफाजत करनी है और मैं समझता हूं कि डा० जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी का मकसद जामिया मिलिया इस्लामिया को कायम करने का यह भी था कि वहां पर हम हिन्दुस्तान के गुनागूं कलचर की हिफाजत करें और हिन्दुस्तान के अकलीयती किरदार, हिन्दुस्तान की वसीतर किरदार को समो कर उसको मजबूत बनाएं।

मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है और ये मेरा जाती तजुर्बा है कि हिन्दुस्तान सारी दुनिया में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मद्दगर भी है और मरकज भी है। इसकी अपनी इनफरादीयत भी है। हमारे हमसाया मुल्कों के मुकाबले में, हिन्दुस्तान में मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा है, फरादी कुव्वत भी ज्यादा है और हमारे मुल्क के अन्दर जो कलचर और दीनी जितने अहम मराकिज हैं, वे इतने मरजा-ए-नूर और मरजाए रूहानियत हैं कि पूरी दुनिया से रुहानियत हासिल करने के लिए हमारे मुल्क में आना पड़ता है तो यह जरूरी है कि हम हिन्दुस्तान के मुसलमानों की दिली ख्वाहिश और उनके दीनी जजबात की कदर करेंगे तो उनको अपने मुल्क के अंदर एक भरोसा पैदा हो जाएगा, एक एतमाद की फिजां में न सिर्फ मुकम्मल तौर पर, इजितिमाइ तौर पर अपने मुल्क की खिदमत कर सकेंगे तो उन्हें दूसरी तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हमारे यहां अलअजहर के मुकाबले में भी कई इदारे हैं। दुनिया की बड़ी-बड़ी इल्मी और दीनी यूनिवर्सिटयों के

साथ-साथ हमारे यहां लखनऊ में और-और मुकामात पर यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर मुसलमान पढ़ने के लिए आते हैं और लोग दीनी तालीम हासिल करते हैं। मैं चाहता हूं जदीद साइंसी तकाजों के मुताबिक, जदीदी चेलेंज के मुताबिक दौरे हाजरे के तकाजों के मुताबिक जामिया मिलिया इस्लामिया को भी इदारे के तौर पर इसके वे शोबे वापस कायम कर दें और उन दीनी और साइंटिफिक बेसिस पर, सेकुलर कल्चर के साथ जो बिलकुल साथ-साथ में चलें, जो इश्तराक हो एक मजबूत इस्लामी इदारे के उपर कायम भी कर सकते हैं। जब कि इससे अलफाज "इस्लामिया" जो कि डा० जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी की दिली तमन्ना भी थी, तो उसके मुताबिक भी वह चीज हो सकती है।

इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस्लामी तालीम और दीनी तालीम, दीनी तकाजो के मुताबिक इस इदारे को उजागर कीजिए और तमाम फेसिलिटीज और तमाम किस्म की मुराआत दे दीजिए जो कि एक मजबूत और साइंसी बुनियाद पर दीनी इस्लामी तालीम की तरक्की हो ताकि तमाम मुल्क पर असरात पड़ें और उसकी मुल्क के बाहर भी पूरा एक आलम, एक नक्शा बन जाए और असरात मस्तब हों। मेरे ख्याल में ये बात मुनासिब अलफाज में कह रहा हूं इसकी इक्तादित दीनी इदारे के तौर पर जो इसके शोबेजात होंगे इसके बगैर हम यह नहीं कहते, ये इदारे जैसे बनारस यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, यकीनन इनके दरवाजे सब के लिए खुले होंगे और यूनिवर्सिटी में किसी के लिए कोई रुकावट नहीं होगी और आज भी मेरी याद में जामिया मिलिया इस्लामिया में गैर मुस्लिमों की काफी तादाद है। मुख्तलिफ डिसीप्लिन्स इसमें तालीम पा रहे हैं, लेकिन मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि आप इसको, जो इसका मकसद हमारी तहरीके हुरियात के दरम्यान था जब कि हमने तहरीके खिलाफत जो हिन्दुस्तान में एक अनोखी चीज थी कि वहां पर खिलाफत ब्रिटिश ने खत्म कर दी और हिन्दुस्तान एक मजबूती के साथ तहरीके खिलाफत के साथ हिन्दू और मुसलमान को एक कर दिया, और हिन्दुस्तान में सेक्युलरी रवायत की मजबूती का वह तहरीके बायस बना, जो हमारे बुजुर्गों की पैदावार और दूरन्देशी और समझदारी की निशानी थी।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आप उर्दू जबान की तरफ मुतवज्जह हो जाएं जिसकी तरफ हमारे कुछ मुकर्रिर ने आपकी तवज्जह खींची थी। मैं उस रियासत से ताल्लुक रखता हूं जिसका मादरी जबान उर्दू नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि क्या वजह है कि जम्मू-काश्मीर के लोगों ने उर्दू जबान पसन्द की और सरकारी जबान बनाने के लिए मंजूर किया? उसका पसमंजिल यह है कि हमारा लद्दाख है, काश्मीर का खित्ता है, जम्मू का खित्ता है हमारी मुख्तलिफ इकाइयां हैं और हमारे पहाड़ी इलाके हैं और बहुत सारी जबानें हैं और दूसरी बोलियां बोलने वाले लोग हैं। मिनी-इंडिया काश्मीरी को कहा जाता है। जियोफिजिकल, ज्योग्राफीकल और कल्चरल से यह एक छोटी सी मिनी स्टेट है और इन सारी कल्चर, तहजीब को रखने के लिए उर्दू ने शुरू से खिदमत की है और जब महाराजा सिंह काश्मीर में हुक्मरान थे तब भी उर्दू जबान सरकारी जबान थी, महाराजा साहब खुद उर्दू पढ़ते थे और कोर्ट व अदालती जबान उर्दू थी और जब वह लोगों से मिलते थे उनके मसाइल सुनते थे तो उर्दू जबान में सुनते थे। हिन्दुस्तान की कल्चर, तहजीब गंगा-जमीन तहजीब का

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

नमूना है जिसको जम्मू-काश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने कबूल किया और इस तरीके से आज हिन्दू, मुसलमान, सिख सब इस जबान को पढ़ते हैं और इमे जबान के जरिए तालीम लेते हैं और इस जबान में हमारे सारे रोजनामे उर्दू में छपते हैं सिर्फ एक दो रोजनामे अंग्रेजी में छपते हैं बाकी सारे जम्मू-काश्मीर में उर्दू में ही हमारे रोजनामे छपते है ।

मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि उर्दू जबान को हमने इस बिल में ले लिया है । इसको हमने यू०पी० बिहार, मध्यप्रदेश और पंजाब ले लिया है क्योंकि यह जबान हिन्दुस्तान में ना मुसलमान की है और ना हिन्दू की है । यह बहामी मोहब्बत, शफक्कत और तर्जमन्दी की जबान है जिसने हिन्दुस्तान को एक कर दिया है । इसको आज आप तास्सुब की निगाह से मत देखिये । हैदराबाद, कर्नाटक और हम नीचे हिन्दुस्तान के कोने-कोने में जाए, हर जगह बोलचाल की जबान उर्दू ही है और आज उर्दू फिल्मों और ड्रामों की जबान है और आप अपने सीने पर हाथ रखिए और कहिए कि यह कौन सी जबान है जिसको आप हिन्दी कहते है । यह आम उर्दू है । हिन्दी और उर्दू में कही कोई तनाजा नहीं है कोई झगड़ा नही है । अंग्रेजों ने इस मुल्क में फिरकापरस्ती की कोशिश की थी, इन दोनों जबानों को टकराया । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उर्दू जबान का सहारा देने की जरूरत है, सन् 47 में यह मजरूह हुई, इसको बहुत सख्त जर्ब लगी । आज जरूरत इस बात की है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को सरकार ने तसलीम किया है, कबूल किया है उसको एक मोकाम पोजीशन दी है तो उर्दू जबान को जरिया तालीम होने देना ना भूलिए ।

इससे पहले उसमानिया यूनिवर्सिटी से आनरेबल मिनिस्टर खुद तशरीफ लाते हैं हैदराबाद से, उसका क्या बना ? यह बड़े दुख की बात है । इतना काम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुआ था, मैडीकल की और डिस्पिलन की एजूकेशन की जितनी भी किताबें थीं वह उर्दू में तराजुम कर दी थीं । मैं अर्ज करूंगा कि उर्दू को जगह देना, उसे मकामरतब करना उसकी अहमियत बढ़ाना जरूरी है । यह हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की बिला मजहब, मिल्लत इम्तियाज की जबान है जिसमें रघुपत सहाय गोरखपुरी ने भी अजीमोशान पढ़ा गालिब, चकबस्त और आनन्द नारायण मुल्ला इकबाल और फैज जैसे इन्कलाबी शोरा ने इस जबान और तहजीब को मुनव्वर किया है । आप इसको हाथ से मत जाने दीजिए । हिन्दुस्तान की इकाई बदहल मजबूती की निशानी उर्दू जबान है और क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जिक्र आ रहा है मैं आनरेबल मिनिस्टर से जिक्र करूंगा उर्दू को वह मुकाम दे दीजिए । वह कुछ मत कीजिए जो यू०पी० में हुआ । बिहार वालों ने बड़ी जुर्रत का काम किया है, उर्दू को सानवी जबान करार दिया है और बाद में बिल कभी पास नहीं हो जाया । यह जो हमारी सरकार कभी-कभी इस किस्म की बात हो जाती है उनको आप मत होने दीजिए । यह मामले कौमी मामले होते हैं और कौम से इनका सीधा वास्ता होता है । इसलिए मेरा यह कहना है कि आप उर्दू को मकाम दीजिए ।

अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस बिल को मुकम्मल बनाने के लिये आगे और कुछ करने की आवश्यकता होगी तो उनको आप अवश्य करेंगे ।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) : جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب !
اول تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سرکار کو اس بات کے لئے مبارکباد دوں کہ انھوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو یونیورسٹی کے طور پر قبول کر لیا اور اس سدن کے کئی ممبران پارلیمنٹ کی پہلے بھی یہی خواہش رہی ہے۔ اور پورے ملک میں اس کے لئے ایک مزاج بنا تھا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بطور یونیورسٹی منظور کیا جائے۔ اس لئے اس کی کامیابی اور سرکار کی طرف سے اس کی حمایت میں اسے گورنمنٹ کی بہت بڑی فیاضی سمجھتا ہوں اور اس کے لیے حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں۔

میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک ادارے کا نام ہی نہیں ہے بلکہ ہماری تاریخ حریت کے بہت بڑے چوٹی کے مینار نور کے طور پر میں اسے سمجھتا ہوں۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے ہندوستان میں تاریخ آزادی کے دوران ایک نیا مزاج ایک نئی جدوجہد کا راستہ متعین کیا۔ اور اس وقت جب کہ اس تحریک کے خلاف اور عدم تعاون یعنی .... نان کوآپریشن موومینٹ کی فضا میں ایک تار پیدا کر رہے تھے۔ عین اس وقت مہاتما گاندھی ڈاکٹر ذاکر حسین اور بہت سارے چوٹی کے ہندوستان کے رہنماؤں نے ان کی بنیاد ڈالدی۔ اور اس طریقے سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ہندوستان میں تعلیمی مہمات پر قائم کر کے ہندوستان کی تاریخی حریت کو مضبوط

بنانا تھا، اسے آگے لے جانا تھا۔ اس لیے مہاتما گاندھی، ڈاکٹر ذاکر حسین، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی، حکیم اجمل خان صاحب اور ہندوستان بھر کے اونچے پائے کے دوسرے رہنماؤں نے ایک یادگار کے روپ میں اسے قائم کیا۔ جس کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیئے ۔ اس ادارے کے لئے یدی ہم محض قانون پاس کردیں تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ بلکہ ان جذبات کو، ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کو دیکھنا ہوگا۔ جو کہ تاریخی حریت کے ان عظیم رہنماؤں نے ہندوستان کے لئے ساری زندگی وقف کرکے مثال قائم کردی ۔ اور ہندوستان کی سیکولر مزاج کو مضبوط کر دیا۔ آنے والی نسلوں کے لئے راہیں متعین کیں۔ اس لئے ہم کو چاہیئے کہ اس ادارے کو مضبوط بنانے کے لئے کام کریں ۔ یہ سرکار کو دیکھنا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ۔ کہ خود ڈاکٹر ذاکر حسین کے اس ادارے کے بارے میں کچھ ارشادات تھے۔ میں انھیں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔

According to Dr Zakir Husain:

> "The main objective of Jamia Millia was to prepare a future design for the education of Indians and particularly Muslims, based on their culture and fused with the spirit of the partiotism and national integrity."

ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا یہ کہنا بالکل درست تھا۔ ہندوستان کے کلچر کے پس منظر میں اور پھر ہندوستان کے پس منظر میں۔ جن دو اداروں کو قائم کیا گیا۔ اس مقصد کو پانے کے لئے دو چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں جہاں قدیمی طور سے اور ہمارے اس دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اب ہماری دور میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جب کہ بڑی طاقتیں اور قوتیں ہندوستان کو ایک بہت قسم کی انتشار میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں۔ اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ ایسے وقت میں ہندو، مسلمان اور باقی تمام قوموں کا اتحاد بہت ضروری ہے اور اس اتحاد کے لئے لازمی ہے کہ ہم ان اداروں کو جو کہ خاص مقاصد کے لئے ہمارے بزرگوں نے قائم کیا تھا ہم ان کو مضبوط کریں۔ اور اس سلسلے میں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو قائم کرنے کا مقصد یہ بھی تھا۔ کہ ہندوستان کے مسلمان کو مین اسٹریم میں لاکر اور ان کو ہندوستان کی مجموعی۔ جو ہماری قوت ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے۔ جو ہماری مجموعی طاقت ہے۔ اس میں اضافہ کیا جائے۔ اور مسلمانوں کو اس کے لئے راغب کیا جائے اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہندوستان میں سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں۔ اور جن کی تعداد ۱۲ سے ۱۵ کروڑ کے درمیان ہے۔ اور جن کا ایک خاص ہندوستان میں اپنا کلچر ہونے کے باوجود مسلمانی

ایک مزاج بھی ہے۔ ایک اسلامی ثقافت اور تمدن بھی ہے۔ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر حسین اور مہاتما گاندھی کا مقصد جامعہ ملیہ اسلامیہ کو قائم کرنے کا یہ بھی تھا۔ کہ وہاں پر ہم ہندوستان کے گوناگوں کلچر کی حفاظت کریں۔ اور ہندوستان کے اقلیتی کردار، ہندوستان کی وسیع تر کردار کو سمو کر اس کو مضبوط بنائیں۔ میں عرض کرنا چاہونگا۔ کہ ہندوستان میں اتنی بڑی آبادی ہے اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ہندوستان ساری دنیا میں مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا محور بھی ہے اور مرکز بھی ہے۔ اس کی اپنی انفرادیت بھی ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملکوں کے مقابلے میں ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ افرادی قوت بھی زیادہ ہے اور ہمارے ملک کے اندر جو کلچر اور دینی جتنے اہم مراکز ہیں۔ وہ اتنے موجب نور اور مرجع روحانیت ہیں کہ پوری دنیا سے روحانیت حاصل کرنے کے لئے ہمارے ملک میں آنا پڑتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی دلی خواہش اور ان کے دینی جذبات کی قدر کریں گے تو ان کو اپنے ملک کے اندر ایک بھروسہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک اعتماد کہ فلاں میں نہ صرف مکمل طور پر اجتماعی طور پر اپنے ملک کی خدمت کر سکیں گے۔ اور انھیں دوسری طرف نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں الاظہر کے مقابلے میں بھی کئی ادارے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی علمی اور

دینی یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں لکھنؤ میں اور اور مقامات پر یونیورسٹیاں ہیں۔ جہاں پر کہ مسلمان پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جدید سائنسی تقاضوں کے مطابق، جدید چیلنج کے مطابق دور حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بھی ادارے کے طور پر اس کے وہ شعبے واپس قائم کر دیں۔ اور ان دینی اور سائنٹیفک بیس پر سیکولر کلچر کے ساتھ جو بالکل ساتھ ساتھ میں چلیں۔ جو اشتراک ہو ایک مضبوط اسلامی ادارے کے اوپر قائم بھی کر سکتے ہیں۔ جب کہ اس کے الفاظ "اسلامیہ" جو کہ ڈاکٹر ذاکر حسین اور مہاتما گاندھی کی دلی تمنا بھی تھی۔ تو اس کے مطابق بھی وہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس لئے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیم اور دینی تعلیم۔ دینی تقاضوں کے مطابق اس ادارے کو اجاگر کیجئے۔ اور تمام فیسلیٹیز اور تمام قسم کی مراعات دے دیجئے۔ جو کہ ایک مضبوط اور سائنسی بنیاد پر دینی اسلامی تعلیم کی ترقی ہو۔ تاکہ تمام ملک پر اثرات پڑیں۔ اور اس کا ملک کے باہر بھی پورا ایک عالم ایک نقشہ بن جائے اور اثرات مرتب ہوں۔ میرے خیال میں یہ بات مناسب الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی افادیت دینی

ادارے کے طور پر جو اس کے شعبہ جات ہوں گے۔
اس کے بغیر ہم یہ نہیں کہتے۔ یہ ادارے جیسے
بنارس یونیورسٹی یا علی گڑھ یونیورسٹی ہے۔ یقیناً ان
کے دروازے سب کے لئے کھلے ہوں گے۔ اور
یونیورسٹی میں کسی کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔
اور آج بھی میری یاد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ
میں غیر مسلموں کی کافی تعداد ہے۔ مختلف ڈسپلنس
اس میں تعلیم پا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا
ہوں کہ آپ اس کو جو اس کا مقصد ہماری تحریک
حریت کے درمیان تھا۔ جب کہ ہم نے تحریک خلافت
جو ہندوستان میں ایک انوکھی چیز تھی کہ وہاں پر خلافت
برٹش نے ختم کردی۔ اور ہندوستان ایک مضبوطی
کے ساتھ تحریک خلافت کے ساتھ ہندو اور مسلمان
کو ایک کر دیا۔ اور ہندوستان میں سیکولری روایت
کی مضبوطی کا وہ تحریک باعث بنا۔ جو ہمارے بزرگوں
کی پیداوار اور دور اندیشی اور سمجھداری کی نشانی تھی۔
دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اردو
زبان کی طرف متوجہ ہوجائیں۔ جس کی طرف ہمارے
کچھ مقررین نے آپ کی توجہ کھینچی تھی۔ میں اس
ریاست سے تعلق رکھتا ہوں جس کی مادری زبان
اردو نہیں ہے۔ میں منسٹر صاحب سے عرض کرونگا۔

کہ کیا وجہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے اردو زبان پسند کی، اور سرکار زبان بنانے کے لئے منظور کیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارا لداخ ہے۔ کشمیر کا خطہ جموں کا خطہ ہے۔ ہماری مختلف اکائیاں ہیں اور ہمارے پہاڑی علاقے ہیں۔ اور بہت ساری زبانیں ہیں اور دوسری بولیاں بولنے والے لوگ ہیں۔ منی انڈیا کشمیر کو کہا جاتا ہے۔ جیوفیزیکل۔ جیوگرافیکل اور کلچرل اعتبار سے یہ ایک چھوٹی سی منی اسٹیٹ ہے۔ اور ان ساری کلچر تہذیب کو رکھنے کے لئے اردو نے شروع سے خدمت کی ہے۔ اور جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کشمیر میں حکمران تھے۔ تب بھی اردو زبان سرکاری زبان تھی۔ مہاراجہ صاحب خود اردو پڑھتے تھے۔ اور کورٹ وعدالتی زبان اردو تھی۔ اور جب وہ لوگوں سے ملتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے تو اردو زبان میں سنتے تھے۔ ہندوستان کی کلچر تہذیب گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے۔ جس کو جموں کشمیر کے پہاڑی کشیتر کے لوگوں نے قبول کیا۔ اور اس طریقے سے آج ہندو، مسلمان، سکھ سب اس زبان کو پڑھتے ہیں۔ اور اس زبان کے ذریعہ تعلیم لیتے ہیں۔ اور اس زبان میں ہمارے سارے روزنامے اردو میں چھپتے ہیں۔ صرف ایکا دو روزنامے انگریزی میں چھپتے ہیں۔ باقی سارے جموں کشمیر

میں اردو میں ہی ہمارے روزنامے چھپتے ہیں۔

میں آنریبل منسٹر صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان کو ہم نے اس بل میں لے لیا ہے۔ اس کو ہم نے یو۔پی۔بہار۔ مدھیہ پردیش اور پنجاب میں لے لیا ہے۔ کیونکہ یہ زبان ہندوستان میں نہ مسلمان کی ہے اور نہ ہندو کی ہے۔ یہ باہمی محبت شفقت اور طرزمندی کی زبان ہے۔ جس نے ہندوستان کو ایک کر دیا ہے۔ اس کو آج آپ تعصب کی نگاہ سے مت دیکھیئے۔ حیدرآباد۔ کرناٹک اور ہم نیچے ہندوستان کے کونے کونے میں جائیں۔ ہر جگہ بول چال کی زبان اُردو ہی ہے۔ اور آج اردو فلموں اور ڈراموں کی زبان ہے۔ اور آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیئے اور کہیئے کہ یہ کونسی زبان ہے۔ جس کو آپ ہندی کہتے ہیں۔ یہ عام اردو ہے۔ ہندی اور اردو میں کہیں کوئی تنازعہ نہیں ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ انگریزوں نے اس ملک میں فرقہ پرستی کی کوشش کی تھی سان دونوں زبانوں کو ٹکرایا۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ سنہ ۱۹۴۷ء میں یہ مجروح ہوئی۔ اس کو بہت سخت ضرب لگی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے۔ کہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کو سرکار نے تسلیم کیا ہے۔ قبول کیا ہے۔ اس کو ایکا

مقام پوزیشن دی ہے ۔ تو اُردو زبان کو ذریعہ تعلیم ہونے دینا نہ بھولئے ۔

اس سے پہلے عثمانیہ یونیورسٹی سے آنریبل منسٹر خود تشریف لاتے ہیں ۔ حیدر آباد سے اس کا کیا بنا ۔ یہ بڑے دُکھ کی بات ہے ۔ اتنا کام عثمانیہ یونیورسٹی میں ہوا تھا ۔ میڈیکل کی اور ڈسپلن کی، ایجوکیشن کی، جتنی بھی کتابیں تھیں ۔ وہ تو اردو میں ترجمہ کر دی تھیں ۔ میں عرض کروں گا ۔ کہ اردو کو جگہ دینا، اسے مرتب کرنا، اس کی اہمیت بڑھانا ضروری ہے ۔ یہ ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کی بلا امتیاز مذہب و ملت زبان ہے ۔ جس میں رگھوپت سہائے گورکھپوری نے بھی عظیم الشان پڑھا ۔ غالب، چکبست، آنند نارائن مُلّا، اقبال اور فیض جیسے انقلابی شعراء نے اس زبان اور تہذیب کو منور کیا ہے ۔ آپ اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے ۔ آزاد ہندوستان کی اکائی بے حد مضبوطی کی نشانی اردو زبان ہے ۔ اور کیوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی کا ذکر

آ رہا ہے ۔ میں آنریبل منسٹر سے ذکر کروں گا ۔
اردو کو وہ مقام دے دیجئے ۔ وہ کچھ مت کیجئے ۔ جو
یو۔پی میں ہوا ۔ بہار والوں نے بڑی جرأت کا کام کیا
ہے ۔ اردو کو ثانوی زبان قرار دیا ہے ۔ اور بعد
میں بل کبھی پاس نہیں ہو پایا ۔ یہ جو ہماری سرکار
میں کبھی کبھی اس قسم کی بات ہوجاتی ہے ۔ ان کو آپ
مت ہونے دیجئے ۔ یہ معاملے قومی معاملے ہوتے
ہیں ۔ اور قوم سے ان کا سیدھا واسطہ ہوتا ہے
اس لئے میرا یہ کہنا ہے ۔ کہ آپ اردو کو
مقام دیجئے ۔

انت میں، مَیں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا ۔
کہ اس بل کو مکمل بنانے کے لئے آگے اور کچھ
کرنے کی آدشیکتا ہوگی ۔ تو ان کو آپ اوشے
کریں گے ۔

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही 3.30 बज चुके हैं। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, इस विधेयक पर चर्चा जारी रखी जाये तथा गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 4.30 म. प. पर शुरू किया जाये। यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम सायं देर तक बैठ सकते हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह पर्याप्त नहीं होगा। 5 बजे तक चर्चा जारी रखी जाए।

श्रीमती शीला दीक्षित : हां, यह एक अच्छा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्यथा हमें उतनी देर तक बैठना पड़ेगा जितनी देर तक यह विधेयक पारित न हो जाए। हम लगभग 5 बजे तक का समय नियत कर लेते हैं।

श्रीमती शीला दीक्षित : परन्तु आप गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य भी ध्यान में रखिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अस्थायी रूप से हम 5 बजे तक का समय नियत कर लेते हैं। यदि उन्हें इस विधेयक को पारित करने के लिए और समय बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो वे बाद में ले सकते हैं। इसके पश्चात हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

श्रीमती शीला दीक्षित : यदि माननीय सदस्य आज गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य न लेना चाहें तो···

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। हम इसे इस विधेयक के पारित होने के पश्चात ले लेंगे। क्या यह सभा की राय है कि सभा का समय बढ़ाया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे बहुत ही संक्षिप्त बोलें।

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, वे इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वे संक्षेप में कैसे बोल सकते हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां (फर्रुखाबाद) : महोदय, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा।

[हिन्दी]

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले यह अर्ज करूंगा कि आज से चन्द साल पहले हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे यहां जो कन्वोकेशन एड्रैस दिया था,

[श्री खुर्शीद आलम खां]

उसको शुरू करने से पहले इकबाल का एक शेर पढ़ा था। वह शेर मुझे आज भी याद है। वह शेर था --

"फला-फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का,
जिगर का खून दे-दे कर ये बूज मैंने पाले हैं।"

यह हमारे जामिया के मुत्तलिक हमारे लीडरों का ख्याल था। आज मुझ से बहुत से लोग यह पूछते हैं कि जामिया क्या है। यूं तो कहने के लिए सब ने कहा कि जामिया सन 1920 में कायम हुआ। यह नानकापरेशन और खिलाफत मूवमेंट के जमाने गांधी जी के इसरार पर बहुत से हमारे रहनुमा जिनका नाम अभी हमारे दोस्तों ने भी लिया, उनके कहने पर यह जामिया कायम हुआ। लेकिन जामिया कायम करने का मकसद दूसरा था। दरअसल जामिया यह चाहता था कि जामिया के अन्दर ऐसी तालीम निजाम की तरतीब दी जाये जो हिन्दुस्तान से बाहर की हुकूमत के असर को जाहिर करे जो हिन्दुस्तान के शहरी पैदा करे और न सिर्फ अच्छे हिन्दुस्तानी अच्छे मुसलमान बल्कि अच्छे शहरी की हैसियत से हमारे सामने पेश हो। हमने देखा कि यह हमारा नजरिया था वह बड़ी हद तक कायमाब हुआ। यह जरूर है कि हमारे पास उस वक्त वसाइल नहीं थे, हमारे पास जरिये नहीं थे और इन्हीं वसाइल और जरियों की कमी को देखते हुए एक मर्तबा जाकिर साहब के किसी दोस्त ने उनसे आकर कहा था कि जाकिर साहब, न आपके पास पैसा है, न आपके पास इरारतें हैं और न आपके पास और कोई चीज है। इस कारण मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप एक रेगिस्तान के अन्दर कुंआ खोद रहे हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस कुंए से पानी निकलेगा। जाकिर साहब ने कहा था कि हां, आप ऐसा ही सोचिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जिस रेगिस्तान में मैं कुंए खोद रहा हूं वहां से ऐसे चश्मे फूट निकलेंगे जो अपनों को भी सैराब करेंगे और दूसरों को भी सैराब करेंगे। आज वह चश्मा जामिया मिलिया का सूरत में सब को सैराब कर रहा है, सैराब करेगा। मैं अपने दोस्त को यह यकीन दिलाउंगा कि जामिया ने हवादिस से मुकाबला किया है और हमेशा अपना हक मांगकर और अपना हक लेकर आगे बढ़ा है। उसे किसी का खतरा नहीं है, उसे एतमाद है, उसे यकीन है, उसे भरोसा है और उस यकीन के साथ वह आगे बढ़ने वाला है।

दूसरी चीज यह है कि उसने किसी का एहसान नहीं लिया, किसी का एहसान लेकर न तो जामिया कायम हुई थी और न उसने किसी का एहसान लिया। 68 साल उसने इंतजार किया, इंतजार करने के हम आदी हैं और उस 68 के इंतजार के बाद आज वह तारीखी दिन आया जब हुकूमत को यह एहसास हुआ कि जामिया को वह दर्जा देना चाहिए कि जामिया दूसरी यूनिवर्सिटीज के बराबर जाकर बैठ सके। उसकी कुर्बानियां, उसके काम, उसकी सलाहियतें ऐसी नहीं हैं कि जिनको हम नजरअंदाज कर सकते। जामिया वह इदारा है, जिस इदारे को हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि वह कुर्बानियों, खिदमत और ईसार का एक ऐसा तीर्थगाह है कि जिसको अगर किसी पढ़े लिखे इन्सान ने नहीं देखा है तो समझ लीजिए कि उसकी तालीम कभी मुकम्मिल नहीं हो सकेगी, उसकी तालीम कभी पूरी नहीं हुई। खास तौर पर जामिया को सन् 1920 में कायम किया गया था तो यह यकीन था कि जामिया जो एक नये दौर आ रहा है, उस नये दौर के नये चैलेंजेज को उनका मुकाबला करने के

करने के लिए तैयार हो रही है उन चेलेंजेज का मुकाबला करने के लिए जामिया ने अपने आपको तैयार किया। हमारे भाई ने बहुत कुछ जामिया के मुताल्लिक कुछ किताबों से कुछ कोट किया। यह जरूरी है कि यह सन् 1 47 की कहानी थी, सन् 1947 से पहले जो वाकयात थे, उस वक्त हमने कहा था कि हम हुकूमत से एक पैसा भी नहीं लेंगे, हम अपने मकासिद को नहीं छोड़ेंगे लेकिन जब हुकूमत बदल् गई, हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारी अपनी हुकूमत मोजूद है तो हमें पूरा हक हासिल है कि जिस तरह से और कोई यूनिवर्सिटी वहां से रुपया लेती है, वहां से उनको जो सहूलियतें मिलती हैं वह सहूलियतें हम क्यों न हासिल करें। हम भी सब सहूलियतें हासिल करेंगे और वह सहूलियतें हमें मिलेंगी।

दूसरी चीज यह है कि जामिया को एक मामूली यूनिवर्सिटी नहीं समझना चाहिए और एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं समझना चाहिए कि जहां सिर्फ तालीम ही होती है। उस वक्त जबकि जामिया खेमों में रहती थी, जब जामिया वालों को यह यकीन नहीं था कि शाम को खाना मिल सकेगा या नहीं उस वक्त भी तालीम में लगी हुई थीं और तालीम के साथ वह नान कोआपरेशन के लिए और खिलाफत मूवमेण्ट के लिए वालेण्टियर्स वह तैयार किया करती थी। उनको 6 हफ्ते का कोर्स दिया जाता था और पूरे मुल्क में भेजा जाता था ताकि वह वहां जाकर उस मूवमेण्ट को चला सकें। मैं नहीं समझता किसी और युनिवर्सिटी में तालीम के अलावा इस किस्म का भी काम किया हो और यही वजह है कि जब पंडित जवाहर लाल नेहरू को यह इल्म हुआ कि जामिया वहां कायम हुई है तो उन्होंने वहां जाने के लिए ख्वाहिश जाहिर की और वह गये। वह इसलिये गये थे कि वह अपनी आंखों से देखें कि जामिया क्या है, उनके मकासिद क्या हैं, उन्होंने क्या सोचा है और वह क्या करना चाहते हैं। जब वह वहां से लौटकर आये तो उन्होंने एक मजमून लिखा था जिसमें जामिया के मुताल्लिक बहुत सी चीजें लिखी थीं। आखिर में यह भी कहा था कि नान को आपरेशन मूवमेंट का लेजिटमेट चाइल्ड है और इसकी परवरिश और इसकी निगेदाश्त करना हर हिन्दुस्तानी का फर्ज हो जाता है। इसके अलावा जामिया की अहमियत का अंदाजा आपको इससे होगा कि जिस वक्त जामिया के लिए सलेबस बनाने की एक कमेटी मुकर्रर की थी तो आप यकीन फरमाइये कि उस कमेटी के अन्दर जवाहर लाल नेहरू थे, डा० राजेन्द्र प्रसाद थे और डा० किचलू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे तो यह सोचिये कि उस इदारे के सलेबस बनाने की जो कमेटी थी उसकी यह अहमियत थी। उस इदारे को हमारे रहनुमा क्या अहमियत देते थे सन् 1926 में जामिया के 26 उस्तादों ने, जिसमें डा० जाकिर हुसैन, प्रो० मुजीब और डा० आबिद हुसैन साहब भी शामिल थे, यह एक अहदनामा किया कि हम 20 साल तक जामिया की खिदमत करेंगे और कभी 150 रुपए से ज्यादा हम तनख्वाह नहीं लेंगे। 150 से ज्यादा तनख्वाह उनमें से किसी ने नहीं ली। जब माली हालत और खराब हुई तो यह तय किया गया, जाकिर साहब ने यह तय किया कि जिन उस्तादों की तनख्वाह 60 रुपए से ज्यादा है उन्हें सिर्फ 50 फीसदी तनख्वाह दी जाएगी और जिनकी 60 से कम है, उनकी पूरी तनख्वाह दी जाएगी। जो ग्रेजुएट हमारे उस्ताद थे उनको 40 रुपया तनख्वाह मिलती थी। प्रो० मुजीब को 50 रुपये मिलते थे। प्रो० आबिद हुसैन साहब का 50 रुपए मिलते थे और डा० जाकिर हुसैन साहब

[श्री खुर्शीद आलम खां]

40 रुपए लिया करते थे। क्या किसी और यूनिवर्सिटी के अन्दर किसी और इदारे के अन्दर इस किस्म की कोई मिसाल दी जा सकती है।

दूसरी चीज़ मैं यह अर्ज करूंगा यह जरूर है कि जामिया मिलिया इस्लामिया जरूर है लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि जामिया मिलिया भी है वह इस्लामिया के साथ मिलिया भी है। वह नेशनल भी है और मुस्लिम भी है। कुछ लोग कभी-कभी एतराज करते हैं कि साहब नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों हो, मगर मैं समझता हूं अगर किसी इदारे के साथ मुस्लिम का लफ्ज लगाया जाता है तो उसमें क्या बड़ी बात हो जाती है। जब हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं :

[अनुवाद]

मौलाना आजाद एक राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, डा० जाकिर हुसैन एक राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं तथा हकीम अजमल खान एक राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं।

[हिन्दी]

अगर हम इन्सानों के साथ मुस्लिम का लफ्ज लगा देते हैं तो किसी इदारे के साथ अगर मुस्लिम का लफ्ज लगाते हैं तो उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जामिया एक संगम रहा है मुस्तलिफ तहजीबों का वहां पर एक नई तहजीब बनकर उभरी थी। वह तहजीब थी जिसे असल हिन्दुस्तानी या कम्पोजिट कल्चर कहते हैं, किस तरह से हम यह भूल सकते हैं कि जब जामिया एक छोटी-सी जमीन खरीद ना चाहती थी जिस पर स्कूल बनाना था लेकिन जामिया के पास साढ़े तीन सौ रुपये मौजूद नहीं थे तो जाकिर साहब के एक दोस्त ने जो गैर मुस्लिम दोस्त थे, जिनका नाम कभी जाकिर साहब ने जाहिर नहीं किया, लेकिन अब वे दोनों नहीं रहे इसलिए आज मैं जाहिर करता हूं कि श्री रघुनन्दन शरण उनका नाम था। उन्होंने एक सुबह आकर एक बन्द लिफाफे में कुछ रुपए वहां छोड़ दिये और उसमें सिर्फ यह लिखा कि आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जमीन खरीद लीजिये। इसी तरह से जब हम सन् 1938 में ट्रेनिंग कालेज बना रहे थे तो उसकी जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। श्री के० संथनम साहब जिनकी बेगम साहिबा हमारी वजीर भी रह चुकी हैं उन्होंने उस कालेज के लिए जमीन खरीदने के लिए इसी तरह से कुछ रुपये दिये थे। यह जामिया एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा संगम है जहां हिन्दू-मुस्लिम तहजीब आकर, मिलकर यह मालूम नहीं होता कि कौन हिन्दू रहा, कौन मुसलमान रहा। जो वहां आ जाते हैं सिर्फ यही मालूम होता है कि वो जामहि हैं। उनका ताल्लुक जामिया से है।

क्योंकि मैं अर्ज कर चुका हू ज्यादा समय नहीं लूंगा इसलिए सिर्फ सन् 1946 की बात करूंगा। जब जामिया की सिल्वर जुबली हुई थी तो उस मौके पर जहां एक तरफ पण्डित जवाहर लाल नेहरू, राजाजी, आसफ अली साहब तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना साहब, फातिमा जिन्ना साहिबा और लियाकत अली खां साहब मौजूद थे। किसी और दूसरी जगह यह तमाम लीड-

रान कभी एक प्लेटफार्म पर नहीं बैठ सके। यह सिर्फ जामिया थी, जामिया के अन्दर ही यह हो सकता था। वहां पर डा० जाकिर हुसैन साहब ने यह तकरीर की थी, ब-हैसियत एक उस्ताद के मैं समझता हूं वह तकरीर आज भी इस काबिल है कि तमाम मुल्क में उसको बांटा जाये जिससे मालूम हो कि दर्दमंद इंसान और उस्ताद के दिल में अपने बच्चों के लिए किस कद्र दर्द था। उनको अपने बच्चों के लिए दर्द नहीं था, बल्कि कौम के बच्चों के लिए दर्द था। उस वक्त उन्होंने एक शेर फारसी का पढ़ा था जिसका मैं सिर्फ तर्जुमा ही सुनाऊंगा :

हमने कांटों को अपने खूने जिगर में डुबोकर पानी की बागवानी के उसूल लिखे हैं आपके लिए।

तो आप यह समझिये कि किस तरह के क्या उनके खयालात थे, किस तरह से सोच-समझकर उन्होंने जामिया को बनाया था और चले थे।

दूसरी चीज यह है कि अभी मेरे मोहतरम दोस्त ने फर्माया कि जामिया में आटोनामी नहीं है। जामिया में आटोनामी थी, जामिया में आटोनामी है और जामिया में आटोनामी रहेगी। जामिया की आटोनोमी को कोई नहीं ले सकता है। मैं यह यकीन के साथ कहता हूं कि हमारी हुकूमत को अपनी यूनिवर्सिटीज की आटोनोमी को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है और न उनका आटोनोमी लेने में कोई फायदा हो सकता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, जामिया तो उन इदारों में से है, जो मुश्किलात से लड़ते-झगड़ते तरक्की के रास्ते पर चली जाती है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी हमारे भाई कुरेशी साहब ने कहा—लोगों ने जामिया को यह भी कहा कि जामिया एक ऐसा इदारा है, जिससे मुसलमानों को फायदा नहीं, नुकसान पहुचता है। लेकिन आज वही लोग यह समझते हैं कि जामिया से फायदा पहुंचता था, नुकसान नहीं पहुचता था। फिर यह जामिया ही थी, जिसने हिन्दुस्तान को एडल्ट एजुकेशन, तालिमे बालिगान का नया सबक सिखाया। उनके लिए लिटरेचर तैयार किया और तालीमे बागान पर कितना जोर दिया और यह सन् 1937-38 में इस चीज को आपके सामने पेश किया था। जामिया आज उसी मुकाम पर है, जहाँ पर आपकी बेसिक एजुकेशन की स्कीम बनाई गई है। लेकिन अफसोस है कि बेसिक एजुकेशन की स्कीम को वगैर फेयर ट्रायल दिये हुए खत्म कर दिया गया। लेकिन यह तो दूसरी बात है। यह जामिया की देन थी जिसने बेसिक एजुकेशन दी और गांधी जी का एतमाद कितना बड़ा था कि बेसिक एजुकेशन की तालीम बनाने के लिए उन्होंने जो कमेटी मुकर्रिर की, उसका चेयरमैन जाकिर साहब को बनाया गया और कहा कि मुझे यकीन है कि जाकिर साहब एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर देंगे, जो मुल्क को काबिले कबूल होगी। हमारे यहाँ नान फार्मल एजुकेशन पर जोर दिया जाता था। हमने हमेशा यही जोर दिया कि जहाँ एजुकेशन देते हैं, उसके दूसरी तरफ नान फार्मल एजुकेशन पर जोर दिया जाता है। जैसा कि हमारे साथी कुरेशी साहब ने फरमाया और उन्होंने डिटेल बताई, लिहाजा मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले अरसे में जिस फिराकदिली से हमारी मिनिस्ट्री ने जामिया को रकमें दी हैं, उसके लिए हम उनके एहसानमन्द हैं। हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि जामिया में खेलने के लिए कोई मैदान तक नहीं है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जामिया को सरकार की तरफ

[श्री खुर्शीद आलम खां]

से 30 लाख रुपया मिला है, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटीज को सिर्फ 11-12 लाख रुपये से ज्यादा नहीं मिल सकता है। इसके अलावा हमने अपना इंजीनियरिंग कालेज तैयार किया है। हमने सैल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग कालेज कायम किया था। जब यह कालेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जा रहा था तो वाइस चांसलर मुझे लेकर लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के पास गए। उनसे मैंने कहा कि साहब यह कालेज दे रहे हैं, लेकिन हमने इस कालेज का नाम डा॰ जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कालेज रख दिया है। इस पर उन्होंने अपनी फाइल मंगाई और कहा कि यह कालेज जामिया को दे दिया जाए। उस कालेज के लिए हुकूमत ने नौ करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया दिया है कि हम उस कालेज की इमारत बनाएं और वर्कशाप बनाएं और उसकी जरूरतों को पूरा करें।

एक बात मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जामिया की फिलोसोफी क्या है। जामिया की बुनियाद किस फिलोसोपी की थी। इसके मुताल्लिक डाक्टर साहब का अंग्रेजी का कोटेशन पढ़ूंगा। मैं उसका तर्जुमा नहीं करूंगा नहीं तो उसका मजा जाता रहेगा। यह कोटेशन उनके कनवोकेशन एड्रैस का है।

[अनुवाद]

"परन्तु मैं महसूस करता हूं कि गरीबी तथा अभाव के दिन आनन्द के भी दिन थे। निर्माण करने की एक लालसा थी तथा लेकिन निर्माण के लिए कुछ नहीं था। कोई संसाधन नहीं थे केवल पाने की कामना थी। हमारे समक्ष एक आदर्श था तथा हमारे हृदय में समर्पण की भावना थी। अधिकार के प्रयोग की कोई अभिलाषा नहीं थी। कार्य में केवल विशिष्टता प्राप्त करने का संकल्प था। हमने समर्पित सेवा की कामना की थी तथा आर्थिक प्रतिकर के बारे में सोचने का समय नहीं था। जो भी बालक हमारे सामने आया, उसकी आंखों में हमने स्वतंन्त्रता की तस्वीर देखी। प्रत्येक बालक से हमें ऐसा लगता था कि राजनीतिक दासता के कारण जिस वस्तु से हम वंचित रहे, उसे वह हमें दे रहा है।"

[हिन्दी]

आपको मालूम है कि जामिया मिलिया में जब भी कोई चीज करने के लिए आई है, तो मुझे याद है प्रो॰ मुजीब ने अपनी सालाना रिपोर्ट में, गालिबन उस वक्त भी हमारे वाईस-प्रेसीडेंट गये थे कन्वोकेशन एड्रैस के लिए, उस वक्त यह कहा था कि जो दूसरे नहीं करना चाहते हैं, वह हम करेंगे, जो दूसरे नहीं कर सकते, वह हम करेंगे। कुछ भी हो, यह हमारा पक्का इरादा है कि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, वह हम नहीं करना चाहते। हम डुप्लीकेशन नहीं करना चाहते। हम नई-नई चीजें कराना चाहते हैं। इसलिए अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज अपने यहां मैडीकल कालेज बनाना चाहती हैं, तो हमने कहा कि नर्सेज कालेज बनाएंगें और अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज इदारे खोलना चाहती हैं, तो हम आर्कीट्रैक्चर का स्कूल बनायेंगे, जिसमें हम यह बता सकें कि यह हमारा कम्पोजिट कल्चर है। जो इन्डो-सेरेशियन आर्कीटेक्चर है, उससे हिन्दुस्तान को क्या फायदा पहुंचे, हम इस किस्म की चीज करना

चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो दूसरी जगह पढ़ाई जाती हैं, वह हमारे यहां भी पढ़ाई जाएं। आखीर में मैं यह जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि जामिया मैंने जैसा कहा कि यह कोई एक इदारा ही नहीं है, जामिया दरअसल में एक कौम है, एक ऐसी कौमी मिरास है, जिसको हमें न सिर्फ बचाना है, महफूज करना है बल्कि इस को आगे बढ़ाना है और इसकी तरक्की करनी है। यह एक तहरीक है और इदारा भी है और इन दोनों ने मिल कर एक गंगा-यमुना तहजीब पेश की है।

[अनुवाद]

यह राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को मजबूत रखने के संबंध में एक अच्छी बात है।

[हिन्दी]

हमारे मुल्क की जो कौमी यकजहती और कौमी इत्तहाद का एक चमकता हुआ सितारा है, जिस पर मुख्तलिफ आंधियां आयीं, जिस पर मुख्तलिफ दौर गुजरे और वह आंधी गुजर गई और वह धूल गुजर गई, तो भी यह ईदारा अपनी जगह पर वैसे ही चमकता रहा जैसे पहले चमकता था और पहले रोशनी देता था वैसी रोशनी अब भी दे रहा है, उसने पहले जो गर्मी दी थी, वह गर्मी आज भी है। जामिया में जाकिर साहब ने यह सिखाया था कि अगर ताज महल कौमी इदारा है, तो दूसरी तरफ जामिया भी कौमी इदारा है। अगर गालिब हमारे कौमी शायर हो सकते हैं, तो कालिदास भी हमारे लिए उतनी अहमियत रखते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि अगर डा० राधाकृष्णन ने हिन्दुस्तान के लिए तालीमी खिदमत की है, तो डा० जाकिर हुसैन की खिदमत भी किसी तरह से कम नहीं हो सकती। जामिया का बहुत ही शानदार माजी रहा है और मुस्तकबिल भी अच्छा है और रहेगा। जामिया मिलिया ने न सिर्फ तालीम दी है बल्कि नये रास्ते खोले हैं और वह रास्ता ऐसा था जिस मे पुरानी हुकूमत के असर से हिन्दुस्तान को बचाना था और हिन्दुस्तानी तहजीब को वापस लाने का था और उसके लिए हम सब एक साथ चल रहे हैं। हम यह महसूस नहीं करते कि यह हिन्दी है, यह उर्दू है और यह बंगाली है। हमारे यहां जो इम्तिहान होता है, उसमें पर्चे तीनों जबानों में दिये जाते हैं लेकिन उर्दू को हम अहमियत देते हैं। आज उर्दू का जो शोबा है, वह जामिया मिलिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, सेकिसी तरह से कम नहीं है। इसमें कोई शुबाह नहीं होना चाहिए कि जामिया में उर्दू का मुस्तकबिल नहीं है। वहां पर उर्दू रही है, उर्दू रहेगी और उर्दू को रहना चाहिए।

श्री अजीज कुरैशी : बनातवाला साहब को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान में उर्दू को खत्म किया जा है·

श्री जी० एम० बनातवाला : आज जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान की तरफ कौन देख रहा है, उन लोगों को वही याद आता है, आज जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान की तरफ कौन लोग देख रहे हैं।

[श्री खुर्शीद आलम खां]

श्री खुर्शीद आलम खां : जजबात में न आइए, पाकिस्तान की तरफ इसलिए कुछ खौफ जुदा होकर जरूर देखते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे लिए वह एक मुस्तकिल मुसीबत हो गया है जिससे हम आज भी निजात नहीं पा सके हैं। (**व्यवधान**)

मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट से नहीं बोल रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान बना, उन मसाइल से आज भी हम निजात नहीं पा सके, इसलिए आज हम नहीं चाहते कि दोबारा हमें उन मसाइल का सामना करना पड़े । (**व्यवधान**)

यह कुदरत है कि फरिश्ते और शैतान हमेशा रहे हैं और रहेंगे । (**व्यवधान**)

दूसरा मैं यह अर्ज करना चाहूंगा और जामिया वालों को नसीहत करूंगा कि हम जजबात में न बह न जाएं, जजबात में किया हुआ फैसला सही नहीं होगा । तुमने हमेशा इन्तजार किया है, तुमने हमेशा मुस्तिकिल मिजाजी से काम लिया है, तुमने हमेशा कुर्बानी दी है, तुमने हमेशा ऐसे काम किए हैं जिसको कौम ने सराहा है, जिसकी कौम ने तारीफ की है । मुझे यकीन है कि आज भी तुम्हारे अंदर वही जजबात मौजूद है, उन बुजुर्गों ने जिन्होंने जामिया की रवायत कायम की थी, वह रवायत हमारे सामने है. उनको हम देखते हैं और मैं समझता हूं कि अगर जामिया को कोई दर्जा मिला है, कुछ चीज मिली है तो वह जामिया को किसी तरह की खैरात नहीं मिली है, कोई अहसान नहीं मिला है, बल्कि उन बुजुर्गों की खिदमत का बहुत देर में हमने एतराब किया है. लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज ऐतराब किया ।

मैं ज्यादा बोलूंगा तो शायद दूसरों को वक्त न मिले, इसलिए सिर्फ यह कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि यह कहा जाता है कि इस्लामिक स्टडी का जो हमारे यहां इंस्टीटयूट आफ है इंस्टीटयूट इस्लामिक स्टडी, मैं समझता हू कि वह इंस्टीटयूट इस्लामिक स्टडीज तरक्की कर रहा है । और तरक्की करेगा, हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं । मुझे खुशी महसूस होती है कि जब मैंने यू० जी० सी० से कहा कि यह इंस्टीटयूट जाकिर साहब के नाम से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कायम किया था तो उन्होंने कहा कि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसकी तरक्की चाहते हैं तो नए सुझाव लाइए, हम हर तरह से इसमें आपकी मदद करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहां पर ऐसा हो ।

आखिरी बात जो मैं सिर्फ जामिया वालों के लिए कह रहा था और उन दोस्तों के लिए जो जजबात से काम ले रहें हैं, जो इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो उनको बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक शेर वे याद रखें—

तारीख की नजरों ने वह दौर भी देखा है,
लमहों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जामिया मिलिया इस्लामिया बिल जो पेश किया गया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं। यह बिल बहुत पहले ही पेश किया जाना चाहिए था, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन में हमारे शहीदों की, बड़े-बड़े लोगों की यादें शुमार हैं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन साहब ने जिस प्रकार की सेवाएँ इस इंस्टीट्यूशन को दीं और जो तजुर्बे उन लोगों ने किए निःसन्देह राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, धर्म-निर्पेक्षता और अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ का यह प्रतीक है।

4.00 म० प०

खासतौर से आज के समय में जबकि सामाजिक और साम्प्रदायिक झगड़ों का एक तरह से ऊफान का समुद्र आ रहा है, उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया इंस्टीच्युशन एक प्रकाश स्तम्भ की तरह खड़ा हुआ है और एक तरह से शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रहा है। जिस समय यह संस्था बनी थी, उस समय बहुधर्म राष्ट्र हिन्दुस्तान में इस्लामिया शब्द के बारे में कुछ आब-जेक्शन्स हुए थे। परन्तु महात्मा गांधी जी ने उस समय यह कहा था कि इस्लामिया शब्द इसमें होना चाहिए क्योंकि यह आवश्यक था कि मुस्लिम तालीम उसके आधार पर विश्व तथा भारत दर्शन की शिक्षा दी जा सके। जिस प्रकार से किसी राष्ट्र के निर्माण में शहीदों का खून और श्रमिकों का पसीना आवश्यक होता है उसी तरह से विद्वानों की स्याही भी आवश्यक होती है और इसी आधार पर जामिया मिलिया संस्था के बारे में विद्वानों ने जिस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं उससे देश को बहुत कुछ प्राप्त हुआ है और कई अच्छे विद्यार्थी इस संस्था से निकले हैं। उनकी कुर्बानियों को खासतौर से जिसका जिक्र मेरे पूर्ववक्ताओं ने किया कि बहुत ही कम तन्खवाह के ऊपर वे काम किया करते थे और अपने खून-पसीने से और अपने विद्वतापूर्ण विचारों से इस संस्था को आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार का प्रावधान इस बिल में किया गया है, वह स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से अन्य विश्वविद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था है, वह आरक्षण निश्चित तौर पर होना चाहिए। परन्तु धर्म के नाम पर आरक्षण की बात मेरे पूर्ववक्ता ने कही, उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं। किसी भी विश्वविद्यालय में चाहे वह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो, इनमें धर्म के नाम पर किसी प्रकार का आरक्षण ठीक नहीं है। आपने यूनिवर्सिटी में आटोनोमी की बात कही है। निश्चित तौर पर आटोनोमी होनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपने उल्लेख किया है कि हमारी जो अथारिटीज होंगी, कोर्ट्स, एक्जीक्युटिव काउन्सिल, एकेडेमिक काउन्सिल, फाइनेंशियल कमेटी, फैकल्टीज और प्लानिंग बोर्ड, यह निश्चित तौर पर सही है। लेकिन आटोनोमी के नाम पर किसी प्रकार की धांधली या मनमानी यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से लेजीस्लेटिव बाडी एक्जीक्युटिव के ऊपर कन्ट्रोल रखती है, उसी तरह से यह जो इंस्टीच्युशन हैं उन पर भी चैक और बैलेंस जरूरी है। आपने इस बिल में यह बात कही है कि कोर्ट में दो लोक सभा से और एक राज्य सभा के सदस्य होंगे, यह स्वागत योग्य है। मेरा यह भी निवेदन है कि एक्जीक्युटिव काउन्सिल तथा प्लानिंग बोर्ड जो हैं चाहे जामिया मिलिया या दूसरी यूनिवर्सिटीज हों, उनमें भी लेजीस्लेटर्स का नामिनेशन

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

अतिआवश्यक है ताकि चैक और बैलेंस रखा जा सके। मेरा यह भी निवेदन है कि जो संघ का हैड है तथा जो आपके विद्यार्थी कल्याण संघ का अध्यक्ष है, उनका नामिनेशन रोटेशन के आधार पर होना चाहिए। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि उसका इलैक्शन के आधार पर नामिनेशन होना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि रोटेशन के आधार पर होना चाहिए। इन यूनिवर्सिटीज में राजनीति का प्रवेश कतई नहीं होना चाहिए। कई बार हम सिलेक्शन आफ टीचर्स की बात उठाते हैं। आटोनोमी के नाम पर कई बार टीचर्स के सिलेक्शन में बहुत अधिक दिक्कतें आती हैं और योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाते। जिस प्रकार से हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कहते हैं उसी तरह से यूनिवर्सिटी टीचर्स सिलेक्शन कमीशन भी बनाना चाहिए। मैंने पहले भी इस बारे में सुझाव दिया था और अब भी दे रही हूं। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय हो, चाहे जे० एन० यू० हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे अन्य विश्वविद्यालय हों जो 150 आपके हैं उनमें इस कमीशन के द्वारा चयन होने के बाद टीचर्स पहुंचें। हम बात करते हैं अच्छे विद्वान् प्रोफेसर्स की, चाहे जामिया मिलिया में हों या अन्य विश्वविद्यालय में हों उन प्रोफेसर्स की विद्वता का लाभ दूसरे विश्वविद्यालयों को भी मिले इसलिए इनको भी एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में भेजा जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया की सारी फाइनेंशियल पावर्स आपकी यूनिवर्सिटी में आ गई हैं। मेरा निवेदन है कि यू० जी० सी० को खासतौर से यह देखना है कि जिस प्रकार से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी आपने बनाई है उसके भवन की, उसके रख-रखाव की, जो होस्टल है उसमें बच्चों को ठीक सुविधा मिले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में खासतौर से इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जॉब ओरिएंटेड विचारधारा उसमें हो। यह नहीं कि जामिया मिलिया के विद्यार्थी जो अच्छी जॉब्स में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी किसी किस्म के रोजगार में नहीं लगे हैं। ऐसा प्रश्न चिन्ह विद्यार्थियों के सामने नहीं होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी का जो प्लानिंग बोर्ड है, एकेडमिक कौंसिल है उसको इस बारे में योजना बनानी चाहिए कि कितने विद्यार्थी हम किस संकाय में निकाल रहे हैं, आर्ट्स में, साइन्स में या अन्य में कितने निकालेंगे। किस जगह हम खपा सकेंगे इसके बारे में एक योजना बनानी चाहिए। आपने विजिटिंग चांसलर की बात कही है, उनको देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन्स ठीक से चल सकें। इसमें जिस तरह से हमारे पूर्व विद्वानों ने सोचा था खासतौर से जाकिर हुसैन ने और अन्य विद्वानों ने उनकी भावनाओं को हम साकार कर सकें और जामिया मिलिया द्वारा निकले हुए विद्यार्थी देश के अन्य स्थानों पर जाकर अपना विशेष परिचय, विशेष महत्व कायम कर सकें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करती हुई अपनी बात समाप्त करती हूं।

4.07 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नौवें वित्त आयोग का पहला प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 281 के अन्तर्गत नौवें

वित्त आयोग के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

4.08 म० प०

जामिया मिलिया इस्लामिया विधेयक—जारी

राज्य सभा द्वारा यथापारित

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री इब्राहिम सुलेमान सेट बोलें।

[हिन्दी]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (मजेरी) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इवान के सामने आज जामिया मिलिया इस्लामिया बिल जिरह-बहस है। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि ऐसा बिल आए जिसके जरिये जामिया मिलिया इस्लामिया को फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी का स्टेट्स मिले। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज जो बिल लाया गया है मैं उसकी ताईद करने से महरूम हूं और मैं इसका खैर मकदम नहीं कर सकता। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इस बिल में जामिया मिलिया इस्लामिया के जो बुनियादी मकासिद थे उनको मुकमील तौर पर ठुकराया गया है और जो मकासिद मुमताजए शख्सियत के सामने थे जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को कायम किया उसको नजर-अन्दाज कर दिया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं और मोहतरिम वजीर साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने खुद जामिया मिलिया इस्लामिया के तारीखी पसमंजर का जिक्र किया लेकिन साथ-साथ हमें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए, इस बात पर भी तवज्जह देनी चाहिए, देखना चाहिए कि वे कौन अजीम रहनुमा थे जिन्होंने इस अजीम अदारे को कायम किया। उन जंगे आजादी के बेहतरीन रहनुमाओं की तरफ भी देखना चाहिए कि उन्होंने यह अदारा किन मकासिद को लेकर कायम किया। जंगे आजादी का दौर था, तारीखे-खिलाफत का दौर था, अदम-ए-ताब्वुन का दौर था, उस जमाने में यह अदारा कायम किया गया था। उसे कायम करने वालों में वे शख्सियतें थीं, जिनकी खिदमात को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, जैसे मौलाना महमूदुल हसन, शेख-उल-हकीम, मौलाना अब्दुल हुसैन, मौलाना मुहम्मद अली, हकीम अजमल खां साहब, डा० मुख्यार अहमद अंसारी, डा० जाकिर हुसैन, अब्दुल मजीद खां साहब। इन सारी शखसियतों ने इस अदारे को कायम किया। बेशक यह बात सही है कि गांधी जी ने भी हौसला अफजाई की थी, वे भी शामिल थे। यहां मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि जब जामिया मिलिया कायम हुआ, उसका संगे बुनियाद रखा गया तो शेख-उल-हकीम शेख-उल-हिन्द हजरत मौलाना मोहम्मद अली हुसैन साहब ने जो कुछ फरमाया था, वह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

[अनुवाद]

"साथियों, जब मैंने यह अनुभव किया कि मुझे अपने दुःख में सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति

[श्री इब्राहिम सुलेमान सेट]

मदरसों और खानगाहों में नहीं बल्कि स्कूल और कालेजों में मिलेंगे तो मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ अलीगढ़ की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। इस प्रकार हम भारत में शिक्षा के दो ऐतिहासिक केन्द्र, देवबन्द और अलीगढ़ के बीच प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित कर सके हैं।"

[हिन्दी]

यह बात यहां खुलकर कही गयी। उसके बाद यह वाजह कर दिया गया, कयास मकसद किया गया और मैं उसे दोबारा कोट करना चाहता हूं। यह किताब है :

[अनुवाद]

जामिया मिलिया इस्लामिया।

"ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ एम्स, हिस्ट्री एण्ड स्कोप आफ वर्क।"

[हिन्दी]

इसमें जो कुछ कहा गया है, वह मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं, मखातिब वाजह करने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस तरफ तवज्जह देंगे। इसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

"1. भारतीय मुसलमानों को अपनी शिक्षा अपने ही हाथों में रखनी चाहिए जो विदेशी प्रभाव, जिसने नेतृत्व और चारित्रिक स्वाधीनता को दुर्बल बना दिया है, से पूर्णतया मुक्त हो।

2. मुसलमानों को युवाओं की शिक्षा को अपनी स्वयं की सांस्कृतिक विरासत और इस्लामी परम्पराओं पर आधारित बनाना चाहिए।"

[हिन्दी]

आप बातें तो बहुत करते हैं, कहते भी हैं, ठीक है हुकूमत बदल गयी, आज आपकी हुकूमत है, जैसा आप चाहें करें, लेकिन यहां क्या बात है, इस्लामी उलूम हासिल करने के लिए वहां कोई बात नहीं रखी गयी है। आप कहते हैं कि यह यूनिवर्सिटी होगी, इसकी एक्जीक्यूटिव कौंसिल होगी, इसके अन्दर सब काम होगा लेकिन आप यहां पर तहफ्फुज इस्लामी उलूम के हसूल को नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल वाजह बात है। हकीम अजमल खां साहब ने क्या कहा था, वह बात अलग है। आप यह भी जानते हैं कि हकीम अजमल खां साहब इसके पहले सदर-ए-जामिया थे और मौलाना मुहम्मद अलीम शैफुल जामिया थे। उस वक्त हकीम अजमल खां साहब ने कहा था :

[अनुवाद]

"हम मुसलमानों को एक ओर तो आधुनिक शिक्षा और दूसरी ओर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है ताकि शैक्षणिक संस्थाओं से स्नातक बनने वाला हमारा युवा सांसारिक और धार्मिक, दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सके।"

[हिन्दी]

वैसे करने के लिए तो सौ बातें हैं, मैं उन सबको कोट नहीं कर सकता। यहां आप बड़ी बातें करते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यह ऐसा बन जाएगा, वैसा बन जाएगा, आपकी सारी बातें सर-आंखों पर, हम भी चाहते हैं कि जामिया मिलिया के लिए आप कुछ करें लेकिन उसकी बुनियाद से अलग होकर नहीं। आप सैक्यूलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन सैक्यूलरिज्म क्या है, जिसमें तमाम मजाहिब को बराबर का हक मिलता हो, जहां तमाम मजाहिब को बराबर उलूम हासिल करने का मौका होता हो। गांधी जी ने वहां अपने लड़के को इसलिए भेजा था ताकि वहां पहुंच कर वह तालीमी उलूम हासिल कर सके।

एक मौका वह भी आया था चाहते ये थे कुछ लोग कि जामिया मिलिया इस्लामिया से "इस्लामिया" का लफ्ज निकाल दिया जाए। गांधी जी ने क्या कहा था, तब गांधी जी ने कहा था कि यदि यह लफ्ज इसमें से निकाल दिया जाएगा तो इससे मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके साथ-साथ वे ये भी चाहते थे कि तालीम का जरिया उर्दू हो और उर्दू का कोई लफ्ज उसमें नहीं। हो सकता है, इसका तज्जिया किया जा सकता है, यानी मरजी पर रखे जाएंगे। कोई तहफ्फुज नहीं दिया जा रहा है। ये बिलकुल वाजिब बात है। उर्दू की तालीम हो कोई बात नहीं है, इसलामी तालीम हो कोई बात नहीं है। तालीम को कानूनी तहाफ्फुज बिल के जरिए नहीं दिया जा रहा है। बातें मीठी की जाती हैं, लेकिन जब बिल में इस बात का जिकर नहीं है तो खैर कानूनी तहाफ्फुजात की क्या हैसियत है। इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहां पर और बहुत बड़े मोहसिन हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, जिन्होंने इस्लामिया को बनाया। इन तमाम बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर से सींचा। जामिया मिलिया इस्लामिया को, फिर डा० जाकिर हुसैन ने जब जामिया मिलिया इस्लामिया को बनाया तो उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

"यदि हमारे शिक्षाविद देश के लिए निष्ठापूर्वक उचित ढंग की शिक्षा-प्रणाली तैयार करना चाहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि वे भारतीय मुसलमानों की इस इच्छा का सहर्ष सम्मान करेंगे कि उनकी शिक्षा उनकी संस्कृति पर आधारित हो।"

[हिन्दी]

यह कहा जा रहा है। मैं एक और बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं डा० जाकिर हुसैन साहब

[श्री इब्राहिम सुलेमान सेट]

ने काशी विद्यापीठ में 1935 में कन्वोकेशन करते समय कहा था यह आज हम मजहबी बात करें तो हम फंडामैंटलिज्म हो जाते हैं। फंडामैंटलिज्म और फेनेटिज्म में बहुत बड़ा फरक है। यह समझा नहीं जाता है। यह समझ लिया जाता है कि जहां तक वतनपरस्ती का ताल्लुक है, किसी का इजारा है, इस मुल्क में आज भी हम पर शक किया जाता है। अगर हम यह कहें कि इस्लामी फुनून हासिल करना चाहिए, तो हम फिर फंडामैंटलिस्ट बन जाते हैं। ये सारी बातें कम्युनलिज्म की हैं जिससे मुल्क तबाह हुआ है, तकसीम हुआ है। बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन इस जज़बे को खत्म करना चाहिए, जो जजबा इसमें कार्य फरमा था। काशी विद्यापीठ में 1935 में डा० जाकिर हुसैन ने कनवोकेशन करते हुए कहा था—

[अनुवाद]

"डा० जाकिर हुसैन :—

क्या हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से मुसलमान अपनी संस्कृति के आधार पर अपनी शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित कर पाएंगे? आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिए यह समस्या कितनी महत्वपूर्ण है। यह संभव है कि ऐसे नेक इरादे वाले किन्तु अतिवादिता युक्त राष्ट्रवादी लोग हों जो यह समझते हों कि भारतीय राष्ट्रवाद की सकल्पना के लिए मुसलमानों का अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार राष्ट्र की शक्ति और प्रगति के लिए हानिकारक है।"

[हिन्दी]

यही हम आपसे चाहते हैं। बुनियादी बातें यही हैं। बहां पर मोलाना महमूदुल हसन एलान कर रहे हैं, अजमल खां साहब एलान कर हैं, डा० जाकिर हुसैन साहब ऐलान कर रहे हैं, गांधी जी इरशाद फरमाते हैं कि इस्लामिया रहना चाहिए। खुदा का शुकर है, यहां तक तो है, नाम तो बाकी है, जान निकल गई, नाम तो बाकी रह गया। इस्कैल्टन आपने दे दिया, ढांचा आपने दे दिया लेकिन जिस्म नहीं दिया, जान नहीं दी। इसके साथ-साथ गांधी जी ने कहा था कि उर्दू को रहना चाहिए। ये सारी बातें रहनी चाहिएं, ऐसा तसब्बुर मत दीजिए जिस पर कि मुसलमानों को आज तक बहुत कुछ हासिल था मुसलमानों की तारीख से यह कहा जा सकता है कि इसका तारीखी पसमंजर था, इसका इस्लामिक कैरेक्टर था। 1962 में यह कहा गया—

[अनुवाद]

"सरकार इस बात से सहमत है कि जामिया के उद्देश्यों और लक्ष्यों जैसा कि संस्था के अन्तर्नियम में अभिकल्पित है, के अनुसार जामिया शिक्षा के सुदृढ़ सिद्धांतों तथा राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकता के अनुरूप भारतीयों, विशेष रूप से मुसलमानों की धार्मिक और धर्म निरपेक्ष शिक्षा को प्रोत्साहन देगा और उसकी व्यवस्था करेगा, कि यह स्वायत्तशासी निकाय होगा,

कि यह ऐसी किसी शर्त पर सहायता स्वीकार नहीं करेगा जिसका उसके किसी उद्देश्य और सिद्धांत के साथ टकराव हो और कि शिक्षा का उर्दू होगा, यद्यपि खास मामलों में शिक्षा का माध्यम अन्य भाषाएं भी हो सकती हैं। तथापि, स्नातकोत्तर स्तर पर तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ज्यादातर अंग्रेजी में दी जाती है।"

[हिन्दी]

यह कहा जा रहा है इसमें। यह कहां कहा जा रहा है कि मैमोरेंडम आफ एसोसिएशन ? सारी बातें आपने फेंक दीं और धज्जियां उड़ा दी हैं सारी बुनियादों की। क्या दिया जा रहा है, कुछ नहीं। जैसे हिन्दुस्तान की और यूनिवर्सिटीज हैं, जैसा आपने जिक्र किया है एक और यूनिवर्सिटी बना दीजिए अगर बन जाएगी तो क्या हो जाएगा अब इसकी नोइयूत क्या है और इसका करैक्टर कहां रह गया, खास नोइयत कहां रही ? जो बुनियाद रखी थी बुजुर्ग लोगों ने उनके मकसद को, असासात को, उनके जजबात की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं। कहा जा रहा है कि स्टेट्स दिया जा रहा है। कहां स्टेट्स दिया जा रहा है। यह एक अटानामी नहीं है। अगर मुसलमानों की दो यूनिवर्सिटी हो जाएं तो इससे क्या बिगड़ता है ? मुसलमान पीछे हैं, पसमांदा हैं तालीम के मैदान में, और अगर इनको तालीम के मैदान में आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है तो इससे मुल्क और कौम को फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। और फिर आटानामी देनी चाहिए। मुख्तलिफ शोबों पर काम करने वाले जो लोग हैं। मुसलमान और गैर-मुसलमान उनको कोई पावर नहीं है यहां तक कि वाइस चांसलर को उस इदारे में रिकमैंड करने का भी अख्तयार नहीं है। यह ऐसी यूनवर्सिटी बनाई जा रही है जिसको कोई अख्तयार नही है, किसी की नुमाइन्दगी नहीं है, मुकासिद का एहतराम नहीं किया गया जजबात का लिहाज नहीं रखा गया। ऐसी यूनिवर्सिटी लेकर हम क्या करेंगे ? आप इसका फैसला कर सकते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी दीजिए जिसकी बुनियाद इस पर हो और उर्दू भी आपका जरिया तालीम हो। मैं इतना कहना चाहूंगा कि—

हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो,
चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो।

हम भी जमाने में चलेंगे, हम भी आपका साथ देंगे अगर आप ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, अभी जिस बिल पर चर्चा हो रही है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह एक अहम बिल है। अभी हमारे दोस्त कुरेशी साहब कह रहे थे कि 40 साल बाद यह बिल आया है और मैं इतना कहूंगा कि देर आयद दुरुस्त आयद, यह बिल आया तो सही। एक अच्छा काम हुआ।

एक ऐसा इदारा, जो हमारे राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ था, जिसको हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सोचा, जन्म दिया, पाला, पोसा और बड़ा किया और जिसकी एक खास पहचान है, उस इदारे की बदली हुई परिस्थितियों में शायद अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत नहीं है, यह जाहिर है।

[श्री नवल किशोर शर्मा]

अभी कहा गया कि इस ढंग से इस इदारे के चलाने वाले लोगों ने, नींव रखने वाले लोगों ने कितनी मुश्किलात के साथ इस इदारे को पेट पर पट्टी बांधकर चलाया है। एक अकीदे की वजह से आज वैसे लोग नहीं रहे, इस बात को हमको कबूल करना होगा, आज वह माहौल भी नहीं रहा, इस बात को कबूल करना होगा और आज वह हालात भी नहीं है, इस बात को भी कबूल करना होगा। ऐसी हालत में एक ही रास्ता है कि या तो इस इदारे को खत्म किया जाए, खत्म होने दिया जाए, बेमौत मरने दिया जाए या सरकार आगे आकर इसकी मदद करे। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने यह फैसला किया कि इस इदारे को सरकार के हाथ में दिया जाए यह गलत फैसला नहीं है। भावनाओं से बहुत खेला जा सकता है और भावनायें उखाड़ी जा सकती हैं और जजबात उठाए जा सकते हैं लेकिन जजबात से काम नहीं चलता। जजबात उठाने वाले लोग खुद अपनी तरफ झांक कर देखें। उन्होंने इस इदार की मदद करने की कितनी कोशिश की और वे कितने आगे आए हैं। इस इदारे की मदद के लिए आज बहुत बढ़-चढ़ कर बात की जा रही है। इस इदारे को इसी तरह कायम रखना चाहिए। पुराने नेताओं ने कहा था कि एलियन इनफ्लूएन्स नहीं होना चाहिए और इसका करैक्टर रहना चाहिए। मैं भी इस बात का हामी हूं कि इसका करैक्टर रहना चाहिए। लेकिन एलियन इनफ्लूएन्स की आज बात नहीं है उसको बचाने की बात है। वास्तव में इदारा इसलिए कायम हुआ, और इंस्टीट्यूशन इसलिए कायम हुआ कि उनको ऐसी तालीम की जरूरत थी और ऐसी जगह की जरूरत थी जहां राष्ट्रीय विचारधारा से ओत-प्रोत होकर लोग आयें और ऐसे नौजवान लड़के पैदा हों जो देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ें।

देश में जो फिरका-परस्त ताकतें थीं जो आज दूसरे नाम से हैं और जिन्होंने देश का बंटवारा किया, उनसे मुसलमान और हिन्दू कभी-कभी गुमराह होने लगे थे। हम चाहते थे कि वे कम से कम गुमराह तो न हों इसलिए हमने एक ऐसा इदारा कायम किया। मैं समझता हूं कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। वह स्वागत योग्य है और मैं इसकी ताईद करता हूं। मुझे इस बात का फख्र है कि राजस्थान के स्वर्गीय जमना लाल बजाज का इस इदारे से बड़ा ताल्लुक रहा है। इस कारण से मैंने यह मनासिब समझा कि मैं बहस में भाग लूं।

मैं बनातवाला साहब और सुलेमान सेट साहब से यह कहना चाहता हूं कि वह अच्छे मकसद में छोटी पॉलटिक्स मत लायें और उस मकसद को खराब मत करें। राजनीति की लड़ाई हम लड़ेंगे। राजनीति की लड़ाई का मैदान आज नहीं है, वह कल था। दुर्भाग्य से आप उनके साथ लग गए।

श्री पी० शिव शंकर : उन्होंने कहा है कि वह साथ नहीं थे।

श्री नवल किशोर शर्मा : हां, नहीं थे लेकिन निकल गए। आपसे गुस्सा करके निकल गए। पुरानी मोहब्बत थी। मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम तहजीब, मुस्लिम रिलिजन को हिन्दुस्तान से मिटाया नहीं जा सकता है। यह हमारे कल्चर के पार्ट हैं।

इस देश में जितने मजहब हैं वे चाहे छोटे हों या बड़े हों अगर इस देश को एक रहना है तो

हमको इस मानसिकता को बदलना होगा। चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे इसाई हों और चाहे पारसी हों सबको इस काम में आगे आना होगा। मानसिकता हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हुई है। इस मुल्क में जिन लोगों का कोई पोलिटिकल प्रोग्राम नहीं है वे हिन्दू, मुसलमान, बुद्ध और इसाई के नाम पर इस देश में अपनी राजनीति की दुकान चलाना चाहते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका कि एक राष्ट्रीय महत्व है उसको भी तंग नजरिये से देखने की कोशिश करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अदब के साथ कहना है कि इस इन्स्टीट्यूशन के बारे में बिल के अन्दर मुझे ऐसी कहीं कोई बात नजर नहीं आई कि जो इस इन्स्टीट्यूशन का करैक्टर था, खसूसीयत थी, उसको कहीं हटाने, गिराने या मिटाने की कोशिश की गई है। बनातवाला जी आप बड़े विद्वान आदमी हैं, आप एक सैक्शन भी बता दें कि इस तरह से हम इस इन्स्टीट्यूशन को पीछे ले जा रहे हैं। अभी मेरे लायक दोस्त शायद वाइस चांसलर भी हों, उन्होंने साफ कहा कि इस्लामिक स्टडीज वहां एक इन्स्टीट्यूशन हैं।
...(व्यवधान)...अमीरे जामिया, कभी रहीस हुआ करते थे और अब अमीर हो गए हैं...(व्यवधान)...
उन्होंने साफ कहा है कि वहां कैसी तालीम दी जाती है। वहां मुस्लिम कल्चर का कहां कैसा स्थान है। कहीं करैक्टर को नहीं बदला जा रहा है। मुझे यह निवेदन करना है कि मैं यह समझता था कि इस बिल का शायद सभी लोग खैरमकदम करेंगे, स्वागत करेंगे, और एक राय से यह बिल पास हो जाएगा। लेकिन मुझे तकलीफ हुई जब मुख्तलिफ राय दो लोगों की देखी। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इसका करैक्टर रहना चाहिए, इसकी खसूसीयत कायम रहनी चाहिए। यह इदारा ऐसा इदारा बनायें जो देश में मॉडल बन सके। क्योंकि यही एक ऐसा इन्स्टीट्यूशन है, जो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक था और राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सरकार को भरपूर सहायता करके इस इदारे के करैक्टर को कायम रख कर इसे एक मॉडल यूनिवर्सिटी बनायें और इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए।

श्री राम मंगल पांडे (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस डिबेट में मुझे सिरकत करने का मोका दिया।

मान्यवर, श्री बनातवाला और श्री सेट को सुनने के बाद ऐसा लगा कि इस देश की आजादी के बावजूद और हमारी इतनी बड़ी संस्कृति के बावजूद, जिसको दुनिया ने माना है, हमारी इस भारतवर्ष की धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन पर अभी तक कोई असर नहीं हुआ। शायद वे अपनी गलतियों को आज तक भी नहीं समझ सके हैं कि जिनकी कुछ गलत नीतियों के कारण, जिनको हर बात में सुबह की मनोवृत्ति के कारण इस देश का बंटवारा हुआ, आज अपने को उस शुबहे से दूर नहीं रख सके हैं। यह बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनको हर चीज में शुबह ही नजर आता है। नौ करोड़ रुपए सरकार ने इन्जीनियरिंग कालेज के लिए दिया है, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बताया। साथ ही यह भी बताया कि स्पोर्ट काम्पलैक्स के लिए जहां दूसरी यूनिवर्सिटीज को 11-12 लाख रुपए मिलते हैं, वहां इस यूनिवर्सिटी को 30 लाख रुपए मिले हैं। सरकार ने इतनी बड़ी इमदाद दी है। यह भी इनको नजर नहीं आता है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इनकी कैसी मनोवृत्ति है। ये समझ रहे हैं सरकार शायद कुछ उन लोगों की है, जिनके पास अकल की कमी है। मैं यह कैसे समझाऊं कि जिस इदारे को

[श्री राजमंगल पांडे]

लेकर आप चल रहे हैं, उस इरादे को हम बखूबी समझते हैं और वह गलती हम दोबारा नहीं होने देंगे, जिन गलतियों को लेकर आप हिन्दू-मुसलमान के बीच जाकर कोई तफरका पैदा करने की कोशिश करें। मान्यवर इस बिल में साफ लिखा हुआ है…

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(एक) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसन्धान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(दो) भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के अध्ययन का संवर्धन करना;

[हिन्दी]

इस देश में इतने रेलिजन्स हैं। पहले उनके दिमाग में केवल यह था कि यूनिवर्सिटी केवल मुस्लिम करैक्टर को ही प्रपोगेट करने के वास्ते खोली जाये तो क्या आप यह नहीं समझते कि इस देश का एक बहुत बड़ा बहुमत है जिसके दिल में कभी-कभी कुछ उनमें भी फण्डामेंटलिस्ट्स हैं, जो दुर्भावना पैदा कर सकते हैं और उसको पैदा करके जो हमारा सही इरादा है, जो हमारा सही मकसद है उन सारे मकसदों को चकनाचूर कर सकते हैं। इसलिए जो भी सरकार कम्पोजिट मेजारिटी और माइनारिटी—इन दोनों करैक्टर्स को सेफगार्ड करती है उसको किसी भी बिल को लाते समय इस बात का खयाल रखना होगा कि क्या कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाया कि हम किसी एक माइनारिटी करैक्टर की बात मानते हुए कहीं मेजारिटी को नाखुश न कर दें। कोई भी सरकार होगी, बनातवाला साहब शायद इस बात के लिए कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि जब तक वे जिन्दा हैं उनकी सरकार तो बनेगी नहीं और जब उनकी सरकार बनेगी नहीं तो केवल शुबहे की नजर से देख करके हिन्दू मुसलमान को बांटने की नीति के अलावा दूसरा कोई तरीका उनके पास है नहीं वरना मान्यवर, पार्टीशन के बाद क्या कोई और पार्टीशन हम करने देंगे? क्या हम अपने मुस्लिम भाइयों को, जो इस देश की मुख्य धारा है उससे अलग होने देंगे? आज अगर हम देखें, एस्टिमेट्स और स्टैटिस्टिक्स लें तो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें उनका परसेन्टेज दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। जहां इसके लिए हम और कारण ढूंढें वहां इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मुख्य धारा से हम काफी हद तक हटते चले जा रहे हैं और जब हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बनातवाला साहब की स्पीच ऐसी हो जाती है कि जो जुड़ना भी चाहते हैं वे भी हमसे अलग हो जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे इस बात की इस्तदुआ करूंगा कि 1947 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे के बाद कम से कम यह सोचें कि इस देश में उनको रहना है, इसकी मिट्टी में पलना है, इसकी आबो हवा में उनको पलना है। तो कम से कम वह चीजें जिनके आधार पर यह देश बटा, फिर दोबारा उनके आधार पर बटवारे की कोई कोशिश ऐसी न करें चाहे अपनी स्पीच से, या

अपने कार्य से, चाहे अपने इन्टरप्रिटेशन से ताकि हम और आप जो इस देश में रहने वाले हैं उनके दिमाग में कोई खुराफात नहीं आए, जो हिन्दू फंडामेन्टलिस्ट हैं उनके दिमाग में कुछ गुमराही पैदा करने का मौका न दें—यह मैं बड़ी विनम्रता से गुजारिश करना चाहता हूं।

यहां पर कुछ बातें और कही गई हैं। कोई भी सरकार हो हमेशा विश्वास पर ही चलती है। रोजमर्रा में इतनी चीजें इसी सरकार के सामने आती हैं। अगर विश्वास नहीं है तो दुनिया की कोई भी सरकार नहीं चल सकती है। हमारी इतनी बड़ी ब्यूरोक्रैसी है जिसके सामने हजारों पेपर्स आते हैं, बिल्स आते हैं और हमारे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इस ब्यूरोक्रैसी के ऊपर इतना बड़ा भरोसा रखते हैं कि उसने जो कुछ किया होगा बहुत कुछ हद तक ठीक किया होगा। केवल आब्जेक्ट्स को देखते हैं, बाकी चीजें उन पर छोड़ते हैं।

हमारी जितनी भी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से स्पान्सर्ड हैं उनमें कहीं थोड़ी बहुत कोई चीज हो तो हो वरना उनके बेसिक करैक्टर में कहीं भी कोई चेंज नहीं किया गया है। क्या इसमें कहीं पर यह कर दिया गया है कि अगर आप उर्दू में तालीम देना चाहते हों तो हमने उसको प्रोहिबिट कर दिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ? ऐसा तो हमने किया नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जिन-जिन लैंग्वेजज में आप तालीम देना चाहते हों, आप तालीम दे सकते हैं। शर्त यह है कि उस तालीम को, जैसे मेडिकल साइन्स है, इलेक्ट्रानिक्स है, साइन्स एण्ड टेक्नालाजी आज कित सीमा तक बढ़ती चली जा रही है कि उनके पर्यायवाची शब्द अभी तक हमें नहीं मिल पा रहे हैं, उर्दू डिक्शनरी भी उस हद तक कंप्लीट नहीं हुई है, हिन्दी की भी नहीं हुई है तो फिर अगर हम उस साइन्स और टैक्नालाजी को अंग्रेजी या किसी और भाषा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो ऐसा करके हम आपके बेसिक करैक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं बल्कि हम आपको इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि इस देश की मुख्य धारा में, इस देश के एडवांसमेन्ट में इस देश की साइन्स और टेक्नालाजी जो इस देश को आगे बढ़ाने में सहायक हो रही है उसके साथ अपने को जोड़िए, इस देश के भाग्य और किस्मत के साथ अपने भाग्य और किस्मत को, अपनी इस बिरादरी के नौजवानों की किस्मत को भी जोड़िए ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वे यह न कह सकें कि उनके साथ कोई तफरका करके उनकी किस्मत को किसी भी रूप में खराब किया गया। मान्यवर, कौन सी ऐसी सरकार होगी—करीब 12 करोड़ की आपकी आबादी है देश में यह आप खुद ही मानते हैं उनको वह नाखुश करेगी ? हमारे घर में अगर 5 आदमी भी रहते है तो उनमें से हम एक को भी नाखुश नहीं कर सकते। हम तो एक घर में जिसमें मामूली 5 आदमी रहते हैं उनमें से एक आदमी को भी नाखुश नहीं कर सकते। इस देश में जहां मेरे 12 करोड़ मुसलमान भाई रहते हों तो क्या हम उनके एक्सप्रैशंस को, उनकी विशेज को, उनकी स्पीड को, दुनिया की कोई भी सरकार आए, हम रहें न रहें, यह सरकार रहे न रहे, कोई भी सरकार आए, वह सरकार चाहे विरोधी की सरकार भी हो, वह भी महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले लेती है, जवाहर लाल जी का नाम सबसे पहले लेती है तो जो इन्स्टीट्यूशन गांधी और जवाहर लाल ने, जो इन्स्टीट्यूशन मौलाना आजाद ने जो इन्स्टीट्यूशन, इतने बड़े-बड़े लोगों की कुर्बानियों से इस देश को आजादी मिली, जिनकी कुर्बानी का एक बहुत भारी लम्बा-चौड़ा इतिहास है और इतने बड़े लोगों के साथ यह इन्स्टीट्यूशन जुड़ी हुई है तो क्या उस इन्स्टीट्यूशन को बर्बाद करने की किसी की हिम्मत हो सकती है, चाहे गवर्नमेण्ट किसी की भी हो कि हम इस

[श्री राजमंगल पांडे]

इन्स्टीट्यूशन को रिट्रोगेट करके इस तरह से पीछे ले जायें जहां पर कि हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी लेकिन हम कितना भी आगे ले जाएं लेकिन आपको नजर नहीं आएगा कि हम इस यूनिवर्सिटी को आगे ले जा रहे हैं, हम इनकी खुशनुमाई के वास्ते सब कुछ करने की सोचें, हम इनको होस्टल भी दें, स्पोर्ट्स काम्पलैक्स भी दें, इन्जीनियरिंग कालेज भी दे दें, हम इनकी सारी मांगों को मानकर इस यूनिवर्सिटी को वह यूनिवर्सिटी बना दें जो कि किसी भी सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी से स्तर में ऊंची हो और इसका नाम उन नामों में जुड़ा हो जो इस देश की आजादी में सबसे आगे की सीढ़ी में रहने वालें थे, जिनका नाम जुड़ जाने से ही कोई इन्स्टीट्यूशन अपने आपको बहुत धन्य समझे, अपनी किस्मत माने, क्या उस इन्स्टीट्यूशन को हम किसी भी कीमत के ऊपर उस सीमा तक ले जाने की बात कर सकते हैं जहां पर कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको बदनाम कर सकें, कभी नहीं । इस भ्रम को आप अपने मन से निकाल दें।

मान्यवर, मैं दो बातें कहूंगा। आटोनामी की बहुत लम्बी-चोड़ी बात की गई और गारण्टी की बात भी की गई। गारण्टी तो तब होती है जब विश्वास नहीं होता। आप हमेशा देखें, गारण्टर कहां है, जमानत उसकी होती है जिसका विश्वास नहीं होता वरना मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो कि मुल्जिम नहीं भागेगा तो उससे पर्सनल बाण्ड भी नहीं लेता है, ऐसे भी केसिज मैं बता दूं। बनातवाला साहब को विश्वास ही नहीं हो रहा। हम उनकी ईमानदारी में छोड़ते हैं, वह कहते हैं कि नहीं साहब, हमसे तो जमानत आप ले ही लीजिए तब छोड़िए, तो हम क्या करें। मैं इनसे कहूंगा कि जैसे हमने हमेशा आपका विश्वास किया है वैसे ही आप भी हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, इस सरकार पर विश्वास कीजिए, गारण्टी की बात मत कीजिए। मान्यवर, आटोनामी किस माने में नहीं है, आप कहते हैं कि जिस रिलीजन में आप चाहें, जैसे भी चाहें उसको करें, जैसे कायदे कानून हमने सारी सैण्ट्रल यूनिवर्सिटीज में बनाए हैं, उसी के तहत इसके भी बनाए हैं, आपने जो आब्जैक्ट्स रखे हैं उन आब्जैक्ट्स के बेसिक स्ट्रक्चर में हमने कोई चेंज नहीं किया। हम केवल मुख्य धारा में इस यूनिवर्सिटी को जोड़ना चाहते हैं इसलिए उसमें उस धारा के जोड़ने से अगर कहीं कोई चीज हुई है तो उस सम्बन्ध में, मुझे माफ करेंगे, हमें केवल मुसलमान भाईयों की वजह से ही यह चीज करनी पड़ी है, किसी इरादे से हमने यह नहीं किया ताकि आपको कहीं शुबहा लगे कि नहीं हमारे इरादे नापाक हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल का बहुत ही खुले दिल के साथ समर्थन करें। इसमें शुबहे की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और आने वाली पीढ़ियां भी, वे लोग जो इस बिल का समर्थन नहीं कर सकेंगे या किसी रिजर्वेशन के साथ करेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ियां उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगाएंगी कि इतनी बड़ी नेशनल इन्स्टीट्यूशन के साथ उन्होंने ठीक नहीं किया। अगर 40 वर्ष तक यह नहीं हुआ तो उसका कारण भी यही लोग थे, और कोई वजह नहीं थी। अगर यह बात नहीं होती तो कोई वजह नहीं थी, हर गवर्नमेण्ट मुसलमान भाईयों के वास्ते हर चीज करने की कोशिश कर रही है, यह यूनिवर्सिटी 40 साल तक नहीं बन सकी तो केवल इन लोगों के शुबहों की वजह से, केवल इन लोगों के इस जजबात की वजह से कि हम एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें क्योंकि यही परिस्थिति इन लोगों को वोट का काम देती है क्योंकि जब तक हम सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे, सरकार के इन कामों से तब तक हम फायदा उठाते रहेंगे वोट में। हम मुस्लिम

लीग के टिकट पर जीतकर आते रहेंगे वरना न तो इनका कोई पोलिटिकल प्लेटफार्म है, न कोई पॉलिसी है। केवल एक पॉलिसी है, हिन्दू मुसलमानों को बांटते रहो, हम कितना भी बढ़िया काम करते रहें, उसमें कहीं न कहीं शुबहा डालकर मुसलमानों की तरफ अंगुली उठाकर इशारा करते रहो कि ये मेरे मुसलमान भाईयों, देखो हमारे लोग ये चाहते थे और यह जो सैकुलर सरकार है वह नहीं कर पा रही है और इसी आधार पर यह पार्लियामेण्ट में आने की बात सोचते हैं। मैं कहता हूं कि पार्लियामेण्ट में हम और आप लोग आएं या नहीं आएं लेकिन इस देश को और आने वाली पीढ़ियों को आप इस बात के लिए मोटीवेट करें कि यह बिल आप सब लोगों के हित में है।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : जनाबेवाला, मेरा कोई इरादा इस बिल पर बोलने का नहीं था लेकिन जामिया मिलिया से पुराना ताल्लुक मेरे वालिद का रहा है। जामिया मिलिया का जो खास पसेमंजर है, उसकी तरफ शायद किसी की नजर नहीं गई। जामिया मिलिया का वजूद सन् 1920 में अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ में उस वक्त एम० ए० ओ० कालेज, मोहमेडन एंग्लो-इण्डियन ओरियन्टल कालेज मौजूद था और जामिया मिलिया को वे लोग वजूद में लाए, जो एम० ए० ओ० कालेज की उस वक्त की पालिसी से और अंग्रेजों से इख्तलाफ रखते थे और एम० ए० ओ० कालेज के तुलबा ने उसका बायकाट करके जामिया मिलिया में एडमिशन लिया। पहले जो जामिया मिलिया था, वह लाल डिग्गी, अलीगढ़ में था। उसके काफी अर्से के बाद वह तब्दील होकर यहां पर आया। इस बात को नजरान्दाज नहीं करना चाहिए कि अलीगढ़ के एम० ए० ओ० कालेज का बायकाट करके जामिया मिलिया को उन लोगों ने कायम किया जो नेशनेलिस्ट व्यूज रखते थे और जो अंग्रेजों की गुलामी से मुल्क को आजाद कराना चाहते थे और सैकूलर व्यूज रखते थे और इस मुल्क के सारे लोगों को एक साथ जोड़ करके अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ना चाहते थे। तो जहां जामिया मिलिया का तसुव्वुर एक इंस्टीट्यूशन का है, वहां जामिया मिलिया का तसुव्वुर एक ऐसी छापूनी का है, जो अंग्रेजों के खिलाफ, उस वक्त की इम्पीरियलिस्ट फार्सेज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए थी। उस लड़ाई में सारे मुल्क की आबादी को बिना मजहब वह मिल्लत के सबको जोड़ने का था और सभी को मिल-जुलकर एक कौम बनाने का तसुव्वुर था और उस तसुव्वुर को लेकर जो इंस्टीट्यूशन बना था, वह जामिया मिलिया का था।

जनाबेवाला नान-का आपरेशन मूवमेंट अलीगढ़ में पहले हुआ और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में बाद में हुआ। बनारस में यूनिवर्सिटी का स्टेट्स लेने की वजह से पं० मदन मोहन मालवीय ने काफी अर्से तक नान-काआपरेशन मूवमेंट को रोके रखा और जब उसको यूनिवर्सिटी करेक्टर, स्टेट्स मिल गया, उसके बाद नान-काआपरेशन मूवमेंट वहां शुरू हुआ लेकिन एम० ए० ओ० कालेज के तालिब-इल्मों ने इस बात की परवाह किए बगैर कि उसको यूनिवर्सिटी का स्टेट्स मिलता है या नहीं मिलता है बे-नियाज हिन्दुस्तान की आजादी की खातिर हिन्दुस्तान में मुतहद्दा कौमियत इस्टाबिलिश करने की खातिर, हिन्दुस्तान में सेकूलर आऊटलुक पैदा करने की खातिर, उन कदरों की खातिर, जिनको अंग्रेजी हुकूमत नुकसान पहुंचा रही थी बरकरार रखने के लिए जामिया मिलिया को कायम किया। हमको इस बात को नजरान्दाज नहीं करना चाहिए और यही जामिया मिलिया का हिस्टोरिक करेक्टर है और मजहबी उलूम को चाहे वह हिन्दुओं का हो, चाहे वह इस्लाम का हो और चाहे किसी दूसरे मजहब का हो, वह

[श्री जियाउर्रहमान अंसारी]

जो मजहबी उलूम था, उसको अंग्रेजी साम्राज्य से खतरा पैदा हो रहा था और उसकी वह मुखालफत कर रहे थे। इसलिए हिन्दुस्तान की जंगे-आजादी की तहरीक में एक बहुत बड़ा नुकता यह भी था। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बारे में यह बात कही जाती थी कि वे हमको गुलाम बना रहे हैं और हमारी जो मजहबी कदरें हैं चाहे वे इस्लाम की हों या हिन्दू धर्म की हों या बुद्ध मजहब की हों या सिख मजहब की हों, उन कदरों को मिटाने की कोशिश ब्रिटिश साम्राज्य कर रहा था। तो यह जो इंस्टीट्यूशन बनी थी, उसने इस बात को सामने रखा था कि मौजूदा इल्म के फायदे उठाने के साथ-साथ किस तरह से हम इन इंस्टीट्यूशन्स के जरिये अपनी पुरानी कदरों की हिफाजत कर सकते हैं। आज के हिन्दुस्तान की हुकूमत एक सेकुलर हुकूमत है और सेकुलरिजम का वह तसुवर हमारे यहां नहीं है जो दूसरे मुल्कों में है, बल्कि हमारे सेकुलरिजम का तसुवर यह है कि अपनी उस एक-एक चीज, अपनी पुरानी वैल्यूज में से एक-एक वैल्यू, एक-एक कद्र की कद्र हम करते हैं और उनको कद्रे मंजिलत की नजर से देखते हैं, उन सबको महफूज रखना चाहते हैं, उन सबको एक मुकदस पुरजा समझते हैं जिसमें से किसी चीज को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ने के लिए एक लमहे के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम समझते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का यह जो मौजूदा करेक्टर है वह करेक्टर बरकरार रहेगा और उसमें माडर्न एजूकेशन के साथ-साथ इस्लामी उलूम और दूसरी जुबानों के उलूम की भी तरक्की होगी।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मौलाना आजाद ने एक मौके पर कहा था, मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूं, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि हमारा रास्ता शको शुबहा का रास्ता नहीं होना चाहिए, हमारा रास्ता एतमाद का रास्ता होना चाहिए। यह इसलिए कि असलियत इस कागज में लिखा हुआ अहदनामा नहीं है, उन्होंने कहा था कि बिलाशुबहा मुझसे ज्यादा इस बात का कोई ख्वाहिशमन्द नहीं है कि मुसलमान कांग्रेस में शामिल हों, लेकिन मेरी ख्वाहिश यह है कि एक एतमाद के साथ शामिल हों, भरोसे के साथ शामिल हों। मैं इस तरह से नहीं चाहता कि उनमें एतमाद न हो, उनके एक हाथ में अहदनामा हो और दूसरे हाथ में कांग्रेस का झण्डा हो, जिस वक्त उनके कल्ब की धड़कन बढ़ जाए तो उस अहदनामे को चाटने लगें और जब सुकून हो जाए तो उस झण्डे को जोर-जोर से हिलाने लगें, यह मौलाना आजाद की तकरीर का हिस्सा है, मैं आपसे सच कहता हूं कि अहदनामा कागज पर किया जाता है, ये वादे जो इन कागजों पर किए जाते हैं इनकी स्याही भी खुश्क नहीं होने पाती कि उनकी खिलाफवर्जी शुरू हो जाती है। अहदनामा दिलों पर करना चाहिए, दिलों में होना चाहिए, एक ऐसी बिल पैदा करनी चाहिए, एक ऐसा एतमाद पैदा करना चाहिए, एक ऐसी फिजा पैदा करनी चाहिए कि जिसमें एक दूसरे के लिए कुछ करने, कुछ देने का जजबा हो, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाले हों, इन अहदनामों के बल बूते पर, भरोसे पर दुनिया में कभी न कोई कौम बनी है और न कभी बन सकती है। ऐसी फिजा पैदा हो रही है और सारा मुल्क इस फिजा को समझ रहा है कि हमारा कम्पोजिट कल्चर है, हमारी एक-एक मुत्तहदा कौमियत ऐसी कौमियत है जिसकी कद्रें हमारी कद्रें हैं, हमारी मुश्तरका कद्रें हैं, उनमें से किसी को हम छोड़ना नहीं चाहते, उनमें से किसी को हम पसे पुश्त डालना नहीं चाहते, उन सबको महफूज रखना चाहते हैं और आज हम और आप एतमाद के साथ

आगे बढ़ें और एक ऐसा इकदाम जो हो रहा है उसको खुशदिली के साथ, पूरे एतमाद के साथ, भरोसे के साथ कुबूल करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जामिया मिलिया इस एतमाद की फिजा के बाद अपना वह तारीखी किरदार, जो उसका तारीखी किरदार रहा है, जिसके कोटेशन यहां पर बहुत से पेश किए गए हैं, उस तारीखी किरदार को पूरे तौर पर अदा कर सकेगा ।

श्री पी० शिव शंकर : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं उन मुकररीन का, क्योंकि सभी ने इस बिल की हिमायत की है, यह जरूर है कि एक दो साहेबान ने कुछ नुक्ताचीनी की है इस बिल की, जिनके ताल्लुक से मैं अभी अर्ज करूंगा, लेकिन आमतौर से सारे मुकर्रीन ने इस बिल की हिमायत की है और मैं उन सबका मशकूर हूं। कब्लअज यह कि मैं जो बातें की गई हैं, उनके ताल्लुक से कुछ अर्ज करूं, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जामिया मिलिया के इस बिल को इसके तारीखी, सियासी, समाजी और सकाफती के पसेमंजर में देखने की जरूरत है। कुछ मुकर्रीन ने यहां पर फरमाया कि 1920 में जब मुल्क में अदमे ताबुन की तहरीक चल रही थी, खिलाफत की तहरीक काफी जोरों पर थी तो हमारे बुजुर्गों ने इस बात का तहैया किया कि वे इदारे जो हुकूमत के बरसरे इख्तदार हैं और जहां के तालिब इल्म चाहे वे कुछ भी तालीम पाएं, वहां उनकी हिन्दुस्तानी जहनियत को बढ़ाने की जरूरत है। उनको पहले हमें हिन्दोस्तानी बनाना है, इस चीज को मद्देनजर रखकर महात्मा गांधी की सरपरस्ती में कुछ बुजुर्गों में जिनका नाम लिया गया है, वे बुजुर्गान्नेदीन जिन्होंने इस इदारे को कायम किया, उनका मंशा बहुत साफ था और उन्हें गांधी जी की सरपरस्ती थी। तो इस बिल को और इस इदारे को हमें इस पसेमंजर में देखने की जरूरत है। जिस तरह से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की यह इदारा करता गया, इसे भी सामने रखते हुए आज का जो बिल है उस पर तनकीद की जरूरत है। मैं माफी चाहता हूं, कुछ जज्बात की रौ में बहकर चन्द मुकर्रीन ने यह कहने की कोशिश कि जामिया मिलिया इस्लामिया नाम तो रखा गया है लेकिन इसका तारीखी पसेमंजर या इसका तारीखी किरदार इस बिल में नहीं है। अगर आप कुछ दफात को पढ़ने की थोड़ी-सी तकलीफ करें तो साफ जाहिर हो जाएगा कि बिल का मंशा क्या है। बड़े साफ लफजों में यूनिवर्सिटी की तारीफ की गई है। मेहरबानी करके आप क्लाज-2(ओ) को देखने का कष्ट करें। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो साफ जाहिर हो जाएगा।

[अनुवाद]

"खण्ड 2 (21-ए)(ण) "विश्वविद्यालय" से "जामिया मिलिया इस्लामिया" के नाम से ज्ञात शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है जो वर्ष 1920 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित सभी शैक्षिक संस्थाओं के बहिष्कार के लिए गांधी जी के आह्वान पर स्थापित की गई थी और तत्पश्चात् वर्ष 1939 में जो जामिया मिलिया इस्लामिया सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुई थी, और जो वर्ष 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय-सम घोषित की गई थी और जो इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में नियमित है।"

[श्री पी० शिव शंकर]

[हिन्दी]

बहुत साफ और सही तरीके से, इसके तारीख का पसेमंजर और जिन हालात में इस इदारे का कयाम अमल में आया, वह सारी चीजें बहुत साफ तरीके से कही गई हैं। यह बड़ा मुश्किल होता है कि हर चीज को आप साफ तरीके से बिल में लिख दीजिए। बिल में इशारा किया जाता है और इशारा उन हमारे असासाजात की तरफ है जिनको हमने बनाया है, सालों की मेहनत उसमें लगी है। फर्ज कर लीजिए कि इस असासाजात को हमने कायम करना है, जैसा कुछ मुकर्ररीन ने कहा यह और बात है। बजाय इसके कि हम सपूत कहलाएं, हम कपूत कहलाएंगे।

17 बजे म० पू०

जिन खबरों के बिना पर इस इदारे को कायम किया गया है उसको सम्भाल कर रखें। मैं साफ और सही तरीके से यह अर्ज करना चाहता हूं, यह जरूर कहा गया है कि आपने साफ और सही तरीके से मुताइन नहीं किया। इस बिल के अन्दर जैसा अभी मेरे साथी ने आपके सामने फरमाया कि आखिर में आदमी के जमीर की बात होती है। अगर कानून में आप कुछ लिख दें, आपके दिल में कुछ और है तो फिर कानून बेकार हो जाता है। इसलिए मैं हमारे साथी ने जो यहां बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप तरक्की पसन्द और खुशायन्द सोहबतों को मजबूत कीजिए ताकि मुस्तकाबिल में ऐसे लोग ही हुकूमत में रहें जो इन खबरों की कद्र करें। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बजाय इसके कि रुजअत-पसन्द कुबिगता को आप मजबूत करें, बजाय मुल्क में सेक्यूलर मिजाज बनाने के बजाय नुकसान पहुंचेगा। जहां तक बिल का सम्बन्ध है इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन आपकी जो नुक्ताचीनी थी कि इसका तारीखी किरदार नहीं है, थोड़ा जज्बात में वह गए मैं माफी चाहूंगा जज्बात तकरीर में धुंआधार तकरीर हो सकती है। लेकिन मुश्किल यह है कि इस बिल की जो दफात हैं आप गौर करें और पढ़ें, कुछ दफात मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो मालूम पड़ेगा कि हमने इस इदारे का जो सेक्यूलर मिजाज है उसको कायम करने की कोशिश की है। हमने इन इदारों के जो अगराज और मकासिद थे इस इदारे को कायम करने के उनको मजबूत करने की कोशिश की है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं जहां तक आपने यह बात कही कि उर्दू को जरिये तालीम नहीं रखा गया है, मैं इसका जवाब भी देना चाहता हूं। आप अगर थोड़ा-सा इस बिल की दफा 25 देखें एक मर्तबा, इसमें किस प्रकार से हमने इसको कायम रखने की कोशिश की है। अगर मजलिसे मुनतजिमा, मजलिसे तालिमी पर भरोसा नहीं रहा तो फिर अल्लाह ही मालिक है। दफा 25 में पढ़िए :

[अनुवाद]

"25(1) इस अधिनियम और इन परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश में निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकते है, अर्थात् :—"

[हिन्दी]

मजलिसे मुन्तजिमा, मजलिसे तालिमी को इस बात का हक है कि जरिये तालीम का तफसिया हुकूमत ने अपने हाथ में नहीं रखा। जहां तक मजलिसे मुन्तजिमा, मजलिसे तालिमी कासवाल है आप एक मर्तबा देख लीजिए स्टेचुट में सफा 24 पर स्टेचुअट नम्बर 13 :

[अनुवाद]

"कार्य-परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

(i) कुलपति, (ii) प्रतिकुलपति, (iii) दो संकायाध्यक्ष आदि, आदि।"

[हिन्दी]

वगैरह-वगैरह सारे लोग हैं और साथ में मजलिसे तालीमी सफा 27 पर स्टेचुट नम्बर 15 में।

[अनुवाद]

"(i) विद्या-परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(1) कुलपति; (ii) प्रतिकुलपति; (iii) केन्द्रों के निदेशक; (iv) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष, आदि, आदि।"

[हिन्दी]

वगैरह-वगैरह तफसीलात दिए गए हैं। मेरी गुजारिश है इन इदारों पर छोड़ दिया गया है कि जरिए तालीम का आप तसफीया करें। 'आपने पढ़ा कि न सिर्फ उर्दू जरिए' तालीम रही है बल्कि दूसरी जुबानें भी वहां पर हैं उनमें भी तालीम दी जाती है अंग्रेजी और 'हिन्दी में भी। अभी यहां पर शेख उल जामिया साहब बैठे हैं' वह फरमा रहे थे कि 6 हजार में से 3 हजार विद्यार्थियों ने तालिब ईल्मों ने अंग्रेजी में इम्तहान दिया और करीब 1500 से ज्यादा ने हिन्दी में दिया। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अगर फर्ज कर लीजिए कि हम वहां पर यह लिख देते कि सिर्फ उर्दू ही जरिया-ए-तालीम होगी···(व्यवधान)···मैं यह अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हां, मिसाल के तौर पर अपनी तरफ से कह रहा हूं···(व्यवधान)···आपने कहा है, इसीलिए कह रहा हूं···(व्यवधान)···नहीं आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। अगर फर्ज कर लीजिए कि सिर्फ उर्दू ही जरिया-ए-तालीम होती तो सोचिए कि उसके बाद मुलाजमत का क्या होता। ये सारी बातें गहराई से सोचने की हैं। किसी भी हुकूमत का यह फर्ज होता है कि वह सारी बातों पर सोचकर ही कोई फैसला करे। उसके क्या असरात हो सकते हैं, वह भी देखे। अगर आप उन सब ग्रेजूएट्स को, जो यहां से कामयाब होकर निकलें, मुलाजमत न दे सकें तो उस जुबान में तालीम देने का क्या फायदा। इसी वास्ते में ऐतराज करना चाहता हूं। इसमें जरिया-ए-तालीम क्या होना चाहिए, उसे मैं किसी शखसियत के ताल्लुक से नहीं कहना चाहता। लेकिन यह है

[श्री पी० शिव शंकर]

कि जिन्होंने भी इस इदारे की खिदमत की उनको सराहना हमारा फर्ज है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जहां तक जरिया-ए-तालीम का सवाल है, चूंकि आपने सवाल उठाया था, इसी वास्ते मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह सारा मामला मजलिसे मुन्तजिमा और मजलिसे तालीमी के हवाले कर दिया गया है, जिसमें काफी जिम्मेदार अफराद हैं···(व्यवधान)···मैं आपसे साफ तौर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की हुकूमत इस मुल्क में रहेगी उस वक्त तक जामिया मिलिया इसलामिया में उर्दू जरिया-ए-तालीम जरूर रहेगी, और आप सब साहबान को यह सुनकर फख्र होना चाहिए, आपका सर ऊंचा होना चाहिए।

यदि फर्ज कीजिए वह मजलिसे मुन्तजिमा और मजलिसे तालीमी यह महसूस करने लग जाएं कि दूसरी जुबानों में भी यहां तालीम दी जाए तो उसमें क्या बुराई है, आप बताइए। जैसा माहौल आजकल चल रहा है, आज जैसे हालात हैं, उसमें इंकार नहीं किया जा सकता। यदि मजलिसे मुन्तजिमा और मजलिसे तालीमी कुछ तबदीलियां करना चाहें तो यह उन पर है, वे करें, क्योंकि उसमें भी सारे जिम्मेदार अफराद हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब लोग हवा में आए हुए हों···(व्यवधान)···अब यह सही है और मुझे भी तकलीफ है लेकिन उस जमाने में आपका भी वजूद नहीं था। हम लोगों ने 1950 में हैदराबाद में ऐतजाज किया है, जहां मैं जनरल सेक्रेटरी था, कि उसमानिया यूनिवर्सिटी का नाम तबदील करके उर्दू यूनिवर्सिटी रख लिया जाए लेकिन मुश्किल यह पड़ी कि उस वक्त जो फायदे इक्तदार लोग थे उन्होंने हमें कहा कि इस इन्तजाम से मुसलमानों पर मुसीबत आ जाएगी तो मजबूर होकर हमें उस प्रस्ताव को छोड़ देना पड़ा। यह बड़ी कोफ्त की बात है कि वहां का जो दारुल तरजुमा था, मैं समझता हूं कि दुनिया में कहीं आपको उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। मैं यहां बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। यह बड़े अफसोस की बात है कि 1951 में जब हमारे यहां अंग्रेजी चालू की गई तो फिर उसका अंग्रेजी में तरजुमा किया गया। वह भी ऐसा वाहियाद तरजुमा था, मैं आपसे सही अर्ज कर रहा हूं कि जब मुझे हाई कोर्ट में बतौर वकील बहस करनी पड़ती थी तो उर्दू का टैक्स्ट पढ़कर सुनाना पड़ता था कि असल में टैक्स्ट क्या है और उसका कैसा तर्जुमा किया गया है, यह तो खैर जो हो गया सो हो गया इस वक्त तो नहीं किया जा सकता है। हमने कहा कि उर्दू के जरिए ही तालीम बनाई जाती है, मैंने यह बात कही है, मैंने एक मिसाल दी है।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : हमने यह बात नहीं कही है, इंकार किसको है ?

श्री पी० शिव शंकर : अगर फर्ज कर लिया जाए, उर्दू को ही जरिया तालीम बनाया जाता है तो मैं यह साफ गुजारिश करना चाहता हूं। जहां तक जमानत की बात है, कोई जमानत नही दे सकता है। एतमाद है और जम्हूरियत है और इसी वास्ते मैंने कहा आपसे कि जो हम लोग हैं, जो तरक्की पसन्द लोग हैं, उनको आप मजबूत कीजिए। यही बात मैंने आपसे कही है। दूसरी बात आपने यह कही है कि जहां तक शोबेजात और उलूम की बात है, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अगर आप जरा दफा 5 को देखें, तो आपको साफ जाहिर होगा कि :

[अनुवाद]

5. "विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की शाखाओं में, जो वह ठीक समझे, शिक्षा, अनुसंधान और विस्तारण की सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और प्रगति करना होगा···" सारी बात प्राधिकारियों पर छोड़ दी गई है।

[हिन्दी]

अच्छा उसके बाद आप यहां आइए, जिसतो क्लॉज 2 में—

[अनुवाद]

5. (ii) "विभिन्न विषयों में अध्ययन।"

5. (iv) "राष्ट्रीय एकीकरण, पंथ-निरपेक्षता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव।"

[हिन्दी]

दफा 6 में क्लॉज 2 देख लीजिए—

[अनुवाद]

6. (ii) "भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के अध्ययन का संवर्धन करना।"

[हिन्दी]

ये चीजें साफ की गई हैं और क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, कौन सा शोबा खोलना चाहिए और कौन-सा शोबा नहीं खोलना चाहिए। इसका तफसिया भी मजिले मुंतजिमा करेगी। ये तफसीलात, हैं सारी की सारी स्टेट्यूट में हैं। अब मैं तफसीलात में जाने को तैयार हूं। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम यह चाहते हैं कि उलूमी कलचर और इसलामी उलूमत वहां पढ़ाया जाए। वे बिलकुल जरूरी हैं, वे हमारे कलचर का एक हिस्सा है। आप यह क्यों समझते हैं कि वह अलग हैं। भारतीय कलचर की जो बात आपने की है, गंगा-जमनी तहजीब की जो बात आपने की है, उस गंगा-जमनी तहजीब में जब इस्लामी कलचर भी शामिल है, तो इसको आप अलग करके क्यों देखते हैं। इस वास्ते ये हमारे ही कलचर हैं। तभी तो महात्मा गांधी ने अपने बेटे को वहां पढ़ने और पढ़ाने के लिए भेजा था। मैं एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : आज तक जो बातें शामिल है मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन में उनको क्यों निकाला जा रहा है। इनके रहने से आपका क्या नुकसान हो जाता है ?

श्री पी० शिव शंकर : देखिए, बात यह है कि मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन एक है। यहां बिल

[श्री पी० शिव शंकर]

की बात है, यहां कानून बन रहा है, मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि यूनिवर्सिटी क्या है। क्या यूनिवर्सिटी हवा में कायम की जा रही है। यूनिवर्सिटी हवा में कायम नहीं की जा रही है। उसका पसेमंजर भी साफ किया गया है और यहां मैंने जानबूझकर इस मुताल्लिख में गौरो-खोज करके मैंने खुद दी है, यूनिवर्सिटी की जो तारीख है, यूनिवर्सिटी की जो डैफीनिशन है, मैंने खुद सोच-समझकर ये सारी बातें लिखी हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन यह बताइए कि इसकी ऑटोनोमी कहां से मार खा रही है। मैं यह बात पूछना चाहता हूं। हवा में यह आपने कह दिया कि इसकी ऑटोनोमी मार खा रही है, यह कहना बड़ा आसान है। जहां मजलिसे मुन्तजिमा, मजलिसे तालीमी है, मजलिसे अंजुमन है वहां यह बताइए कि हुकूमत कहां उसमें दखल दे रही है। सारे मामलों के तसफिए तो ये ही इदारे करेंगे। चाहे अंजुमन करे, चाहे मजलिसे मुन्तजिमा करे, चाहे मजलिसे तालीमी करे। इसमें आप यह बताइए ऑटोनोमी कहां मार खा रही है और हुकूमत कहां दखल दे रही है। अब यह बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहना बड़ा आसान है, एक रौ में कह देना कि ऑटोनोमी खत्म की जा रही है, लेकिन जितने भी बिल में दफात हैं उनको आप एक बार देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा था, वह यह है कि आपने कहा कि मुसलमानों का जिक्र नहीं किया गया है। मैं इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह जरूर है कि लफ्ज मुसलमान हमने वहां मुतबिन नहीं किया है कहीं भी, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की तारीख देखें, दूसरा यह बिल देखें और कौन-कौन से उलूम वहां पर मुरव्वुत किए जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे, इन सब को अगर देखिएगा और फिर उसके साथ जो इदाराजात हैं, जिनका पूरा कण्ट्रोल रहेगा, उससे साफ जाहिर है कि यूनिवर्सिटी जो चाहे कर सकती है। आज जो करैक्टर, किरदार है इस इदारे का उसमें किसी किस्म की कोई तबदीली करने का हमारा मंशा नहीं। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं ताकि कोई शुबहात न हों। क्यों शुबहात रहें दिमाग के अन्दर ? मेरे दिमाग में तो कोई शुबाहात नहीं हैं। जो किरदार है उसका वह रहेगा उसका किरदार जो वालियान ने चाहा और जिस पर उन्होंने अमल किया है, वह किरदार हम कायम रखेंगे। (व्यवधान) ओबजैक्ट्स में हमने कहा है, जैसा मैंने कहा है कि यूनिवर्सिटी की तारीख में हमने तफसीलात दी हैं, लेकिन मैं अर्ज करूं कि अगर इनका नाम नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस इदारे को बनाया है हम उससे मुतहर्फ हो रहे हैं। (व्यवधान)

मैं आपको बताऊं कि 1920 में यह इदारा कायम हुआ। मैं 1929 में पैदा हुआ। अगर पढ़कर मैं कुछ समझ सकता हूं तो मुझे भरोसा है कि आने वाली पौद भी पढ़ेगी और बयान करेगी। यह बात कानून में ही होना जरूरी नहीं है। लेकिन तफसीलात, बाज चीज यूनिवर्सिटी की तारीख में हमने सब तरीके से लिखी है और उसके हवाले बाई रैफरेंस लोग उसे पढ़ सकेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ सकेंगे।

एक बात यह भी कही गई है कि कोर्ट को बराबर के अख्तयारात नहीं दिए गए हैं। मैं साफ अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप दफा 18 देखें—

[अनुवाद]

"सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी···"

"(घ) अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।"

[हिन्दी]

कि क्या उनके अख्तयारात रहेंगे ? उन सबको वाजे किया गया है और स्टैट्यूट न० 11 में तफसीले अंजुमन में अख्तयारात का जिक्र है।

अब सवाल यह पैदा होता है कि आप फरमा रहे थे कि मान लीजिए कि मजलिसे मुंतजिमा कुछ तसफिया करे तो अंजुमन कुछ नहीं कर सकता। आप गलतफहमी में हैं।

आप फरमा रहे थे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी वैसा ही है। मजलिसे मुंतजिमा तो इसका इदारा है और उसको काफी कुछ अख्तयार दिए गए हैं इसलिए कि बड़े जिम्मेदार आकीन उस इदारे में मेम्बर हैं। इस वास्ते जहां तक अंजुमन का सवाल है अंजुमन तो जनरल पावर आफ सुपरिन्टैंड्स एंड कण्ट्रोल रखता है और वही अख्तयार अंजुमन को दिए गए हैं। आपने यह बात कही।

श्री अजीज कुरेशी : मीटिंगें कहां होती हैं अंजुमन की ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि अंजुमन की जो मीटिंगें होती हैं, वह गाहे बगाहे होती हैं।

जहां तक मजलिसे मुन्तजिमा का सवाल है, अक्सर उसकी मीटिंगें करनी पड़ती हैं और काफी मसलों को हल करना पड़ता है।

जहां तक असातजां कायदीन का सवाल है उसको हमने नामजद किया और यह सही भी है। मैं इस बात को और साफ कर देना चाहता हूं। इसमें नामजदगी की कोई बात नहीं है। यह जरूर है कि इन्तीखाबात के तरीके को हमने खत्म किया है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के लिए पालियामेंट की एक जर्वोन्ट सिलेक्ट कमेटी बनी थी उसने जो कुछ लिखा वह मैं आपको बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"समिति ने यह सिफारिश की है कि अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के मामले में संसद (कोर्ट) में नियुक्ति के लिए चुनाव प्रणाली के स्थान पर वरिष्ठता के क्रम से बारी-बारी से चयन किए जाने की प्रणाली लागू की जाए।"

[श्री पी० शिव शंकर]

[हिन्दी]

जहां तक माहरीन का सवाल है बाज़मादरीन का ख्याल यह है कि जो सबसे ज्यादा सीनियर टीचर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए और अंजुमन में, मजलिसे इन्तिजामिया या मजलिसे मुन्तजिमा में नामजदगी का सवाल पैदा नहीं होता है। उसमें खुद-ब-खुद जो सीनियर रहेंगे वह उसके मेम्बर बन जायेंगे। यह सोचने का एक ढंग है और इस पार्लियामेंट ने इस बात को रिकमैंड किया है। जहां पर इन्तीखाबात का सिलसिला था वह कोई अच्छा सिलसिला नहीं था। यह तो अपने सोचने की बात होती है। हमने यह महसूस किया कि हालात को देखते हुए बजाय इसके कि असातज़ा के अन्दर एक फूट डाल दी जाए, सीनियर मोस्ट को क्यों न मौका दे दिया जाए कि वह अंजुमन का मेम्बर बने या मजलिसे मुन्तजिमा का मेम्बर बन जाए। इसमें बुरी बात क्या है। यह जरूरी नहीं है कि आप हर जगह इन्तीखाबात करें और आप यह कहें कि जम्हूरी निजाम खत्म हो जाता है। यहां पर नामजदगी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो सीनियर-मोस्ट हैं वह मेम्बर बन जायेंगे।

एक बात कुरेशी साहब ने यह फरमाई कि बहुत से अनऑथॉराइज्ड डाकुमेंट्स हैं और इसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि उनको बेदखल कर दिया जाए। मैं इतनी ही गुजारिश करना चाहूंगा कि एक मर्तबा यह इदारा कानूनी इदारा बन जाएगा तो पब्लिक प्रेमिसिज एक्ट एप्लाई किया जाएगा।

इस यूनिवर्सिटी के तहत जो दीनी इदारे हैं उसको किसी किस्म से कोई धक्का नहीं पहुंचेगा। अगर आपको किसी किस्म की शुबहात है तो आप मेहरबानी करके अपने दिमाग में मत रखें। हमने इस बिल के जरिए से इस बात की कोशिश की है कि इस वक्त जितने उलूम वहां पाए जाते हैं, शेबा-जाता जिस तरीके से पाए जाते हैं नीज जो ढांचा है उसमें किसी किस्म की तबदीली न हो। इसके साथ-साथ हमने इस चीज का भी ख्याल रखा है कि जिन बातों को सामने रखते हुए इस इदारे की बुनियाद रखी गयी थी उसको कायम रखा जाए।

आम तौर से और जितनी बातें यहां कही गईं उन सबका मैंने जबाब दे दिया है। एक बार फिर मैं इस बिल की हिमायत के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

श्री अजीज कुरेशी : अभी मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि जामिया मिलिया को 30 लाख रुपया दिया गया, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें से कितना उस पर खर्च हुआ। मंत्री जी हमारे नोटिस में यह बात अवश्य लायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी० एम० बनातवाला तथा श्री इब्राहिम सुलेमान सेट द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत किए गए क्रमशः संशोधन संख्या 18 और 19 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 18 और 19 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघराज्य क्षेत्र में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2—परिभाषाएं

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहबुद्दीन। वह यहां नहीं हैं। इसके बाद श्री जी० एम० बनातवाला और श्री इब्राहिम सुलेमान सेट। आप दोनों अपने-अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, यह हम दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से है। मेरी राय में श्री इब्राहिम सुलेमान सेट, इस संशोधन को प्रस्तुत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इब्राहिम सुलेमान सेट, क्या आप संशोधन पेश करेंगे ?

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 3, पंक्ति 6,—

"वर्ष 1920 में" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली; हकीम मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल मजीद ख्वाजा और डा० जाकिर हुसैन द्वारा"। (23)

[हिन्दी]

श्री पी० शिव शंकर : कोई और रास्ता निकालें। जिस तरीके से सारे बानियात हैं उनको किसी और तरीके से कुछ करें। ऐसा न हो कि बायकाट करें; कोई और रास्ता निकालते हैं, बैठकर बात कर लेते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : हम तो बातचीत के लिए आए हैं। हमने वाक आउट नहीं किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री इब्राहिम सुलेमान सेट द्वारा प्रस्तावित संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 23 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी० एम० बनातवाला क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 13 और 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"3(1)" जामिया मिलिया इस्लामिया" के नाम से ज्ञात शैक्षिक संस्था को विश्वविद्यालय के रूप में निगमित किया जाएगा और इस विश्वविद्यालय का नाम जामिया मिलिया इस्लामिया ही रहेगा।" (24)

महोदय, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। खण्ड 3 के उपखण्ड (1) में यह कहा गया है कि "जामिया मिलिया इस्लामिया नाम के एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।" आप यह न सोचें कि इस संविधि के द्वारा आप जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। जामिया मिलिया की स्थापना उन महान नेताओं द्वारा की गई थी। आप आज केवल उसे विश्वविद्यालय के रूप में शामिल कर रहे हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि अधिनियम में इसकी स्थापना किए जाने का उल्लेख करने के स्थान पर विश्वविद्यालय के रूप में इसका नाम शामिल करने का उल्लेख किया जाए।

अनुच्छेद 30 के संदर्भ में भी इसका बहुत संवैधानिक महत्त्व है, परन्तु इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। मेरे विचार में माननीय मंत्री समझ गए होंगे।

श्री पी० शिव शंकर : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके पीछे जो भावना छिपा है,

मैं उसकी सराहना करता हूं। यह सही है कि इस संस्था की और बाद में 'डीम्ड' विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी किन्तु जहां तक सांविधिक विश्वविद्यालय का प्रश्न है उसकी स्थापना अब की जा रही है और इसीलिए जबकि मैं माननीय सदस्य के विचारों की सराहना करता हूं, मैं यही कहना चाहूंगा''''''

श्री जी० एम० बनातवाला : अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामले में भी संशोधन स्वीकार किया गया था किन्तु बाद में "निगमित" शब्द जोड़ा गया था।

श्री पी० शिव शंकर : यह तो ठीक है किन्तु बात यह है कि कानून के अनुसार हम इसकी स्थापना अब कर रहे हैं इसलिए "स्थापित" शब्द का अपना महत्व है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह शब्द रहना चाहिए। मेरे विचार में वह "निगमित" शब्द पर जोर नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 24 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-4

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जी० एम० बनातवाला, क्या आप अपने संशोधन संख्या 25 को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : श्रीमान्, यह पारिणामिक संशोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-5 विश्वविद्यालय के उद्देश्य

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहबुद्दीन। वे यहां नहीं हैं। श्री जी० एम० बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 1—

"विश्वविद्यालय का उद्देश्य" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(क) शिक्षा के ठोस सिद्धान्तों तथा राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीयों, विशेषकर मुसलमानों की धार्मिक तथा धर्म निरपेक्ष शिक्षा की अभिवृद्धि और व्यवस्था करना, और ख" (26)

पृष्ठ 4, पंक्ति 7,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए— (28)

"विशेष रूप से प्राच्य तथा इस्लामी अध्ययन"

पृष्ठ 4,—पंक्ति 9, के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(V) विशेषकर भारत के मुसलमानों की शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिवृद्धि।" (37)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 2,—

"प्रदान करके" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"भारतीयों, विशेष रूप से मुसलमानों में" (27)

पृष्ठ 4, पंक्ति 7,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"विशेष रूप से इस्लामी अध्ययन" (29)

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(V) भारतीयों विशेषकर मुसलमानों की धार्मिक तथा पंथ निरपेक्ष शिक्षा।" (70)

[हिन्दी]

श्री जी० एम० बनातवाला : डिप्टी स्पीकर साहेब, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन

यह क्लाज जो अब हमारे सामने हैं, यह बहुत अहम है और सारी बहस जो चल रही थी वह इसी सिलसिले के अन्दर थी। इसलिए कि इसे क्लॉज के अन्दर कहीं भी जहां यूनिवर्सिटी के मकासिद बयान किए गए हैं, वहां कहीं यह जिकर नहीं है कि उसके मकसद में होगा :—

[अनुवाद]

"भारतीयों विशेषकर मुसलमानों की धार्मिक तथा धर्म निरपेक्ष शिक्षा की अभिवृद्धि और व्यवस्था करना।"

[हिन्दी]

कहीं उसके अन्दर यह जिक्र नहीं है कि ओरिएण्टल एण्ड इस्लामिक स्टडीज के लिए भी कोई जमानत होगी। कुछ चन्द मुबहम अलफाज के अन्दर इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव के अन्दर कहा गया है :—

[अनुवाद]

"कि विभिन्न विषयों में अध्ययन होगा।"

[हिन्दी]

अब हम समझते हैं कि वेरियस डिसीप्लिन्स में इस्लामिक स्टडीज आएगी। आपने कुछ यकीन दिहानिया दिलाई हैं कि जब तक कांग्रेस आई की सरकार कायम है—(व्यवधान) ये आब्जेक्टिव्स ये मकासिद बदलने नहीं पाएंगे। (व्यवधान) इन यकीन दिहानियों का मैं खैर-मकदम करता हूं। आपने जो एश्योरेंसेस दिए हैं, उनका खैर-मकदम करता हूं और रब्बुल इज्जत की दरगाह में दुआ करता हूं कि कहीं आप अपनी यकीन दिहानियों को फरामोश न कर बैठे।

श्री पी० शिव शंकर : मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम फरामोश नहीं करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : लेकिन यह भी कहना कि जब आप यकीन दिला रहे हैं कि आब्जेक्टिव्स में ये तमाम बातें रहेंगी, तो फिर उनको लिख देने में क्या झिझक है। कुछ तो है जिसकी परदादारी हो रही है।

यूनिवर्सिटी का दरजा आप दे रहे हैं; आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

यूनिवर्सिटी का दरजा देते वक्त भी यूनिवर्सिटी से आप उसका सर मांग रहे हैं, उसका कल्ब मांग रहे हैं। इतनी बड़ी कीमत क्यों?

अब कहा गया कि शक व शुबहे मत रखो। (व्यवधान)

[श्री जी० एम० बनातवाला]

यह भी आपने सिर्फ कांग्रेस (आई) राज्य के बारे में कहा। लेकिन अब उसकी भी तो कांस्टीट्यूशन में कोई जमानत नहीं कि हमेशा आप ही रहेंगे। इसलिए तदब्बुर का तकाजा ये है, दूरंदेशी का तकाजा यह है, सिंसियोरिटी का तकाजा यह है, कि सिंसियोरिटी और सच्चाई का तकाजा यह है कि इसकी जमानत आप यहां दे दीजिए। जो चीज आपका दिल व दिमाग मानता है और तस्लीम करता है, उसको आप बयान कर देने मे झिझकते हैं, यह कोई मुनासिब बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके दौर में कोई तूफान नहीं आएगा। इसलिए हम इसका कोई इन्तजाम नहीं करते, यह कैसी बात हुई ? यह कोई दूरंदेशी की बात नहीं है। आपने कहा, विश्वास रखो (व्यवधान) माफ कीजिएगा, आजादी के बाद से लेकर आज तक कदम-कदम पर जो विश्वासघात हुआ है क्या मैं उसकी तारीख इस वक्त बयान करना शुरू करूं? उसकी तारीख अगर आप सुनना चाहते हों, तो बयान करूं, लेकिन इस मकसद के लिए हम यहां नहीं आए हैं। (व्यवधान) हम लौटकर आए हैं आज ऐवान के अन्दर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बराएकरम रास्ता निकाले, वरना कदम-कदम पर विश्वासघात हुआ और यह हकीकत है कि उसमानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू का जनाजा उठाया गया। अब भी तके इब्बरत हासिल कीजिए। यह विश्वासघात हुआ है, इस तरह का हुआ है कि उर्दू जोकि यूपी से उर्दू-ए-मौला बन कर उठी थी, उसे देश निकाला मिला है। इन हकीकतों को आप अपने सुनहरे लफ्जों के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, अजीब लॉजिक है। कहते हैं कि इसके अन्दर मौजूद है, तमाम बातें हैं, सिर्फ हमने वजाहत नहीं की और सराहत नहीं की।

[अनुवाद]

कमी जान बूझकर रखी गई है।

श्री पी० शिव शंकर : नहीं।

श्री जी० एम० बनातवाला : कमी जानबूझ कर रखी गई है और फिर यह कहा जाता है कि जब तक कांग्रेस (इ) सत्ता में है हम इस कमी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए आइए और कांग्रेस-इ के ही हाथ मजबूत करिए ताकि उस कमी का कभी भी दुरुपयोग न हो। विधेयक में जान बूझकर कमियां छोड़कर यह राजनीतिक ब्लैक मेल करने का कानूनी तरीका है।

[हिन्दी]

लैक्यूना रखा गया, हमेशा हमारे हाथों को मजबूत करते रहेंगे। देखो, कोई और आ जाएगा तो इस लैक्यूना का फायदा उठा सकता है। लेकिन हम नहीं उठाएंगे। यह कहां का इन्साफ है। लीगलाइज्ड पौलिटिकल ब्लैक-मेल। हमारे जजबात की कदर कीजिए, हम आपके जजबात की कदर करते हैं और जो चीज आप चाहते हैं, इसके अन्दर लिख दीजिए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 27 और 29 अमेंडमेंट पेश की है। मेरी राय

में इसकी बिलकुल वजह है। आप यह कहते हैं कि मानते हैं। यह बात सही है, होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि एशोरेंस देंगे। कह रहे हैं कि सच बात है, आपके दिल को लगती है, तसलीम करते हैं कि यह बात होनी चाहिए। आप महसूस करते हैं कि ईमानदारी की बात है। हमने यहां पर यह कहा "इस्लामिक स्टडीज। बुनियादी मकसद था। नौयत खास थी। यूनिवर्सिटीज के साथ में नहीं मिलना चाहिए। कम्पेयर नहीं किया जा सकता है। इसकी खास नौयत है। तो फिर आपको इसको इनकारपोरेट करने में क्या मुश्किलात हैं। इसको हम नहीं समझ सके हैं। आप एशोरेंस देते हैं तो उस एशोरेंस को इन्कारपोरेट कर लीजिए। इसमें नुकसान क्या होता है। इसको इनकारपोरेट करने में क्या झिझकते हैं। मैं एक शेर कहना चाहता हूं :

"साहब छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं,
यह कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं।"

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन अमेंडमेंट रखे हैं। मैं अपनी सरकार और अपने मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने जामिया-मिलिया-इस्लामिया को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि जामिया-मिलिया-इस्लामिया एक तारीख है जिसने मुल्क की आजादी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उसमें यह मैं चाहता था कि जिन रहनुमाओं ने उसकी बुनियाद डाली है, उनके नाम इसमें जरूर शामिल किए जाएं। इसी तरह से जहां हम भारतीय शिक्षा की बात कर रहे हैं, वहीं हमने यह कहा है कि इसमें एक लफज बढ़ा दिया—"विशेष कर मुसलमानों की धार्मिक तथा धर्म-निरपेक्षक शिक्षा दी जाए'''इसलिए मैं यह चाहता हूं कि विकलांगों के पश्चात कमजोर वर्गों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। मेरे ये तीन एमेंडमेंट्स हैं। जिस तरह फराखदिली के साथ आज आप इस बिल को पेश कर रहे हैं, अगर मेरे इन तीन एमेंडमेंट्स को मंजूर कर लिया जाए, तो हम मिनिस्टर साहब के आभारी होंगे। यही मुझे गुजारिश करनी थी।

[अनुवाद]

श्री पी० शिव शंकर : मुझे खेद है कि अनेक भावोत्तेजक शब्दावलियों का उपयोग किया गया है, लेकिन मैं इसके एक पक्ष को साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि जहां तक पृष्ठ 3 पर 'भारतीयों' विशेषकर मुसलमानों शब्द जोड़े जाने से सम्बन्धित संशोधन का सम्बन्ध है, मैंने प्रमुख प्रतिष्ठित मुसलमानों सहित अनेक लोगों से चर्चा की थी। मैंने उनसे इस बात पर चर्चा की कि क्या हम विशेष रूप से इस अवधारणा अर्थात् 'मुसलमानों' को शामिल करें या नहीं जो कि नियमावली में पहले से ही मौजूद है—मुझे मालूम है कि जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का सम्बन्ध है, मैंने ही इस विधेयक को तैयार किया था और मैंने स्वयं ही उन शब्दों का उपयोग किया था ताकि उच्चतम न्यायालय द्वारा 1968 में दिए गए निर्णय को निजप्रभावी बनाया जा सके और मुझे इसे प्रभावहीन बनाने के लिए काफी संघर्ष भी करना पड़ा था—और मैं यह स्पष्ट कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति की यह राय नहीं थी कि विशेष रूप से 'मुसलमान' शब्द को जोड़ा जाए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : आप मुख्य बात से हट क्यों रहे हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं उनका नाम बताकर उन्हें आप लोगों की आलोचना का शिकार नहीं बनाना चाहता। यह बात अनुचित होगी। उनका तर्क यह था कि इस संस्था की अपनी अलग पृष्ठभूमि है, अपना अलग इतिहास है और इसका अवधारणा सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य भिन्न रहा है और इसकी धर्म-निरपेक्ष पृष्ठ भूमि रही है। इसलिए आप विशेष रूप से ऐसे शब्दों अर्थात् मुसलमान जैसे शब्द को क्यों शामिल करना चाहते हैं और उन्हीं पर ज़ोर क्यों देते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : यह उसमें था।

श्री पी० शिव शंकर : परन्तु हम इसे कानून बना रहे हैं। लेकिन आपको समझाना मेरे लिए कठिन है क्योंकि आप इतने जिद्दी हैं कि आपको समझाना नामुमकिन है। इसलिए, बात तो यह है कि इन शब्दों पर विचार किया गया था और उसके बारे में जो तर्क दिए गए थे, उन्हें ध्यान रखते हुए, हमने यह सोचा कि इन शब्दों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

अब हम इसके दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं। जहां तक ओरियन्टल और इस्लामिक अध्ययन का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय में इस्लामिक अध्ययन विभाग पहले से ही मौजूद है। वह वहां पहले से ही है। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको केवल आश्वासन ही दे रहा हूं, बल्कि वकील होने के नाते, मैं यह मानता हूं कि इस अधिनियम में दी गई विश्वविद्यालय की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, तथा धारा 5 और 6 एवं उन प्रमुख शिक्षाविदों की राय को ध्यान में रखते हुए, जो यह निर्धारित करने जा रहे हैं कि क्या शिक्षा दी जाएगी, कौन-कौन से विभाग खोले जाएंगे, क्योंकि वे सभी प्रमुख शिक्षाविद, जो वहां हैं, और मुझे यकीन है कि वे जिम्मेदार शिक्षाविद हैं, वे इतने गैर-जिम्मेदार नहीं होंगे कि वे इस संस्था के संस्थापकों की उस कल्पना को और उस रूप को जिस रूप में इस संस्था का विकास हुआ है, तहस-नहस कर दें। इसलिए, जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों और सविधियों के आधार पर ऐसा कह रहा हूं कि इसके स्वरूप को अस्त-व्यस्त नहीं किया जा सकता। एक अतिरिक्त आश्वासन जो मैंने दिया था वह इस कारण था कि चूंकि आप यह कह रहे हैं कि मैंने कुछ बातें कहीं थीं। दरअसल, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि यह एक स्वशासी संस्था है। यह अपने कार्यों की स्वयं ही देखभाल करेगी। यह एक निगमित निकाय है। विभिन्न प्राधिकारी इस संस्था की देख-रेख करेंगे। इसमें किसी भी रूप में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जब मैंने यह आश्वासन दिया था तो मैंने इसे आप दोनों को केवल और भी अधिक सन्तुष्ट करने के लिए ही दिया था कि जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी सरकार इसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाएगी। हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कानून में कोई कमी है। मेरे विचार से, कानून में कोई कमी नहीं है। विभिन्न उपबन्धों को एक साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। आप इन उपबन्धों को अलग-अलग नहीं पढ़ सकते और यह नहीं कह सकते कि इसमें यह शब्द है और इसमें वह शब्द नहीं है। आखिरकार मैं एक वकील की हैसियत से इस बात से सहमत हूं कि यदि आप इस अधिनियम के उपबन्धों और संविधियों को पढ़ लें तो सारा मामला साफ हो जाएगा। लेकिन मैंने एक अतिरिक्त आश्वासन भी दिया है। मैं अभी भी वह आश्वासन देना चाहूंगा और दे भी रहा हूं। यह मेरी सरकार है जो यह

आश्वासन दे रही है। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, इस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में किसी भी रूप में हस्तक्षेप करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। ठीक इसके विपरीत, हम इसे सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा है वहां इस्लामिक अध्ययन होना ही चाहिए। वह हमारी संस्कृति का एक अंग है। यदि भविष्य में मुझे समय मिला, तो जो कुछ भी मैंने अब तक पढ़ा है निश्चय ही उससे और ज्यादा पढ़ना चाहूंगा। यह ऐसा नहीं है कि इस पर समाज के किसी एक वर्ग का ही विशेषाधिकार हो। यह ऐसा नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जो पूरे राष्ट्र से सम्बन्धित हैं। कृपया आप इसे उस रूप में मत लीजिए और यदि आपने उस रूप में सोचना शुरू कर दिया तो हम राष्ट्र की कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। हम भी इसमें उतनी ही दिलचस्पी ले रहे हैं जितनी कि आप। इस देश में किसी भी व्यक्ति का यह कोई अलग से विशेषाधिकार नहीं है। सरकार जो कुछ कर रही है वह कोई मेहरबानी नहीं कर रही है। मुझे खेद है कि कुछ सदस्यों ने ऐसा भी कहा है। मैं इस बात का खण्डन कर रहा हूं। हमने यह महसूस किया कि इसे विश्वविद्यालय का रूप देना हमारा कर्त्तव्य है। सरकार ने इसके बारे में विचार किया। यह कोई मेहरबानी नहीं है। यह तो आज की सरकार के सामने एक कर्तव्य का प्रश्न है और इस पर उसे निर्णय लेना ही होगा। यही हमने किया भी है। इसीलिए कृपा करके आप जिस भावना से इसे किया गया है उस भावना की सराहना कीजिए।

आइए हम सम्पूर्ण राष्ट्र और प्रत्येक वर्ग को एक साथ लेकर चलें। मुस्लिम संस्कृति हमारी संस्कृति का एक अंग है। हमें कितनी मनोरम संस्कृति विरासत में मिली है। यदि हम उन आदर्शों का, उन सिद्धान्तों का, उन मूल्यों का पालन और सम्मान नहीं करते, जो हमारे पूर्वजों ने और इस संस्था के संस्थापकों ने हमारे समक्ष रखे थे, तो हम न केवल इस संस्था के संस्थापकों का बल्कि अपने पूर्वजों को भी भारी अनादर करेंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। (व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : महोदय, हम अपने लिए निर्धारित किए गए मूल्यों की और महान राष्ट्रीय नेताओं की सराहना करते हैं। हमें प्रसन्नता है कि इसमें महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख किया गया है। लेकिन क्या आप उनके नामों का इसलिए उल्लेख नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे मुसलमान हैं? मेरी समझ में यह बात नहीं आती। (**व्यवधान**)

श्री पी० शिव शंकर : मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहां तक संस्थापकों का सम्बन्ध है, हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ ढंग से प्रस्तुत करने के बारे में सोचेंगे। हम उसके बारे में निश्चित रूप से सोचेंगे। मैं उसके बारे में आपसे विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हूं। मैं उसके बारे में आपको आश्वस्त करता हूं। मैं कार्य परिषद, विश्वविद्यालय तथा अन्य लोगों से अनुरोध करूंगा कि सर्वश्रेष्ठ उपायों के बारे में विचार करें। वह एक भिन्न मुद्दा है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष **महोदय** : सिद्दीक जी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : जी हां······(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 70, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी० एम० बनातवाला और श्री इब्राहीम सुलेमान सेट द्वारा पेश किए गए शेष संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 26, 28, 37, 27 और 29 सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 6—विश्वविद्यालय की शक्तियां

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 12,—

'अवधारित करें' के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"विशेष रूप से उर्दू के माध्यम से" (30)

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं i

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 13 के अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु समिति द्वारा चलाए जा रहे अथवा नियन्त्रित सभी संस्थानों में शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण का सामान्य माध्यम उर्दू होगा लेकिन विशेष मामलों में शिक्षा अन्य भाषाओं में दी जा सकेगी ।" (31)

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4—

पंक्ति 14 और 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(ii) भारतीय समाज के बहुभाषी, बहुधार्मिक स्वरूप तथा इसकी मिश्रित संस्कृति पर विशेष जोर देते हुए, भारत के धर्मों, दर्शन और संस्कृति के अध्ययन का संवर्धन करना;" (64)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : सभी स्पष्टीकरणों के बावजूद मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप 'उर्दू सहित' क्यों नहीं कह सकते। इसीलिए, मैं अपने सशोधन पर कायम हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : उर्दू के बारे में भी वही बात है।

[हिन्दी]

इसकी जमानत होनी चाहिए। आपके जज्बात की हम कद्र करते हैं। लेकिन यह तकाजा है कि इसको यहां मेन्शन होना चाहिए। मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन उर्दू कम से कम हमेशा वहां पर रहनी चाहिए। दूसरी जुबानों पर हमें एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री हरुभाई मेहता : सबसे पहले तो मैं सरकार को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। यद्यपि, धारा 5 में प्रयोग किया गया शब्द 'पंथ निरपेक्ष' तथा 'धर्म, दर्शन और भारत की संस्कृति' शब्दों का प्रयोग निर्विवाद है परन्तु दुर्भाग्यवश भारत में कुछ व्यक्तियों द्वारा जानबूझ कर यह भ्रांति फैलाई गयी है कि धर्म, दर्शन और भारत की संस्कृति का तात्पर्य केवल उस धर्म, दर्शन और संस्कृति से है जिनका जन्म भारत में हुआ है। इसलिए, वे कतिपय ऐसे धर्मों, दर्शन और संस्कृति को अलग रखना चाहते हैं जिनका उद्‌गम भारत से बाहर का है जो हमारी मिश्रित संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इससे ऐसा साम्प्रदायिक विश्वास पैदा हो रहा है जिससे अधिकांश भारतीय सहमत नहीं हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलत फहमी दूर करने के लिए मैं 'धर्म, दर्शन और भारत की संस्कृति' शब्दों के पश्चात् 'भारतीय समाज की बहुभाषी, बहुधार्मिक स्वरूप और उसकी मिश्रित संस्कृति' शब्द जोड़ना चाहता हूं, जिसका अर्थ है कि धार्मिक शिक्षाएं, दर्शन और इस्लाम संस्कृति, ईसाई धर्म तथा अन्य धर्म, जिनकी भारत की मिश्रित संस्कृति बहुत ऋणी है, का विशिष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए और 'मिश्रित संस्कृति' शब्द के प्रयोग से ध्वनित होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं रहे और धर्म आदि का अति संकीर्ण अर्थ बताकर इन शब्दों का दुरुपयोग नहीं किया जा सके।

किसी भी अन्य भाषा की तरह उर्दू भी भारत की मिश्रित संस्कृति की उपज है। उर्दू भारत में जन्मी भाषा है जो देश के विभिन्न भागों में, जैसे कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश—जहां के माननीय मानव संसाधन विकास मन्त्री हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फूली-फली है। यह मुगलकाल में इतनी प्रचलित नहीं थी जितनी उसके पश्चात् प्रचलित हुई और काफी समय तक इसका सरकारी कार्य

[श्री हरूभाई मेहता]

में उपयोग भी किया गया अतः इस प्रशासन का माध्यम बनी रही। इसका देश के चारों कोनों में प्रसार हुआ और इस प्रकार यह क्षेत्रीय सीमाओं अथवा प्रांतीय भेद-भाव से ऊपर उठी।

यह भाषा भारत में पैदा हुई और पली और उसे पूरे देश के करोड़ों भारतीय बोलते हैं। हालांकि यह भाषा किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है और पूरे देश में 15 करोड़ भारतीय उर्दू बोलते हैं। जैसाकि मैंने बताया है यह भारत की मिश्रित संस्कृति की देन है। यह मध्य और पश्चिम एशिया में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय समझबूझ की निर्माता और अग्रदूत है। इसलिए, यदि मेरी बात मानी जाए तो विशेषकर हमारे समाज के मिश्रित स्वरूप के सन्दर्भ में भी इस्लाम के दर्शन, उर्दू भाषा और उर्दू तथा साथ ही अन्य सभी धर्मों की धार्मिक शिक्षाओं पर भी बल दिया जाना चाहिए। अध्ययन के अंग के रूप में मिश्रित संस्कृति पर भली-भांति जोर दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया को एक सर्वव्यापी स्वरूप की संस्था बनाने का उद्देश्य है।

इस समय मैं मन्त्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि गुजरात में महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित की गई एक अन्य बड़ी संस्था अर्थात् गुजरात विद्यापीठ का दर्जा बढ़ाकर, कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के न चाहने पर भी उसे भी एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसे एक विश्वविद्यालय का दर्जा देना राष्ट्रीय हित की बात है। विचार हेतु इस संशोधन को प्रस्तुत करने के पीछे यही आशय था।

मैं मन्त्री जी से सिफ़ारिश करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकृति देने के प्रस्ताव पर विचार करें।

श्री पी० शिव शंकर : पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मैं खण्ड 25(1)(ग) के अन्तर्गत पहले ही निवेदन कर चुका हूं जिसमें हमने कहा है कि परीक्षा तथा शिक्षा का माध्यम एक ऐसा विषय है जिस पर मजलिस-इ-मुनताजीमह को निर्णय लेना है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे विश्वास है कि जहां तक इस संस्था के वर्तमान रुख का सम्बन्ध है यहां उर्दू, अंग्रेजी तथा हिन्दी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उस संस्था में शिक्षा का माध्यम उर्दू जारी रहेगा। इस बारे में सरकार कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहती थी। जैसाकि मैंने कहा कि सरकार का एक समान प्रक्रिया अपनाने का उद्देश्य था। निःसन्देह, जहां तक खण्ड 40 का सम्बन्ध है—वह परेशानियों को दूर करने के लिए है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। इसीलिए मैंने मजलिसे-इ-मुनताजीमह की सदस्यता के बारे में स्पष्ट किया है तथा जो इस सभा के सदस्य हैं वे उर्दू भाषा के हितैषी हैं।

मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि यह भाषा, जैसाकि अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि, हमारी सभ्यता तथा संस्कृति का ही फल है। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि इस भाषा को किसी धार्मिक सम्प्रदाय के लोगों से जोड़ा जाए। मेरे विचार से प्रत्येक भाषा उन लोगों की है जो उस भाषा को बोलते हैं। जाति, पंथ, रंग अथवा धर्म से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा उर्दू एक ऐसी भाषा है

जो हमारी अपनी है। मैं भी उससे उतना ही जुड़ा हुआ हूं जितने कि श्री इब्राहीम सुलेमान् सेट, अथवा श्री बनातवाला अथवा श्री अन्सारी। इसीलिए मुझे विश्वास है कि यदि हम इस भाषा की उपेक्षा करें तो वह इस राष्ट्र के हित में न होगी। यह सत्य है कि हमने बहुत-सी भाषाओं की उपेक्षा की। मैं खुद महसूस करता हूं कि उर्दू की उपेक्षा की गई है। परन्तु इसका कुछ रास्ता ढूंढा जाए।

जहां तक इस संस्था का सम्बन्ध है, यहां उर्दू माध्यम का सम्बन्ध विद्यार्थियों के एक बहुत बड़े भाग से है, और यह जारी रहेगी। किसी प्रकार के दिखावे का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि शिक्षा के माध्यम के विषय को मजलिस-इ-मुनताजीमह पर छोड़ दिया गया है, मुझे विश्वास है, कि जो भी उस सभा का सदस्य है वह उर्दू का ही हितैषी है।

अब इसका दूसरा भाग लीजिए जिसमें मेरे मित्रों ने खण्ड 6 के उपखण्ड (दो) की व्याख्या करने का प्रयास किया है :

"भारत के धर्म, दर्शन और संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देना।"

मुझे खेद है कि यह बहुत ही गलत व्याख्या है। (व्यवधान) यदि किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई भी सन्देह हो तो मैं स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसका सम्बन्ध उन सभी धर्मों से है जो आज भारत में विद्यमान हैं। (व्यवधान) इस्लाम एक बड़ा धर्म है। इसकी संस्कृति हमारी संस्कृति का एक अंग है। हम इसको अलग कैसे कर सकते हैं? यहां तक कि इसकी दूर की व्याख्या से भी मैं नहीं समझता कि आप इस्लाम को इस देश का एक धर्म मानने से इन्कार कर सकते हैं। तर्कों की किस समानता पर आप इसकी उस तरह व्याख्या करते हैं?

श्री हरूभाई मेहता : मैं हस्तक्षेप करने के लिए माफी चाहता हूं। (व्यवधान) मैं केवल यही कहने का प्रयास कर रहा था कि हिन्दू साम्प्रदायिक समाचार-पत्र जानबूझकर इस्लाम को एक विदेशी धर्म के रूप में वर्णित कर रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह बिल्कुल सही बात कही है। यहां हमारे देश में पहले ही एक आन्दोलन चल रहा है। हमें आंखें बन्द नहीं रखनी चाहिए। (व्यवधान) आपके अपने सदस्य ने ध्यान आकर्षित कराया है।

श्री पी० शिव शंकर : श्री बनातवाला जी, क्योंकि कुछ हिन्दू साम्प्रदायिक समाचार-पत्रों ने ऐसी व्याख्या शुरू कर दी है केवल इसी से हमें डराया नहीं जा सकता।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसीलिए हमें अति सावधान रहना चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : मैं अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हूं। देखिए, साम्प्रदायिक तथा प्रतिक्रियाशील तत्व इन उपबन्धों की अपने ढंग से तथा खुद अपने हितों के हक में व्याख्या करना चाहेंगे। परन्तु क्या आप उनके इशारों पर चलना चाहेंगे? इनके इशारों पर चलने का कोई भी अवसर नहीं है।

[श्री पी० शिव शंकर]

साम्प्रदायिक कोई भी हो, मैं वह कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। परन्तु यदि कोई शरारत से इसकी व्याख्या करना चाहें तो हम इसका शिकार हो सकते हैं। हमें इसे यथातथ्य रूप में स्वीकार करना होगा और मुझे विश्वास है कि इस खण्ड का उद्देश्य इस देश में मौजूद इसाई, इस्लाम और अन्य धर्मों जैसे इन धर्मों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना है, और वह संस्था भी इसी को कार्यरूप देगी।

श्री हरुभाई मेहता : मैं मंत्री महोदय के विचार से सहमत हूं। और मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 64 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी० एम० बनातवाला और श्री इब्राहिम सुलेमान सेट द्वारा खण्ड 6 के बारे में पेश किए गए संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 30 और 31 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 7—विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 8;—

"विकलांगों" **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए—**

"कमजोर वर्गों, उर्दू माध्यम छात्रों, विख्यात खिलाड़ियों, आन्तरिक छात्रों, विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों/पत्नी अथवा पति" (32)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किए गए संशोधन सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 32 रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 से 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 18—सभा

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"18 (1) सभा विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शासी निकाय होगा और विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिनका उपबन्ध इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में न किया गया हो तथा उसे कार्य परिषद और शिक्षा परिषद के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति होगी सिवाय उन कार्यों के जहां ऐसे निकायों ने इस अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेश के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में कार्य किया हो।

(2) सभा का गठन और उसके सदस्यों का कार्यकाल परिनियमों द्वारा विहित किया जाएगा।" (33)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किए गए संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 33 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 से 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 19 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 24—परिनियम कैसे बनाए जाएंगे

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10,—पंक्ति 29 से 37 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए— (24)

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सभा इस धारा में इसके बाद उपबन्धित रीति से उपधारा (1) में निर्दिष्ट नए अथवा अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उनमें संशोधन कर सकेगी या उनका निरसन कर सकेगी।

(3) कार्य परिषद सभा के विचार के लिए किसी परिनियम के प्रारूप का सभा को प्रस्ताव कर सकेगी और ऐसे प्रारूप पर सभा द्वारा अपनी अगली बैठक में विचार किया जाएगा।"

परन्तु कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले किसी परिनियम के प्रारूप या किसी परिनियम में किसी संशोधन का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर लिखित में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गई किसी राय पर सभा द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) सभा उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे किसी प्रारूप का अनुमोदन कर सकेगी या उसे पूर्ण रूप में अथवा उसके एक भाग को अस्वीकार कर सकेगी या कार्य परिषद को सभा द्वारा सुझाए गए किन्हीं संशोधनों के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगी।

(5) सभा का कोई सदस्य सभा को किसी परिनियम के प्रारूप का प्रस्ताव कर सकेगा और सभा उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकेगी या ऐसे प्रारूप को कार्य परिषद को विचार के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी, जो उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकेगी या सभा को ऐसे रूप में प्रारूप दे सकेगी जैसा कि कार्य परिषद अनुमोदन करे और इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार दिए गए किसी प्रारूप के मामले में उसी रूप में लागू होंगे जिस रूप में वे कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रारूप के मामले में लागू होते हैं।" (38)

पृष्ठ 10, पंक्ति 30,—"बना सकती है" के पश्चात् "या परिनियमों में संशोधन कर सकेगी या उनका निरसन कर सकेगी" अन्तःस्थापित किया जाए। (39)

पृष्ठ 10, पंक्ति, 39 से 41 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए — (24)

"(3) प्रत्येक नया परिनियम या नियमों में किया गया परिवर्धन या किसी परिनियम में किया गया कोई संशोधन अथवा निरसन कुलाध्यक्ष को भेजा जाएगा।" (40)

परिनियम बनाने की शक्ति कार्य परिषद को दी गई है। जब सभा की इस मामले में पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है तो मेरा निवेदन यह है कि सभा को भी परिनियम बनाने की शक्ति अवश्य दी जानी चाहिए हालांकि ये परिनियम आरम्भ में कार्य परिषद द्वारा बनाए गए हों। परिनियम बनाने वाले निकायों में सभा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये भिन्न निकायों द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। किन्तु कम-से-कम संस्थान के मुख्य शासी निकाय के प्राधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

दूसरा प्रश्न तकनीकी है और मुझे आशा है कि या तो आप मेरी गलती बता देंगे अथवा इस मामले में मैं अपना कुछ योगदान कर सकूंगा। एक गलती बिलकुल साफ दिखाई देती है। कृपया उप-धारा (2) पढ़िए। यह इस प्रकार है:

"कार्य परिषद, समय-समय पर, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है।"

परन्तु उप-धारा (1) अनुसूची में निर्दिष्ट परिनियमों का उल्लेख करता है। इसे इस प्रकार होना चाहिए:

"कार्य परिषद समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियम को संशोधित या निरसित कर सकती है।"

यह केवल एक तकनीकी गलती है जो मैं ठीक कराना चाहता हूं।

श्री पी० शिव शंकर : जब हम यह कह रहे हैं कि 'नए' परिनियम बनाएं तो उसका अर्थ है वर्तमान परिनियमों का पूर्ण विलोपन करना।

श्री जी० एम० बनातवाला : केवल उनमें संशोधन किया जा सकता है जो पहले ही अनुसूची में है, उसका पूर्ण विलोपन नहीं करें। शक्ति कहां है? उप-धारा (1) अनुसूची में निर्दिष्ट केवल प्रथम परिनियम के बारे में है। यह एक तकनीकी गलती है।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। उप-धारा (2) में कहा गया है:

[श्री पी० शिव शंकर]

"कार्य परिषद, समय-समय पर उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है।"

आप परन्तुक देखिए :

"परन्तु कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक न तो बनाएगी और न उनमें संशोधन करेगी और न उनको निरसित करेगी जब तक उस प्राधिकरण को प्रस्थापित परिवर्तन पर लिखित रूप में अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त राय पर कार्य परिषद विचार करेगी।"

यदि आप इस परन्तुक के प्रभाव को देखें, तो मेरे विचार से प्रस्तावित संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार की स्थिति की आवश्यकता नहीं है। उप-धारा (3) में कहा गया है :

"प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या संशोधन या उसके निरसन के लिए कुलाध्यक्ष के अनुमोदन की अपेक्षा होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विचारित कर सकेगा या उसे कार्य परिषद के विचारार्थ वापस भेज सकेगा।"

इस प्रकार इसमें संशोधन, निरसन अथवा नए परिनियम बनाने की बात कह दी गई है।

इसे ध्यान में रखते हुए मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री बनातवाला द्वारा खण्ड 24 पर पेश किए गए सभी तीनों संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 38, 39 और 40 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 से 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 29—कर्मचारियों की सेवा शर्तें

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 13,—

पंक्ति 6 से 8 का लोप किया जाए।" (34)

श्री हरु भाई मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 13,—

पंक्ति 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"2 (क) विश्व विद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच सेवा शर्तों के सम्बन्ध में किसी विवाद को निर्देशित किया जाएगा जिसका एक सदस्य होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(ख) अधिकरण में नियुक्त किया जाने वाला सदस्य उच्च-न्यायालय का सेवानिवृत या वर्तमान न्यायाधीश होगा या उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित होगा;

(ग) अधिकरण को उतनी अन्तरिम राहत मंजूर करने की शक्ति होगी जितनी वह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और उचित जो समझे और प्राधिकरण को खर्चा अधिनिर्णीत करने की भी शक्ति होगी;

(घ) सरकार अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और अधिकरण द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों को लागू करने की प्रक्रिया को, नियमों द्वारा, विदित कर सकेगी; और

(ङ) इस अधिनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।" (65)

पृष्ठ 13, पंक्ति 6,—

हिन्दी संस्करण पर लागू नहीं होता। (66)

पृष्ठ 13,—

पंक्ति 9 से 11 का लोप किया जाए। (67)

श्री जी० एम० बनातवाला : यह खण्ड माध्यस्थम् अधिकरण के बारे में है और यह कहा गया है कि विवादों में माध्यस्थम अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस अधिकरण द्वारा निर्णीत मामलों के सम्बन्ध में किसी भी सिविल न्यायालय में आगे कोई मुकदमा नहीं चलेगा।

मैं महसूस करता हूं कि यह भाग "कि निर्णय अन्तिम होगा और अधिकरण के निर्णय के बारे में किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा" बहुत ही कठोर है। जब आप यह कहते हैं कि माध्यस्थम् अधिनियम 1940 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से सम्बन्धित सभी विवादों पर लागू होगा, तो माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 को माध्यास्थम् के अध्यधीन सभी मामलों के बारे में पूरी तरह लागू होना चाहिए। आप विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को उनके 34 अधिकारों से वंचित क्यों कर देना चाहते हैं जो उन्हें माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के अधीन प्राप्त हुए हैं।

श्री हरुभाई मेहता : महोदय, मैं सरकार और सदन से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे संशोधनों पर विचार करें। अधिकरण माध्यस्थम् के बजाय, एक न्यायिक अधिकरण होना चाहिए, जिसमें सरकार द्वारा एक सदस्य को नियुक्त किया जाना चाहिए। वह उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होना चाहिए या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। इस न्यायिक अधिकरण का निर्णय अन्तिम होना चाहिए। इन बातों के बारे में ही मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। महोदय, गुजरात में न्यायिक अधिकरण के कार्यचालन का अनुभव और इसके द्वारा विवादों के विषय में दिए गए निर्णय प्रशंसनीय रहे हैं। यह बहुत ही त्वरित, सरल, सस्ती, सक्षम एवं विशेषज्ञतापूर्ण है। और यह ठीक भी है कि अधिकरण से कोई मुकदमा सिविल न्यायालय में नहीं जा सकता। अनुच्छेद 226 के अधीन, उच्च न्यायालय में दावा किया जा सकता है, और अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय में दावा किया जा सकता है। इसलिए न्यायिक अधिकरण से मामलों का निपटान और अधिक तीव्रता से हो सकेगा और मेरे विद्वान मित्र द्वारा बताई गई कठिनाइयों से भी छुटकारा मिल जाएगा।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मैं सबसे पहले श्री बनातवाला के संशोधन पर चर्चा करूंगा। निर्णय यह है कि उपखण्ड 2 के अधीन इसे कर्मचारी के, न कि नियोजक के अनुरोध पर, अधिकरण को सौंपा जायेगा। कर्मचारी के अनुरोध पर ही इसे अधिकरण को भेजा जाएगा और इस अधिकरण में तीन व्यक्ति होंगे। एक सदस्य मजलिस-ए-मुन्ताजिलाली (कार्यकारी परिषद) का होगा, दूसरा सदस्य कर्मचारी द्वारा नामित किया जाएगा और तीसरा सदस्य नियोजक होगा जो कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

इस तरह से, यह अधिकरण बनेगा। इसलिए, मुझे यह समझ में नहीं आता कि न्यायिक अधिकरण कैसे बेहतर हो सकते हैं क्योंकि तीनों व्यक्ति जो उस अधिकरण में होंगे और जो उस संस्था की समस्याओं से परिचित भी होंगे, किसी न्यायिक प्राधिकरण की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी तरह से समस्याओं का हल निकाल सकते हैं क्योंकि न्यायिक प्राधिकरण के सामने मामले को ले जाने में और वहां से विवाद का निर्णय कराने में वर्षों लग जाते हैं जैसाकि श्री हरुभाई मेहता का अनुभव है और

कम से कम मेरा अनुभव भी यही है। इसलिए यह अधिकरण जिसमें तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो संस्था को जानते हैं, वहां की परिस्थितियों को समझते हैं और संस्था आदि के कार्यचालन से परिचित भी हैं, मामलों का हल निकाल सकते हैं और इसकी गहराई से जांच कर सकते हैं।

इसके बाद, प्रश्न यह है कि क्या सिविल न्यायालय को मुकदमे का अधिकार दिया जाए या नहीं। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यद्यपि, अन्यथा जहां कहीं माध्यस्थम् है और मध्यस्थता के आधार पर निर्णय दिया गया हो तब भी, आप मुकदमा नहीं कर सकते, कानूनन, आप मुकदमा कर ही नहीं सकते। आप माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 30 और 33 के अधीन निर्णय देने के लिए निर्णय का विरोध करने के लिए केवल कार्यवाही के लिए ही न्यायालय में जा सकते हैं; वास्तव में, मुझे खेद है कि मुझे यह कहना चाहिए था कि "यद्यपि धारा 30 और 33 के अधीन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं......" ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा परन्तु मैं इसका बाद में ध्यान रखूंगा। जब हम यह कह रहे हैं कि कोई भी मुकदमा स्वीकार नहीं किया जाएगा तो इसका यह अर्थ नहीं है कि, क्योंकि यह उपबन्ध आपको अनेकों अधिनियमितियों में मिलेगा, यह सामान्य मुकदमें का तो प्रतिषेध करता है लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उपबन्धित उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का और संविधान के अनुच्छेद 32 या 136 के अधीन उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता है। इसलिए, इन संशोधनों को स्वीकार करना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री हरुभाई मेहता : महोदय, मैं अपने संशोधनों को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 65, 66 और 67 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 29 में संशोधन के लिए श्री बनातवाला द्वारा दिए गए संशोधन संख्या 34 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 34 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 30। श्री हरूभाई मेहता।

श्री हारू भाई मेहता : महोदय मैं यह संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। यह संशोधन तभी आवश्यक था जबकि मेरे पहले संशोधन स्वीकार कर लिये जाते।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 31 से 41 तक में कोई संशोधन नहीं है। अब मैं खण्ड 30 से 41 तक को एक ही साथ सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 30 से 41 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 30 से 41 तक विधेयक में जोड़ दिए गये।

अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सैयद शहाबुद्दीन अब अनुसूची में अपने संशोधन संख्या 15,16 और 17 का प्रस्ताव करेंगे। वह अनुपस्थित हैं। श्री बनातवाला अनुसूची में अपने संशोधनों का प्रस्ताव करेंगे। क्या आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 10 से 18 **के स्थान पर** निम्नलिखित "प्रतिस्थापित किया जाए"—

"(1) कुलाध्यक्ष, कुलपति को सभा द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों की सूची में से नियुक्त करेगा।" (35)

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 10 से 18 **के स्थान पर** दिम्नलिखित "प्रतिस्थापित किया जाए"—

"(1) कुलाध्यक्ष, कुलपति को तीन व्यक्तियों की ऐसी समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों की सूची में से नियुक्त करेगा तथा उस समिति में कुलाधिपति, कार्य परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक-एक व्यक्ति होगा तथा कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस समिति का सभापति होगा;

परन्तु उपर्युक्त समिति का कोई सदस्य विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नहीं होगा।" (36)

पृष्ठ 10, पंक्ति 16 से 18 "का लोप किया जाये"। (41)

पृष्ठ 21, पंक्ति 36, —

"ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से" **के स्थान पर** "जो उनमें से निर्वाचित किये जायेंगे"

प्रतिस्थापित किया जाये। (42)

पृष्ठ 21, पंक्ति 38-39,—

"कुलपति द्वारा नियुक्त किये गए दो उपाचार्य ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से" **के स्थान पर** "दो उपाचार्य, जो उनमें से निर्वाचित किये जायेंगे" "प्रतिस्थापित किया जाये।" (43)

पृष्ठ 21, पंक्ति 40-41,—

"कुलपति द्वारा नियुक्त किए गए दो प्राध्यापक-ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से" "के स्थान पर" "प्राध्यपक जो उनमें से निर्वाचित किए जायेंगे" 'प्रतिस्थारित किया जाए'। (44)

पृष्ठ 21, पंक्ति 41 "के पश्चात्" निम्नलिखित "प्रतिस्थापित किया जाये"।

"(xiv क) अन्य अध्यापकों अर्थात् आचार्यों और उपाचार्यों और प्राध्यापकों से भिन्न अध्यापकों में से ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया एक व्यक्ति।" (45)

पृष्ठ 21, पंक्ति 41 "के पश्चात्" निम्नलिखित "अन्त:स्थापित किया जाये"—

" (xiv क) अन्य अध्यापकों अर्थात् प्रोफेसर, रीडर तथा प्राध्यापकों से भिन्न अध्यापकों में से निर्वाचित एक व्यक्ति" (46)

पृष्ठ 21, पंक्ति 43-44, "के तीन प्रतिनिधि ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से" "के स्थान पर" "में से निर्वाचित तीन प्रतिनिधि" 'प्रतिस्थापित किया जाए'। (47)

पृष्ठ 22, पंक्ति 4 'के पश्चात' निम्नलिखित 'अन्तःस्थापित् किया जाए'—

"(xvii क) मुस्लिम संस्कृति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले छह व्यक्ति जो सभा द्वारा सहयोजित किए जाएंगे।

"(xvii ख) उर्दू भाषा तथा साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जो सभा द्वारा सहयोजित किए जाएंगे।" (48)

पृष्ठ 22, पंक्ति 10 "के पश्चात्" निम्नलिखित "अन्त:स्थापित किया जाए"—

भूतपूर्व छात्रों के प्रतिनिधि :

(xxi) भूतपूर्व छात्रों के पन्द्रह प्रतिनिधि जो उनके संघ द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

छात्रों के प्रतिनिधि :

(xxii) अध्यादेश द्वारा निर्धारित रीति से समूहों में वर्गीकृत विभिन्न निकायों के छात्रों द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित किए जाने वाले ग्यारह छात्र;

परन्तु छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य एक वर्ष की अवधि अथवा उस समय तक जब तक वे छात्र रहे, पद धारणा करेंगे, इनमें से जो भी पहले हो।" (49)

पृष्ठ 22, पंक्ति 37,—"कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्ति" 'के स्थान पर' निर्वाचित किए जायेंगे" 'प्रतिस्थापित किया जाये'। (50)

पृष्ठ 22, पंक्ति 40 'के पश्चात' निम्नलिखित 'अन्त:स्थापित किया जाए'—

"(ix) सभा के छह सदस्य, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा, जो उस में से निर्वाचित किए जायेंगे।" (51)

पृष्ठ 22,—पंक्ति 40 'के पश्चात' निम्नलिखित 'अन्तःस्थापित किया जाए'—

"(ix) वित्त अधिकारी।" (52)

पृष्ठ 24, पंक्ति 22 और 23 "ज्येष्ठता के अनुसार, जो कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे" 'के स्थान पर' "जो उन में से निर्वाचित किए जाएंगे" 'प्रतिस्थापित किया जाए'। (53)

पृष्ठ 24, पंक्ति 25 और 26—

"जो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से कुलपति नियुक्त किया जाएगा," 'के स्थान पर' "जो उस श्रेणी में अध्यापकों द्वारा प्रत्येक श्रेणी द्वारा निर्वाचित किया जाएगा," (54)

पृष्ठ 24, पंक्ति 29 'के पश्चात' निम्नलिखित 'अन्तःस्थापित किया जाए'—

"(xii) उर्दू पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रभारी प्राध्यापक" (55)

पृष्ठ 24, पंक्ति 29 'के पश्चात' निम्नलिखित 'अन्त:स्थापित किया जाए'—

"(xii) दो स्नातकोत्तर विद्यार्थी, एक अनुसंधान विद्यार्थी तथा एक अवर स्नातक विद्यार्थी अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे।" (56)

श्रीमान अनुसूची में मेरे 18 संशोधन कोर्ट अंजुमन कार्यकारी परिषद् (मजलिसे मुममाजिमा) और शैक्षिक परिषद् (मजलिसे तालीमी) की रचना के बारे में है। मेरे संशोधनों में कुलपति की नियुक्ति तथा संविधियों के निर्माण का भी उल्लेख है। श्रीमान अंजुमन में वित्तीय अधिकारी शामिल होना चाहिए। यह मेरी समझ नहीं आता कि वित्तीय अधिकारी कोर्ट का सदस्य क्यों नहीं हो सकता। वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसे कोर्ट का सदस्य होना ही चाहिए।

प्रोफेसरों, रीडरों और प्राध्यापकों को छोड़ कर अन्य अध्यापकों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इस समय उन दूसरे अध्यापकों का प्रतिनिधित्व है।

श्री पी० शिव शंकर : आज स्थिति यही है। हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : तो, उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इन लोगों के अलावा अन्य अध्यापकों को भी शामिल कर लिया जाये ।

इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व विद्यार्थियों तथा वर्तमान विद्यार्थियों को भी काउन्सिल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है । यह कानून अवनति का द्योतक है । हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं । जहां तक अध्यापकों तथा अन्य लोगों का सम्बन्ध है आप चुनाव के सिद्धान्त को छोड़ रहे हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे बताया गया है कि परिनियम बनाने के मामले में आपको भी कुछ करना है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : कार्यकारी परिषद् के मामले में भी, प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षक निर्वाचित किए जाने चाहिए । संगम ज्ञापन में यह उपबन्ध है कि शिक्षक उनमें से ही निर्वाचित किए किए जाने चाहिए । परन्तु यहा उस अंग को छोड़ दिया गया है । कार्यकारी परिषद् में वित्त अधिकारी भी शामिल होना चाहिए तथा कार्यकारी परिषद् में सभा द्वारा निर्वाचित किया गया कोई प्रतिनिधि जरूर होना चाहिए । महोदय शिक्षा परिषद् के मामले में भी शिक्षक निर्वाचित करने पड़ेंगे । तब इस विद्या परिषद् में उर्दू के हित में उर्दू सदस्य के रूप में कम से कम पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रभावी प्राचार्य को जरूर होना चाहिए

श्री पी० शिव शंकर : यह आपके द्वारा तैयार किया गया था । मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरे द्वारा नहीं । आपके कुलपति जी उसमें हैं उन्होंने कितनी आसानी से अपनी बात बदली है । वह अब उन सीटों पर बैठने की आकांक्षा कर रहे हैं । उर्दू में पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रभावी प्राचार्य को इस विद्या परिषद् का एक सदस्य होना चाहिए ।

[हिन्दी]

आपने तो उर्दू में तकरीर भी की लेकिन

[अनुवाद]

उर्दू में पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रभावी प्राचार्य

[हिन्दी]

उसको जगह देने को तैयार नहीं हैं । सिर्फ अल्फाज ही अल्फाज पर टाल दिया गया है ।

[अनुवाद]

दो स्नातकोत्तर छात्र और एक अनुसंधान छात्र आदि-आदि होने चाहिए। इस विद्या परिषद् के साथ उन्हें सहयुक्त किया जाना चाहिए । परन्तु मुख्य विशेषताओं के रूप में जो कुछ बातें उसमें थीं उन्हें छोड़ दिया गया है । कुलपति की नियुक्ति के मामले में सभा बिल्कुल सामने नहीं आती । मैंने सुझाव दिया

कि यदि आप कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा कराना चाहते हैं, आप इसे रख सकते हैं परन्तु जहां कुलपति की नियुक्ति पैनल (नाम सूची) द्वारा की गई हो वहां कम से कम पैनल (नाम सूची) की सिफारिश सभा द्वारा होनी चाहिए। आज आप सभा का दर्जा एकदम कम कर रहे हैं। परिनियम भी सभा द्वारा ही बनाए जाने चाहिए यद्यपि उनकी शुरूआत कार्यकारी परिषद् से की जा सकती है।

मैंने काफी तर्क देने का प्रयास किया है परन्तु मन्त्री जी अब कहते हैं कि परिनियमों में उनके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। मुझे आशा है कि जो बातें मैंने कही है वे उन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक परिनियमों का सम्बन्ध है ये वे परिनियम हैं जो फिलहाल इस संस्था में लागू हैं। हमने उनको इसलिए शामिल किया है ताकि वे.........का एक अंग बन सके।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप प्रगतिवादी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय बात-यह है कि मेरे मित्र जो भी संशोधन चाहते हैं उस मामले पर विचार करना कार्यपरिषद् का कार्य-क्षेत्र है तथा हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। परन्तु कुलपति की नियुक्ति के प्रश्न के संबंध में मैं नहीं समझता कि हमें सभा को इस मामले में लाना चाहिए क्योंकि इस कार्य के लिए कार्यपरिषद् जो है। पैनल (नाम सूची) है तथा वे पैनल (नाम सूची) तैयार करते हैं तथा फिर इसे भेजते है। यह एक बहुत जांची-परखी गई प्रक्रिया है जो सही-सलामत कार्य करती है। हमें इसके अनुसार चलते रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब: मैं श्री बनातवाला द्वारा पेश किए गए संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हू।

संशोधन संख्या 35, 36 और 41 से 56 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि अनुसूची विधेयक का का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ हीं गई।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

प्रस्तावना

श्री एस बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,—

"स्थापित और" का लोप किया जाए

महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे तथा अब इसे स्वीकार करेंगे।

श्री पी० शिव शंकर : कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनातवाला द्वारा पेश किए गए संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 22 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्तावना विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना विधेयक में जोड़ दी गई।

विधेयक का पूरा नाम

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि विधेयक के पूरे नाम में—

"स्थापित और" का लोप किया जाए

श्री पी० शिवशंकर : [हिन्दी] अरे भाई, टाइटिल के पीछे क्यों पड़ गये ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 21 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राज्य सभा से संदेश

6.24 म० प०

महासचिव : महोदय, मैं राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे आरोविल प्रतिष्ठान विधेयक, 1988, जिसे राज्यसभा ने 1 सितम्बर, 1988 को हुई अपनी बैठक में पारित किया है, की एक प्रति भेजने का निदेश हुआ है ।

आरोविल प्रतिष्ठान विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा यथापारित आरोविल प्रतिष्ठान विधेयक, 1988 सभा पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

56 वां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे ।

श्री कमला प्रसाद रावत अब आप बोलिए ।

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 30 अगस्त, 1988 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समित के छप्पनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 30 अगस्त, 1988 को सभा में प्रस्तुत किए गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के छप्पनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.26 म०प०

20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में संकल्प--जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 19 अगस्त, 1988 को श्री सोमनाथ रथ द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :

"यह सभा सरकार द्वारा शुरू किए गए नए 20 सूत्री कार्यक्रम की सराहना करते हुए यह महसूस करती है कि गरीबी उन्मूलन कार्मक्रमों का क्रियान्वयन पूर्णतया संतोषजनक नहीं रहा है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तुरन्त कदम उठाये।"

श्री अजीज कुरेशी का भाषण जारी रहेगा।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय मैं अपनी कांस्टीट्वेंसी, अपने निर्वाचन क्षेत्र सतना का जिक्र कर रहा था और निवेदन कर रहा था कि गरीबी हटाने के जो कार्यक्रम 20 पाइण्टा प्रोग्राम के अन्तर्गत हमने बनाये हैं उनमें एक उद्देश्य हमारा यह भी है कि तमाम इलाकों का भी विकास हो, आल राउन्ड डवलपमेन्ट हो। मैंने आपसे निवेदन किया था कि वायुदूत की सेवा सतना में शुरू हुई। हमारे मन्त्री माननीय मोतीलाल जी वोरा और माननीय माधव राव जी सिन्धिया गये। केवल एक उड़ान का उद्घाटन हुआ लेकिन वोरा जी के हटते ही दोबारा फिर यह सेवा नहीं चली, यह बड़ा अन्याय है, बड़ा अत्याचार है, उस पिछड़े इलाके पर। इस प्रकार के अन्याय को दूर करना चाहिए और जो सेवा हमारे माननीय मन्त्री वोरा जी और प्रधान मन्त्री की मेहरवानी से शुरू की गई थी उसको तुरन्त सतना और में शुरू की चर्चा की थी, टोलीविज करना चाहिए।

इसी प्रकार से मैंने टेलीवीजन के लिए चार साल से बराबर वायदे किये जा रहे हैं। कि एक लाख की आबादी से ज्यादा जितने भी नगर हैं, शहर हैं वहां टेलीवीजन आ चुका है। टी०वी० नेटवर्क

[श्री अजीज कुरेशी]

से वह शहर जोड़े जा चुके हैं। मैं पूछना चाहूंगा, क्या कारण है कि सतना की जनता, ग्रामीण जनता, आदिवासी क्षेत्र की जनता, पिछड़े क्षेत्र की जनता सरकार के उन कार्यक्रमों को, जिनको फैलाने के लिए टेलीवीजन सबसे ताकतवर मीडिया है, उससे आज वंचित है। क्यों हमारी मांग करने के बाद आज तक सतना में टी०पी० नहीं आ पाया है ? मैं चाहूंगा, सरकार इस ओर ध्यान दे और टी०वी० वहां से जल्दी से शुरू कराये। टी०वी० नेटवर्क से सतना को तुरन्त जोड़ दिया जाय।

इसी प्रकार से हमारे जो दूसरे कार्यक्रम हैं, रोजगार देने के, गरीबी दूर करने के, उनके लिए भी सरकार प्रभावी कदम उठाये। जैसा मैंने पिछले वक्त भी कहा था कि जो उद्योग, जो कारखाने, जो फैक्टरीज वहां मंजूर की जाती हैं, उनकी तरफ देखा जाय वे कारखाने वाले, उनके मालिक वहां के स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक नौकरी में लें और बेरोजगारी को दूर करें। सरकार का यह जबाब कि हमारे पास साधन नहीं हैं, हम किसी कारखाने वाले को मजबूर कर सकें वह स्थानीय लोगों को सेवा में ले। आपका यह जबाब आज की नंगी भूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता है अगर संवैधानिक तरीके से बेरोजगारी दूर करने के, गरीबी दूर करने के लोगों को रोजगार दिलाने के सारे असफल हो जायेंगे, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि फिर आज का नंगा भूखा नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार खामोश नहीं रहेगा। फिर वह असंवैधानिक तरीके अपनायेगा जिससे समाज की सारी व्यवस्था के बिगड़ने का अंदेशा है। ऐसी परिस्थिति न आने देने के लिए सरकार को गौर करना चाहिए ताकि ऐसी परिस्थिति पैदा न होने पाये :

यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रम बनाने के बाद, हमारी सारी समाजवाद की नीतियां बनाने के बाद भी आज इस देश में मालदार और अधिक मालदार हो रहे हैं। यह बात अपनी जगह सच है कि गरीब आदमी अधिक गरीब नहीं हो रहा है। गरीब का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, सुधार हुआ है—यह बात सही है। लेकिन धन का विकेन्द्रीकरण चंद हाथों में हो रहा है, दौलत का अननेचुरल केन्द्रीकरण कुछ हाथों मे जो रहा है, इस परिस्थिति को दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। वरना हम एक खतरनाक परिस्थिति की ओर बढ़ेंगे और समाज के अन्दर एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जिस पर कन्ट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे उस पर ध्यान दें। इसके साथ ही सतना पार्लियामेन्ट्री कान्स्टीचुयेंसी के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गरीबी हटाने के कार्यक्रम को सक्रिय रूप से लागू करें और वहां की जनता के उद्धार के लिए अधिक धनराशि दें और वहां की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करें। ताकि वहां की जनता का कल्याण हो और उद्धार हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एल० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : सबसे पहले तो मैं आज की कार्यवाही में आपने जो तन्मयता दर्शाई है उसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। और धन्यवाद देता हूं। मैं 20 सूत्री कार्य-

क्रम के इतिहास में नहीं जाऊंगा।.........स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की परिकल्पना थी और उन्होंने ही इसे शुरू किया था। पुनः 1982 में इसमें संशोधन किया गया तथा पिछली बार इसमें 1986 में संशोधन किया गया था। यहां मैं सभी सूत्रों के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं 20 सूत्रों में से केवल पहले सूत्र अर्थात ग्रामीण गरीबी पर आक्रमण पर ही बल दूंगा। देश में कतिपय विशिष्टताएं हैं। हमारा देश रंग-बिरंगी संस्कृति और रंग-बिरंगी परम्परा का देश है। सभी विशिष्टताओं में से हम जो नहीं रखना चाहते, वह है गरीबी की विशिष्टता। इसलिए हमें गरीबी को हटाना है। इस संदर्भ में, मेरे क्षेत्र में हथकरघा और हस्तशिल्प के लघु और कुटीर उद्योगों की बहुतायत है। हम अभी तक हथकरघों के विकास पर अधिक कुछ नहीं कर सके हैं। देश के हमारे भाग में हथकरघा निम्न वर्ग के लोगों का व्यावसाय नहीं है। समाज में उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक सभी लोगों का यह एक अनिवार्य व्यवसाय है। यह एक ग्रामीण व्यवसाय है। मणिपुर तथा पास के पर्वतीय क्षेत्रों मे हथकरघा प्रत्येक परिवार का व्यवसाय है। वे इसे निम्न करघा कहते हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में यह अधिक विकसित नहीं है। इसलिए उस क्षेत्र में हथकरघा और निम्न करघा बड़े और छोटे, ऊंचे तथा नीचे, धनी अथवा गरीब, सभी का व्यवसाय है।

हमने पिछले दशक में देखा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के बावजूद बुनकरों को अभी भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सारा लाभ बिचौलिए ले जाते हैं। मैं वस्त्र मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा ताकि पूर्वोत्तर परिषद् के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के हथकरघा क्षेत्र को पुनः सुदृढ़ बनाया जा सके और उस क्षेत्र में हथकरघा उद्योग को और राहत देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

दूसरा सूत्र जो कि अति महत्वपूर्ण है, वह है अंतिम सूत्र अर्थात् प्रभावी प्रशासन। प्रभावी प्रशासन के अभाव में 20 सूत्री कार्यक्रम अथवा कोई भी कार्यक्रम अर्थहीन है। अब तक यह अनुभव रहा है कि राज्य सरकारों की अब यह आदत बन गई है वे इसे अनुभव कहते हैं कि केवल रिकार्ड बनाना चाहते हैं और वे रिकार्ड केवल कागजी होते हैं। मैं सभी राज्य सरकारों की आलोचना नहीं कर रहा हूं अच्छी सरकारे भी हैं और कुछ कार्यक्रमों में उनका कार्य-निवादन भी अच्छा है। परन्तु, कुल मिलाकर, 20 सूत्री कार्यक्रम में जिस प्रभावी प्रशासन पर बल दिया गया है, वह प्राप्त किया जाना अभी शेष है। मुझे अपने राज्य की कार्यान्वियन समिति से अनेक वर्षों तक सम्बद्ध रहने का विशेषाधिकार प्राप्त रहा है। मेरा यह अनुभव है कि भिन्न-भिन्न विभागों के प्रभावी अधिकारी, भिन्न-भिन्न कार्यक्रयों के प्रभावी कागजी रिकार्ड प्रस्तुत करते हैं और इन रिकार्डों को कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेज दिया जाता है तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय बस अपने यहां इनका मूल्यांकन करता है और संस्द में अथवा अन्य मंचों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्ताव कर देता है। अब तक का यही रिकार्ड है। जैसा कि हम आज देखते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धी के सैद्धान्तिक पहलू और आदर्श पहलू के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सत्र से पहले किसी अन्य सत्र में मुझे याद है कि मैंने कार्यक्रम कार्यान्विन मंत्रालय से एक प्रश्न पूछा था कि क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा तंत्र बनाया है जिसके माध्यम से हम क्षेत्रीय अनुभव का पता लगा सकें, क्योंकि जब तक हम कार्यान्वयन के बारे

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

में पूर्ण और अति व्यापक क्षेत्रीय निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक संतोषजनक परिणाम नहीं निकल सकता। इस प्रकार मैं अंतिम सूत्र अर्थात् प्रभावी प्रशासन पर बल देना चाहूंगा और इस मामले में आवश्यकता इस बात की है कि सभी अधिकारी, मंत्रीगण, पंचायतें और अन्य लोग पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करें। प्रत्येक स्तर पर प्रतिबद्धता और निष्ठा की आवश्यकता है। इस 20 सूत्री कार्यक्रम का परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना है। केवल तभी यह कार्यक्रम अर्थवान होगा। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मुझे दिए गए समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक सदस्य को 4 अथवा 5 मिनट तक बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिल सके।

एक माननीय सदस्य : महोदय यह एक अच्छा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अध्यक्ष महोदय तथा सभापति तालिका के सदस्यों की अनुपस्थिति में मेरा सुझाव है कि श्री एन० टोम्बी सिंह आज सभापति के रूप में कार्य करें। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

कुछ माननीय सदस्य : हां, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री एन० टोम्बी सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे कार्य-भार संभाले।

6.37 म० प०

[श्री एन० टोम्बी सिंह पीठासीन हुए]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) महोदय इस महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु आपका बहुत धन्यवाद। यद्यपि मैंने सोचा था कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बोलुंगी परन्तु यहां प्रत्येक सदस्य जल्दी में है तथा सभा ने पहले ही नियत कर दिया है कि प्रत्येक सदस्य केवल 5 मिनट बोलेगा। इसीलिए मैं विस्तार में नहीं जा रही। परन्तु, महोदय, इस 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए मैं अपने प्रधान मंत्री तथा सरकार को जरूर बधाई दूंगी।

यह 20-सूत्री कार्यक्रम हमारे देश के गरीब लोगों का महाधिकार-पत्र (मेग्नाकार्टा) तथा यह हमारा आर्थिक संविधान भी है। यह गरीब लोगों का आर्थिक संविधान है। परन्तु बात यह है किसी स्तर पर निगरानी में कुछ कमी अथवा कुछ ढील के कारण लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह जानती हूं कि विशेष रूप से कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्री एक बहुत ही कार्य कुशल मंत्री है। मैं उनका बहुत आदर करती हूं। परन्तु मैं यह नहीं जानती कि क्या वे हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पायेंगे अथवा नहीं क्योंकि कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय एक सुस्त कार्यान्वियन मन्त्रालय है। जबकि

हम इस इतने महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं परन्तु सरकारी दीर्घा में केवल 2 अथवा 3 अधिकारी ही बैठे हैं। परन्तु महोदय, इस मन्त्रालय का सम्बन्ध अन्य मन्त्रालयों से हैं, इस मंत्रालय का संबंध जल संसाधान मन्त्रालय से है, इस मन्त्रालय का समंबंध बैंकिंग विभाग से है. इस मन्त्रालय का संबंध उद्योग मन्त्रालय से है। इस मन्त्रालय के कार्य का सम्बन्ध कृषि मन्त्रालय से है इस मंत्रालय के कार्य का सम्बन्ध मन्त्रालयों में अनेक अन्य विभागों से है मेरी समझ में यह नहीं आता कि माननीय मन्त्री जी इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अनेक प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पायेंगे। निःसन्देह मैं यह जानती हूं कि माननीय मन्त्री जी हमारे द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर अफसरशाहों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त किए गए लक्ष्यों को दर्शाने वाले आंकड़ों के आधार पर देने का प्रयास करेंगे। अनेक प्रश्नों पर स्पष्टीकरण मांगकर मैं इस गैर वक्त सभा का समय नहीं लेना चाहती हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से केवल इतना अनुरोध करना चाहती हूं कि वे हमें यह बतायें कि वे क्या कर सकते हैं, क्या वे तुरन्त एक निगरानी कक्ष की स्थापना करवा सकते हैं ताकि 20 सूत्री कार्यक्रम को राज्यों में उत्तम ढंग से लागू किया जा सके। राज्य सरकारों से आप यह पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितना लक्ष्य प्राप्त किया है तथा क्या उन्होंने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए निर्धारित किए गए समय के अनुसार लक्ष्य प्राप्त किए हैं तथा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए खर्च की गई राशी के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहरा सकते हैं तथा यह पता लगा सकते हैं कि क्या उन्होंने अच्छा कार्य किया है। मैं एक राज्य सरकार विशेष को जानती हूं जिसने राज्य में अच्छा कार्य नहीं किया है। परन्तु कुछ राज्य सरकारें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। यदि आप एक निगरानी कक्ष की स्थापना कर दे तो आप को यह पता लग जाएगा कि कौन सी राज्य सरकार धनराशि का दुरपयोग कर रही है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कृपया विभिन्न राज्यों में तुरन्त निगरानी कक्ष की स्थापना करें।

महोदय मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि इन योजनाओ को सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाये तथा उन्हीं के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन उन्हें कार्यान्वित किया जाए. राज्य सरकारे कई अन्य योजनाएं निष्पादित कर रही हैं। परन्तु इनमें से अधिकांश योजनाएं पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित है यदि आप अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगी कि केन्द्रीय सरकार सीधे इन योजनाओं का नियन्त्रण और कार्यान्विन करें।

एक माननीय सदस्य : क्या आपका संकेत पश्चिम बंगाल की ओर है ?

कुमारी ममता बनर्जी : केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी ये योजनाएं केन्द्र द्वारा नियंत्रित तथा कार्यान्वित की जानी चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि आपको राज्यों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन में संसद सदस्यों को शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसद सदस्य संसद में आए और भाषण दें तथा विभिन्न विधेयकों और अन्य मामलों पर चर्चा तथा वाद-विवाद में भाग लें। राज्यों में विधायक, निगम तथा पंचायत आयुक्त अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में आम लोग सहायता तथा मार्ग दर्शन के लिए हमारे पास आते हैं। परन्तु

[कुमारी ममता बनर्जी]

वहा हम शक्तिशाली विधायकों और दल के अन्य कार्यकर्ताओं के कारण उनके लिए अधिक नहीं कर पाते। हम 20-सत्री कार्यक्रम के माध्यम से गरीब तथा कमजोर वर्गों के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। गरीबों के लिए यह महाधिकार-पत्र (मैग्नाकार्टा) है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के माध्यम से गरीबी तथा बेराजगारी को दूर करें तथा गरीब और कमजोर वर्ग के इन लोगों की सहायता करें। आपके एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीय भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम एस० यू० पी० डब्ल्यू आदि जैसे अनेक अन्य कार्यक्रम हैं। बैंकिंग क्षेत्र को देश के विकास के लिए और जरूरतमंद तथा निर्धन जनता की विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की, सहायता करने के लिए राष्ट्रीयकृत किया गया है। लेकिन बैंक कर्मचारी तथा अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों के शीर्ष अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि बैंकिंग क्षेत्र बहुत बढ़िया काम कर रहा हैं। परन्तु महोदय मैं यह जानना चाहती हूं कि वे आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। वे निर्धन जनता को परेशान कर रहे हैं। वे उन्हें ऋण प्रदान करने में कोई सहायता नहीं करते। "इसलिए क्या आप इस बात का पता लगायेंगे कि कितने बैंकों ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन निर्धारित अपने लक्ष्यों को पूरा किया है।" कितने बैंक वास्तव में निर्धन और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यदि आप इस मामले की जांच करें, तो आपको वास्तविकता का पता चल जायेगा। मैं निर्धन जनता के प्रति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के प्रति, बैंकों के रवैये की निन्दा करती हूं। वे राज्यों में कुछ राजनैतिक दल के लोगों की सहायता कर रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस मामले में जांच करायें। मैं यह भी अनुरोध करती हूं कि समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किये जाये। वर्तमान जटिल प्रक्रिया को भी हटाया जाये। ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये। केवल तभी उन लोगों को वास्तव में लाभ मिल पायेगा जिनके लिए इन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया है। परन्तु राज्य सरकार कार्यपालक अधिकरण है और वे इन कार्यक्रमों को पूरी तरह से अमल में नहीं ला रही हैं। इसीलिए मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगी। आप बहुत कुशल मंत्री है परन्तु आपको अन्य मंत्रियों को भी यह बताना चाहिए कि वे भी इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने में कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। अन्यथा आप हमारे प्रश्नों के कुछ विशिष्ट उत्तर ही देते रहेंगे। और इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पायेगा।

महोदय मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता महोदय, माननीय रथ साहब ने जो यह संकल्प पेश किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं और यह उम्मीद करता हूँ कि जिस भावना से माननीय इंदिरा जी ने और उसके बाद हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने नया बीस सूत्री कार्यक्रम देश को दिया, उसी भावना के अनुरूप सारे मंत्रालय चाहे केन्द्रीय सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, उसी

के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में इसके विपरीत है। बीस सूत्री कार्यक्रम के साथ प्रतिबद्ध होने की, जुड़े होने की कसम हर मन्त्रालय और सभी मन्त्री खाते हैं और बार-बार उसका जिक्र करते हैं। लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो उसको पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ दिया जाता है। जहां तक ब्यूरोक्रेसी के कमिटमेंट का सवाल है, वह कभी भी बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप नहीं हो सकता। एक-दो सूत्रों के साथ हो सकता है। कोई भी ब्यूरोक्रेट कितना ही अच्छा क्यों न हो वह कभी यह नहीं चाहेगा कि गरीब आदमी को या दुखी आदमी को कर्ज मिल जाए। आई० आर० डी० पी० के लोन जिनको ब्लाक रिकेमन्ड कर देते हैं, उनको जब लोन सैंक्शन करने की बात आती है तो बैंक मैनेजर दस बार दौड़ाता है। सारे हिन्दुस्तान में एक ही बात है। शायद ही कुछ सौभाग्यशाली होंगे जिन्हें आइ० आर० डी० पी० के अन्तर्गत पूरा पैसा मिल पाता होगा। अधिकांश लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। इससे आई० आर० डी० पी० की सारी स्कीम्स सिक हो रही हैं। जो गरीब है वह उससे भी नीचे स्तर पर जा रहा है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुझे यह देखकर तकलीफ होती है कि जिनको कर्ज दिया गया आज उनको पैसा जमा कराने के लिए कोर्ट से समन जारी हो रहे हैं। अगर उनके पास साधन होते हैं तो वे कर देते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छी भैंस के लिए पर्याप्त पैसा चाहिए। सस्ती भैंस ली जो दूध नहीं दे पायी और आदमी का पैसा वसूल नहीं हो पाया और आज वह दर-दर भटक रहा है। अगर हम बीस सूत्री कार्यक्रम के साथ कुछ भी न्याय करना चाहते हैं तो गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत जो कर्ज दिया गया था, उसको माफ करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। हमारे जो भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की भी यही हालत है। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता गल्ला उपलब्ध कराने की जो स्कीम थी, उस सिस्टम में इतना करप्शन जुड़ा हुआ है कि सामान्य आदमी तक वह लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि इन सारे कार्यक्रमों का ठीक से क्रियान्यवन हो। उसके लिए हर मन्त्रालय के लेवल पर और राज्य सरकार लेवर पर जो जिला स्तर पर कार्यान्वियन समितियां हैं, उनको डेकोरेटिव पीस न बनाएं बल्कि उनको वास्तविक अर्थ में इन्वाल्व करना पड़ेगा। जिलों में राज्य सरकारों के मन्त्रीगण नहीं आते हैं। अगर आते हैं। तो दो घंटे के अन्तर्गत ही बीस सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग कर लेते हैं। उस दो घंटे में क्या निकलेगा। एक सूत्र पर भी विचार नहीं हो सकता है। वास्तविक अर्थों में डिस्ट्रीक्ट कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी को उसका उपाध्यक्ष बनाकर रखा गया है, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं हैं। यदि फिजिकल बेरीफिकेशन करना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। बीस सूत्री कार्यक्रम की कमेटियां रिजोल्यूशन पास करके जिन अधिकारियों के बारे में कहती हैं कि इन्होंने ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही राज्य सरकारें नही करती हैं। उसके बाद तब बड़ा ताज्जुब होता है जब राज्य सरकार जिला स्तर पर क्रियान्वयन अच्छा नहीं करती, लेकिन भारतीय स्तर पर बात आती है तो उसको नम्बर एक या नम्बर दो दिया जाता है, यह केवल आंकड़ों की जगलरी है। राज्य सरकारों ने हर जिलों में होशिहार अधिकारी बिठा दिये हैं जो बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के आंकड़े इस तरीके से बनाते हैं कि जब वह यहां आकर बताते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा कल्याण हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि नीचे उसकी भावना तक नहीं पहुच पा रही है। जितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है उसका 25 प्रतिशत भी खर्च कर पाते तो बहुत कुछ स्थिति

[श्री हरीश रावत]

में परिवर्तन होता, लोगों की माली हालत में परिवर्तन होता । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार जो कुछ करना चाहती है वास्तविक अर्थों में केन्द्र सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के स्तर पर भी मानेटरिंग कमेटीज को अफेक्टिव बनाना पड़ेगा, नौकरशाही पर अंकुश लगाना पड़ेगा, जनता का सीधे पार्टिसिपेशन होना चाहिए । बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए धन की कमी होती है तो उसके लिए भी सरकार को तत्पर रहना होगा । गरीब से गरीब आदमी के लिए मदद करनी चाहिए अगर मदद करेंगे तो पायेंगे कि वह आदमी गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकेगा तभी बीस सूत्री कार्यक्रम की मंशा पूरी हो पायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे श्री सोमनाथ रथ द्वारा प्रस्तुत किये गये इस अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया । मैं अपनी मातृ भाषा में बोलना चाहूंगा जिसके लिए सूचना पहले ही दे दी गई है ।

*माननीय सदस्य श्री सोमनाथ रथ ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है । दुर्भाग्य-वश वह सभा में उपस्थित नहीं है । परन्तु उन्होंने हमें इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान किया है । उन्होंने इस तथ्य पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है । परन्तु उन्हें यह जानना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा संशोधित किये गये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कियान्वयन में गहरी दिलचस्पी ले रही है ।

**जैसा कि आप जानते ही हैं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की, इस कार्यक्रम को लागू करने और इसके कार्यान्वियन के पश्चात् पिछले वर्षों के लाभों और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, 20 अगस्त, 1986 को संसद में घोषणा की गई थी । इसे 1 अप्रैल, 1987 से लागू किया गया था । इस कार्यक्रम में गरीबी हटा वित्तीय स्थिति और रहन सहन के स्तर को सुधारना और अमीर तथा गरीब के बीच की खाई को कम करना शामिल था ।

इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और व्यवसाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया था । जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास में वृद्धि करना था जिसके लिए केन्दीय सरकार तथा राज्य की सरकारों ने अपने-अपने बजट में प्रावधान किए थे । हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह सारा का सारा कार्यान्वियन राज्य सरकारों पर ही निर्भर है । राज्य सरकार इसे समुचित रूप से लागू नहीं करतीं तो केन्द्र सरकार इसमें क्या कर सकती है ? इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना आयोग और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की भी यह इच्छा है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन पर

*मूलत: उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

**भाषण अंग्रेजी में

निगरानी रखी जाये। दुर्भाग्य वश इस कार्यक्रम को समुचित रूप से कार्यान्विन नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। जिसकी अध्यक्षता श्री हनुमंथ राव कर रहे हैं। उन्होंने इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन की भी निगरानी की है। उनकी रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी हटाना है और समाज के निर्धनतम व्यक्ति की आमदनी में इजाफा करना है तथा उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। मूल्यांकन रिपोर्ट से यह पता चला है कि इसे या तो खंड स्तर पर अथवा ग्राम स्तर पर पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

1986-87 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का लक्ष्य 23.60 करोड़ मानव दिवस उपलब्ध करना था, जबकि केवल 17.30 करोड़ मानव दिवस ही उपलब्ध कराये जा सके। इससे पता चलता है कि इसका समुचित रूप से कार्यान्वियन नहीं हो पाया।

बंधुवा मजदूरों के पुनर्वास की ओर सिंचाई तथा पीने के पानी का प्रावधान करने की योजना को भी समुचित रूप से कार्यान्वियन नहीं किया गया।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून के कायर्न्वियन पर भी गौर करें। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि रेलवे तक में जो हमारे देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, यह भी न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। हमारे राज्य उड़ीसा में ही सी० पी० सी० गैंगमेंन को 7.50 रुपया प्रति दिन के हिसाब से मिल रहे हैं। जबकि राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 11 रुपए प्रति दिन की दर से निर्धारित की है। पश्चिम बंगाल में सी० पी० सी० गैंग को 14 रुपये प्रतिदिन की दर से मिल रहे हैं। यह विसगति है और इसको दूर किया जाना चाहिए।

कृषि क्षेत्र के लिए योजना बनाने के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि लघु सिंचाई किसानों के खेतों को सिंचित करने का मुख्य साधन है। लेकिन लघु सिंचाई की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जिसके लिए उन्हें राज्य सरकार से सहायता नहीं मिलती है। इसे कैसे लागू किया जा सकता है? मध्यम और बाड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार धन देती है। हम मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन इन परियोजनाओं के बनाने में अत्यधिक देरी की जा रही है तथा इसकी लागत में वृद्धि हो रही है और इन परियोजनाओं के पूरा होने में भी अधिक समय लग रहा है। अत: हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। केन्द्र सरकार को लघु सिंचाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए और इस संबंध में एक निगरानी समिति का भी गठन किया जाना चाहिए ताकि सिंचाई योजना को उचित ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

सिंचाई के पानी का बेहतर ढंग से उपयोग करने के बारे में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने नदी घाटियों में जल निकासी के लिए अनेक योजनाएं प्रस्तुत

[श्री चिन्तामणि जैना]

की हैं। लेकिन केन्द्र सरकार इसके लिए धन उपलब्ध नहीं कर रही है। चूंकि इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका इसलिए उड़ीसा के लोगों को परेशानी हो रही है।

जहां तक भूमि सुधार कानूनों को लागू करने की बात है यह केवल कागजों तक ही सीमित है। भूस्वामी न्यायालय में जा रहे हैं और वे वहां से स्थगत आदेश ला रहे हैं जिसके कारण उन लाभार्थियों को जमीनो का कब्जा नहीं दिया रहा है जिन्हें ये जमीनें दी गई थीं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

7.00 म० प०

सभापति महोदय : इस मद के लिए नियत समय समाप्त हो गया है। सभा को इस बात का निर्णय करना है कि क्या हमें इस मद के लिए समय बढ़ाना चाहिए अथवा नहीं? क्या सभा समय बढ़ाने के लिए सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : कितने घंटे?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मेरा एक निवेदन है। जो सदस्य आज सभा में उपस्थित हैं केवल वे ही बोल सकते हैं।

सभापति महोदय : यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हमें इस मद के लिए समय बढ़ाना है।

अनेक माननीय सदस्य : हम दो घंटे का समय बढ़ाने के लिए सहमत हैं।

सभापति महोदय : क्या हमें दो घंटे बढ़ा देने चाहिए? क्या सभा इसके लिए सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : हां

सभापति महोदय : हम इस मद के लिए दो घंटे का समय बढ़ाते हैं। अब ममता जी आप जो कुछ कहना चाहती हैं कहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : 20 सूत्री कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सदस्य इस संबंध में बोलने के इच्छुक हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि जो सदस्य आज बोलना चाहते हैं, आज बोल सकते है। लेकिन मंत्री महोदय को आज उत्तर नहीं देना चाहिए।

सभापति महोदय : केवल समय नियत किया गया तथा बढ़ाया गया है। मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है। श्री राम भगत पासवान जी अब आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसडा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह बीस सूत्रीय कार्यक्रम हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की गरीबी मिटाने के लिए प्रस्तुत किया था जिससे भारत की कोटि-कोटि जनता को गरीबी से उबारा जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई थी जिससे गरीबों को रोजगार मिले, भूमिहीनों को भूमि मिले, गृहहीनों को गृह मिले, हर खेत में पानी और हर घर में बिजली हो। इसी कार्यक्रम को हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी बहुत तेजी लागू करके भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं। इसके सभी मुद्दों पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है और जिसका सम्बन्ध गरीबी से है उसके प्रसंग में कहना चाहता हूं कि सरकार की क्या नीति है, इस प्रोग्राम का क्या लक्ष्य है, हमारी अफसरशाही क्या कर रही है और हमारी सरकार को क्या करना चाहिए।

मान्यवर, इस प्रोग्राम के अन्तर्गत एक पाइंट के तहत गरीबी और भूमिहीनों को भूमि दी गई और दी जा रही है। मेरा कहना इस सम्बन्ध में यह है कि भूमि पतियों और धनवानों से पथरीली भूमि लेकर इन गरीबों को दे दी गई। इस बात का पता लगा लिया जए। भूमिपतियों से कोई भी अच्छी भूमि नहीं ली गई। खराब और पथरीली जमीनें लेकर इन भूमिहीनों को दे दी गई। इन गरीबों ने अपना खून-पासीना बहाकर उन जमीनों को जब उपजाऊ बना लिया, तो ये ही लैंड लार्ड उनके खिलाफ केस लेकर हाईकोर्ट में चले गए और वे जमीनें उनसे वापस ले ली। आप बिहार में पता लगा लीजिए बोर्ड आफ रैवेन्यू और हाई कोर्ट से एक भी फैसला गरीबों के पक्ष में नहीं होता है क्योंकि वे लोग जज है बड़े-बड़े पैसे वाले हैं। वे पुलिस से मिले रहते हैं और पुलिस इनकी ही सहायता करती है। आप पता लगा लीजिए पुलिस के फैसले भी गरीबों के पक्ष में कभी नहीं होते हैं। जब कि पुलिस जानती है और कोर्ट भी जानती है कि गरीबों को इन भूमिया के पर्चे सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भूमि गरीबों को दी गई उनको सरकार का का संरक्षण मिले और जिनको पजेशन दिया गया है उनका डिस-पजेशन न किया जाए। मेरा तो यह आग्रह भी है कि ऐसी भूमियों को जुडीशियल के अधिकार के बाहर रखा जाए ताकि मुकदमा चल ही न सके। जब सरकार स्वयं भूमि दे रही है और सभी जानते है कि भूमि पतियों से जो भूमि ली गई है वही इसको दी गई तो फिर इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए और उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, जहां तक मिनिमम वेजेज की बात है, उसको देख भी लीजिए। बिहार में यदि सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम वेज मिलता होता, तो वहां के लोग पंजाब में जाकर अपनी जान नहीं गवाते और अन्य राज्यों में रोजी-रोटी के लिए संरक्षण न लेते। मिनिमम वेजेज प्रखण्ड स्तर से जिला स्तर तक बिहार में कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए उसको दिलाने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हों उन पर इसकी जवाब देही डाली जाए कि वे इसको पूरी और अच्छी तरह से लागू करें। यदि वे इसे लागू नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर

[श्री राम भगत पासवान]

कानूनी कार्यवाही की जाए और उन्हे सजा दी जाए ताकि सभी संबधित अफसर सतर्क हो जाए। हम ने प्रखंड से लेकर जिले और स्टेट की कल्पना पर कार्यक्रम किए हैं जिनकी वजह से 20-सूत्री कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो अधिकारी हैं चाहे इलेक्ट्रिक के हों, कम्युनिकेशन, इरिगशन, रैवेन्यू या स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखते हों सभी का इसमें आना अनिवार्य है लेकिन खुलेआम वह नहीं आते है निर्भय होकर नहीं आते हैं। ये अधिकारी एक ही फिगर रखते हैं, हर मीटिंग में वही फिगर प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से यह असावधानी बरती जा रही है। यह कार्यक्रम श्रीमती इंदिरा गांधी का भारत की गरीबी मिटाने का है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर खेत को पानी, हर व्यक्ति को रोजगार, हर गरीब को घर, यह सब देकर भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहती है इस पर ये अफसर अड़गा लगाते है। अफसरशाही इसको खराब कर रही है। इसलिए इन अफसरों को अनिवार्य रूप से दंड देना चाहिए और जजेज पर भी कार्यवाही करनी चाहिए। जो हमारे प्रोग्राम को, हमारी नीति को नहीं समझ कर पक्षपातपूर्ण फैसला करते हैं, देश की स्थिति को नहीं समझते, परिस्थितियों को नहीं समझते लकीर के फकीर बने हुए हैं, सिर्फ अपने स्वास्थ्य को देखते हैं, इसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० और ट्राइसम योजनाओं पर बहुत सा रुपया खर्च हो रहा है लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ऊपर उठाने के लिए बैंकों को ले लीजिए। बैंक तो 25 हजार रुपया मात्रा देता है, बिहार में यही फिगर है। लेकिन इस 25 हजार के चलते ही कितने लोग मिटिगेशन मे फस गए हैं। 25 हजार के बदले कोई रिबेट काल लेता है और बहुत तबाही की जाती है। यह तो बहुत छोटा सा एमाउंट है इससे क्या किया जा सकता है किसी न किसी तौर पर खर्च हो जाता है। इसलिए कम-से-कम बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपया रोजगार के लिए मिलना चाहिए। जिससे वह छोटी इंडस्ट्री लगा सकें और यह हर घर में होनी चाहिए। देहात में बहुत सी महिलाएं अशिक्षित हैं और कुछ शिक्षित भी हैं, उनके लिए भी कोई रोजगार नहीं है, उनको भी अनिवार्य रूप से 1 लाख रुपया मिलना चाहिए ताकि वह काटेज इंडस्ट्री घरों में लगा सकें। हमारी योजनाएं बनी हैं बाढ़ व सुखाड़ के निवारण के लिए जब से भारत आजाद हुआ हैं आपने करोडों रुपया खर्च किया है लेकिन जब से योजनाएं लागू हुई हैं, उससे पहले इतनी क्षति नहीं होती थी आज अरबों रुपया खर्च करने के बाद जहां पहले सैकड़ों एकड़ जमीन बहती थी, अब हजारों एकड़ जमीन की फसलें नष्ट हो जाती हैं। पहले 200, 400 घर बहते थे और अब हजारों घर बह जाते हैं। पहले पानी आता था लेकिन 10, 15 दिनों में चला जाता था लेकिन अब जो बांध बना दिए गए हैं उनसे महीनों पानी वहां जमा रहता है। जमीन में पानी के अभाव के कारण कितने ही एकड़ खेती बरबाद हो जाती है, मवेशी मर जाते हैं बीमारी पैदा होती है, मनुष्य मर जाते हैं। इस तरह से अफसरशाही के हाथों में जो आपने सब सुपुर्द कर दिया है उस पर नियन्त्रण लगाना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम जिसके पीछे इंदिरा गांधी का स्वप्न था कि भारत की गरीबी मिटा दें, गरीबी रेखा से नीचे के हरिजनों, आदिवासियों कमजोर वर्ग के लोगों और महिलाओं को रोजी-रोटी दें, वह स्वप्न पूरा हो और हमारे राजीव जी जिस तेजी

से गति लाना चाहते हैं, उसमें हम सब का सहयोग मिलकर हमारी सरकार का जो लक्ष्य है वह पूरा हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नोरंगपुर) : सभापति महोदय, मैं आपको इस बात के लिऐ धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बोलने के लिए अवसर दिया है। मैं श्री सोमनाथ द्वारा रखे गये संकल्प का समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह 20 सूत्री कार्यक्रम हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिये गये 'गरीबी हटाओ' नारे के सम्बन्ध में शुरू किया गया था। यहां इस 20 सूत्री कार्यक्रम में बताये गये अधिकांश चार विषयों अर्थात् गरीबी निर्वारण, कृषि विकास, स्वास्थ्य, पेयजल, आदि से सम्बन्धित हैं। अन्तिम विषय प्रभावी प्रशासन से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि पहला और अन्तिम विषय इस कार्यक्रम में अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।

पहले सूत्र के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और इसी प्रकार के अन्य गरीबी निवारण कार्यक्रम शुरू किये हैं। हमने इन सभी कार्यक्रमों पर अभी तक सातवीं, पंचवर्षीय योजना में आबंटित की गई धनराशि से कहीं अधिक धन खर्च किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि सातवीं योजना के दौरान 1,250·81 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी और इस वर्ष जनवरी तक हमने 1,492.27 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सातवीं योजना के लिए हमने 1,743.78 करोड़ रुपये निर्धारित किये थे। इस कार्यक्रम पर हम अभी तक 2,221.8 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि हमने जितनी धनराशि आबंटित की गई थी, उससे कहीं अधिक हम खर्च कर चुके हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि गरीब लोगों का आर्थिक विकास उस हद तक नहीं हुआ है जिस हद तक हमें आशा थी। उन्होंने गरीबी रेखा की निर्धारित सीमा को पार नहीं किया है, और हम चाहते थे कि वे इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी की रेखा को पार करें। अतः मुख्य बात यह है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में बनाई गई नीति में कुछ खामियां हैं। ब्याज की दर काफी ऊंची है। गरीब लोग इसे नहीं दे सकते। कई बार राज सहायता समय से नहीं दी जाती है। कभी-कभी इन गरीबों को ऋण चुकाने के लिए अपनी भू-सम्पत्ति तथा अन्य परिसंम्पत्तियां बेचनी पड़ती हैं।

उड़ीसा राज्य में एक साहूकारी अधिनियम है जिसमें कहा गया है कि ऋण पर ब्याज की राशि मूलधन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष के पश्चात् भी, किसी व्यक्ति को दिया गया ऋण मूलधन में ब्याज की राशि को जोड़कर दुगुने से अधिक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय स्तर पर एक साहूकारी अधिनियम पारित किया जाये जो सारे देश में लागू हो, ताकि सहकारी

[श्री के॰ प्रधानी]

संस्थाएं या बैंक अधिक धन वसूल करके गरीब लोगों को परेशान न कर सकें। इस प्रकार ऋण चुकाने के लिए उन्हें अपनी भूसम्पत्ति, परिसम्पत्तियां या जो भी उनके पास है उसे बेचना नहीं पड़ेगा।

मैं क्रम संख्या 8 पर आता हूं, जो सभी के लिए स्वास्थ्य के बारे में है। भारत सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पीने के पानी, सड़कों तथा अन्य सभी मदों के लिए काफी धन मंजूर किया है। आठवें वित्त आयोग के समय 194 आदर्श गांवों के लिए पांच लाख रुपये प्रति गांव की दर से 9,70,00,000 रुपये निर्धारित किये गये थे। इसके लिए अब उन्होंने हमारे राज्य में कुछ गांव चुने हैं। अन्य अस्पतालों से 2-3 किलोमीटर के फासले पर अस्पताल स्थापित गये हैं। सामान्यत: 20-30 किलोमीटर तक भी ऐसे अस्पताल नहीं होते हैं, जहां से लोगों को बुखार, सिरदर्द या ऐसी किसी अन्य बीमारी के लिए दवाई आदि मिल सके। किन्तु उन्होंने परस्पर बहुत ही कम फासले पर अस्पताल स्थापित किये हैं। जिसके लिए चिकित्सा विभाग या स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श नहीं किया गया, और सरकार द्वारा निर्धारित धन को व्यय किया गया है। मैंने इस सम्बन्ध में आदिवासी परामर्शदात्री परिषद में प्रश्न उठाया था। मुख्यमन्त्री भी चाहते थे कि इस स्थिति में परिवर्तन किया जाए। गलत स्थानों को छोड़कर नये स्थानों को चुना जाये। किन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में मैंने भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय को भी लिखा था।

मैं आपके माध्यम से कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार को निर्देश दें कि वह इस प्रकार खर्च न करे कि उन लोगों को कोई सुविधा न मिले, जिनके लिए वह आवंटित किया गया है।

अब मैं अन्तिम प्रश्न-उत्तरदायी सरकार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण करने और जिला स्तर पर अधिक शक्तियां देने के लिए अधिक उत्सुक हैं। सरकारिया आयोग ने राज्यों को और अधिक शक्तियां देने के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है। लेकिन किसी भी आयोग द्वारा जिला स्तर पर अधिक शक्तियां देने का उल्लेख नहीं किया गया है। अब हमारे प्रधानमन्त्री ने कलक्टरों, सचिवों आदि के कई सम्मेलन किए हैं ताकि वे यह जान सकें कि जिला स्तर पर कौन-कौन सी समस्याएं हैं और जिला प्राधिकारियों को तथा अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों को अधिक शक्तियां दी जायें ताकि वहां भी समस्यायें सुलझ जायें। किन्तु आदिवासी लोगों के बारे में मेरा अंतिम और अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुरोध यह है कि जब तक आपस में उनको वही पर स्वायत्त परिषदें या जिला परिषद जैसी संस्याएं नहीं दे देते तब तक जिला परिषदों का कोई लाभ नहीं है क्योंकि ये केवल नाम मात्र की हैं और इससे आम जिलों को ही लाभ हो सकता है आदिवासी लोगों को नहीं। अत: मेरा अनुरोध है कि छठी अनुसूची को लागू किया जाये क्योंकि पांचवीं अनुसूची राज्यों में ठीक से कार्यान्वित नहीं हो रही है। वे चर्चा नहीं करते और न ही आदिवासी विकास के लिए कोई कार्यवाही करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, हमारे सदन के वरिष्ठ साथी श्री सोमनाथ रथ जी का जो प्रस्ताव है, बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में, उन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है उस पर आज सदन में चर्चा होना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि बीस सूत्री कार्यक्रम हमारे देश के करोड़ों गरीबों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है और इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी को समाप्त करने की भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके प्रभावी कार्यान्वयन और प्राथमिकता देने की बात इस बीस सूत्री कार्यक्रम में कही गई है।

सन् 1975 में स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ग्रामीण अचल तक पहुंचे इस बात को ध्यान में रखते हुए पहली बार बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक रूप-रेखा निश्चित करके देश के ग्रामीण अंचल में दी थी और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले गरीबों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके, उनके परिवारों को अच्छे साधन सुलभ किये जा सकें, भूमिहीन लोगों को विशेष संरक्षण दिया जा सके, भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया जा सके और बैंकों के माध्यम से आर्थिक मदद देकर उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा किया जा सके, यह सभी उन कार्यक्रमों में दर्शाये गये थे। इसके पश्चात् 14 जनवरी, 1982 में नए बीस सूत्री कार्यक्रम में फिर कुछ योजनाऐं रिव्यू की गईं और नये ढंग से प्राथमिकताऐं निश्चित करके बीस सूत्री कार्यक्रम को और प्रभावी बनाया गया। हमारे नौजवान प्रधान मन्त्री राजीव गांधी जी ने अगस्त, 1986 में बीस सूत्री कार्यक्रम को नये रूप में, नई प्राथमिकताओ में और नई योजनाओं के साथ भारत सरकार से स्वीकृत कर पूरे देश में लागू करने की दिशा में ठोस प्रयास किये। नये बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 में ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था, सब के लिए स्वास्थ्य, दो बच्चों का आदर्श, सुरक्षित राष्ट्र, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को न्याय प्रदान करना, महिलाओं के लिए समानता, युवको के लिए अधिक अवसर, लोगों के लिए मकान, गंदी बस्तियों का सुधार और पर्यावरण सरक्षण आदि-आदि। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम नए दृष्टिकोण को और नई प्राथमिकताओं को सामने रखकर इस नये बीस सूत्री कार्यक्रम, 1986 में रखे गये है पर पिछले दो वर्षों में हमने देखा है कि राज्य सरकारों को जिस तरीके से, जिस प्राथमिकता से इन कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए, वह ध्यान राज्य सरकारों द्वारा नहीं दिया गया।

बीस सूत्री कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसको राष्ट्रीय नजरिये से ही राज्य सरकारों को लागू करना चाहिए। वह अपने तरीके से अपनी योजनाओं को उसमें फिट करके इस कार्यक्रम की महत्ता को कम कर देते हैं, इसे डाइल्यूट कर देते हैं या जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे रहे है। हमारे मध्य प्रदेश में तो यह भी देखने में आया है कि 6-6 महीने तक बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नहीं होती हैं। मन्त्रिगण अपने प्रभावी जिलों में 3-3, 4-4 महीने जाते नहीं हैं। ब्लाक कमेटियों की तो क्या बात करें, जहां सबसे महत्वपूर्ण इकाई ब्लाक यूनिट है जो ब्लाक स्तर पर इस कार्यक्रम को सबसे प्रभावी तरीके से लागू करती है। हम इस बात पर ध्यान देना चाहिए और केन्द्र सरकार को प्रत्येक राज्य को यह निर्देश देना चाहिए कि राज्य-स्तरीय बीस-सूत्री कार्यक्रम

श्री[पताप भानु शर्मा]

क्रियान्वयन समिति की बैठक कम से कम तीन महीने में एक बार अनिवार्य रूप से हों। जिला स्तर पर बीस-सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियों की बैठक, जिसमें वहां के जन-प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, वहां के प्रशासन के लोग सम्मिलित होते हैं, महीने में एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जायें और ब्लाक मुख्यालयों पर हमें महीने में दो बार या तीन बार ग्रामीण अंचल मे बीस-सूत्री समितियों की बैठकों का आयोजन करना चाहिए तभी सही मायने में उनके क्रियान्वयन पर हम जोर दे पायेंगे। हमारे मन्त्री जी के जो बीस-सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय ने जो पुस्तक निकाली है उसमें इनकी मानिटरिंग की तरफ विशेष ध्यान दिया है। मानिटरिंग के बारे में कहा है कि महीने में एक बार रेव्यू किया जायेगा, तीन महीने में गुणात्मक आकलन किया जायेगा कि साल भर में उस प्रदेश में, उस कार्यक्रम को किस तरीके से लागू किया गया, इसकी समीक्षा की जाएगी। मैं नहीं समझता कि प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन विभाग ने इन कार्यक्रमों को लागू करने की गहराई तक जाकर, मौके पर फील्ड में जाकर उनकी समीक्षा की है या उनका रिव्यू किया है। जहां ऐसा हुआ है वहां जो फर्जी आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा, कुछ हमारे अधिकारियों द्वारा और कुछ हमारे साथियों द्वारा भी दिए गए है। वहां पर उनकी पोल खुली है। इसलिए इस पर हम दिल्ली में बैठकर मानिटरिंग करें, उसके बजाय बेहतर यह होगा कि हम स्वयं उन जिलों में जाकर, उन प्रदेशों में जाकर, ऐसी हाई पावर कमेटी हमारी केन्द्र सरकार से निरन्तर हर महीने हर प्रदेश में रोटेशन से जाया करे जिससे कि बीस सूत्री कार्यक्रम, 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन का हम आकलन कर सकें। कार्यकर्ताओं की राय जान सकें, और सही मायने में जिस व्यक्ति के लिए यह कार्यक्रम बना है, उसके गांव, उसके घर और उसके दरवाजे दर जाकर उससे हम चर्चा कर सकें तभी सही मायनों में हम मानिटरिंग प्रभावी तरीके से कर पाएंगे।

एक दूसरा सुझाव मैं केन्द्रीय मन्त्री जी को देना चाहूंगा। बीस सूत्रीय कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों हर समुदाय, शहरी ग्रामीण अंचल के हर व्यक्ति की आकांक्षाओं और उनकी आशाओं को रखा गया है। यदि केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर लागू कराना चाहती है, तो हमें संसद् में एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहिए। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए और उसमें मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों को उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाध्य करें। ताकि इनकी प्राथमिकताओं को वे कम न करें, बल्कि उनको सही रूप में राज्य सरकारें लागू करें। मेरा सुझाव है कि अगले सत्र में हमारी केन्द्रीय सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधेयक तैयार कर के संसद् में लाए और उसके माध्यम से जो हम जिलों में प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं, हर एक जिला प्रशासन, जिला इकाई को व्यक्ति-गत रूप से उस के लिये रिसपांसिबल होना चाहिए। अपने बीसवें सूत्र में आप ने कहा भी है, "उत्तरदायी शासन", तो उत्तरदायित्व आप कैसे निर्धारित करेंगे। उसकी जिम्मेदारी कैसे निर्धारित करेंगे। हमारे प्रधान मन्त्री, राजीव जी, चाहते हैं कि अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो, और प्रभावी क्रियान्वयन हो कार्यक्रमों का। इसके लिए आवश्यक है कि जिले को जो

हमारी प्रशासनिक इकाई है, जो हमारे जन-प्रतिनिधियों की जिला पंचायत परिषद् है या जिला योजना मंडल है, या बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियां हैं, उनमें समन्वय स्थापित करके जिला स्तर की मानिटरिंग सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा हो। यहां से राष्ट्रीय टीम भी जगह-जगह हर प्रान्तों में जाये, तभी हम इसके क्रियान्वयन को सही दिशा दे पायेंगे।

आखिर में, मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो इसके क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और प्रतिनिधियों को मिला कर समितियां बनाई जायें उसमें अच्छे आचरण के लोग आयें, जिन्हें इन कार्यक्रमों मे विश्वास हो और उन्हीं को रखा जाए। जो समय देकर महीने में सात दिन दस-दिन ग्रामीण अंचल में दौरा कर सकते हैं, गरीबों की सुन सकते हैं, बैठकों को बुला सकते हैं, उन्हीं को शामिल किया जाए और जो निर्णय बीस सूत्री समिति में लिये जायें, उन का क्रियान्वयन किस हद तक हो रहा है, इस बात की भी समीक्षा जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नियमित रूप से होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है, यह जो प्रस्ताव यहां पर विचाराधीन है, अगले सत्र में जब माननीय मन्त्री जी इसका जवाब देंगे, तब इन सब योजनाओं के साथ सदन के सामने आयेंगे और हमको भी उसमें सहयोग करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आदरणीय सोमनाथ रथ जी द्वारा जो रिजाल्यूशन सदन में विचार के लिए रखा है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : श्रीमान्, मैं फिर सुझाव देती हूं कि अब हम सभा की बैठक स्थगित करें और इस चर्चा को अगले सत्र में जारी रखें। माननीय सदस्य अपना भाषण अगले सत्र में जारी रख सकते हैं। महोदय, मुझे आशा है कि आप मेरे सुझाव से सहमत होंगे।

सभापति महोदय : यह तो सभा पर निर्भर है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आशा है कि सभा माननीय सदस्या के इस प्रस्ताव से सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, श्रीमन्।

सभापति महोदय : आप अगले सत्र में अपनी बात जारी रख सकते हैं।

7.26 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा सोमवार, 5 सितम्बर, 1988/14 भाद्र, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126 पटपड़गज, दिल्ली-92